सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

"गणतंत्र दिवस 2023 समारोह" के अवसर पर माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से आए जनजातीय मेहमानों से मुलाकात।

"गणतंत्र दिवस 2023 समारोह" के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के जनजातीय मेहमानों से मुलाकात।

वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

विषय–सूची

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	जनजातीय कार्य मंत्रालयः एक परिचय	1
2	मंत्रालय के कार्यकलाप– सिंहावलोकन	13
3	कार्यकलापों की मुख्य उपलब्धियां	18
4	अनुसूचित जनजातियों की विवरणिका	36
5	अनुसूचित जनजातियां तथा अनुसूचित क्षेत्र	50
6	जनजातीय विकास की कार्यनीति और कार्यक्रम	58
7	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006	66
8	शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	70
9	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास	88
10	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	90
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	108
12	जनजातीय उपज के लिए विपणन सहायता	111
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	115
14	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा हेतु कार्यक्रम	118
15	मानव अधिकार/अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय	120
16	पूर्वोत्तर राज्यों पर फोकस	124
17	जेंडर बजटिंग	125
18	दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम	128
19	'लोक शिकायत और सूचना का अधिकार,' अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन	129
20	विभागीय लेखा	131
21	नागरिक/ग्राहक चार्टर	133

अनुलग्नक

अनुलग्नक सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
अनुलग्नक–1	संगठनात्मक चार्ट – जनजातीय कार्य मंत्रालय	143
अनुलग्नक–3क	2020–21 और 2021–22 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के योजना–वार बजट आवंटन, संशोधित आवंटन और व्यय	144
अनुलग्नक–3ख	वर्ष 2022–23 के लिए योजना–वार बजट आवंटन और व्यय	145
अनुलग्नक–4क	लिंग और निवास के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जनसंख्याः जनगणना 2011	146
अनुलग्नक–4ख	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सम्पूर्ण जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता तथा राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशतता	149
अनुलग्नक–4ग	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का भारत, राज्य–संघ राज्य क्षेत्रवार लिंग अनुपात	150
अनुलग्नक–4घ	सम्पूर्ण जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर : जनगणना 2011	151
अनुलग्नक–4ङ	15 वर्ष और इससे ऊपर की आयु अनुसूचित जनजातियों के लिए – स्नातक तथा इससे ऊपरका शैक्षिक स्तर	152
अनुलग्नक–4च	जनजातीय क्षेत्रों में एससी, पीएचसी और सीएचसी की आवश्यकता और कमी	153
अनुलग्नक–4छ	जनजातीय क्षेत्रों में उपकेंद्रों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला/एएनएम	154
अनुलग्नक–4ज	जनजातीय क्षेत्रों के पीएचसी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला/एएनएम	155
अनुलग्नक–4झ	जनजातीय क्षेत्रों के पीएचसी में नर्सिंग स्टाफ (नर्स स्टाफ)	156
अनुलग्नक–4ञ	जनजातीय क्षेत्रों के सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ (नर्स स्टाफ)	157
अनुलग्नक–4ट	जनजातीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में डॉक्टर	158
अनुलग्नक–4ठ	2015–16 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए परिचालन जोतों की संख्या का राज्यवार प्रतिशत वितरण	159
अनुलग्नक–4ड	2019–21 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरूद्ध अपराध/अत्याचार	160

अनुलग्नक सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
अनुलग्नक–4ढ़	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले जिले	161
अनुलग्नक–4ण	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रमुख अनुसूचित जनजाति समुदाय : जनगणना 2011	164
अनुलग्नक–5क	राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र–वार अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश/संशोधन	171
अनुलग्नक–5ख	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची	174
अनुलग्नक–5ग	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्यवार सूची	198
अनुलग्नक–6क	वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों द्वारा डीएपीएसटी आवंटन	225
अनुलग्नक–6ख	2020–21 से 2022–23 तक (31.12.2022 तक) राज्य जनजातीय उप–योजना/अनुसूचित जनजातीय घटक के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आवंटन और व्यय का विवरण	228
अनुलग्नक–6ग	"प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)" के तहत पहचाने गए कुल गांवों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण, 2021–22 और 2022–23 के दौरान लिए गए गांवों की संख्या और जारी की गई निधियां	229
अनुलग्नक–6घ	2020–21 से 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान संविधान के "अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान" के तहत जारी की गई निधियां	230
अनुलग्नक–7	दिनांक 30.06.2022 को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावों और अधिकार पत्रों के वितरण का विवरण	231
अनुलग्नक–8क	वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान कई अन्य ईएमआरएस की आधारशिला रखने का विवरण	232
अनुलग्नक–8ख	वर्ष 2022–23 में उद्घाटन किए गए ईएमआरएस का राज्यवार विवरण	233
अनुलग्नक–8ग	31.12.2022 तक उन्नयन के तहत अनुमोदित ईएमआरएस की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार संख्या	234
अनुलग्नक–8घ	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उसके लाभार्थियों को जारी की गई निधि का विवरण	235
अनुलग्नक–8ङ	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी निधि और उसके लाभार्थियों का विवरण	236

अनुलग्नक सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
अनुलग्नक–9क	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की राज्य / संघ राज्यवार क्षेत्रों की सूची	237
अनुलग्नक–9ख	वित्तीय वर्ष 2020–2021 से वित्तीय वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियां	239
अनुलग्नक–10क	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)	240
अनुलग्नक–10ख	वित्तीय वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 के दौरान "टीआरआई को सहायता" योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियां	241
अनुलग्नक–11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) वर्ष 2022–23 के (31.12.2022 तक) दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थी	242
अनुलग्नक–12	एमएफपी के लिए एमएसपी योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लघु वन उपजों/उत्पादों (एमएफपी) मदों की सूची और उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)	243
अनुलग्नक–13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के 6 (छः) क्षेत्रीय कार्यालयों के पते और कार्य अधिकार क्षेत्र	247
अनुलग्नक–14	'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत 2020–21 से 2022–23 के दौरान लाभार्थियों तथा निर्मुक्त निधि का विवरण	248
अनुलग्नक–16	वर्ष 2022–23 (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार) के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई राशि	269
अनुलग्नक–17	वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्धियां	270
अनुलग्नक–18	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान	273
अनुलग्नक–19	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	274

शब्दावली

शब्द / संक्षेप	अर्थ/पूरा रूप
एएमएसवाई	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना
एएनएम	सहायक नर्स प्रसाविका
बीआईटी	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान
सीसीडी	संरक्षण सह–विकास
सीएफटीआरआई	केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सीओ	संवैधानिक आदेश
सीपीजीआरएएमएस (सीपीग्राम)	केंद्रीकृत लोक–शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
सीएसपीएस	केंद्र प्रायोजित योजना स्कीम
सीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीएसएस	केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम
डीएपीएसटी	अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के लिए विकासात्मक कार्य योजना
डीईएसए	जिला शिक्षा सहायता एजेंसी
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईएमआरएस	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
ईवीए	स्थापित स्वैच्छिक एजेंसियाँ
एफडीए	वन विकास एजेंसियाँ
एफडीसी	वन विकास निगम
एफआरए	वन अधिकार अधिनियम

शब्द / संक्षेप	अर्थ / पूरा रूप
एफटीएस	फाइल ट्रैकिंग प्रणाली
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास योजना
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईटीडीपी / आईटीडीए	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं / एजेंसियां
जेआरएफ	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एलएएन	स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एमएडीए	संशोधित क्षेत्र विकास उपागम
एमएएन	महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क
एमईएस	मॉड्यूलर रोजगारक्षम कौशल
एमएफपी	लघु वन उत्पाद
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीडीपी	बहु–उद्देशीय जनजातीय विकास परियोजना
एनएईबी	राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी–विकास बोर्ड
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनसीएसटी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
एनडीसीएसपी	राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र, शास्त्री पार्क
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनओएस	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

शब्द / संक्षेप	अर्थ / पूरा रूप
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसटीएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
एनटीए	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार
एनटीआरआई	राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान
एनईएसटीएस	जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी
एनटीएफपी	गैर–इमारती लकड़ी वाले वन उत्पाद
एनटीपी	राष्ट्रीय जनजातीय नीति
पीएफएमएस	लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएमएस	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
एससी	उप–केन्द्र
टीएसएस को एससीए	जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
एससीडी	सिकल सेल रोग
अनुसूचित जनजाति (अजजा)	भारत के संविधान का अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों से ऐसे समुदायों के रूप में संदर्भित करता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार केवल उन समुदायों को जोकि राष्ट्रपति द्वारा आरंभिक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद के बाद के संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रकार घोषित किए गए है, को अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।
एससीएसवीई	स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति
एसजी	राज्य अनुदान

शब्द / संक्षेप	अर्थ / पूरा रूप
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसपीएआरआरओडब्लू	स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो
एसआरएफ	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एसएसए	सर्व–शिक्षा अभियान
एसटीडीसीसी	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम
टीएसी	जनजातीय सलाहकार परिषद
टीटीएएडीसी	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद
ट्राइफेड	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
टीएसपी	जनजातीय उप–योजना
टीएसएस	जनजातीय उप–स्कीम
यूसी	उपयोग प्रमाण–पत्र
यूजीसी	विश्व विद्यालय अनुदान आयोग
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूआरएल	सम स्रोत निर्धारक
वीडीवीके	वन धन विकास केंद्र
वीकेवाई	वनबंधु कल्याण योजना
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
वीटीसी	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
डब्लूएएन	विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क

अध्याय 1
जनजातीय कार्य मंत्रालयः एक परिचय

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वि–विभाजन के उपरांत अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के समेकित सामाजिक–आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य के साथ की गयी थी। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय कार्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अलग–अलग समय अवधि में निपटाए जाते रहे थे, जो निम्नानुसार हैं:

- स्वतंत्रता प्राप्ति से सितम्बर, 1985 तक गृह मंत्रालय के "जनजातीय प्रभाग" नामक एक प्रभाग के रूप में।
- सितम्बर, 1985 से मई, 1998 तक कल्याण मंत्रालय।
- मई, 1998 से सितम्बर, 1999 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

अधिदेश

1.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961' के तहत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

1. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा;
2. जनजातीय कल्याणः जनजातीय कल्याण आयोजना, परियोजना तैयार करना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण;
3. जनजातीय कल्याण से संबद्ध स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन एवं विकास;
4. अनुसूचित जनजातियों सहित ऐसी जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित;
5. अनुसूचित जनजातियों का विकास

5क. वन भूमियों पर वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित विधान सहित सभी मामले।

6 (क) अनुसूचित क्षेत्र;

(ख) राज्य के राज्यपालों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए तैयार किये गये विनियम

7 (क) आयोग, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देगा; तथा

(ख) किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देशों के मुद्दे।

8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;
9. अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध अपराधों के मामलों में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) का कार्यान्वयन;
10. नीति आयोग द्वारा डिजाइन किए गए ढ़ांचे (फ्रेमवर्क) और तंत्र (मेकैनिजम) के आधार पर जनजातीय उप–योजना की निगरानी।

1.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। हालाँकि, इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं, नीति, नियोजन, निगरानी, मूल्यांकन आदि के संबंध में उनके समन्वय के लिए भी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय / विभाग अपने क्षेत्र के संबंध में नोडल मंत्रालय या विभाग है।

भूमिका

1.4 मंत्रालय के कार्यक्रम और स्कीमें अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और आंशिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से आलम्बन प्रदान करने और उनकी संपूर्ति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्थानों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने हेतु अभिप्रेत हैं। जबकि क्षेत्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक जिम्मेवारी सभी केन्द्र मंत्रालयों/विभागों की है, वहीं जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से तैयार योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक उपायों के माध्यम से उनके प्रयासों को अनुपूरक प्रदान करता है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए ये स्कीमें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और इनका कार्यान्वयन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से और संस्थान निर्माण के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

1.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्री के समग्र मार्गदर्शन में दो केंद्रीय राज्य मंत्रियों की सहायता से कार्य करता है। मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख सचिव हैं जिसकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, दो संयुक्त सचिव, एक उप–महानिदेशक और दो आर्थिक सलाहकार हैं। संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए) आंतरिक वित्त और बजट मामलों में मंत्रालय की सहायता करते रहे हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक बजट/व्यय नियंत्रण में मदद करते हैं। मंत्रालय प्रभागों और अनुभागों के रूप में संगठित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास 101 कर्मचारियों के कार्य बल के साथ 151 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है। इसमें 47 समूह 'क' पद, 62 समूह 'ख' पद (राजपत्रित / गैर–राजपत्रित) तथा 42 समूह 'ग' पद हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–1** पर है।

मंत्रालय के तहत प्रशासन, प्रभाग तथा संगठन

1.6 मंत्रालय की स्थापना एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले, मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग द्वारा निपटाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और संवर्ग बाह्य पदों तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि के स्थापना संबंधी मामलों को भी इसी प्रभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। सतर्कता तथा शिकायत संबंधी मामले देखने के लिए एक समर्पित प्रभाग है।

प्रशासनिक प्रभाग के अलावा, सीएलएम प्रभाग, एफआरए प्रभाग, एनसीएसटी प्रभाग, नीति विश्लेषण, और लोक शिकायत प्रभाग, सांख्यिकी प्रभाग, हिंदी प्रभाग जैसे संवैधानिक और कानूनी मामलों को देखने वाले प्रभाग हैं। जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं को संचालित करने वाले प्रभाग छात्रवृत्ति प्रभाग, एनजीओ प्रभाग, ईएमआरएस प्रभाग, अनुदान प्रभाग, पीवीटीजी प्रभाग, टीआरआई प्रभाग, आजीविका और पीएमएएजीवाई प्रभाग हैं। एसटीसी प्रभाग 41 बाध्य मंत्रालयों/विभागों और राज्यों की अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) निधियों की निगरानी करता है। मंत्रालय में एक समर्पित जनजातीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के साथ–साथ एक मीडिया प्रकोष्ठ भी है। एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) के प्रमुख संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) और जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अन्य संगठन हैं।

1.7 जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय दिल्ली में नामतः शास्त्री भवन (राजेंद्र प्रसाद रोड), निर्माण भवन (मौलाना आजाद रोड) और जीवन तारा बिल्डिंग (संसद मार्ग), नई दिल्ली में स्थित हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

1.8 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा नए अनुच्छेद 338–क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

को क्रमशः केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के मुख्य कर्तव्य अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यों का मूल्यांकन करना है और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षा उपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के सभी अधिकार निहित हैं। एनसीएसटी का मुख्यालय लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

1.9 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित एक शीर्ष संस्था है जिसे 10.04.2001 को स्थापित किया गया था। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम, ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाता है। एनएसटीएफडीसी का कार्यालय भीकाजी कामा प्लेस, आरके पुरम, नई दिल्ली में स्थित है। इसका नेतृत्व एक प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद का होता है।

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस)

1.10 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) को 1 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के XXI के तहत ईएमआरएस की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। एनईएसटीएस का प्रमुख आयुक्त, एनईएसटीएस होता हैं, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद का होता है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग में स्थित है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

1.11 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) 1987 में बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के तहत स्थापित एक बहु राज्य सहकारी समिति है, जो सेवा प्रदाता और जनजातीय (आदिवासी) उत्पादों के लिए बाजार विकासकर्ता दोनों के रूप में कार्य करती है। यह देश में अपने खुदरा आउटलेट 'ट्राइब्स इंडिया' के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय (आदिवासी) उत्पादों का विपणन करता है। क्षमता निर्माता के रूप में, यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों और लघु वनोपज (एमएफपी) संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। ट्राइफेड का कार्यालय एनएसआईसी एस्टेट, ओखला फेज III, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित है।

1.11.1 ट्राइफेड की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 300.00 करोड़ है। 31.12.2022 को ट्राइफेड की चुकता शेयर पूंजी 100.56 करोड़ रुपये थी। दिनांक 31.12.2022 तक ट्राइफेड के 31 सदस्य (शेयरधारक) हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपये का निवेश किया है और ट्राइफेड का सबसे बड़ा शेयरधारक है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)

1.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय में एनआईसी सेल सुरक्षित मल्टी–प्लेटफॉर्म कंप्यूटर–आधारित एप्लिकेशन /समाधान, डेटाबेस समर्थन, इंटरनेट, ईमेल, ई–ऑफिस, नेटवर्क और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को वितरित करने और लागू करने के लिए नवीनतम कंप्यूटर

सिस्टम से सुसज्जित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और जनजातीय कार्य मंत्रालय के ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और तैनाती को गति देने के लिए एनआईसी – मेघराज की क्लाउड सेवाओं को अपनाया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में एनआईसी की एक समर्पित टीम है जिसमें उप महानिदेशक (डीडीजी) रैंक का एक अधिकारी, एक वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एक वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक और एक वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक–ख है। मंत्रालय ने निम्नलिखित श्रेणियों के तहत मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) प्रकोष्ठ के समन्वय से विभिन्न परियोजनाएं/गतिविधियां शुरू की हैं :

1.12.1. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परियोजनाएं/गतिविधियां

- प्रशिक्षण संबंधी ई–गवर्नेंस परियोजनाओं का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन।
- वेबसाइट का डिजाइन, विकास और होस्टिंग
- वेब पोर्टल और वेब आधारित अनुप्रयोगों (एप्लीकेशनों) का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन
- एनआईसी क्लाउड पर वेबसाइटों, वेब पोर्टलों और वेब आधारित अनुप्रयोगों का नियोजन
- साइबर सुरक्षा ऑडिट अनुपालन
- स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) और इंटरनेट सेवाओं का रखरखाव
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- ट्राइफेड, एनसीएसटी और एनएसटीएफडीसी को उनकी आईसीटी संबंधित परियोजनाओं/गतिविधियों में सहायता
- एनटीआरआई को सहायता

1.12.2. ई–गवर्नेंस एप्लिकेशन/पोर्टल

एनआईसी मंत्रालय के अधिकारियों को जेनेरिक ई–गवर्नेंस अनुप्रयोग सबंधी सहायता भी प्रदान करता है जैसे कि:

- https://mta.eoffice.gov.in
- https://nsp.gov.in (अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर कक्षा छात्रवृत्ति के लिए डेटा)
- http://bhavishya.gov.in (पेंशन, संस्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली)
- https://limbs.gov.in (अदालती मामलों के डिजिटलीकरण के लिए वेब एप्लिकेशन)
- https://pgportal.gov.in (शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के लिए पोर्टल),
- https://e-samiksha.gov.in
- ई–टेंडरिंग, ई–सर्विस बुक, ई–एचआरएमएस, स्पैरो, ई–विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, जीएलआईएस, आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, पीएफएमएस आदि।

1.13 डिजिटल गवर्नेंस

"डिजिटल इंडिया" लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने, परिणामोन्मुख योजना और सेवा वितरण के लिए डेटा–संचालित शासन मॉडल विकसित किए हैं। मंत्रालय की सभी योजनाओं और पहलों को 20 समर्पित पोर्टलों/वेबसाइटों/मोबाइल ऐप्स के साथ शुरू से अंत तक डिजिटाइज किया गया है, जो प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से मंत्रालय की मूल वेबसाइट के साथ एकीकृत हैं। अधिकांश ई–गवर्नेंस एप्लिकेशन एनआईसी सेल, एमओटीए द्वारा इन–हाउस डिजाइन और विकसित किए गए हैं और एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किए गए हैं। एनआईसी टीम इन ई–जीओवी अनुप्रयोगों के नियमित सुरक्षा ऑडिट और सुरक्षा पैच के अद्यतन को सुनिश्चित करती है।

1.14 साइबर सुरक्षा

सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न साइबर सुरक्षा पहलुओं जैसे पासवर्ड प्रबंधन, ईमेल सुरक्षा, डेस्कटॉप प्रबंधन, हटाने योग्य मीडिया सुरक्षा, सोशल मीडिया सुरक्षा, साइबर सुरक्षा परामर्शी और घटना रिपोर्टिंग आदि पर सरकारी कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश आउटसोर्स/संविदात्मक/अस्थायी कर्मचारी, जो सरकारी मंत्रालय/विभाग के लिए काम करते हैं सहित सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुपालन के

लिए परिचालित किए गए हैं।

साइबर जागरुकता दिवस (सीजेडी) महीने के प्रत्येक पहले बुधवार को मनाया जाता है और एनआईसी के साइबर सुरक्षा प्रभाग द्वारा मंत्रालय के सभी अधिकारियों के लिए एक वेबिनार आयोजित किया जाता है और ई–नोटिस बोर्ड के माध्यम से मंत्रालय में प्रसारित किया जा रहा है।

1.15 प्रदर्शन डैशबोर्ड

मंत्रालय का प्रदर्शन डैशबोर्ड मंत्रालय द्वारा विकसित एक आईटी इंटरफेस है, जो विभिन्न मापदंडों में राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन को दर्शाने वाली प्रत्येक योजना के आउटपुट–परिणाम संकेतक प्रदान करता है। कई स्रोतों से प्राप्त डेटा को एमएस–पॉवर बीआई का उपयोग करके गुणवत्ता सक्षम कुशल योजना और निगरानी के लिए संकलित, रूपांतरित, मूल्यांकित किया जाता है। छात्रवृत्ति योजनाओं, एनजीओ अनुदान, ईएमआरएस, सिकल सेल रोग सांख्यिकी, मंत्रालय–वार अ.ज.जा. घटक सांख्यिकी, लीडर के रूप में ऑनलाइन गोइंग (जाना) (जीओएएल) परियोजना, डेटा रिपॉजिटरी सांख्यिकी, वन अधिकार अधिनियम, अन्तर विश्लेषण आदि के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित विश्लेषण भी किया गया था। इस विश्लेषण का उपयोग मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) की निगरानी के लिए किया जा रहा है।

विभिन्न योजनाओं से संबंधित ई–गवर्नेंस अनुप्रयोग निम्नानुसार हैं:

क. केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस योजनाएं) :

क्र.सं.	स्कीम	ई–जीओवी अनुप्रयोग
1–2	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	https://dbttribal.gov.in
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता	https://tritribal.gov.in https://repository.tribal.gov.in https://adiprashikshan.tribal.gov.in
4	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	
5	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना– पीएमएएजीवाई (जनजातीय उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता टीएसएस को एससीए के रूप में जाना जाता था)	https://grants.tribal.gov.in
6	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों को अनुदान	

ख. केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें :

क्र.सं.	स्कीम	ई–जीओवी अनुप्रयोग
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	https://emrs.tribal.gov.in
2	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	https://ngo.tribal.gov.in
3.	राष्ट्रीयध्राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	https://www-nstfdc-net
4	ट्राइफेड को संस्थागत समर्थन	https://trifed.tribal.gov.in
5	जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और महोत्सव (ट्राई–ईसीई)	https://tritribal.gov.in https://repository.tribal.gov.in
6	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	https://fellowship.tribal.gov.in https://scholarships.gov.in
7	विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	https://overseas.tribal.gov.in

ग. डिजिटलीकरण के लिए अन्य पहलें (अन्य एमआईएस/डैशबोर्ड/ई–सेवाएं)		
क्र.सं.	पहल का नाम	ई–जीओवी अनुप्रयोग
1	अग्रणी (लीडर्स) के रूप में ऑनलाइन जाना (जीओएएल)	https://goal.tribal.gov.in/
2	स्वास्थ्य पोर्टल	https://swasthya.tribal.gov.in/home
3	राष्ट्रीय जनजातीय प्रवासन सहायता पोर्टल	https://shramshakti.tribal.gov.in/
4	सिकल सेल सपोर्ट कॉर्नर	https://scdcorner.in/
5	अंतर विश्लेषण	https://dashboard.tribal.gov.in/gapanalysis.aspx
6	प्रदर्शन डैशबोर्ड	https://scdcorner.in dashboard.tribal.gov.in
7	वन अधिकार	https://scdcorner.in forestrights.nic.in
8	अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निगरानी प्रणाली	https://stcmis.gov.in/
9	उमंग मोबाइल ऐप पर एनएफएस और एनओएस	https://play.google.com/store/apps
10	जनजातीय भंडार (रिपोजिटरी)	https://tribal.nic.in/repository/
11	समाचार पोर्टल (आदि–प्रसारण)	https://adiprasaran.tribal.gov.in/
12	स्प्रिंग जल एटलस	https://thespringsportal.org/
13	प्रलेख प्रबन्धन तंत्र	https://tribal.gov.in/mtad/
14	जीआईएस सक्षम पात्रता ट्रैकिंग प्रणाली (जीईईटी)	https://geet-undp.com/
15	आदिकलाकर पोर्टल	https://adikalakar.tribal.gov.in

वेबसाइट और डैशबोर्ड का संयोजन आदिवासी आबादी की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, 17 बुनियादी ढांचे के मापदण्डों पर 1,17,000 आदिवासी गांवों के अंतराल विश्लेषण, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, 117 आकांक्षी जिलों में बीमारी के बोझ के साथ–साथ वेबसाइट होमपेज और डायनेमिक–इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के माध्यम से आसान नेविगेशन (संचालन) के साथ योजनाओं के प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। सर्व–समावेशी डिजिटल–पहल ने कागज–आधारित से डेटा–संचालित ई–गवर्नेंस मॉडल में एक प्रतिमान–परिवर्तन लाया है और उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ डिजिटल–परिवर्तन के लिए एक सफल भविष्यवादी, टिकाऊ और प्रतिकृति योग्य ई–गवर्नेंस मॉडल के रूप में उभरने की संभावना है।

1.16 प्रयास–पीएमओ डैशबोर्ड (https://prayas.nic.in) पर योजनाएं : सात योजनाओं (मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, एनएफएस, एनओएस, एनजीओ, उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति और ईएमआरएस) के माह–वार संचयी डेटा को लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट्री (एलजीडी) के अनुरूप बनाया गया था और इसे वेब एपीआई का उपयोग करके पीएमओ के प्रयास डैशबोर्ड में पोर्ट किया जा रहा है। डैशबोर्ड शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए समय श्रृंखला विश्लेषण के साथ विभिन्न केपीआई दिखाता है। प्रयास डैशबोर्ड केंद्रीय मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करता है, जिसकी निगरानी एक मंच पर योजना और निगरानी के उद्देश्य से पीएमओ, मंत्री और अन्य शीर्ष स्तर पर की जा रही है।

1.17. डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स : अपने पूरे जीवन चक्र में सार्वजनिक नीति को चलाने में डेटा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के उभरते अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य के साथ, नीति आयोग ने 2020 में डेटा निर्माण, डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, डेटा सुरक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे विभिन्न विषयों पर केंद्रीय मंत्रालयों की डेटा तैयारियों का पता लगाने के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) की एक पहल शुरू की।

डीजीक्यूआई का इरादा मंत्रालयों/विभागों और राज्य विभागों को मानकीकृत ढांचे के आधार पर डेटा

परिपक्वता के विभिन्न स्तरों पर खुद का आकलन करने में सक्षम बनाना है, जो बदले में भारत सरकार में डिजिटलीकरण को सुदृढ़ करने की सुविधा प्रदान करेगा। समग्र दृष्टिकोण के दायरे के तहत, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स द्वारा कवर किए गए डेटा प्रणाली स्तंभ के तहत छह प्रमुख विषयों : डेटा जनित्रण (जनरेशन), डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता और मामला अध्ययन की पहचान की गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी नीति द्वारा निर्धारित स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर डीजीक्यूआई अभ्यास में भाग लिया और शासन में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 2018 से इसके द्वारा की गई विभिन्न पहलों का प्रदर्शन किया। डीजीक्यूआई द्वारा कवर 74 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 275 केंद्रीय योजनाओं/केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से, जनजातीय कार्य मंत्रालय का स्कोरकार्ड निम्नानुसार है :

श्रेणी	स्कोर	रैंक
74 मंत्रालयों के बीच समग्र प्रदर्शन	4.62	4
सामाजिक श्रेणी	4.62	2

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.18 जैसाकि हिन्दी भारत संघ की राजभाषा है, इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से संलग्न है। हिंदी प्रभाग इस मंत्रालय के सांविधिक दस्तावेजों से संबंधित सौंपे गए हिन्दी अनुवाद का कार्य करने के साथ–साथ राजभाषा नीति तथा राजभाषा अधिनियम 1963 और इसमें बनाए गये नियमों, राष्ट्रपति के आदेशों, और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और अनुदेशों के कार्यान्वयन संबंधी कार्य भी देखता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी करता है। मंत्रालय के अधिकांश अधिकारी तथा कार्मिक हिन्दी में प्रवीण हैं अथवा हिन्दी का कार्य–साधक ज्ञान रखते हैं।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा निगरानी और अनुवाद में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय में एक संयुक्त निदेशक (रा.भा.), एक सहायक निदेशक (रा.भा.) एक वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के दो पद स्वीकृत हैं। सहायक निदेशक (राजभाषा) का पद दिनांक 04.02.2023 से तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का पद दिनांक 01.07.2022 से रिक्त है। वर्तमान में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के स्वीकृत पद पर उप निदेशक (राजभाषा) पदस्थ हैं। तीन परामर्शदाता भी मंत्रालय के बढ़े हुए कार्यभार के मद्देनजर हिन्दी प्रभाग में कार्यरत हैं।

राजभाषा अधिनियम/नियम तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1.19 राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर केवल हिन्दी में दिये गए हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के साथ 100% (शत–प्रतिशत) पत्राचार हिंदी में करने के यथासंभव प्रयास किए गए हैं। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें द्विभाषी रूप में तैयार की गई हैं। रबड़ की सभी मोहरें, नामपट्ट तथा मुद्रित सामग्री भी द्विभाषी तैयार करवाई गई हैं। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाता रहा है। राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके तहत बने राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच बिन्दु स्थापित किए गए हैं तथा मंत्रालय के सभी अनुभागों द्वारा उनका प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जाता रहा है।

हिन्दी माह का आयोजन

1.20 सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में सितम्बर, 2022 के दौरान हिन्दी माह का आयोजन किया गया था।

इस अवधि 19 से 30 सितम्बर, 2022 के दौरान 15 प्रतियोगिताएं अर्थात् हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन, हिन्दी में तत्काल भाषण (एक्सटेम्परी), हिन्दी टंकण, हिन्दी श्रुतलेखन, वाद–विवाद, अनुवाद और वर्ष भर मौलिक रूप से हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार जैसी प्रतियोगिताएं, सफलतापूर्वक आयोजित की गई थीं।

मंत्रालय के हिन्दीत्तर भाषा–भाषी कार्मिकों के लिए इस वर्ष हिन्दी माह के दौरान अलग से हिन्दी निबंध

पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान हिन्दी प्रभाग के ब्यूरो प्रमुख एवं आर्थिक सलाहकार श्री शिव सिंह मीना तथा अधिकारीगण और हिन्दी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेता

प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गईं ताकि राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाया जा सके। 165,800/– रूपये के कुल 79 पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए गये थे।

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23.02.2022 को आयोजित की गई थी। इसके अलावा, मंत्रालय में कंठस्थ व हिन्दी टूल्स के संबंध में 12.04.2022 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी व उक्त कार्यशाला बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। मंत्रालय में राजभाषा के प्रयोग की समीक्षा व बढ़ावा देने के लिए दिनांक 14.06.2022 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया था।

1.21 श्री शिव सिंह मीना, आर्थिक सलाहकार ने 15.02.2023 से 17.02.2023 तक नादी (फिजी) में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित '12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023' में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

सतर्कता गतिविधियां

1.22 मंत्रालय में, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) सचिव, मंत्रालय को सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सहायता प्रदान करते हैं तथा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त सतर्कता के कार्य देखते हैं। एक निदेशक तथा एक अवर सचिव मुख्य सतर्कता अधिकारी की उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं।

1.23 मंत्रालय ने 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2022 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया। इस वर्ष की थीम "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत; भ्रष्टाचार मुक्त भारत–विकसित भारत" थी। कोविड–19 रोकथाम दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने सीवीसी की वेबसाइट पर जाकर ई–शपथ ली है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की सतर्कता गतिविधियों की सत्यनिष्ठा रिपोर्ट और त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट क्रमशः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और सीवीसी को नियमित आधार पर भेजी जा रही है।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

1.24 मंत्रालय के लोक शिकायत विभाग के निदेशक को मंत्रालय में शिकायत निदेशक के रूप में नामित किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट डिजिटल और भौतिक रूप से एक सार्वजनिक शिकायत कैसे दर्ज करें, इसका पूरा विवरण प्रदान करती है। लोक शिकायत निगरानी प्रणाली की निगरानी ऑनलाइन (सीपीजीआरएएमएस) की जा रही है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय, पीएमओ आदि के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त जन शिकायतों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाता है।

कार्य स्थल पर महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति

1.25 प्रत्येक महिला कर्मचारी को यौन उत्पीड़न से मुक्त, सुरक्षित और सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए मंत्रालय में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्ष अतिरिक्त सचिव सुश्री आर जया हैं। समिति को वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान मंत्रालय से संबंधित यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

नागरिक/ग्राहक चार्टर

1.26 जनजातीय कार्य मंत्रालय के नागरिक/ग्राहक चार्टर का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 21 में दिया गया है। सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और जन जागरूकता के उपयोग के माध्यम से मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली बनाई गई है।

गणतंत्र दिवस समारोह

1.27 वर्षों से अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार, मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड और समारोह देखने के लिए भारत सरकार के जनजातीय मेहमानों के रूप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से दो जनजातीय प्रतिनिधियों, एक पुरुष और एक महिला को आमंत्रित करता है। 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (33 पुरुष और 27 महिलाएं) के जनजातीय मेहमानों ने संपर्क अधिकारियों के साथ भाग लिया। मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विश्व युवक केंद्र, चाणक्यपुरी में उनका स्वागत किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट और 28 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली देखने के अलावा जनजातीय (आदिवासी) मेहमानों ने माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ उनके निवास पर समारोह में भाग लिया। जनजातीय मेहमानों और झांकी कलाकारों के सम्मान में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा रात्रिभोज के साथ एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया।

74वें गणतंत्र दिवस परेड, 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार

1.28 इस वर्ष जनजातीय कार्य मंत्रालय को 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस परेड में "सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार" दिया गया। मंत्रालय की झांकी को केंद्रीय मंत्रालय/विभाग श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ झांकी का ताज पहनाया गया है। 26 जनवरी, 2023 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को दर्शाती तेईस झांकियां, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सत्रह और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की छह झांकियां कार्तव्य पथ पर निकाली गयीं। रक्षा राज्य मंत्री, श्री अजय भट्ट ने 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय रंगशाला कैंप, दिल्ली कैंट में गणतंत्र दिवस 2023 से संबंधित पुरस्कार और उपहार प्रदान किए, जिसके बाद सम्मान समारोह माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) थीम पर आधारित थी। ईएमआरएस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय यह सुनिश्चित करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देश के दूरस्थ हिस्सों में जनजातीय समुदायों तक पहुंचे।

झाँकी के सामने के हिस्से में "नारी शक्ति" बालिका शिक्षा के प्रतीक, ईएमआरएस में जनजातीय बालक और बालिकाओं के छात्रों के समान नामांकन सुनिश्चित करने पर मंत्रालय के जोर को दर्शाया गया है। एकलव्य के धनुष और बाण के आकार का एक पुरातनपंथी कलम एकाक्षी वाले मिशन को दर्शाता है जिसके साथ ईएमआरएस के जनजातीय छात्र अपने भविष्य को आकार देते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं।

पीछे के हिस्से में नॉलेज ट्री के प्रक्षेपण ने ईएमआरएस शिक्षकों से छात्रों तक ज्ञान और ज्ञान के प्रसार और इसके प्राकृतिक आवास में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण को प्रदर्शित किया, जो ईएमआरएसएस का मुख्य उद्देश्य है। यह मंत्रालय के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि पुरस्कार ईएमआरएस योजना का महत्व स्थापित करता है और दृष्टि जो कि जनजातीय उन्नति और सशक्तिकरण के लिए रखती है।

विशेष अभियान 2.0 का समारोह मनाना

1.29 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की इच्छा के अनुसार 01.10.2022 से 31.10.2022 की अवधि के दौरान विशेष अभियान 2.0 मनाया था।

(एमओटीए कार्यालय, नई दिल्ली में विशेष अभियान के दौरे के दौरान जनजातीय कार्य माननीय मंत्री और सचिव, जनजातीय कार्य)

उक्त अवधि के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय नें निम्नलिखित विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की :		
मापदंड	**लक्ष्य (संख्या में)**	**उपलब्धि (संख्या में)**
लोक शिकायत	120	120
पीएमओ संदर्भ	32	31
आईएमसी संदर्भ (कैबिनेट प्रस्ताव)	06	06
राज्य सरकार संदर्भ	01	01
संसदीय आश्वासन	18	06
रिकॉर्ड प्रबंधन (फाइलें)		
(क) भौतिक फाइलें समीक्षा	1032	1032
(ख) छटाई के लिए पहचान की गई भौतिक फाइल	183	183
(ग) ई–फाइलों को समीक्षा के लिए रखा गया और बंद कर दिया गया	764 (समीक्षित)	460 (बंद की गई)
स्वच्छता परिसर	41	41

सचिवों का क्षेत्रीय समूह (एसजीओएस)

1.30 सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कल्याण समूह के एसजीओएस के संयोजक हैं, जिसके सदस्य के रूप में अन्य नौ सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी हैं। सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सचिव, विदेश मंत्रालय, सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अन्य सदस्य हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अपर सचिव बैठकें आयोजित करने और सदस्यों के बीच चर्चा के लिए कार्यसूची (एजेंडा) निर्धारित करने के लिए समन्वयक हैं। मंत्रालय ने कल्याण संबंधी एसजीओएस को सचिवालय सहायता प्रदान की जिसने समूह पीपीटी प्रारूप में समूह का पंचवर्षीय विजन दस्तावेज तैयार किया है। वर्तमान में मंत्रालयों/विभागों, एसजीओएस, कल्याण ने एसजीओएस विजन @2047 के प्रस्तुतीकरण में समाविष्ट कार्रवाई योग्य सुझावों/बिंदुओं का संकलन पहले ही कर लिया है।

संसदीय स्थायी समिति

1.31 सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने 17.02.2022 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए वर्ष 2022–23 के लिए अनुदान की विस्तृत मांगों की जांच पर जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदान मांग' (2022–23) संबंधी समिति की 30वीं रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के जवाब लोकसभा सचिवालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति) शाखा को 15 नवंबर, 2022 को भेजे गए थे। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अन्य विभाग संबंधित स्थायी समितियों के सामने भी मौखिक साक्ष्य दिया था :

- 22 अगस्त, 2022 को आयोजित बैठक में 'बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय नीति – एक मूल्यांकन' विषय पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लिखित उत्तर के लिए श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की प्रश्नावली के समक्ष मौखिक साक्ष्य। 'बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय नीति–एक आकलन' विषय पर लिखित उत्तर के लिए साक्ष्य के बाद की प्रश्नावली 20 अक्टूबर, 2022 को लोकसभा सचिवालय (श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति) शाखा को भी भेजी गयी थी।

- 18 नवंबर, 2022 को समिति कक्ष संख्या ए, भूतल, संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन, नई दिल्ली में 'बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021' विषय पर आयोजित बैठक जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लिखित उत्तर के लिए विभाग से संबंधित संसदीय प्रश्नावली के समक्ष साक्ष्य

उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के दौरान शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर मंत्रालय के उत्तर भी 5 जनवरी, 2023 को राज्य सभा सचिवालय को भेजे गए हैं।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.01.2023 को 15:00 बजे समिति कक्ष संख्या 3 संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन, नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें समिति के माननीय सदस्यों को जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं' विषय पर जानकारी दी गई। उक्त बैठक के लिए लोक सभा सचिवालय को क्रमशः 30 दिसंबर, 2022 और 04 जनवरी, 2023 को एक संक्षिप्त नोट और पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन भेजा गया था।

सलाहकार समिति की बैठक

1.32 जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़ी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2022 को "जनजातीय स्वास्थ्य, पोषण और एफआरए" संबंधी एजेंडे पर चर्चा की गई।

पंचायती राज संस्था (पीआरआई)/पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)

1.33 पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय मंत्रालय है। एमओपीआर का उद्देश्य पंचायतों या पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से विकेन्द्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना है। संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243ड के अनुसार पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में इसकी प्रयोज्यता के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) अधिनियमित किया। वर्तमान में, पांचवीं अनुसूची क्षेत्र 10 राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में मौजूद हैं।

अध्याय 2
जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप– एक सिंहावलोकन

2.1 मंत्रालय, देश में जनजातीय लोगों के विकास हेतु समग्र प्रयासों में योगदान देने के लिए एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, 'संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान' के अलावा विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र से प्रायोजित योजनाओं का संचालन करता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची नीचे दी गयी है:

क. केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस योजनाएं) :

क्र.सं.	स्कीम
1–2	अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता
4	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास
5	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्रामीण योजना–पीएमएएजीवाई (पहले जनजातीय उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में जानी जाती थी – टीएसएस को एससीए)
6	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों को अनुदान

ख. केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम :

क्र.सं.	स्कीम
1	एकलव्य आदर्श (मॉडल) आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)
2	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति
3	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति
4	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
5	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एसएसटीएफडीसी) को इक्विटी सहायता
6	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)
7	जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और समारोह/कार्यक्रम (टीआरआई–ईसीई)
8	निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण और सामाजिक आकलन (ऑडिट) (मेसा)

2.2 मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में एक सिंहावलोकन नीचे दिया गया है जबकि विवरण बाद के अध्यायों में दिया गया है।

शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण

2.3 शैक्षिक विकास आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रथम सोपान है, और जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सबसे प्रभावी साधन भी है। मंत्रालय द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना द्वारा बुनियादी ढांचे के प्रावधान के माध्यम से शिक्षा तक बेहतर पहुंच के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण, आश्रम विद्यालयों की स्थापना एवं उन्नयन, राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए भी राज्यों को निधियां प्रदान की

जाती है। छात्रों को बीच में स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) से रोकने के लिए और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय की 5 छात्रवृत्ति योजनाएं हैं जैसे मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) और छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति, जिसके तहत पात्र छात्रों को भारत और विदेशों में अध्ययन करने/उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2.4 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में, वर्ष 2018–19 में जनजातीय बच्चों को उनके अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। 2018–19 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने घोषणा की कि 50% से अधिक अ.ज.जा. (एसटी) आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस स्कूल स्थापित किया जाएगा। योजना को आबादी के मानदण्ड़ों पर आधारित 452 नए विद्यालयों की स्थापना हेतु 17.12.2018 को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडल समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन ईएमआरएस की स्थापना खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाओं के साथ नवोदय विद्यालय के समतुल्य की जानी है। ईएमआरएस जो शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषित किए गए थे, जिसे नए मॉडल के अनुसार अपग्रेड (उन्नयन) किया जा रहा है। संचयी रूप से, 740 ईएमआरएस की स्थापना के लिए पहचान की गई है।

2.5 कक्षा IX और X में पढ़ रहे पात्र अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की एक योजना 1.7.2012 से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जनजातीय छात्रों विशेष रूप से लड़कियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि विशेष रूप से प्राथमिक से माध्यमिक में और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने की घटनाओं (ड्रॉप आउट) को न्यूनतम किया जा सके। बेहतर भागीदारी और प्रदर्शन के साथ, उनके पास शिक्षा के मैट्रिकोत्तर चरणों में आगे बढ़ने का एक बेहतर मौका है। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की दर शैक्षणिक सत्र 2019–20 (01.12.2019) से संशोधित की गई है ।

2.6 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम को छात्रवृत्ति की दर, आय सीमा तथा विषयों के समूहीकरण में आशोधनों के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित किया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के संवर्धन हेतु यह एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में जारी है।

2.7 राज्यों द्वारा कार्यान्वित इन 2 मुख्य योजनाओं के अलावा, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की दो छात्रवृत्ति योजनाएं, अर्थात राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) और टॉप क्लास (शीर्ष श्रेणी) की शिक्षा को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय कर दिया गया है जिसे "अ.ज.जा. छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति" कहा जाता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (टॉप क्लास स्कॉलरशिप) में छात्रवृत्ति के दिशा–निर्देशों को 01.04.2021 से संशोधित किया गया है। संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार, उन सभी पात्र अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी जैसे अधिसूचित 252 संस्थानों में प्रवेश लिया है। राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के दिशानिर्देशों को भी 01.04.2021 से संशोधित किया गया है। हर साल 750 छात्रों को 5 साल तक की अवधि के लिए एम.फिल और पीएचडी करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना के तहत अध्येतावृत्ति की दरों को यूजीसी दरों के सममूल्य संशोधित किया गया है।

2.8 विदेश में उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के तहत, मंत्रालय स्नातकोत्तर, पीएच.डी और डॉक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेश में उच्च अध्ययन हेतु चुने गए 20 छात्रों को प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम के दिशा– निर्देशों को भी 01.04.2021 से संशोधित किया गया है।

2.9 जनजातीय कार्य मंत्रालय शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका क्षेत्र में 'अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' योजना कार्यान्वित करता है। विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्तीय मानदण्ड़ों के साथ

योजना के दिशा–निर्देशों को वित्तीय वर्ष 2022–23 से संशोधित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से, आवासीय विद्यालयों, गैर–आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, मोबाईल (चल) औषधालयों, अस्पतालों आदि को कवर करने वाले शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सेवा की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरना है और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सामाजिक–आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिवत अनुशंसित एक निर्धारित प्रारूप में, आवेदन पर गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है। कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा को मजबूत करने को प्राथमिकता दी जाती है ताकि सामान्य महिला आबादी और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता के स्तर में अंतर को कम किया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान

2.10 मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत राज्यों को अनुदान देता है। यह प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के तहत और पीवीटीजी के विकास के लिए भी अनुदान प्रदान करता है।

2.11 सरकार ने 2021–22 से 2025–26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए जनजातीय उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना को नया रूप दिया है और इसे 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' नाम दिया है। इस योजना का उद्देश्य 4.22 करोड़ (कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का लगभग 40%) की आबादी को कवर करने वाली महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों का एकीकृत विकास करना है। कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अ.ज.जा. (एसटी) वाले 36,428 गांवों और अधिसूचित अ.ज.जा. (एसटी) के साथ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कवर करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गांवों के एकीकृत सामाजिक–आर्थिक विकास को प्राप्त करना है।

2.12 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे क्षेत्रों में अवसरंचना ढाँचे की गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति की आबादी की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को निधियां जारी की जाती है। इसमें विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का दृष्टिकोण शामिल है।

2.13 लगभग 75 जनजातीय समूह हैं, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीजी के निर्धारण के लिए अपनाए गए मानदंड निम्नानुसार हैंः

- प्रौद्योगिकी का कृषि–पूर्व स्तर;
- एक स्थिर या घटती जनसंख्या;
- कम साक्षरताय तथा
- अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर।

पीवीटीजी, अन्य जनजातीय समूहों की तरह, भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी योजनाओं के लाभों के लिए पात्र हैं जो सामान्य आबादी के लिए उपलब्ध हैं, साथ ही राज्यों और केंद्र सरकार के टीएसपी के तहत योजनाओं के लिए भी पात्र हैं। इसके अलावा, उनकी विशेष जरूरतों को पहचानते हुए और पीवीटीजी के विकास के लिए एक समुदाय/क्षेत्र संचालित दृष्टिकोण हेतु, भारत सरकार पीवीटीजी आबादी के साथ 18 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पीवीटीजी के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, पोषण, आजीविका, संस्कृति और विरासत के संरक्षण और आवास अधिकारों की मान्यता के क्षेत्रों में "संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) योजनाओं" के अनुसार अनुमोदित प्राथमिकता वाली गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से निर्देशित एक योजना प्रदान करती है। योजना के तहत सहायता अनिवार्य रूप से अंतराल (गैप) भरने वाले हस्तक्षेपों/उपायों की प्रकृति की है।

जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देना

मंत्रालय एनएसटीएफडीसी और ट्राइफेड के माध्यम से जनजातीय आबादी की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करता है।

2.14 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करता है।

2.15 प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के तहत, ट्राइफेड को निधियां प्रदान की जाती हैं, जो जनजातीय उत्पादों के लिए सेवा प्रदाता और बाजार विकासकर्ता दोनों के रूप में कार्य करता है। यह देश में अपने खुदरा दुकानों 'ट्राइब्स इंडिया' के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। ट्राइफेड अनुसूचित जनजाति के कारीगरों और लघु वन उपज (एमएफपी) संग्राहकों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए संस्थान बनाना है, जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। इन्हें विशिष्ट उपायों द्वारा प्राप्त करने की मांग की जाती है जैसे (i) बाजार हस्तक्षेप/उपाय; (ii) जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों आदि का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन और (iii) आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना विकास। पूर्व की, एमएफपी के लिए एमएसपी और संस्थागत सहायता की योजनाओं को प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के तहत विलय कर दिया गया है।

जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण और संवर्धन

2.16 मंत्रालय जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी ढांचागत जरूरतों, अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियों और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और पर्यटन को बढ़ावा देने और जनजातियों द्वारा आदान–प्रदान यात्राओं के आयोजन में सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को समर्थन' के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है ताकि जनजातीय संस्कृति प्रथाओं, भाषाओं और रीति रिवाजों को संरक्षित और प्रसारित किया जा सके। देश भर में 27 टीआरआई हैं। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का उद्घाटन 07.06.2022 को हुआ था। एनटीआरआई को शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मुद्दों और मामलों के संबंध में शीर्ष राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में विकसित किया जाना है।

2.17 'जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और महोत्सव (कार्यक्रम) (टीआरआई–ईसीई)' योजना का उद्देश्य समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, सूचना का प्रसार और जागरूकता का सृजन करना है, जिसमें जनजातीय शिल्प और खाद्य उत्सव, खेल, संगीत, नृत्य और फोटो प्रतियोगिताएं, विज्ञान, कला और शिल्प एक्सपो, कार्यशालाएं, संगोष्ठियों का आयोजन, मंत्रालय और राज्यों द्वारा वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण, महत्वपूर्ण अध्ययनों पर प्रकाश डालने वाले प्रकाशनों को प्रकाशित करना, जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक पहलुओं का दस्तावेजीकरण, नियमित अंतराल पर अन्य आवश्यक प्रचार के अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) और राज्य के विभागों की उपलब्धियां शामिल हैं।

जनजातीय मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययनों के अंतर को भरने के दृष्टिकोण के साथ, "उत्कृष्टता केंद्रों के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता" के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय, प्रसिद्ध एनजीओ, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों की पहचान करता है जहां विशेषज्ञता मौजूद है और जिन्होंने पहले से ही जनजातीय जीवन और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान करके अपनी छाप छोड़ी है। यह परिकल्पना की गई है कि इस तरह के संगठन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करने के लिए राज्यों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के ज्ञान बैंक के निर्माण और पूरक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

केंद्रीय अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) और राज्य जनजातीय उप योजना की निगरानी

2.18 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए 41 मंत्रालयों/विभागों

(जनजातीय कार्य मंत्रालय को छोड़कर) की विभिन्न योजनाओं के तहत जनजातीय उपयोजना (टीएसपी)/ अनुसूचित जनजातीय घटक (एसटीसी)/अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) निर्धारित निधियों की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय है। इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा टीएसपी निधियों के आवंटन और उपयोग की निगरानी के लिए पीएफएमएस के साथ एकीकृत एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (https://stcmis.gov.in) तैयार की गई है। मंत्रालय डीएपीएसटी के तहत आवंटन और उपयोग की समीक्षा करने के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता है और डीएपीएसटी निधियों के बेहतर उपयोग के लिए उनका मार्गदर्शन करता है।

जनजातीय समुदायों की शेड्यूलिंग/ डी–शेड्यूलिंग

2.19 मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक समुदायों की शेड्यूलिंग/डि–शेड्यूलिंग है। अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों के निर्धारण के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों को मौजूदा प्रविधियों के अनुसार संसाधित किया जाता है जिन्हें 15.6.1999 को अनुमोदित किया गया था और 25.6.2002 और 14.09.2022 को और संशोधित किया गया था। इसी तरह, मंत्रालय संविधान की अनुसूची V के भीतर क्षेत्रों के समावेशन और अपवर्जन के लिए जिम्मेदार नोडल प्राधिकरण है।

वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

2.20 सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया, जिसे आमतौर पर 31.12.2007 को अधिसूचित वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रूप में जाना जाता है। अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए 01.01.2008 को नियमावली की अधिसूचना के साथ अधिनियम लागू हुआ। यह अधिनियम वन अधिकार धारकों, ग्राम सभाओं और ग्राम स्तर की संस्थाओं को वन्य जीवन, वन और जैव विविधता की रक्षा करने का अधिकार भी देता है।

अध्याय 3
कार्यकलापों की विशेषताएं

स्कीम परिव्यय तथा इसके उपयोग

3.1 वर्ष 2022–23 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का कुल बजटीय आवंटन (योजनाओं और गैर–योजनाओं के तहत) 8451.92 करोड़ रूपये है तथापि, 2022–23 के लिए योजना परिव्यय हेतु बजट आवंटन 8406.92 करोड़ रूपये है। वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान मंत्रालय द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों (योजना तथा गैर–योजना दोनों का योग), के तहत कुल निर्मुक्तियां/उपयोग 7297.58 करोड़ रूपये है जो संशोधित अनुमान का 99.95% है।

3.2 वर्ष 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा व्यय का स्कीम–वार ब्यौरे **अनलुग्नक–3क** मे दिए गए हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान बजट अनुमान तथा व्यय के स्कीम–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–3ख** में दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)

3.3 वर्ष 2021–22 और 2022–23 के दौरान, योजना के तहत कुल 36,428 लक्षित गांवों में से लगभग 16,554 गांवों के चयन के माध्यम से योजना के लक्ष्य का लगभग 45% कवर किया गया है। दिनांक 20.12.2022 तक, राज्यों को 1927.00 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान

3.4 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अधीन राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए महाराष्ट्र और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों के साथ परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकें आयोजित की गई थीं।

3.5 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों के लिए वर्ष 2022–23 के दौरान अनुमोदित कुछ कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं :

- प्राथमिक/अपर प्राथमिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन/अतिरिक्त अवसंरचना।
- अजजा बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।
- सीएचसी/पीएचसी के लिए अस्पताल भवनों का निर्माण / विस्तार / सुदृढ़ीकरण।
- स्वास्थ्य उपस्कर का प्रावधान ।
- कौशल विकास।
- जनजातीय घरेलू आय को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक तथा परंपरागत फसलों को अपनाना तथा इनका विस्तार।
- कृषि पहलें / जैविक खेती का संवर्धन।
- पोलीहाउस, ग्रीनहाउस खेती सहित फलों, फूलों, सब्जियों की नर्सरी स्थापित करना।
- मुर्गी पालन / डेयरी / सुअर पालन / मछली पालन / भेड़ / बकरी पालन आदि को आय सृजनकारी गतिविधि के रूप में बढ़ावा।
- भवन अवसंरचना तथा उपकरण सहित पशु पालन/पशु चिकित्सा सेवाएं।
- महिला लाभार्थियों के लिए प्रमुख स्वीकृत राशि के प्रावधान के साथ महिला केन्द्रित कार्यकलापों/परियोजनाओं पर ध्यान देना।
- जनजातीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का प्रावधान।
- स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता आदि के लिए निधियां प्रदान करते हुए स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा।

3.6 जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कई समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना

3.7 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना, 18 राज्यों में फैले सबसे कमजोर जनजातीय समुदायों और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सामाजिक – आर्थिक विकास के लिए 75 चिन्हित पीवीटीजी को कवर करती है। यह योजना लचीली है क्योंकि यह राज्यों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है, जिन्हें वे पीवीटीजी के लिए प्रासंगिक समझते हैं। इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पोषण, आजीविका, संस्कृति और विरासत का संरक्षण और अधिवास अधिकारों की मान्यता के क्षेत्रों में सरकारों द्वारा संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) योजनाएं तैयार की जानी हैं।

यह योजना पीवीटीजी आबादी के लिए सूक्ष्म योजनाओं को बनाने का प्रावधान करती है। योजना के दिशानिर्देश सीसीडी योजनाओं को बनाने के लिए अलग महिला सभा बैठकों का विशेष प्रावधान करते हैं। सीसीडी योजनाओं के मूल्यांकन के समय, लाभार्थियों की लिंगीय अलग–अलग जानकारी पर विचार किया जाना है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि कुल लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएं/लड़कियां हैं। सीसीडी योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं।

3.8. अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति एक समर्पित पोर्टलः राष्ट्रीय जनजातीय अध्येतावृत्ति पोर्टल (https://fellowship.tribal.gov.in/) द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने शिकायतों आदि के समाधान के लिए प्रबंधित की जा रही है। वर्ष 2022–23 के लिए पोर्टल 23.12.2022 से 30.01.2023 तक ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने के लिए खोला गया है।

- लाभार्थियों को समय पर डीबीटी मोड में भुगतान करने के लिए केनरा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया।
- अनंतिम रूप से चयनित फेलोशिप छात्रों के विवरण के ऑनलाइन सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय सत्यापन मॉड्यूल विकसित किया गया।
- सभी हितधारकों के लिए शिकायत मॉड्यूल (https://tribal.nic.in/Grievance/) विकसित किया गया।
- सत्यापन प्रक्रिया में सुधार के लिए अध्येतावृत्ति पोर्टल को डिजी–लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है।

उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) (https://scholarships.gov.in/) के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। वर्ष 2022–23 के लिए पोर्टल को 16.07.2022 से 31.12.2022 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खोला गया है।
- इस योजना के दो घटक हैं, संस्थागत शुल्क और छात्रवृत्ति। संस्थान के लिए शुल्क सीधे संस्थान को जारी किया जाएगा जबकि छात्रों को छात्रवृत्ति राशि डीबीटी मोड के माध्यम से जारी की जाती है।
- सभी हितधारकों के लिए शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत मॉड्यूल (https://tribal.nic.in/Grievance/) विकसित किया गया है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना

3.9 मंत्रालय ने 2017–18 से राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदनों की प्राप्ति, सत्यापन, लाभार्थियों के चयन के प्रबंधन के लिए एक समर्पित पोर्टल (https://overseas.tribal.gov.in/) विकसित किया है। सत्यापन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए डिजी–लॉकर के साथ एकीकरण किया गया है। वर्ष 2022–23 के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु पोर्टल को 02.06.2022 से 30.07.2022 तक खोला गया था।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

3.10 जनजातीय कार्य मंत्रालय सेवा की कमी वाले क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों और मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों (सेक्टर्स) में सीमावर्ती क्षेत्रों में 320 परियोजनाओं के लिए लगभग 190 गैर–सरकारी संगठनों को वित्तपोषित कर रहा है। आवेदन जमा करने और सत्यापन से लेकर आवेदक

संगठन के खाते में निधियां जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया अब एक समर्पित एनजीओ पोर्टल (https://ngo.tribal.gov.in) के माध्यम से की जाती है, जहां गैर–सरकारी संगठन भी वास्तविक समय के आधार पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनजीओ केवल उसी उद्देश्य के लिए धन का उपयोग करते हैं जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था, पीएफएमएस के आरईएटी मॉड्यूल के माध्यम से धन की निगरानी की जाती है। एनजीओ पोर्टल में एक संचार मॉड्यूल भी शामिल है जो एनजीओ और मंत्रालय के बीच दोतरफा संचार प्रदान करता है और गैर–सरकारी संगठनों को प्रश्नों, दस्तावेजों, उनकी शिकायतों को अपलोड करने और उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। पोर्टल कैसे काम करता है और एनजीओ इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसका व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कई क्षेत्रीय कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। वर्ष 2022–23 की चालू परियोजनाओं हेतु आवेदन प्राप्त करने हेतु एनजीओ पोर्टल दिनांक 27.01.2023 से 27.03.2023 तक तथा नवीन परियोजनाओं हेतु पोर्टल दिनांक 27.01.2023 से 12.05.2023 तक खुला रखा जायेगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

3.11 अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) ने एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करना जारी रखा। यह निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2022–23 के दौरान, निगम ने 27,228 लाभार्थियों के लिए 111.47 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। निगम ने 31.12.2022 तक स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 181.12 करोड़ रूपये जारी किए हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

3.12 ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) देश भर में अपने 14 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से 100 स्वयं के बिक्री आउटलेट्स, 11 खेप बिक्री और 08 फ्रेंचाइज आउटलेट और देश भर में स्थित प्रदर्शनियों के साथ 119 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट के खुदरा विपणन नेटवर्क के माध्यम से विपणन के लिए जनजातीय उत्पादों की पहचान और स्रोत का कार्य करता है। इसके अलावा, ट्राइफेड ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए आदिवासी कारीगरों के उत्पाद भी बेचता है।

3.12.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी संख्या में जनजातीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध हैं और ये उन लोगों के लिए स्थायी आधार पर उपलब्ध हैं जो पहले से ही इस पहल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए एक कुशल और समान रूप से व्यापक विपणन प्रणाली की आवश्यकता है। ट्राइफेड ऐसी विपणन प्रणाली के लिए संस्थागत ढांचे को बनाने में लगा हुआ है। ट्राइफेड ने 2282 आदिवासी आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है, जिसमें एक व्यक्तिगत जनजातीय कलाकार से लेकर एसएचजी के संदर्भ में कुछ कारीगरों के छोटे समूहों से लेकर सहकारिता, राज्य सरकार के संगठनों आदि के हिस्से के रूप में जुड़े जनजातियों का एक बड़ा समूह शामिल है।

3.13 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता

'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' योजना का वार्षिक परिव्यय 2016–17 में 21.00 करोड़ रुपये से 2022–23 में 121.00 करोड़ रूपये बढ़ाया गया है। वर्ष 2015–16 से 2022–23 के दौरान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जहां टीआरआई मौजूद नहीं थे। नए जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए निधियां प्रदान की गयी हैं आज की तारीख में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा जम्मू और कश्मीर सहित 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीआरआई मौजूद हैं। 2022–23 के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों जैसे अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण/संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन, जनजातीय त्योहारों का आयोजन, आधारभूत सर्वेक्षण, प्रकाशन, वृत्तचित्र/दस्तावेजीकरण, विनिमय यात्राओं और आजादी का अमृत महोत्सव आदि से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करने के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में टीआरआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय

3.14 अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले और झुकने से इनकार करने वाले जनजातीय लोगों की वीरता और देशभक्ति के कार्यों को स्वीकार करने के लिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि कैसे जनजातीय देश के लिए बलिदान देने में शामिल थे, सरकार ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय उन राज्यों में जहां आदिवासी रहते थे, औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष किया, स्थापित करने का फैसला किया है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, रांची का उद्घाटन 15 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। जनजातीय संग्रहालय की प्रगति की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति और सचिव द्वारा कैलेंडर वर्ष के दौरान नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं और विभिन्न उपाय किए गए। गुजरात के विकास सहायता एजेंसी (डीएसएजी), गुजरात के जनजातीय विकास विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला (7 और 8 अप्रैल 2022) का आयोजन किया गया। जनजातीय इतिहास से जुड़े इतिहासकारों और शोधकर्ताओं, मानवविज्ञानी, फिल्म निर्माताओं, क्यूरेटर, कलाकारों और संग्रहालय के विकास से जुड़े विशेषज्ञों सहित पचास से अधिक विशेषज्ञों ने जहां जनजातीय संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं पर, विभिन्न राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों और प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

राज्य टीआरआई को संग्रहालयों की स्थापना में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ एक परिचय प्रदान करने के लिए, सिद्धांतों और भारत में टीएफएफएम के सृजन की सिफारिश संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला 11–12 अप्रैल, 2022 को यूनेस्को हाउस, नई दिल्ली में यूनेस्को के सहयोग से आयोजित की गई थी।

राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान :

3.15 देश भर में सभी जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के कामकाज में तालमेल सुनिश्चित करने और जनजातीय संबंधित मुद्दों के लिए टीआरआई को एक थिंक टैंक और ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने के सरकार के संकल्प को साकार करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन 07.06.2022 को किया गया और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) नई दिल्ली के परिसर मे कार्यशील बनाया गया। जनजातीय अनुसंधान में सुधार और टीआरआई के बेहतर समन्वय

और प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी। एनटीआरआई का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में स्थित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) का मार्गदर्शन करना और अनुसंधान कार्यों, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण, जनजातियों के बीच जागरूकता पैदा करना, भाषाओं, पर्यावासों आदि सहित समृद्ध जनजातीय विरासत का प्रदर्शन करने में गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।

निधियों का उपयोग

3.16 15.01.2023 तक, टीआरआई को सहायता योजना के तहत राज्य सरकारों को 6.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। कोविड महामारी के कारण, जमीनी स्तर की गतिविधियाँ और सर्वेक्षण भी बाधित हुए, जिसके परिणामस्वरूप टीआरआई द्वारा उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। मंत्रालय टीआरआई के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है ताकि वे उन गतिविधियों में तेजी ला सकें जिनके लिए उन्हें निधियां जारी की गयी हैं।

जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई—ईसीई)

पालघर में 'मंथन' जनजातीय कल्याण संगोष्ठी

3.17 दिनांक 14.07.2022 को महाराष्ट्र के पालघर में जनजातीय समुदायों के मुद्दों पर दो दिवसीय संगोष्ठी 'मंथन' का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 'जनजातीय गौरव दिवस' आयोजित करने वाले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, छात्रवृत्ति स्कीम, अनुदान उपयोग और जनजातीय संग्रहालयों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर संगोष्ठी केंद्रित थी। इसमें अनुसूचित जनजाति घटक (https://stcmis.gov.in/) और जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा भी शामिल है। सर्वोत्तम प्रथाओं पर राज्यों द्वारा प्रस्तुतियां दी गयीं।

महाराष्ट्र के अलावा जम्मू, कश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के जनजातीय कल्याण विभागों के प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में भाग लिया।

जनजातीय पद्म पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन

3.18 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23.07.2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान में देश भर से आये जनजातीय पद्म पुरस्कार विजेताओं की मेजबानी की।

3.19 आदि महोत्सवः जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) देश में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राईफेड) के सहयोग से "आदि महोत्सव" का आयोजन कर रहा है जिसमें व्यक्तिगत जनजातीय कारीगरों, जनजातीय स्वयं सहायता समूहों, जनजातियों के साथ काम करने वाली एजेंसियों / संगठनों को भाग लेने और उनकी समृद्ध जनजातीय विरासत प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य जनजातीय कारीगरों को जनजातीय कला, कलाकृतियों और अन्य उत्पादों के प्रेमियों के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर प्रदान करना है और उन्हें उनके स्वाद और वरीयताओं के बारे में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें अपने उत्पाद डिजाइनों को संशोधित करने और तदनुसार रचनाएँ बनाने में मदद करता है। इस आयोजन में जनजातीय सांस्कृतिक प्रदर्शन और व्यंजन भी शामिल हैं, जो जनजातीय कला और संस्कृति को समग्र रूप से प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। आदि महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) की योजना के तहत गतिविधियों में से एक है। ट्राइफेड

आदि महोत्सव की झलकियाँ :

ब्रांडिंग और प्रचार, कौशल विकास, त्योहारों/कार्यक्रमों के आयोजन आदि के एक भाग के रूप में समय–समय पर आदि महोत्सव, आदि बाजार, आदि चित्र और अन्य संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करता है और आवश्यकता के अनुसार निधियां आवंटित की जाती हैं। ट्राइफेड ने नवंबर, 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर में एक आदि महोत्सव का आयोजन किया है।

आदि महोत्सव, जो 27 फरवरी, 2023 तक जारी रहा, ने जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना के उत्सव के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय संस्कृति का भव्य प्रदर्शन किया।

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी, 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव, जो 27 फरवरी, 2023 तक जारी रहा, ने जनजातीय संस्कृति, शिल्प, भोजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना के उत्सव के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय संस्कृति का भव्य प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की और प्रदर्शनी के स्टालों का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री को जनजातीय कला उत्पाद भेंट किए गए जिनमें लद्दाख से पश्मीना ऊन; पटचित्र पेंटिंग; छत्तीसगढ़ से ढोकरा मूर्तिकला और श्री अन्न टोकरी और त्रिपुरा से एक पारंपरिक टोपी शामिल थी।

इस अवसर पर असम के बागुरूम्बा, छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य, तेलंगाना के गुसाड़ी, मध्य प्रदेश के बैगा परधौनी, सिक्किम के तमांग सेलो, गुजरात के सिद्धि धमाल, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ और उत्तराखंड का हरुल नृत्य (हरुल नृत्य) सहित आदिवासी ऊर्जा और जीवंतता का प्रदर्शन करने वाले चुनिंदा नृत्य प्रदर्शन हुए।

इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडाय श्रीमती रेणुका सिंह सुरुता और श्री बिश्वेश्वर टुडु, जनजातीय कार्य राज्य मंत्रीय केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीन पवार, ट्राईफेड के अध्यक्ष श्री रामसिंह राठवा उपस्थित थे।

3.20 'जनजाति गौरव दिवस' सप्ताह

भारत सरकार ने देश के इतिहास और संस्कृति में जनजातीय समुदायों के योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। यह तारीख देश के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की जयंती है। यह दिन सभी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने और आदिवासी क्षेत्रों और समुदायों के सामाजिक–आर्थिक विकास के प्रयासों को फिर से सक्रिय करने के लिए भी मनाया जाता है। यह दूसरा वर्ष है जब जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। भारत के आदिवासी समुदायों को समर्पित सप्ताह भर चलने वाला एक प्रतिष्ठित उत्सव (15–22 नवंबर, 2022) पूरे उत्साह के साथ 15 नवंबर को शुरू हुआ और इसने आदिवासी संस्कृति के विभिन्न रंगों पर प्रकाश डाला।

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस वर्ष झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातु गांव का दौरा करते हुए, जो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व किया। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी उलिहातु में भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों से बातचीत की। राष्ट्रपति ने उलिहातु में भगवान बिरसा मुंडा के रिश्तेदारों/वंशजों को भी सम्मानित किया।

राष्ट्रपति ने 15.11.2022 को मध्य प्रदेश के शहडोल में एक जनजातीय समागम को भी संबोधित किया।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अन्य सांसदों के साथ 15 नवंबर 2022 को संसद परिसर, नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

समारोह में राज्यों और नई दिल्ली में प्रभावशाली सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए।

टीआरआई नागालैंड ने कोहिमा में राजधानी कन्वेंशन सेंटर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। जनजातीय कार्य और उच्च शिक्षा के माननीय मंत्री श्री तेमजेनइमना अलोंग ने विशेष अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में नागालैंड के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ नौकरशाहों, अधिकारियों और कर्मचारियों और नागालैंड के सभी जनजातियों के आदिवासी होहो ने भाग लिया। 15.11.2022 को कोहिमा शहर में ट्राइबल वॉकथॉन का आयोजन किया गया।

श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, **उत्तराखंड** ने 15.11.2022 को देहरादून में जनजातीय जुलूस को झंडी दिखाकर रवाना किया।

गोवा सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर 15.11.2022 को जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया।

दिनांक 15.11.2022 को माननीय उपमुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में आरके बीच, **विशाखापत्तनम** में जनजातीय कलाकारों के साथ लगभग 3 किमी का एक कार्निवाल आयोजित किया गया।

दिनांक 15.11.2022 को राजभवन, **ईटानगर** में जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर अरुणाचल प्रदेश के पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए सम्मान कार्यक्रम।

टीआरआई मणिपुर ने इंफाल में रानी गाइदिन्ल्यू पार्क में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित की, रानी गाइदिन्ल्यू पार्क से जनजातीय शोध संस्थान, इंफाल तक फ्रीडम वॉक और ट्राइबल अचीवर्स कम कल्चरल प्रोग्राम का अभिनंदन किया।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर **टीआरआई असम** द्वारा आयोजित असम के जनजातीय समूहों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन।

टीआरआई भुवनेश्वर ओडिशा के 75 जनजातीय उपलब्धि हासिल करने वालों का सम्मान और जनजातीय शिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रम का जीवंत प्रदर्शन।

टीआरआई मेघालय सांस्कृतिक जुलूस, वीरों को सलामी और 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

टीआरआई हिमाचल प्रदेश भरमौर में रैली, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, फुलयात्रा, जोकारू की झाँकी और जुलूस, पांगी क्षेत्र में पारंपरिक जीवन शैली, स्वदेशी कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन, लाहौल–स्पीति, शोभा यात्रा में स्कूलों में वाद–विवाद, नारे, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम केलांग में स्वच्छता अभियान और काजा में पेंटिंग प्रतियोगिता।

टीआरआई सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया।

राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (एनटीआरआई) सांस्कृतिक कार्यक्रम और जुलूस, आदि चित्र उत्सव (सजीव चित्रकारी प्रदर्शन) और भोजन उत्सव

जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनजातीय पुरस्कारों के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ

तेलंगाना राज्य जनजातीय मौखिक परंपराएं, जनजातीय कला और शिल्प प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम।

आदि शौर्य–पर्व पराक्रम का, सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य

3.21 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक, रक्षा मंत्रालय के साथ अमृत महोत्सव के विशेष अवसर पर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती (पराक्रम दिवस) 23 और 24 जनवरी 2023 के अवसर पर एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव 'आदि शौर्य पर्व पराक्रम का' का आयोजन किया।

इस उत्सव ने एक सैन्य टैटू में सशस्त्र बलों की शक्ति का

प्रदर्शन किया और भारत भर से भारत की विविध जनजातीय संस्कृति की सुंदरता को प्रदर्शित करने वाले जनजातीय समुदायों द्वारा विभिन्न शक्ति–भरे नृत्य प्रदर्शनों को प्रदर्शित किया। आदिवासी नृत्य मंडली छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से थीं। दर्शकों ने हिमाचल प्रदेश से गद्दी नाटी, गुजरात से सिद्धि धमाल, पश्चिम बंगाल से पुरुलिया छाऊ और कई अन्य जैसे उत्कृष्ट नृत्य देखे। लगभग 800 कलाकारों के साथ स्टेडियम प्रारूप में 20 नृत्य रूप थे। आयोजन की काफी सराहना हुई।

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा जनजातीय मेहमानों, झांकी कलाकार के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह

3.22 वर्षों से चली आ रही प्रथा के अनुसार, मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड और समारोह देखने के लिए भारत सरकार के जनजातीय मेहमानों के रूप में प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से दो जनजातीय प्रतिनिधियों, एक पुरुष और एक महिला को आमंत्रित करता है। 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के (33 पुरुषों और 27 महिलाओं) जनजातीय मेहमानों ने 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 31 संपर्क अधिकारियों के साथ भाग लिया। मंत्रालय के सचिव और

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विश्व युवक केंद्र, चाणक्यपुरी में उनका स्वागत किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट और 28 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली देखने के अलावा जनजातीय मेहमानों ने माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ उनके आवास पर समारोह में भाग लिया और संसद के साथ ही डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर संग्रहालय भी देखा। दिनांक 31.01.2023 को जनजातीय अतिथियों एवं झांकी कलाकारों के सम्मान में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा रात्रिभोज के साथ सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। दिल्ली में स्थानीय दर्शनीय स्थलों के साथ–साथ मेहमानों की आगरा और मथुरा की एक दिवसीय यात्रा आरडीसी समारोह के अन्य मुख्य आकर्षण थे। इन समारोहों ने जनजातियों को अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ राष्ट्रीय राजधानी और देश की संसद जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों को देखने एवं माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करने में मदद की है। उत्सव की झलक नीचे दी गई हैः

बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित जनजातीय उप योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजातीय घटक (एसटीसी) निधियों की निगरानी

3.23 जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय उप योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी)/अजजा के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) निधियों की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए डीएपीएसटी के तहत अपने कुल योजना आवंटन का एक निश्चितप्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा एसटीसी निधियों के आवंटन और उपयोग की निगरानी के लिए पीएफएमएस के साथ एकीकृत एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (stcmis.gov.in) तैयार की गई है।

डीएपीएसटी निधियों के आवंटन और व्यय की समीक्षा के लिए सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में मई और जुलाई 2022 के महीने में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष 2022–23 में 87584.66 करोड़ रू. की एसटीसी निधियों के कुल आवंटन में से, 31.12.2022 तक व्यय 60605.70 करोड़ रू. (अर्थात् 69.20%) है।

नीति आयोग ने अजा और अजजा विकास कार्य योजनाओं के तहत आवंटन, उपयोग और कार्यान्वयन तंत्र में सुधार के लिए डीएपीएससी/डीएपीएसटी दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2022 में सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें कीं। संशोधित गाइडलाइन को नीति आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। संशोधित दिशा–निर्देशों को अंतिम रुप देने के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 7 मार्च, 2023 को आयोजित की गई थी।

माननीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने जनजातीय कार्य मंत्री और जनजातीय कार्यराज्य मंत्री की उपस्थिति में 6 दिसंबर, 2022 को अनुसूचित जनजाति निधि उपयोग के लिए विकास कार्य योजना की दक्षता में सुधार के लिए आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सीईओ, नीति आयोग, सचिव (वित्त एवं व्यय), सचिव (जनजातीय कार्य) और डीएपीएसटी/एसटीसी के तहत मुख्य आवंटन पाने वाले 18 मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

3.24 दिनांक 30.06.2022 तक, एफआरए के तहत दायर दावों की कुल संख्या 44,46,104 है, जिसमें से 87.94% दावों का निपटान किया जा चुका है और 22,35,845 अधिकार पत्र (50.29%) जारी किए जा चुके हैं।

अध्याय 4
अनुसूचित जनजातियों की विवरणिका

जनसंख्या

4.1 जनगणना 2011, के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.3 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति के पुरूषों की जनसंख्या 5.25 करोड़ तथा अजजा महिलाओं की जनसंख्या 5.20 करोड़ है। 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में **ग्राफ 4.1** में दर्शाई गई दशकीय वृद्धि से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति की महिला जनसंख्या की वृद्धि दर (25%), अनुसूचित जनजाति के पुरूष जनसंख्या की वृद्धि दर (23%) से उच्चतर है।

ग्राफ 4.1: अजजा जनसंख्या दशकीय वृद्धि (प्रतिशत में): 2001–2011

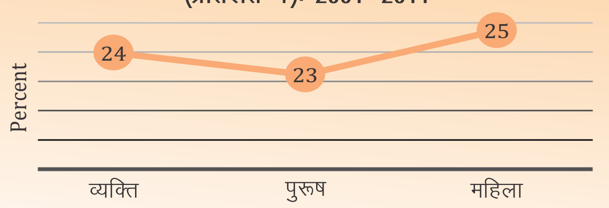

लिंग और निवास के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या **अनुलग्नक–4क** में दी गई है। भारत में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की तुलना में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रतिशत आबादी, कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक 4ख** में दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के अनुपात के आधार पर क्रमबद्ध राज्योंध्संघ राज्यक्षेत्रों को **तालिका 4.1** में दिया गया है।

जनगणना से संबंधित आंकड़ों के बारे में अद्यतन जानकारी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा की जाने वाली जनगणना 2021 के पश्चात उपलब्ध होगी।

लैंगिक अनुपात

4.2 अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लैंगिक अनुपात 990 है जो राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है। अनुसूचित जनजाति लैंगिक अनुपात भी वर्ष 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 978 महिलाओं से बढ़कर 2011 में 990 महिलाएं हो गया है। गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि ने अनुसूचित जनजाति का लैंगिक अनुपात उच्च दर्शाया है, जबकि जम्मू और कश्मीर ने वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातीय महिलाओं का लैंगिक अनुपात निम्नतम अर्थात 924 दर्शाया है। वर्ष 2001 और 2011 में आवासीय आधार पर अनुसूचित जनजाति का लैंगिक अनुपात राज्य–वार **अनुलग्नक–4ग** में दिया गया है।

बाल लैंगिक अनुपात

4.3 0–6 वर्ष आयु वर्ग के संबंध में बाल लैंगिक अनुपात 2001 में 972 से घट कर 2011 में 957 हो गया

तालिका 4.1: अनुसूचित जनजातियों के अनुपात द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का स्थान (रैंक): जनगणना 2011

शीर्ष 5 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र		नीचे के 5 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	
लक्षद्वीप	94.8%	उत्तर प्रदेश	0.6%
मिजोरम	94.4%	तमिलनाडु	1.1%
नागालैण्ड	86.5%	बिहार	1.3%
मेघालय	86.1%	केरल	1.5%
लद्दाख	79.5%	उत्तराखंड	2.9%

है। तथापि, अनुसूचित जनजाति का बाल लैंगिक अनुपात सामान्य जनसंख्या के बाल लैंगिक अनुपात जो 1000 लड़कों के प्रति 914 लड़कियां है, की तुलना में अधिक है।

साक्षरता दर

4.4 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 47.1% से 2011 में 59% तक सुधार हुआ है। इन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में साक्षरता दर 59.2% से 68.5% तक बढ़ी है तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 34.8% से 49.4% तक बढ़ी है। संपूर्ण जनसंख्या के लिए साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 64.8% से वर्ष 2011 में 73% तक की बढ़ोतरी हुई है। अखिल भारतीय साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 14 प्रतिशत का अंतर है। वर्ष 1991, 2001 तथा 2011 के लिए व्यक्तियों, पुरुषों तथा महिलाओं के संबंध में साक्षरता दरों में अंतर जैसा ग्राफ 4.2 में दर्शाया गया है, प्रगति सूचक गिरावट दर्शाता है। वर्ष 1961 के बाद की जनगणना के आधार पर साक्षरता दरें निम्नलिखित **तालिका 4.2** में दी गई हैं।

ग्राफ 4.2: साक्षरता दरों में अंतर जनगणना : 1991, 2001 और 2011

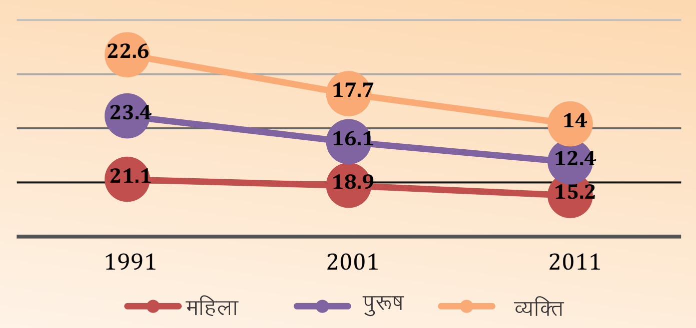

तालिका 4.2 : अनुसूचित जनजाति और सभी के बीच साक्षरता दरें

वर्ष	सभी			अनुसूचित जनजातियां		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1961	28.30	40.40	15.35	8.53	13.83	3.16
1971	34.45	45.96	21.97	11.30	17.63	4.85
1981	43.57	56.38	29.76	16.35	24.52	8.04
1991	52.21	64.13	39.29	29.60	40.65	18.19
2001	64.84	75.26	53.67	47.10	59.17	34.76
2011	73.00	80.90	64.60	59.00	68.50	49.40
2020-21	79.2	85.9	72.3	71.6	79.8	63.1

स्रोतः जनगणना 1961 से 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय
2020–21 के लिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

4.5 वर्ष 2011 के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल नामक राज्यों ने कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 18 प्रतिशत से अधिक का अंतर दर्शाया है। हालांकि, सभी राज्यों ने वर्ष 2001 तथा 2011 के बीच साक्षरता दर के अंतर में गिरावट दर्ज की। संपूर्ण जनसंख्या की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार साक्षरता दरें, अनुसूचित जनजाति की आबादी और अंतर का विवरण **अनुलग्नक– 4घ** में दिया गया है।

4.6 "सामाजिक उपयोगः शिक्षा" पर एनएसएस के 75वें दौर के सर्वेक्षण (जुलाई 2017–जून 2018) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 71.4% और तदनुरूप सभी वर्गों की साक्षरता दर 77.7% है। इसके अलावा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट (जुलाई 2020 – जून 2021) के अनुसार, अजजा के लिए साक्षरता दर 71.6% है और तदनुरूप सभी श्रेणियों के लिए यह आंकड़ा 79.2% है।

4.7 जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक तथा उससे ऊपर, 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के शिक्षा स्तर के अखिल भारतीय तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4ङ** में दिए गए हैं। वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु भारत के लिए वर्गीकृत, लैंगिक–वार अलग–अलग श्रेणियों (सभी आयु वर्ग 10–14 वर्ष, 15–19 वर्ष, 20–24 वर्ष की आयु) किशोर (10–19 वर्ष) तथा युवा (15–24

तालिका 4.3 : आयु वर्ग के अनुसार साक्षरता दर– जनगणना 2011									
सभी श्रेणियां (आयु वर्ग)	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला
सभी आयु	73.0	80.9	64.6	66.1	75.2	56.5	59.0	68.5	49.4
10–14	91.1	92.2	90.0	90.3	91.5	89.0	86.4	88.3	84.4
15–19	88.8	91.2	86.2	87.1	89.7	84.1	80.2	85.7	74.6
20–24	83.2	88.8	77.3	79.1	86.2	71.6	69.2	79.6	59.0
किशोर (10–19)	90.0	91.7	88.2	88.8	90.6	86.8	83.6	87.1	79.9
युवा (15–24)	86.1	90.0	81.8	83.3	88.1	78.0	75.0	82.9	67.1

स्रोतः भारत के महापंजीयक का कार्यालय

वर्ष) के लिए अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर **तालिका 4.3** में दी गई है:

युवा साक्षरता दर

4.8 जनगणना 2001 तथा जनगणना 2011 के अनुसार समस्त तथा अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की अखिल भारतीय स्तर पर युवा साक्षरता दर, **ग्राफ 4.3** में दर्शाई गई है। अनुसूचित जनजातीय युवाओं की साक्षरता दर वर्ष 2001 में 59.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 75 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति की पुरुष युवा साक्षरता दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की महिला युवा साक्षरता दर में 20 प्रतिशत–बिन्दुओं का महत्वपूर्ण उछाल दर्शाया है। तथापि, सारी जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की युवा साक्षरता दर के बीच अंतर अभी भी विद्यमान है।

ग्राफ 4.3: युवा साक्षरता दर (15–24 वर्ष) – अखिल भारत जनगणना 2001 तथा 2011

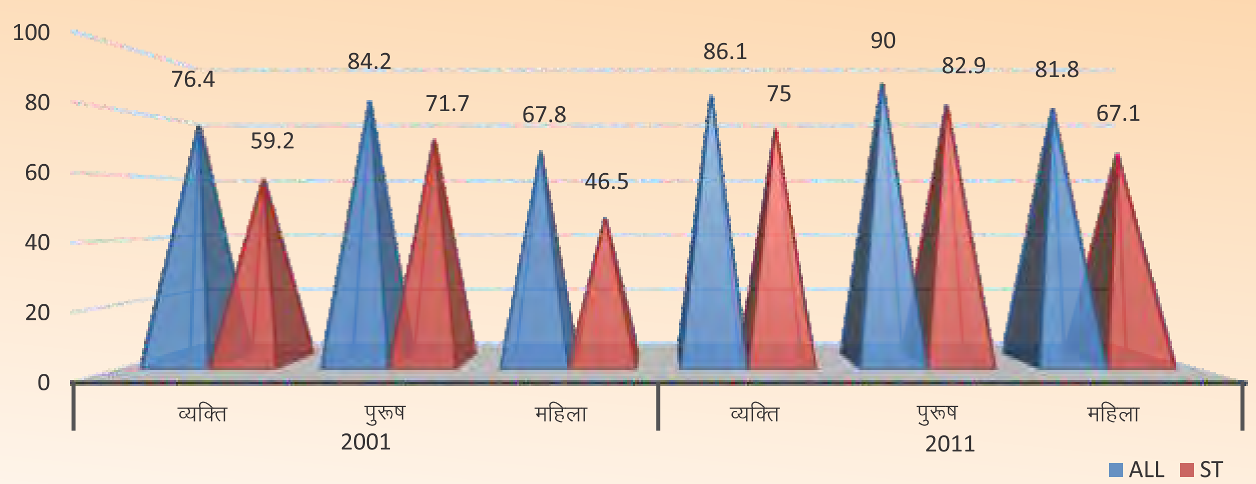

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

4.9 वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक के लिए प्राथमिक, अपर प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा स्तरों पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के ब्यौरे **तालिका 4.4** में दिए गए हैं। माध्यमिक, सीनियर (वरिष्ठ) माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा स्तर पर अनुसूचित जनजाति का सकल नामांकन अनुपात **तालिका 4.5** में दिया गया है। सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान (वर्ष 2017–18 में 107.7 से 2021–22 में 106.5) केवल प्राथमिक स्तर पर मामूली कमी आई है जबकि उच्च प्राथमिक, एलिमेन्टरी (प्रारंभिक), माध्यमिक, सीनियर (वरिष्ठ) माध्यमिक स्तरों पर जीईआर में सुधार हुआ है। अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए जीईआर उच्च प्राथमिक स्तर पर 2017–18 में 92.7% से बढ़कर 2021–22 में 97.6% माध्यमिक स्तर पर 2017–18 में 73.1% से बढ़कर

तालिका 4.4 : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)									
स्तर / वर्ष	प्राथमिक (I-V) 6–10 वर्ष			अपर प्राथमिक (VI-VIII) 11–13 वर्ष			प्रारंभिक (I-VIII) 6–13 वर्ष		
	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल
2017–18	106.23	109.26	107.77	92.74	94.64	93.71	101.24	103.84	102.57
2018–19	105.64	107.63	106.66	92.18	93.62	92.92	100.66	102.45	101.57
2019–20	106.57	107.63	107.11	93.01	93.93	93.48	101.54	102.58	102.08
2020–21	106.62	106.81	106.72	95.42	96.10	95.77	102.46	102.88	102.68
2021–22	106.70	106.30	106.50	97.60	98.30	98.00	103.30	103.40	103.40

तालिका 4.5 : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात									
स्तर / वर्ष	माध्यमिक (IX-X) 14–15 वर्ष			वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII) 16–17 वर्ष			उच्चतर शिक्षा 18–23 वर्ष		
	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल
2017–18	73.11	72.99	73.05	39.37	39.51	39.44	14.9	17.0	15.9
2018–19	75.85	74.87	75.35	42.70	41.80	42.24	16.5	17.9	17.2
2019–20	77.24	76.22	76.72	43.90	41.92	42.89	17.7	18.2	18.0
2020–21	79.32	77.91	78.60	46.52	43.83	45.15	एनए	एनए	एनए
2021–22	79.20	77.00	78.10	53.60	50.50	52.00	एनए	एनए	एनए

डेटा स्रोत :
स्कूली शिक्षा के लिए: शिक्षा प्लस हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई), शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा के लिए: अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), एनए: उपलब्ध नहीं

2021–22 में 79.2% हो गया है और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 2017–18 में 39.4% (प्रतिशत) से बढ़कर 2021–22 में 52.0% (प्रतिशत) हो गया है। इसके अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा के संबंध में एसटी जीईआर में सुधार हुआ है, जोकि 2017–18 में 15.9% से 2020–21 में 18.9% हो गया है।

प्राथमिक स्तर के लिए जीईआर की परिभाषा: आयु इतर प्राथमिक शिक्षा (ग्रेड I-V) में कुल नामांकन एक विद्यालय–वर्ष में पात्र आधिकारिक प्राथमिक विद्यालय–आयु आबादी (6–10+ वर्ष) की गणना को प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है।

लैंगिक (जेंडर) समानता सूचकांक (जीपीआई)

4.10 लैंगिक समानता सूचकांक की गणना लड़कियों के जीईआर और लड़कों के जीईआर के अनुपात के रूप में की जाती है। यह शिक्षा में भागीदारी औरध्या लड़कों के लिए उपलब्ध शिक्षा के अवसरों के संबंध में लड़कियों के लिए उपलब्ध सीखने के अवसरों में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को मापता है। यह समाज में लड़कियों के सशक्तिकरण के स्तर का भी प्रतिनिधित्व करता है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) में 2017–18 से 2021–22 के दौरान माध्यमिक, सीनियर (वरिष्ठ) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा स्तर पर सुधार दर्शाया है। आंकड़े नीचे **तालिका 4.6** में दिए गए हैं :

स्कूली शिक्षा मध्य में छोड़ने (ड्रॉप–आउट) की दरें

4.11 अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा में ड्रॉप–आउट दरों का विवरण नीचे **तालिका 4.7** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि 2017–18 से 2021–22 तक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अजजा छात्रों के ड्रॉपआउट दर में गिरावट आई है। इसके अलावा, एसटी लड़कों की तुलना में एसटी लड़कियों के ड्रॉपआउट दर में अधिक गिरावट आई है।

तालिका 4.6 : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई)			
स्तर / वर्ष	माध्यमिक (IX-X)	वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII)	उच्चतर शिक्षा
2017–18	1.00	1.00	0.87
2018–19	1.01	1.02	0.92
2019–20	1.01	1.05	0.97
2020–21	1.02	1.06	एनए
2021–22	1.03	1.06	एनए

आंकड़ों का स्रोत :
स्कूली शिक्षा के लिए: शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा के लिए: अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्टें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) एनए : उपलब्ध नहीं

तालिका 4.7 : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की स्कूली शिक्षा में ड्रॉप–आउट दर									
वर्ष / कक्षाएं	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक		
	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल
2017–18	3.48	3.82	3.66	6.14	5.95	6.04	21.36	22.90	22.14
2018–19	5.23	5.72	5.48	6.46	6.89	6.69	23.38	26.40	24.93
2019–20	3.61	4.06	3.85	5.81	6.30	6.06	22.65	25.64	24.18
2020–21	2.31	2.72	2.52	4.69	5.36	5.02	19.65	22.14	20.91
2021–22	2.60	3.04	2.83	5.70	6.35	6.03	15.33	17.87	16.62

स्रोत : जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू–डीआईएसई), शिक्षा मंत्रालय

परीक्षा परिणाम

4.12 वर्ष 2020 के दौरान 73.1% (84.4% सभी के लिए) तथा 77.4% (82.8% सभी के लिए) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने मुक्त (ओपन) बोर्ड सहित विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय परीक्षा बोर्डों के माध्यम से क्रमशः कक्षा X तथा XII उत्तीर्ण की है। सभी श्रेणियों और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः **तालिका 4.8** तथा **तालिका 4.9** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.8 : 2016–2020 के दौरान माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशतता						
वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजाति		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2016 (पी)	77.7	79.8	78.7	65.2	64.9	65.0
2017 (पी)	76.10	78.05	77.00	67.18	67.14	67.16
2018 (पी)	75.08	77.16	78.30	67.25	67.92	67.69
2019	78.70	82.55	80.52	67.22	69.46	68.34
2020 (पी)	82.98	86.1	84.41	72.16	74.13	73.14

तालिका 4.9 : 2016–2020 के दौरान उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशतता						
वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजाति		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2016 (पी)	74.3	82.2	77.9	65.5	71.4	68.2
2017 (पी)	72.72	79.51	75.87	68.72	74.17	71.90
2018 (पी)	73.82	83.21	76.26	69.71	75.46	71.56
2019	76.21	84.03	79.86	70.59	76.86	73.64
2020 (पी)	79.30	86.90	82.87	74.49	80.41	77.40

स्रोत : शिक्षा मंत्रालय पी– अनंतिम

तालिका 4.10 : 2017–18 से 2021–22 के दौरान माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक (X से XI) में पारण (ट्रांजीशन) दरें						
वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजाति		
	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल
2017–18	63.38	62.05	62.70	61.71	61.64	61.68
2018–19	70.21	67.53	68.80	63.38	62.05	62.70
2019–20	73.09	70.23	71.60	63.6	61.97	62.78
2020–21	73.60	71.99	72.76	64.76	62.79	63.77
2021–22	79.29	77.6	78.41	74.95	72.12	73.52
स्रोतः यूडीआईएसई+, शिक्षा मंत्रालय						

संक्रमण (ट्रांजीशन) दरों की परिभाषाः संक्रमण (ट्रांजीशन) दर उन छात्रों के अनुपात को दर्शाती है जो उच्च कक्षा में आगे बढ़ने में सक्षम हैं। 100% से नीचे की संक्रमण दर इंगित करती है कि छात्रों को रोक दिया गया है या इन्होंने स्कूल छोड़ दिया है।

2021–22 के दौरान, 73.5% अजजा छात्र 2017–18 में 61.7% अजजा छात्रों की तुलना में कक्षा–X से कक्षा–XI में पारण करने में सक्षम हैं। हालांकि अभी भी सभी श्रेणियों की तुलना में पारण दर में अंतर है।

स्वास्थ्य संकेतक

4.13 2019–21 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–5 के अनुसार, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर (यू 5 एमआर) और अजजा (एसटी) महिलाओं के साथ–साथ सभी श्रेणीयों की महिलाओं में एनीमिया की स्थिति **ग्राफ 4.4** में दर्शाई गई है। **ग्राफ 4.5** से यह देखा जा सकता है कि शिशु मृत्यु दर, पांच वर्ष से कम आयु की

ग्राफ 4.4: स्वास्थ्य संकेतकः एनएफएचएस–5 (2019–21)

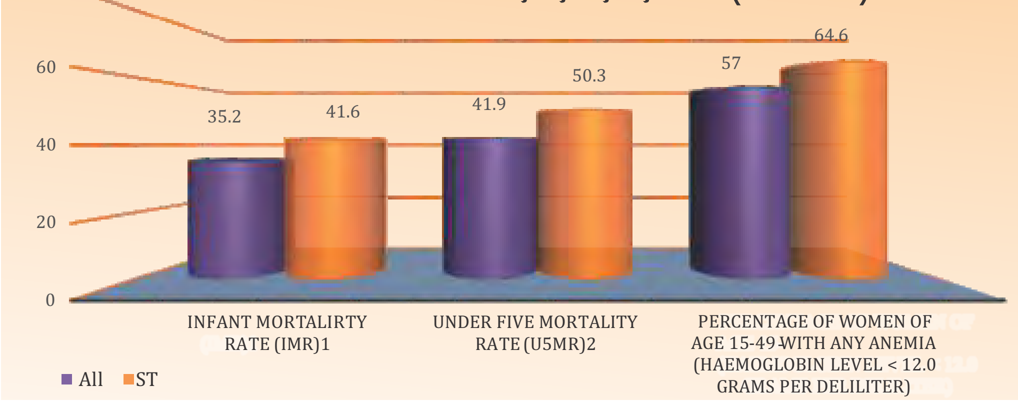

ग्राफ 4.5: स्वास्थ्य संकेतक की तुलना... जारी

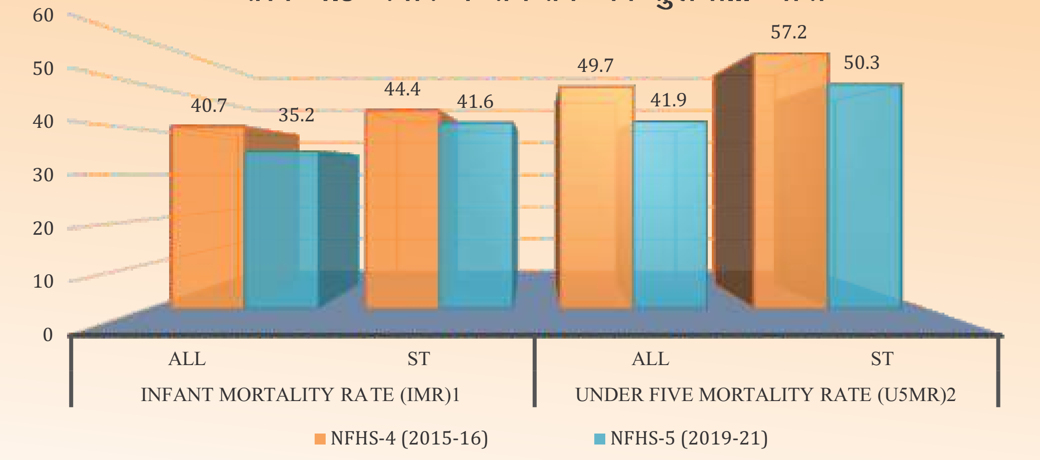

ग्राफ 4.5: स्वास्थ्य संकेतक की तुलना

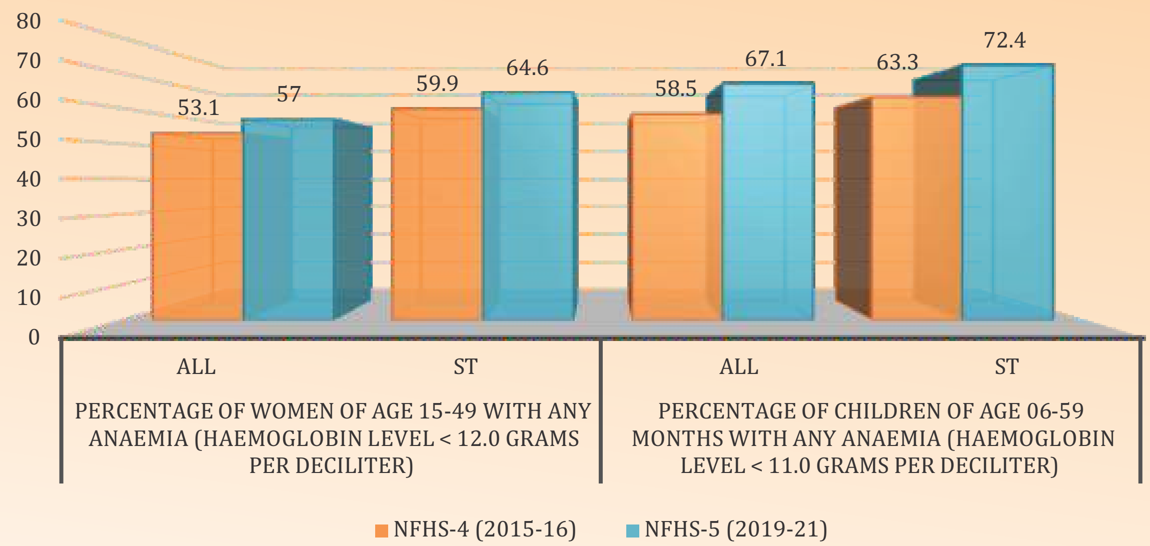

स्रोतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

1 आईएमआर वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों/संतति पर वर्ष के दौरान शिशु मृत्यु की संख्या है।

2 यू5एमआर प्रति 1000 बच्चों पर वर्ष के दौरान 0–4 वर्ष के बीच आयु के बच्चों की इस आयु वर्ग में मृत्यु संख्या है।

मृत्यु दर और सभी श्रेणी की और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की स्थिति में, 2015–16 (एनएफएचएस–4) से 2019–21 (एनएफएचएस–5) में काफी सुधार हुआ है।

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषणात्मक स्थिति

4.14 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रमशः 2015–16 और 2019–21 के दौरान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) – 4 और 5 के आंकड़ों के आधार पर, पांच साल से कम उम्र के बच्चों के प्रतिशत पोषण की स्थिति के अनुसार कुपोषित के रूप में वर्गीकृत किया गया है : अविकसित (स्टंटेड) (आयु के अनुसार ऊंचाई) कमजोर (ऊंचाई के अनुसार वजन) और कम वजन (उम्र के अनुसार वजन) **ग्राफ 4.6** में दिए गए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है, हालांकि, वहाँ अभी भी महत्वपूर्ण अंतर है।

ग्राफ 4.6 : पोषाहार की स्थिति की व्यापकता की तुलना

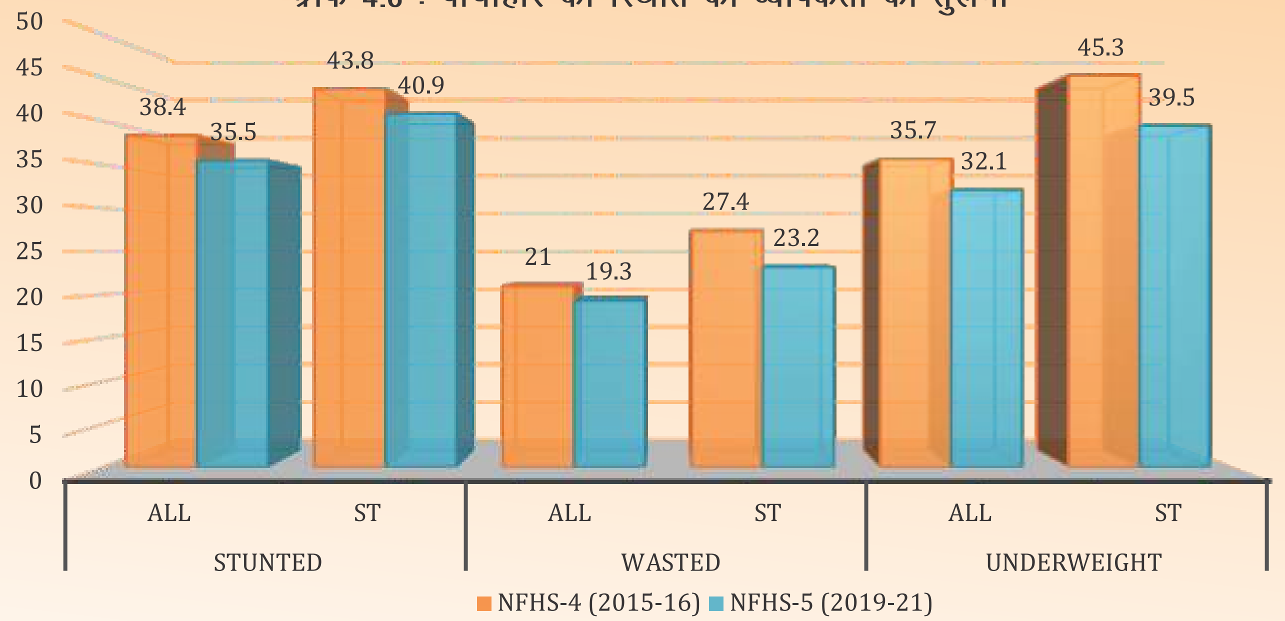

बच्चों का टीकाकरण कवरेज

4.15 अनुसूचित जनजाति और 12–23 महीने की आयु के सभी श्रेणी के बच्चों की स्थिति, जिनका पूर्ण टीकाकरण हो गया है और टीकाकरण नहीं हुआ है, की स्थिति **तालिका 4.11** में दी गई है। जब बच्चों को तपेदिक (बीसीजी), डिप्थीरिया की तीन खुराक, काली खांसी (पर्टुसिस), और टेटनस (डीपीटी) का टीका पोलियोमाइलाइटिस (पोलियो) के टीके की तीन खुराकें (जन्म के समय दिए गए पोलियो टीके को छोड़कर); और 12 महीने की उम्र तक खसरे के टीके की एक खुराक लग जाती है, तो उन्हें पूरी तरह से टीका लगा हुआ (वैक्सीनेटेड) माना जाता है।

तालिका 4.11 : अनुसूचित जनजाति और 12–23 महीने की आयु के सभी वर्ग के बच्चों का प्रतिशत जिन्होंने पूर्ण टीकाकरण / कोई टीकाकरण प्राप्त नहीं किया

स्रोत	पूर्ण टीकाकरण		कोई टीकाकरण नहीं	
	सभी	अजजा	सभी	अजजा
एनएफएचएस–4 (2015–16)	62.0	55.8	6.0	9.2
एनएफएचएस–5 (2019–21)	76.6	76.8	3.6	4.1

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

संस्थागत प्रसव

4.16 ग्राफ 4.7 में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 2015–16 में 68% से बढ़कर 2019–21 में 82.3% हो गया है, जबकि सभी श्रेणियों के लिए आंकड़े 78.9% से 88.6% तक सुधार दिखाते हैं। साथ ही, अजजा महिलाओं के लिए, कुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कराया जाने वाला प्रसव 2015–16 से 2019–21 की अवधि के दौरान 71.5% से बढ़कर 84.5% हो गया है। दोनों ही मामलों में, समग्र महिलाओं की तुलना में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए लगभग 5 प्रतिशत अंकों का अंतर है।

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना

4.17 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) 2021–22 के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक जनजातीय क्षेत्रों में 25383 उप केंद्र (एससी), 3833 प्राथमिक

ग्राफ 4.7: संस्थागत प्रसव

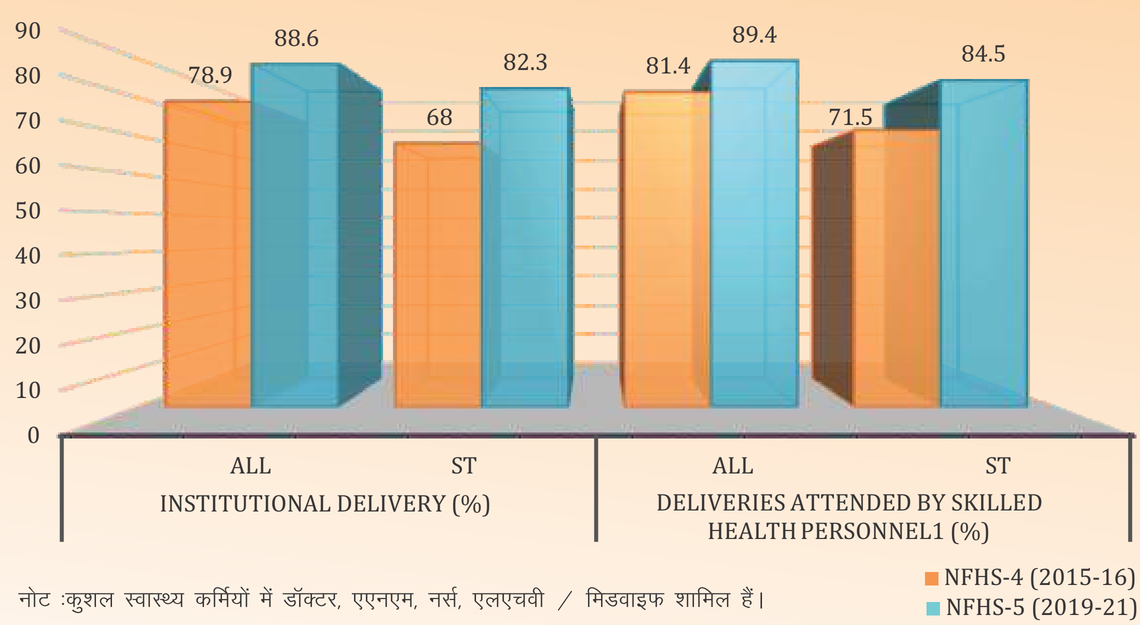

नोट :कुशल स्वास्थ्य कर्मियों में डॉक्टर, एएनएम, नर्स, एलएचवी / मिडवाइफ शामिल हैं।

स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) और 960 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) थे। 2021 की तुलना में (2021 के बाद से) 2022 में एससी, पीएचसी और सीएचसी की संख्या में क्रमशरू 968, 133 और 15 की कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर 31 मार्च 2022 तक आवश्यकता की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में 9357 उप केन्द्रों, 1559 पीएचसी और 372 सीएचसी की कमी हुई है। राज्य–वार आंकड़ों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश (2265), राजस्थान (1768) और महाराष्ट्र (1091) में उप–केंद्रों की संख्या में भारी कमी हुई है।

इसके अलावा, पीएचसी के मामले में, मध्य प्रदेश में 468, उसके बाद झारखंड में 295 और राजस्थान में 255 की कमी आई है। सीएचसी के मामले में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कमी (96), उसके बाद राजस्थान (54) और महाराष्ट्र (52) का स्थान है। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के लिए निर्धारित मानदंडों का उपयोग करके गणना की गई आवश्यकता और इन मानदंडों की तुलना में वर्तमान स्थिति **तालिका 4.12** में दी गई है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक–4च** में दिया गया है।

तालिका 4.12 : ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना – मानदंड* और उपलब्धियों का स्तर (अखिल भारत)

केंद्र	राष्ट्रीय जनसंख्या मानदंड*		स्थिति (2022)	
	सामान्य	जनजातीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र
उप केंद्र	5,000	3,000	5,691	4,005
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	30,000	20,000	36,049	26,522
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	1,20,000	80,000	1,64,027	1,05,893

*विशेष सुविधा (एससी, पीएचसी और सीएचसी) की सेवाओं के तहत शामिल व्यक्तियों की संख्या

जनजातीय क्षेत्रों की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की कमी

4.18 ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021–22 से यह भी पता चलता है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय (आदिवासी) क्षेत्रों में उप केंद्रों में 31.03.2022 तक 1010 स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) की कमी है, इसके बाद गुजरात (189), त्रिपुरा (164) और कर्नाटक (82) की स्थिति है। आंध्र प्रदेश में भी पीएचसी में 158 स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) / एएनएम की कमी है, इसके बाद ओडिशा (131) और पश्चिम बंगाल (92) का स्थान है। विवरण **अनुलग्नक–4छ और 4ज** में दिए गए हैं।

पीएचसी में 231 नर्सिंग स्टाफ की सबसे अधिक कमी ओडिशा में है, जम्मू और कश्मीर (41) और हिमाचल प्रदेश (40) का स्थान है। सीएचसी में 191 नर्सिंग स्टाफ की सबसे अधिक कमी ओडिशा में है, इसके बाद महाराष्ट्र (45) और मणिपुर (32) का स्थान है।

पीएचसी में डॉक्टरों की कमी छत्तीसगढ़ (128) के जनजातीय (आदिवासी) क्षेत्रों में सबसे अधिक है, इसके बाद ओडिशा (89) और मध्य प्रदेश (29) का स्थान है। विवरण **अनुलग्नक–4झ, 4ञ और 4ट** में दिया गया है।

गरीबी का अनुमान

4.19 पूर्ववर्ती योजना आयोग ने उन वर्षों के लिए गरीबी अनुपात के लिए तेंदुलकर पद्धति पर आधारित अनुमान प्रदान किए, जिसके लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय पर बड़े नमूना सर्वेक्षण किए गए हैं। इन अनुमानों के अनुसार, 2011–12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में 45.3% और शहरी क्षेत्रों में 24.1% की तुलना में सभी जनसंख्या के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 13.7% व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे थे। वर्ष 2009–10 और 2011–12 के लिए राज्य–वार विवरण **तालिका 4.13** में दिया गया है।

भूमि जोत (होल्डिंग)

4.20 कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा की गई कृषि जनगणना, 2015–16 के आधार पर पता चलता है कि सभी आकारों के संबंध में जोतों की कुल संख्या 146,454 हजार है। इनमें 12,669 हजार (8.7%) अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। कुल क्षेत्रफल में संचालित क्षेत्र का प्रतिशत सभी सामाजिक समूहों के सीमांत श्रेणी के लिए सबसे अधिक (24.3%) है, अनुसूचित जनजातियों के लिए अर्ध–मध्यम श्रेणी (26.72%) में है। बड़ी श्रेणी के लिए प्रति जोत औसत संचालित क्षेत्र (सभी

तालिका 4.13 : 2009–10 और 2011–12 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत (तेंदुलकर पद्धति)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		2009–10	2011–12	2009–10	2011–12
1	आंध्र प्रदेश	40.2	24.1	21.2	12.1
2	असम	32.0	33.4	29.2	15.6
3	बिहार	64.4	59.3	16.5	10.3
4	छत्तीसगढ़	66.8	52.6	28.6	35.2
5	गुजरात	48.6	36.5	32.2	30.1
6	हिमाचल प्रदेश	22.0	9.5	19.6	4.0
7	जम्मू और कश्मीर	3.1	16.3	15.0	3.0
8	झारखंड	51.5	51.6	49.5	28.7
9	कर्नाटक	21.3	30.8	35.6	33.7
10	केरल	24.4	41.0	5.0	13.6
11	मध्य प्रदेश	61.9	55.3	41.6	32.3
12	महाराष्ट्र	51.7	61.6	32.4	23.3
13	ओडिशा	66.0	63.5	34.1	39.7
14	राजस्थान	35.9	41.4	28.9	21.7
15	तमिलनाडु	11.5	36.8	17.6	2.8
16	उत्तर प्रदेश	49.8	27.0	20.2	16.3
17	उत्तराखंड	20.0	11.9	0	25.7
18	पश्चिम बंगाल	32.9	50.1	20.6	44.5
	अखिल भारतीय	**47.4**	**45.3**	**30.4**	**24.1**

के लिए 17.07%, अनुसूचित जनजाति के लिए 15.11%) है और सीमांत वर्ग के लिए सबसे कम (सभी के लिए 0.38%, अनुसूचित जनजाति के लिए 0.48%) है। कृषि जनगणना 2015–16 के अनुसार जोत और संचालित क्षेत्र का वितरण – सभी सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को **तालिका 4.14** में दिया गया है।

4.21 परिवारों का उच्चतम अनुपात भूमि जोतों की सीमांत श्रेणी (सभी के लिए 68.45%, अनुसूचित जनजाति के लिए 56.26%) और परिवारों का सबसे कम अनुपात बड़ी जोत (सभी के लिए 0.57%, अनुसूचित जनजाति के लिए 0.75%) से संबंधित है। यह पैटर्न सभी घरेलू सामाजिक समूहों में देखा जाता है।

कृषि जनगणना, 2015–16 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालन जोतों की संख्या का राज्य–वार प्रतिशत वितरण **अनुलग्नक–4ठ** में दिया गया है।

रोजगार

श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

4.22 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एमओएसपीआई द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 2017–18 से 2020–21 के दौरान अनुसूचित जनजाति और सभी के बीच सामान्य स्थिति (पीएस+ एसएस) में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

तालिका 4.14: कृषि जनगणना 2015–16 के अनुसार जोत और संचालित क्षेत्र का वितरण – सभी सामाजिक समूह और अनुसूचित जनजातियाँ (अजजा)										
आकार समूह	होल्डिंग्स की संख्या ('000 में)		संचालित क्षेत्र ('000 हेक्टेयर में)		कुल जोतों में जोत का प्रतिशत		कुल क्षेत्रफल में संचालित क्षेत्र का प्रतिशत		प्रति जोत औसत संचालित क्षेत्र (हे.)	
	सभी	अनु.जन जाति	सभी	अनु.जन जाति	सभी	अनु.जन जाति	सभी	अनु.जन जाति	सभी	अनु.जन जाति
सीमांत (1.00 हे. से नीचे)	100251	7127	37923	3413	68.45	56.26	24.03	19.19	0.38	0.48
छोटा (1.00 – 2.00 हेक्टेयर)	25809	2972	36151	4202	17.62	23.46	22.91	23.63	1.40	1.41
अर्ध–मध्यम (2.00 – 4.00 हेक्टेयर)	13993	1771	37619	4752	9.55	13.98	23.84	26.72	2.69	2.68
मध्यम (4.00 – 10.00 हेक्टेयर)	5561	704	31810	3984	3.80	5.56	20.16	22.40	5.72	5.66
बड़ा (10.00 हेक्टेयर और अधिक)	838	95	14314	1434	0.57	0.75	9.07	8.06	17.07	15.11
कुल*	**146454**	**12669**	**157817**	**17784**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**1.08**	**1.40**

स्रोत : कृषि जनगणना, 2015–16
* पूर्णांकन के कारण कुल मिलान नहीं हो सकता है।

(प्रतिशत में) **तालिका 4.15** में दिए गए हैं। वर्ष 2019–20 के लिए अनुसूचित जनजाति और सभी के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार एलएफपीआर (प्रतिशत में) **ग्राफ 4.8** में दिखाया गया है।

तालिका 4.15 : 2017–18 से 2020–21 तक अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और सभी सामाजिक समूहों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस़एसएस) के अनुसार अखिल भारतीय श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

तालिका 4.15: 2017–18 से 2020–21 तक अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और सभी सामाजिक समूहों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस़एसएस) के अनुसार अखिल भारतीय श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)

(आंकड़े % में)

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
पीएलएफएस (2020–21)									
अजजा	58.6	41.6	50.3	58.5	23.5	41.3	58.6	39.6	49.3
सभी	57.1	27.7	42.7	58.4	18.6	38.9	57.5	25.1	41.6
पीएलएफएस (2019–20)									
अजजा	57.4	38.0	47.9	56.3	25.6	41.3	57.2	36.5	47.1
सभी	56.3	24.7	40.8	57.8	18.5	38.6	56.8	22.8	40.1
पीएलएफएस (2018–19)									
अजजा	57.3	28.7	43.3	54.3	18.4	36.5	57	27.6	42.5
सभी	55.1	19.7	37.7	56.7	16.1	36.9	55.6	18.6	37.5
पीएलएफएस (2017–18)									
अजजा	56.6	27.6	42.5	53.6	18.4	36.6	56.3	26.6	41.8
सभी	54.9	18.2	37.0	57.0	15.9	36.8	55.5	17.5	36.9

स्रोत: पीएलएफएस 2020–21, एनएसओ, एमओएसपीआई

ग्राफ 4.8 : पीएलएफएस 2020–21 में सभी और अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (प्रतिशत में)

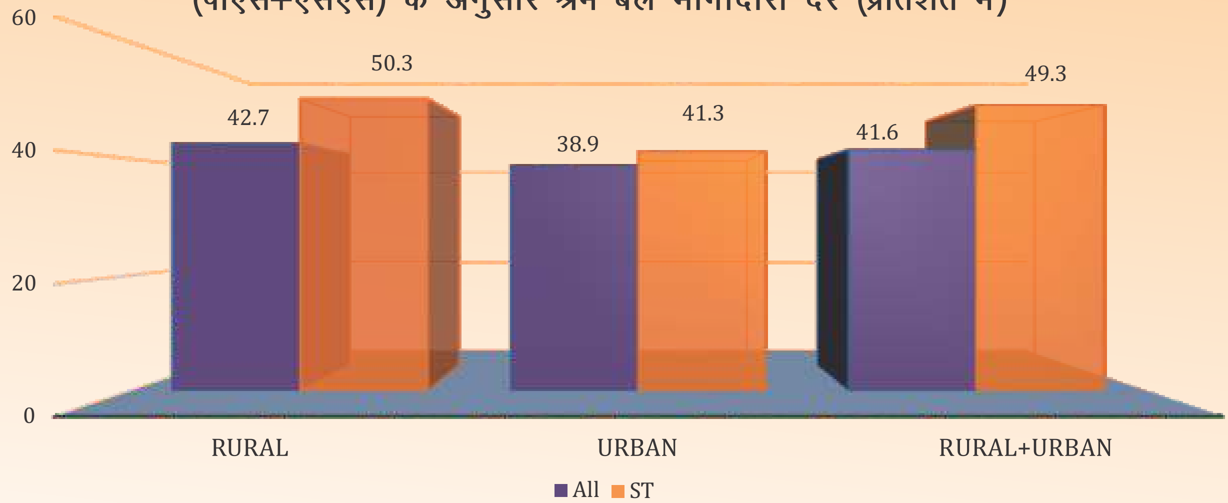

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

4.23 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 2017–18 से 2020–21 के दौरान अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों और सभी के बीच श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) सामान्य स्थिति में (पीएस़एसएस) **तालिका 4.16** में प्रस्तुत किया गया है।

बेरोजगारी दर (यूआर)

4.24 बेरोजगारी दर उन व्यक्तियों के अनुपात को दर्शाती है जो काम के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन संदर्भित अवधि के दौरान काम नहीं मिला। 2017–18 से 2020–21 के दौरान अनुसूचित जनजाति और सभी के बीच सामान्य स्थिति में यूआर (प्रतिशत में) **तालिका 4.17** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4.16 : 2017–18 से 2020–21 तक अनुसूचित जनजाति (अजजा) और पीएलएफएस में सभी सामाजिक समूहों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार अखिल भारतीय श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), (आंकड़े % में)

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
पीएलएफएस (2020–21)									
अजजा	56.8	41.2	49.1	54.0	22.0	38.3	56.5	39.1	47.9
सभी	54.9	27.1	41.3	54.9	17.0	36.3	54.9	24.2	39.8
पीएलएफएस (2019–20)									
अजजा	55.2	37.3	46.4	52.3	23.6	38.2	54.9	35.7	45.5
सभी	53.8	24.0	39.2	54.1	16.8	35.9	53.9	21.8	38.2
पीएलएफएस (2018–19)									
अजजा	54.8	28.0	41.6	48.6	15.8	32.3	54.1	26.7	40.6
सभी	52.1	19.0	35.8	52.7	14.5	34.1	52.3	17.6	35.3
पीएलएफएस (2017–18)									
अजजा	53.8	27.0	40.8	49.9	17.0	33.9	53.4	25.9	40.0
सभी	51.7	17.5	35.0	53.0	14.2	33.9	52.1	16.5	34.7

स्रोतः पीएलएफएस 2020–21, एनएसओ, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

तालिका 4.17: 2017–18 से 2020–21 तक पीएलएफएस में विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस़एसएस) के अनुसार अखिल भारतीय बेरोजगारी दर (यूआर), (आंकड़े % में)

सामाजिक समूह	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
पीएलएफएस (2020–21)									
अजजा	3.2	1.0	2.3	7.7	6.3	7.3	3.7	1.3	2.7
सभी	3.9	2.1	3.3	6.1	8.6	6.7	4.5	3.5	4.2
पीएलएफएस (2019–20)									
अजजा	3.7	1.8	3.0	7.1	8.0	7.3	4.1	2.3	3.4
सभी	4.5	2.6	4.0	6.4	8.9	7.0	5.1	4.2	4.8
पीएलएफएस (2018–19)									
अजजा	4.4	2.4	3.8	10.5	14.4	11.5	5.0	3.3	4.5
सभी	5.6	3.5	5.0	7.1	9.9	7.7	6.0	5.2	5.8
पीएलएफएस (2017–18)									
अजजा	4.9	2.2	4.0	7.0	7.6	7.1	5.1	2.6	4.3
सभी	5.8	3.8	5.3	7.1	10.8	7.8	6.2	5.7	6.1

स्रोत : पीएलएफएस 2020–21, एनएसओ, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) की परिभाषा : यूपीएस दृष्टिकोण सर्वेक्षण की तारीख से पहले के 365 दिनों के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति से संबंधित है। गतिविधि की स्थिति जिस पर किसी व्यक्ति ने उस अवधि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक समय (183 दिन या अधिक) बिताया है, उस व्यक्ति की सामान्य प्रमुख गतिविधि स्थिति मानी जाती है।

सामान्य प्रमुख और सहायक स्थिति (यूपीएसएस): सामान्य प्रमुख और सहायक स्थिति दृष्टिकोण मूल स्थिति दृष्टिकोण का विस्तार है। यदि कोई व्यक्ति पिछले 365 दिनों के दौरान 30 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न है, तो इस दृष्टिकोण के तहत एक व्यक्ति को नियोजित माना जाता है।

भारत में अनुसूचित जनजाति आबादी के विरूद्ध किए गए अपराध

4.25 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2021 के दौरान मध्य प्रदेश (2627 मामले) ने अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विरूद्ध अत्याचार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए, जो अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध कुल अपराध का 17.2% है, इसके बाद 2121 मामलों (23%) के साथ राजस्थान का और 676 मामलों (7%) के साथ ओडिशा का स्थान है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक–4ड** में दिया गया है। 2020 से 2021 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे **तालिका 4.18** में दिए गए हैं।

तालिका 4.18 : अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध/अत्याचार

अपराध शीर्ष	अपराध की घटनाए		अपराध दर	
	2020	2021	2020	2021
अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध अत्याचार	8272	8802	7.9	8.4

स्रोतः एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अपराध शीर्ष–वार मामलों से पता चला कि 2021 के दौरान 'साधारण चोट' (2358 मामले) में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विरूद्ध अपराधों/अत्याचारों के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, जो 26.8% है इसके बाद 'बलात्कार' के 15% (1324 मामले) है और 'शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला' करने के (10%) (881 मामले) हैं।

ध्यान केंद्रित उपायों के लिए चिन्हित जिले एवं समुदाय

प्राथमिकता वाले जिले

4.26 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण और विकास के लिए एक केंद्रित तरीके से उपाय की योजना बनाने के लिए, 177 प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की गई है और उन्हें नीचे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है :

- **प्राथमिकता 1**: वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित 14 जिलों सहित ≥ 50% अनुसूचित जनजाति आबादी वाले 94 जिले।
- **प्राथमिकता 2**: 69 जिले जिनमें ≥ 25% लेकिन <50% अनुसूचित जनजाति आबादी है जिसमें 7 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले शामिल हैं।
- **प्राथमिकता 3**: शेष 14 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले जिनमें <25% अनुसूचित जनजाति आबादी है।

अनुसूचित जनजाति के 58% लोग (6.10/10.45 करोड़) प्राथमिकता 1 और 2 वाले जिलों में निवास करते हैं, अर्थात 163 (94+69) जिलों में ≥ 25% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी है। 177 प्राथमिकता वाले जिलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक–4ढ** में दिया गया है।

प्रमुख अनुसूचित जनजाति समुदाय

4.27 देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैले 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं। अनुसूचित जनजाति आबादी के भीतर, कुछ अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रत्येक राज्य में 5% से अधिक आबादी की गणना करते हैं। इनकी पहचान की गई है और इन्हें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के अनुसार संकलित किया गया है। 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में, 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदायों में से, 111 समुदायों की गणना प्रत्येक ≥ 5% (संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजाति आबादी का) है। इन 111 समुदायों की संख्या 803.25 लाख अर्थात कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का 76.8% है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक–4ण** में दिया गया है।

अध्याय 5
अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियाँ

5.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रुप में किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया गया है, को अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।

5.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विशेष है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया हो तो यह जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय को अनुसूचित जनजाति माना जाए।

5.3 अनुसूचित जनजातीय समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्रों में, विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालातों में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों तक में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में जाना जाता है जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह (पीवीटीजी संक्षेप में) कहा जाता था, जिनकी विशेषताओं को पीवीटीजी के संरक्षण और विकास की योजना में धारा के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

प्रमुख जनजातियां

5.4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 700 से अधिक जनजातियां अधिसूचित हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित समुदायों की सबसे अधिक संख्या उड़ीसा राज्य में अर्थात् 62 है।

जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं गैर–अनुसूचीकरणः

5.5 "अनुसूचित जनजातियां" शब्द को संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "ऐसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इन जनजातियों और जनजातीय समुदायों के भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां माना गया है"। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5.6 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

5.7 अनुच्छेद 342 का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन या से अपवर्जन के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

5.8 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों/अधिनियमों की सूची **अनुलग्नक–5क** में दी गई है। राष्ट्रपति के आदेश संसद के अधिनियमों के द्वारा संशोधित किये गये हैं।

5.9 किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं–

- आदिम लक्षणों के संकेत,
- विशिष्ट संस्कृति,
- भौगोलिक एकाकीपन,
- बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच, तथा
- पिछड़ापन

5.10 इन मानदंडों का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु ये सुस्थापित और स्वीकृत हो चुके हैं। यह 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची की संशोधन संबंधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति), 1965 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, चंदा समिति, 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

5.11 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची **अनुलग्नक 5–ख** में दी गई है। हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

5.12 जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह सत्यापित किया जाना चाहिए:–

(i) कि वह व्यक्ति या उसके माता–पिता वास्तव में दावा किए गए समुदाय से संबंधित हैं;

(ii) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(iii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र का है जिसके संबंध में समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iv) कि वह या उसके माता–पिता/दादा–दादी आदि उसके मामले में लागू, राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिएं।

(v) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है;

5.13 वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा लागू आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो उसके मामले में उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति समुदाय को उस आदेश में उसके राज्यध्संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है। परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य में जहां वह अस्थायी रूप से बस गया है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थाई निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता है।

5.14 प्रासंगिक राष्ट्रपति आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के मामले में अनुसूचित जनजाति की हैसियत (दर्जा) प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु वह निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता–पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

5.15 एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा

i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाता रहेगा;

ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में

अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे

5.16 इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र जारी करना

5.17 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड

5.18 यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र असावधानीपूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

अन्य राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना

5.19 किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं, वे उस राज्य से प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके माता / पिता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके माताधपिता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने पर उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाण–पत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उस राज्य / संघ राज्यक्षेत्र जिससे वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे जहां वे स्थानांतारित हुए हैं।

अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, या से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के लिए दावों को तय करने के लिए प्रविधियां।

5.20 जून, 1999 में, सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, या से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों को तय करने के लिए प्रविधियों को अनुमोदित किया। इन प्रविधियों को 25.6.2002 और 14.09.2022 को फिर से संशोधित किया गया। इन अनुमोदित दिशा–निर्देशों के अनुसार, केवल उन दावों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) द्वारा सहमति प्रदान की गई है। जब कभी किसी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय के समावेशन, या से अपवर्जन के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अपेक्षित अनुशंसा के लिए संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को उस अभ्यावेदन को अग्रेषित करता है। यदि संबंधित राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश इस प्रस्ताव की सिफारिश करता है, तो उसे भारत के महापंजीयक (आरजीआई) को भेजा जाता है। राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र की सिफारिश से संतुष्ट होने पर आरजीआई केंद्र सरकार को प्रस्ताव की सिफारिश करता है। तत्पश्चात, सरकार प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित

जनजाति आयोग को उनकी सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी मामले की सिफारिश करता है, तो मामले को मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए संसाधित किया जाता है। तत्पश्चात, मामले को राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन करने के लिए विधेयक के रूप में संसद के समक्ष रखा जाता है। समावेशन/अपवर्जन के मामले जिनका राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र या आरजीआई या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समर्थन नहीं करता है, निरस्त (खारिज) कर दिए जाते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र

5.21 अनुसूचित जनजातियाँ अन्य समुदायों के विपरीत अधिकांशतः सटे हुए क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए, उनके हितों की रक्षा के लिए विकास गतिविधियों के साथ–साथ विनियामक प्रावधानों के लिए एक क्षेत्र दृष्टिकोण होना बहुत आसान है। भूमि और अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान की पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची में विभिन्न प्रावधान प्रतिष्ठापित किए गए हैं।

पांचवीं अनुसूची

5.22 संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत 5वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान निहित हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग–ग की धारा 6 में प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"अनुसूचित क्षेत्र – (1) इस संविधान में "अनुसूचित क्षेत्र" पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होना घोषित करे।

(2) राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा –

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा;

(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकेगा;

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन कर सकेगा;

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नये राज्य के शामिल (प्रवेश) होने पर या नये राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा;

(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैराग्राफ के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को रद्द कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिभाषित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा;

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे, जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उप–पैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा के लिए मानदण्ड (मानक)

5.23 पांचवीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" घोषित करने के लिए मानदंड हैं:

(i) आदिवासी आबादी का बाहुल्य,

(ii) सघनता और क्षेत्र का उचित आकार,

(iii) एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका, और

(iv) पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए उपरोक्त मानदंड इस प्रकार संविधान में वर्णित नहीं हैं, लेकिन अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों का कवरेज

5.24 वर्तमान में, आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित),

छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक–5ग** में दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू कानून

5.25 अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल की भूमिका से संबंधित संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

"(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा या उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या किसी भाग पर लागू होगा को ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू होगा, जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे और इस उप–पैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका पूर्वव्यापी प्रभाव हो।

(2) राज्यपाल किसी राज्य में किसी भी क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है जो फिलहाल अनुसूचित क्षेत्र है।

विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम–

(क) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को निषेध या प्रतिबंधित करना;

(ख) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करना;

(ग) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को धन उधार देने वाले व्यक्तियों को साहूकार के रूप में व्यवसाय करने के लिए विनियमित करना।

(3) इस पैराग्राफ के उप–पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट किसी भी तरह के विनियमन को बनाने में, राज्यपाल संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी भी अधिनियम या किसी भी मौजूदा कानून को निरस्त या संशोधित कर सकता है जो उस समय प्रश्नगत क्षेत्र के लिए लागू होता है।

(4) इस पैराग्राफ के तहत बनाए गए सभी विनियमों को तत्काल राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा और जब तक उनके द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) इस पैराग्राफ के तहत कोई भी विनियमन तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि राज्य के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद होने के मामले में, विनियमन बनाने वाले राज्यपाल ने ऐसी परिषद से परामर्श नहीं किया है।"

राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट

5.26 संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग क, पैरा 3 के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल वार्षिक रूप से, या जब भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

5.27 संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना को प्रतिवर्ष राज्यपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

जनजाति सलाहकार परिषद

5.28 पांचवीं अनुसूची के भाग ख, पैरा 4 के तहत प्रावधान के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में, यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश देते हैं, तो अनुसूचित जनजाति वाले किसी भी राज्य में जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) स्थापित की जाएगी जिसमें बीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से लगभग तीन–चौथाई राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देना जनजाति सलाहकार परिषद का कर्तव्य होगा, जैसा कि उन्हें राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

5.29 अनुसूचित क्षेत्र वाले सभी राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषदों (टीएसी) का गठन किया गया है। हालांकि तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, उन्होंने भी टीएसी का गठन किया है।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए अधिसूचना

5.30 निम्नलिखित आदेश वर्तमान में अपने मूल या संशोधित रूप में चल रहे हैं:

क्र. सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य का नाम जिसके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
3	मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 (सी.ओ.30)	2.6.1951	आंध्र प्रदेश
4	आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ.50)	9.9.1955	आंध्र प्रदेश
5	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
6	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109)	31.12.1977	गुजरात और ओडिशा
7	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 (सी.ओ.114)	12.2.1981	राजस्थान
8	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सी.ओ.123)	2.12.1985	महाराष्ट्र
9	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश
10	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ. 229)	11.4.2007	झारखंड
11	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सी.ओ. 270)	19.5.2018	राजस्थान

5.31 मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत क्रमशः मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक हिस्सा नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित हो गया और पूरा अनुसूचित क्षेत्र मूल बिहार राज्य से झारखंड में स्थानांतरित हो गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवगठित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे इसलिए 31 दिसंबर, 1977 को जारी अनुसूचित क्षेत्रों (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ.109) जहां तक कि यह संयुक्त बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को निर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश जारी किया। झारखंड राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ. 229) दिनांक 11 अप्रैल, 2007 द्वारा झारखंड राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है। राजस्थान राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को, दिनांक 12 फरवरी 1981 के सं. आ. 114 को निरस्त करते हुए दिनांक 19 मई, 2018 को अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सं. आ. 270) द्वारा नया संविधान आदेश जारी करके घोषित किया गया था।

छठी अनुसूची

5.32 संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1) के तहत छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान

करती है। यह ऐसे क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान करती है। छठी अनुसूची से संबंधित विषयगत मामले गृह मंत्रालय के दायरे में आते हैं।

एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/ एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (एमएडीए) पॉकेट और क्लस्टर

5.33 जनजातीय विकास की रणनीति जनजातीय उप–योजना के माध्यम से प्रशासनिक सहायता और विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के माध्यम से जनजातियों के हितों के संरक्षण के दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत सरकार ने जनजातियों बहुल क्षेत्रों में सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और वितरण के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) / एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) जैसे संस्थागत और प्रशासनिक उपायों की शुरुआत की। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, 10,000 की कुल आबादी वाले छोटे क्षेत्रों और 50% या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति (अजजा) की सघनता को कवर करने के लिए संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) को अपनाया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद के दौरान, लगभग 5,000 की न्यूनतम कुल जनसंख्या और 50% या अधिक अनुसूचित जनजाति (अजजा) की सघनता वाले आदिवासी बहुल छोटे क्षेत्रों को कवर करने के लिए समूहों (क्लस्टर्स) की पहचान की गई थी। भारत सरकार ने 18 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव में 194 आईटीडीपी/आईटीडीए घोषित किए हैं।

5.34 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) एक या एक से अधिक विकास ब्लॉकों (खंडों) के आकार का एक क्षेत्र है जिसमें अनुसूचित जनजाति की आबादी ऐसे ब्लॉकों की कुल आबादी का 50% या उससे अधिक होती है। पूर्ण विकास ब्लॉक (खंड) / पंचायत समिति एक आईटीडीपी की न्यूनतम घटक इकाई है। एक जिले में एक से अधिक आईटीडीपी हो सकते हैं। आईटीडीपी का क्षेत्र में एक से अधिक जिलों के ब्लॉकों से भी बनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में, आईटीडीपी का नाम आमतौर पर उसके मुख्यालय स्थान या उस जिले के नाम पर रखा जाएगा जहाँ उसका मुख्यालय स्थित है।

5.35 एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) ऐतिहासिक रूप से अन्य राज्यों के बीच आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में तथाकथित, जनजातीय विकास परियोजनाओं के प्रशासन के लिए अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्राधिकरण है। इसलिए आईटीडीए (यानी, एजेंसी या प्राधिकरण) के पास आईटीडीपी (पूर्ण ब्लॉक/पंचायत समितियों से मिलकर), माडा और क्लस्टर पॉकेट पर भी अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। यहां तक कि किसी जिले की बिखरी हुई जनजातीय आबादी भी संबंधित जिले के आईटीडीए के अधिकार क्षेत्र में हो सकती है।

5.36 संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) पॉकेट ऐसे क्षेत्रों में 10,000 या उससे अधिक की कुल आबादी के भीतर 50% या उससे अधिक आदिवासियों की सघनता वाले समीपवर्ती (सटे) क्षेत्रों में पहचान किए गए पॉकेट (एक या अधिक राजस्व गांव निहित) हैं। माडा पॉकेट की न्यूनतम घटक (संघटक) इकाई गांव होगी और इसका नाम माडा क्षेत्रों में एक से अधिक राजस्व गांवों को कवर करने वाले गांवों में अनुसूचित जनजाति की आबादी का उच्चतम प्रतिशत वाले गांव के नाम पर रखा जाना चाहिए।

5.37 क्लस्टर ऐसे क्षेत्र में 5,000 या उससे अधिक की कुल आबादी के भीतर 50% या उससे अधिक जनजातियों की सघनता वाले समूह (एक या एक से अधिक राजस्व गाँवों की घटक इकाइयाँ होने के साथ) पहचाने गये पॉकेट्स हैं। क्लस्टर की न्यूनतम संघटक इकाई एक गांव होगी और इसका नाम उस गांव के नाम पर होना चाहिए जहां क्लस्टर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है।

5.38 आईटीडीपी/आईटीडीए, माडा पॉकेट्स, क्लस्टर्स (समूहों) की राज्य–वार सूची नीचे दी गई है :

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	की संख्या		
		आईटीडीपी / आईटीडीए	एमएडीए (माडा) पॉकेट	क्लस्टर
1	आंध्र प्रदेश	5	41	17
2	असम	19	–	–
3	बिहार	–	7	–
4	छत्तीसगढ़ #	19	9	2
5	गुजरात #	9	1	–
6	हिमाचल प्रदेश #	5	2	–
7	झारखंड #	14	34	7
8	कर्नाटक	5	–	–
9	केरल	7	–	–
10	मध्य प्रदेश #	31	30	8
11	महाराष्ट्र #	16	44	24
12	मणिपुर	5	–	–
13	ओडिशा #	23	46	14
14	राजस्थान #	5	44	11
15	सिक्किम	4	–	–
16	तमिलनाडु $	9	–	–
17	तेलंगाना	3		
18	उत्तर प्रदेश	1	1	–
19	उत्तराखंड	–	–	–
20	पश्चिम बंगाल $	12	–	1
	संघ राज्यक्षेत्र			
21	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	–	–
22	दमन और दीव	1	–	–
	कुल	**194**	**259**	**84**

अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) वाले राज्य

$ केवल टीएसी वाले राज्य।

अध्याय 6
जनजातीय विकास कार्यनीति और कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

6.1 जनगणना 2011 के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) की आबादी 10.45 करोड़ है। देश की कुल जनसंख्या की 8.6 प्रतिशत आबादी, अनुसूचित जनजातीय है। आजादी के बाद से जनजातीय विकास, भारत सरकार का केन्द्र बिन्दु रहा है। जनजातीय लोगों के बीच विकास की वांछित गति प्राप्त करने में चुनौतियां रही हैं। ऐसा मुख्यतः उनकी परम्परागत जीवनशैलियों, पर्यावासों की सुदूरता, बिखरी हुई जनसंख्या तथा विस्थापन की वजह से है। जनजातीय लोगों के त्वरित विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना (1974–75) में सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति उप–योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) कार्यनीति को अपनाया गया था। इसमें अनुसूचित जनजातीय आबादी के लिए विकास के सभी क्षेत्रों से परिव्यय और लाभों के प्रवाह को संवहन (चैनलाइज) करने की परिकल्पना की गई है। टीएसपी/डीएपीएसटी निधि जनजातीय विकास के लिए निधि के समर्पित स्रोत हैं। 41 केंद्रीय मंत्रालय (जनजातीय कार्य मंत्रालय को छोड़कर) प्रत्येक वर्ष अपनी टीएसपी/एसटीसी/टीएपीएसटी निधियों के कुल योजना आवंटन का कुछ प्रतिशत जनजातीय विकास के लिए निर्धारित कर रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय कमियों (अंतरों) को दूर करके इन पहलों में अपना योगदान देता है। टीएसपी/डीएपीएसटी/एसटीसी कार्यनीति के माध्यम से किये गये प्रयासों से साक्षरता, स्वास्थ्य, आजीविका आदि संबंधी विभिन्न जनजातीय पहलुओं में कुछ सुधार आया है। हालांकि, जनजातीय तथा अन्य सामाजिक वर्गों के बीच मानव विकास के क्षेत्र में अंतर अभी भी कायम हैं।

6.2 बजट 2022–23 के अनुसार, 42 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के पास, लगभग 250 विभिन्न योजनाओं में विशिष्ट जनजातीय विकास के लिए डीएपीएसटी निधियां मौजूद हैं, जैसा कि केंद्रीय बजट 2022–23 के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10 ख में दर्शाया गया है। सभी मंत्रालयों में, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए किया गया आवंटन 2020–21 में 51780.82 करोड़ रुपये (आरई) से बढ़कर 2022–23 में 92781.15 करोड़ रुपये (आरई) हो गया है।

डीएपीएसटी की निगरानी

6.3 कार्य आवंटन नियम (एबीआर) जनवरी, 2017 में संशोधित किये गये हैं, जिसके तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) को नीति आयोग द्वारा तैयार रुपरेखा तथा तंत्र पर आधारित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के डीएपीएसटी/एसटीसी/टीएसपी निधियों की निगरानी के लिए अधिदेशित किया गया है। डीएपीएसटी निधियों की निगरानी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा http://stcmis.gov.in वेब पते के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। इस रूपरेखा के अंतर्गत डेटा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से सीधे प्राप्त होता है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय को आवंटन की तुलना में डीएपीएसटी व्यय की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। वास्तविक कार्य–निष्पादन की निगरानी तथा पहलों के परिणामों की जानकारी, भी इस प्रणाली में समाहित की गई हैं। चालू परियोजनाओं के स्थान तथा लाभार्थियों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए एमआईएस में तत्–अनुकूल प्रपत्र दिया गया है। इसके अलावा, समन्वय एवं निगरानी के लिए लाइन मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी पदनामित किए गये हैं। निष्पादन एवं परिणाम के संबंध में आंकड़े अपलोड करने के लिए नोडल अधिकारियों के साथ आवश्यक प्रत्यय–पत्र की साझेदारी की गई है।

6.4 31.12.2022 तक, जनजातीय विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास, आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल आवंटित डीएपीएसटी निधि का 69.20 प्रतिशत निर्मुक्त कर दिया गया है।

6.5 तत्कालीन जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)/

डीएपीएसटी/एसटीसी के तहत निधियों का निर्धारण, उनके योजना आवंटन की तुलना में जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) की वृहद कार्यनीतियों के अंतर्गत तत्कालीन योजना आयोग द्वारा डॉ. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में गठित कार्यदल, 2010 द्वारा संस्तुत मानदण्डों के अनुसार, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा ही किया जाता था। कार्यदल ने अलग–अलग निर्धारण की सिफारिश की थी अर्थात कुल 28 मंत्रालयों/विभागों द्वारा केवल उनके योजना परिव्यय के तुलना में विभिन्न दरों पर निर्धारण करना। 'योजना' तथा 'गैर–योजना' के समन्वय के पश्चात वित्त मंत्रालय ने दिसम्बर, 2016 में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एसटीसी निधियों के निर्धारण हेतु प्रतिशतता में संशोधन किया था तथा दो नए केन्द्रीय मंत्रालयों अर्थात कौशल विकास एवं उद्मिता मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्रालय को शामिल किया था। निधियों के निर्धारण के मामले पर नीति आयोग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा पुनः विचार–विमर्श किया गया है तथा अलग–अलग मंत्रालयों/विभागों के लिए आवंटन–प्रतिशतताओं पर पुनर्विचार किया गया है और कुछ नए मंत्रालय/विभाग जैसे पशुपालन विभाग, डेयरी और मछली पालन विभाग, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, उर्वरक विभाग, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, औषध विभाग तथा शहरी कार्य मंत्रालय इस एसटीसी के दायरे में लाया गया गया है। उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्ष–वार डीएपीएसटी आवंटन और व्यय **तालिका 6.1** में दिया गया है।

तालिका : 6.1 : केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एसटीसी/टीएसपी/डीएपीएसटी आवंटन (करोड़ में)

वर्ष	मंत्रालय/विभाग का कुल आवंटन	डीएपीएसटी आवंटन	व्यय	डीएपीएसटी आवंटन के संदर्भ में % व्यय	मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रतिशत डीएपीएसटी आवंटन
2017–18 (वास्तविक)	660446.96	31292.20	30329.76	96.92	4.74
2018–19 (वास्तविक)	702814.83	39545.48	35352.77	89.40	5.63
2019–20 (वास्तविक)	800887.07	47748.83	45856.40	96.04	5.96
2020–21 (वास्तविक)	1407067.05	51780.82	48084.10	92.86	3.68
2021–22 (सं.अ.)	1237657.83	85930.47	83287.94*	96.92	6.94
2022–23 (ब.अ.)	1228361.93	87584.66	60605.70*	69.20	7.13

नोट : * अनंतिम आंकड़े
डेटा स्रोत : (1) वित्त वर्ष 2017–18 से 2020–21 के लिए केंद्रीय बजट, विवरणी 10ख के अनुसार वास्तविक व्यय
(2) एमआईएस पोर्टल के अनुसार वित्त वर्ष 2021–22 और 2022–23 (31.12.2022 तक) के लिए एसटीसी व्यय

तालिका 6.2 : केंद्रीय बजट 2022–23 में दर्शाए अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अलग से किए गए आवंटन का विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	नीति आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत	कुल योजना (सीएस+ सीएसएस) आवंटन	अजजा के कल्याण के लिए बजट अनुमान 2022–2023	अजजा के कल्याण के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटन का प्रतिशत
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	4.30	1995.83	85.82	4.30
2	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	8.60	123326.00	10606.04	8.60
3	पशुपालन और डेयरी विभाग	8.60	3709.76	327.20	8.82
4	वाणिज्य कर विभाग	4.30	5209.40	25.51	0.49
5	उपभोक्ता मामले विभाग	4.30	1599.00	1.08	0.07
6	पेयजल और स्वच्छता विभाग	10.00	67192.00	6615.80	9.85

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग	नीति आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत	कुल योजना (सीएस+ सीएसएस) आवंटन	अजजा के कल्याण के लिए बजट अनुमान 2022–2023	अजजा के कल्याण के लिए मंत्रालयों / विभागों द्वारा आवंटन का प्रतिशत
7	दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग	8.60	740.39	60.66	8.19
8	उर्वरक विभाग	4.30	105222.32	4395.03	4.18
9	मत्स्य विभाग	8.60	1891.00	172.71	9.13
10	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	4.30	213873.23	9152.54	4.28
11	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.60	62797.29	5400.57	8.60
12	उच्च शिक्षा विभाग	8.60	7454.96	1986.00	26.64
13	भूमि संसाधन विभाग	10.00	2239.25	228.32	10.20
14	औषधि विभाग	4.30	2157.50	18.17	0.84
15	ग्रामीण विकास विभाग	17.50	135750.93	18296.61	13.48
16	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	10.70	51052.37	6093.66	11.94
17	विज्ञान और तकनीकी विभाग	4.30	2894.55	124.37	4.30
18	दूरसंचार विभाग	4.30	11678.00	408.50	3.50
19	जल संरक्षण, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	8.60	17825.98	791.50	4.44
20	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4.30	1106.98	72.00	6.50
21	कोयला मंत्रालय	8.60	314.54	27.05	8.60
22	सहकारिता मंत्रालय	.....	730.00	62.79	8.60
23	संस्कृति मंत्रालय	4.30	532.55	22.90	4.30
24	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	8.60	2771.92	754.95	27.24
25	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70	10676.18	715.30	6.70
26	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.60	1893.26	165.20	8.73
27	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.30	2822.00	77.40	2 . 74
28	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	4.30	72801.02	790.66	1.09
29	श्रम और रोज़गार मंत्रालय	8.60	16159.10	1389.69	8.60
30	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.60	21357.85	1678.87	7.86
31	खान मंत्रालय	4.30	.....	20.70	.....
32	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.60	6787.93	384.00	5.66
33	पंचायती राज मंत्रालय	8.60	826.20	72.00	8.71
34	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4.30	8737.82	241.00	2.76
35	विद्युत मंत्रालय	8.60	11205.80	584.08	5.21
36	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4.30	198944.48	4545.00	2.28
37	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	8.60	2613.24	203.33	7.78
38	वस्त्र मंत्रालय	8.60	12016.92	176.73	1.47

क्र. सं.	मंत्रालय / विभाग	नीति आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत	कुल योजना (सीएस+ सीएसएस) आवंटन	अजजा के कल्याण के लिए बजट अनुमान 2022–2023	अजजा के कल्याण के लिए मंत्रालयों / विभागों द्वारा आवंटन का प्रतिशत
39	पर्यटन मंत्रालय	4.30	2275.61	97.85	4.30
40	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00	8406.92	8406.92	100.00
41	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.60	24939.35	2145.00	8.60
42	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	8.60	1832.50	161.15	8.79
		कुल	**1228361.93**	**87584.66**	**7.13**

6.6 2020–21 से 2022–23 तक डीएपीएसटी निधियों के मंत्रालयों / विभाग–वार आवंटन का विवरण **अनुलग्नक–6क** में दिया गया है।

6.7 केंद्रीय टीएसपी के लिए दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- मंत्रालयों / विभागों को कमियों (अंतरों) का अनुमान लगाना होगा, अनुसूचित जनजातियों की विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी होगी और अंतरों को पाटने के लिए योजनाओं को उन्मुख बनाना होगा।
- टीएसपी / डीएपीएसटी के तहत केवल उन योजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों या परिवारों को सीधे लाभ सुनिश्चित करती हैं।
- दर्शाए गए प्रतिशत आवंटन को केवल न्यूनतम और निम्नतम प्रतिशत के रूप में माना जाना चाहिए।
- टीएसपी के लिए निर्धारित निधियों को कार्यात्मक मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष '796' के तहत रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका किसी अन्य योजना में विपथन न किया जा सके।
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कल्याण और विकास के लिए प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय / विभाग में टीएसपी के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल इकाई के रूप में एक समर्पित इकाई का गठन किया जा सकता है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 40% से अधिक आबादी वाले अनुसूचित जनजाति वाली बस्तियों / गांवों को सीधे लाभान्वित करने वाली क्षेत्र–उन्मुख योजनाओं के परिव्यय को, टीएसपी में शामिल किया जाएगा।
- जिन मंत्रालयों / विभागों के पास अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है, उन्हें निर्धारित आवंटन को अलग रखना चाहिए, उन्हें नई और संकेंद्रित (फोकस्ड) पहलें / प्रयास तैयार करने चाहिएं और नोडल मंत्रालय के परामर्श से उपयुक्त योजनाओं / गतिविधियों के लिए इन्हें उपयोग में लाना चाहिए।

6.8 जनजातीय कार्य मंत्रालय और नीति आयोग डीएपीएसटी निधि वाले केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के साथ समय–समय पर बैठकें करते रहे हैं। कुछ मंत्रालयों / विभागों के प्रतिनिधियों के साथ सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में मई और जुलाई 2022 में समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में, मंत्रालयों / विभागों को यह भी दोहराया गया है कि डीएपीएसटी निधि प्रचलित निर्धारित प्रतिशत के अनुसार होनी चाहिए। यह भी दोहराया गया कि आवंटन के निर्धारित प्रतिशत का अनुपालन किया जाए। परियोजनाओं के स्थान और लाभार्थी के विवरण सहित डीएपीएसटी निधि से स्वीकृत कार्य की वास्तविक प्रगति को भी साझा करने के लिए कहा गया था। पांच वर्षों में 50% या अधिक जनजातीय आबादी और कम से कम 500 एसटी व्यक्तियों वाले 36,428 गांवों के एकीकृत विकास के लिए मंत्रालय द्वारा 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)' (इसकी पूर्ववर्ती योजना टीएसएस को एससीए में बदलाव के बाद) कार्यान्वित की जा रही है। चूंकि 'पीएमएजीवाई' योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास सीमित संसाधन हैं, इसलिए इन गांवों के विकास को संबंधित मंत्रालयों /

विभागों के डीएपीएसटी के तहत निधियों के अभिसरण के माध्यम से हासिल करने की कल्पना की गई है। बाध्य मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे इन गांवों में अपनी योजनाओं को डीएपीएसटी के तहत अभिसारित (कनवर्ज) करें।

6.9 डीएपीएसटी निधियों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए नीति आयोग ने नीति आयोग के एक सदस्य प्रोफेसर श्री रमेश चंद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। आयोग अजा और अजजा विकास कार्य योजनाओं के तहत आवंटन, उपयोग और कार्यान्वयन तंत्र पर डीएपीएससी/डीएपीएसटी दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगा। विशेषज्ञ समिति ने अगस्त से नवंबर 2022 के दौरान सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें कीं। नीति आयोग द्वारा संशोधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

माननीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने जनजातीय कार्य मंत्री और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री की उपस्थिति में 6 दिसंबर, 2022 को 18 मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिनके पास पर्याप्त डीएपीएसटी आवंटन है, ताकि अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना निधि के उपयोग की दक्षता में सुधार लाने के लिए आगे की राह पर चर्चा की जा सके।

राज्य एसटीसी/टीएसपी

6.10 तत्कालीन, योजना आयोग ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए 18 जून, 2014 को दिशा–निर्देशों में संशोधन किया है। दिशा–निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ टीएसपी के तहत निधियों के आवंटन के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया गया है जो कुल योजना परिव्यय में, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के 2011 की जनगणना के अनुपात से कम नहीं है। तथापि, 'प्लॉन और नॉन प्लॉन' वर्गीकरण के मध्य अंतर को हटाने के साथ वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बजट प्रभाग के दिनांक 23 अगस्त, 2016 के 'प्लॉन और नॉन प्लॉन' समामेलन पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार, टीएसपी आवंटन के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और राज्यों के मामले में राज्य सरकार की स्कीमों दोनों के लिए, प्लॉन और नॉन प्लॉन प्रावधानों सहित, स्कीमों के कुल आवंटन को प्रतिशत के आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता है।

जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के विकास को गति देकर उन्हें (i) शिक्षा और स्वास्थ्य तक उनकी पहुंच बढ़ाकर मानव संसाधन विकास करना, (ii) जनजातीय क्षेत्रों / आवासों सहित, क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके जीवन को उन्नत बनाना, (iii) गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी, उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण और आय सृजन के अवसर पैदा करना, (iv) अवसरों का लाभ उठाने, अधिकार और पात्रता प्राप्त करने और अन्य क्षेत्रों के समान सुविधाओं में सुधार की क्षमता को बढ़ाना और (v) शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हुए अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी और अन्य लोगों के बीच अंतर को पाटना है।

टीएसपी दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, टीएसपी के लिए चिह्नित / आवंटित की जाने वाली निधियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगी :

I. टीएसपी के तहत व्यय, सामान्य प्रावधानों के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रुप में केवल विकास की कमी को पूरा करने के लिए हैं, जो महत्पूर्ण कार्यक्रमों सहित, विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य लोगों की तरह, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध होने चाहिएं।

ii. टीएसपी के तहत निधियां, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं, कुल योजना परिव्ययों (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं–ईएपी तथा किसी अन्य योजना के तहत निवेशों को बिना छोड़े) से चिन्हित की गई हैं।

iii. निधियां, वित्तीय वर्ष की शुरू होने से कम से कम छः माह पूर्व चिन्हित की जानी चाहिएंद्य प्रत्येक विभाग के टीएसपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए निर्धारित टीएसपी निधियों की मात्रा की सूचना सभी विभागों को दी जाएगी।

iv. जिनके पास अनुसूचित जनजातियों को सीधे लाभ देने की योजनाएं नहीं हैं, उन्हें सैद्धान्तिक/वैचारिक तौर पर कोई भी आवंटन नहीं किया जाएगा।

v. अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को अधिक निधियां आंवटित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

vi. जनजातीय पर्यावासों की भौतिक दूरी तथा दुर्गम भूभाग में होने के कारण सामान्य क्षेत्रों की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में उच्च वित्तीय मानक तय करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में सेवा मानकों से कोई समझौता न हो।

vii. प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कौशल मूल्यांकन शुरू करेंगे तथा जनजातीय युवाओं के कौशल विकास के लिए टीएसपी के तहत निधियां आवंटित करेंगे तथा गरीबी एवं रोजगार के तहत निगरानी की जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

viii. संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए अंतर क्षेत्रीय कार्यक्रमों का तालमेल और अन्य स्कीमों/ कार्यक्रमों के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण/ अभिसरण सुनिश्चित किया जाता है।

ix. नोडल विभाग के परामर्श से, सभी विभाग अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विकास में समानता को प्रोत्साहित करने के लिए टीएसपी तैयार करेंगे।

x. निधि के अन्यत्र उपयोग पर रोक सुनिश्चित करने के लिए, टीएसपी के तहत निधियां, क्रियाशील मुख्य शीर्ष/उप–मुख्य शीर्षों के तहत एक पृथक लघु शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित की जाएंगी ।

6.11 वर्ष 2019–20 से 2022–23 (31.12.2022 तक) के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल राज्य योजना (स्कीम) आवंटन और एसटीसी आवंटन और व्यय का विवरण **तालिका 6.3** में दिया गया है

तालिका : 6.3 : राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा 2019–20 से 2022–23 तक का टीएसपी/एसटीसी आवंटन (31.12.2022 तक)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल योजना (स्कीम) आवंटन	टीएसपी/ एसटीसी आवंटन	टीएसपी/ एसटीसी आवंटन का %	टीएसपी/ एसटीसी व्यय	कुल योजना (योजना) आवंटन पर व्यय %	कुल टीएसपी/ एसटीसी आवंटन पर % व्यय
2019–20	1863032.92	166078.19	8.91	136269.80	7.31	82.05
2020–21	1915233.98	164439.29	8.59	129793.41	6.78	78.93
2021–22#	2106032.90	188073.15	8.93	152246.12	7.23	80.95
2022–23*	2220643.41	168665.84	7.60	25710.78	1.16	15.24

स्रोतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना।
मिलान किया जा रहा है
* अनंतिम आंकड़े

तीन वर्षों अर्थात 2020–21 से 2022–23 (31.12.2022 तक) के लिए राज्यों द्वारा टीएसपी/एसटीसी निधियों का आवंटन और व्यय **अनुलग्नक–6ख** में दिया गया है।

जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)/प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)

6.12 पहले, जनजातीय कार्य मंत्रालय 'जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)' की योजना को कार्यान्वित कर रहा था। यह योजना 1977–78 में 'जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)' नाम से शुरू की गई थी। योजना और गैर–योजना व्यय के समामेलन के परिणामस्वरूप, योजना का नामकरण 2017 के दौरान 'जनजातीय उप–योजना (एससीए से टीएसएस) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता' में बदल दिया गया था। योजना के तहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार–सह–आय सृजन, आदि जैसे क्षेत्रों में अंतरों को पाटने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों सहित अनुसूचित जनजाति की आबादी वाली राज्य सरकारों को निधि

जारी की गयी थी। इस योजना ने केंद्रीय लाइन मंत्रालयों और राज्य सरकारों की योजनाओं के पूरक और परिवर्धक के रूप में जनजातीय लोगों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के समग्र विकास और कल्याण में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। राज्य सरकारों के सक्रिय और उत्तरदायी समर्थन के साथ जनजातीय कार्य मामले 2014–15 से योजना के आवंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम हैं जैसा कि नीचे **तालिका 6.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 6.4 : "टीएसएस को एससीए" योजना का बजट आवंटन, 2014–15 से

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
2014–15	1200.00	1040.03	1039.61
2015–16	1250.00	1132.27	1132.17
2016–17	1250.00	1200.00	1195.02
2017–18	1350.00	1350.00	1349.19
2018–19	1350.00	1350.00	1350.00
2019–20	1350.00	1350.00	1350.00
2020–21	1350.00	800.00	799.49

6.13 वर्ष 2019–20 के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा बनाए गए जनगणना 2011 के डेटा और मिशन अंत्योदय डेटा का उपयोग करके एक अंतर विश्लेषण किया। विश्लेषण के माध्यम से यह पाया गया कि भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले लगभग 1,45,000 अर्थात ≥25% जनजातीय गाँव हैं; जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, आवास, सड़क संपर्क, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पेयजल, बिजली आपूर्ति आदि सहित विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल मौजूद हैं। यह महसूस किया गया कि इन्हें संतृप्त स्थिति में लाने के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होगी। आवश्यक बुनियादी ढांचे और अन्य बुनियादी सेवाओं के साथ जनजातीय गांव। इस प्रकार नीतिगत निर्णय के एक भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया कि 'एससीए से टीएसएस' की योजना का ध्यान अभिसरण के माध्यम से उचित एकीकृत ग्राम विकास पर केन्द्रित/स्थानांतरित किया जाए। मौजूदा योजना में जनजातीय बहुल गांवों के समग्र विकास के उद्देश्य को शामिल किया गया है।

6.14 इस प्रकार, मंत्रालय ने कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 जनजातीय आबादी (एसटी) वाले महत्वपूर्ण 36,428 गांवों के चरणबद्ध तरीके से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतरों को पाटने के लिए एकीकृत विकास के उद्देश्य से जनजातीय उप–योजना (टीएसएस को एससीए) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मौजूदा योजना को 'प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' में बदल दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गांवों के एकीकृत सामाजिक–आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। पीएमएएजीवाई की योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं।

I. जरूरतों, क्षमता और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करना;

II. केंद्र/राज्य सरकारों की व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ योजनाओं के कवरेज को अधिकतम करना;

III. स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार;

6.15 पीएमएएजीवाई की योजना में विकास के 8 क्षेत्रों अर्थात सड़क संपर्क (आंतरिक और अंतर्गांव/ब्लॉक), दूरसंचार संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट), स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप–केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अंतरों को प्रमुखता से कम करने की परिकल्पना की गई है। पीएमएएजीवाई के तहत प्रशासनिक व्यय सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए प्रति गांव 20.38 लाख की धनराशि का 'गैप–फिलिंग' के रूप में प्रावधान गया है। इसके अलावा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को संसाधनों के अभिसरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जैसे कि केंद्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निधि और उनके पास उपलब्ध अन्य वित्तीय संसाधन, पीएमएएजीवाई के तहत चिन्हित किए गए गांवों में अंतरों को पाटने के लिए। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के तहत पहचाने गए कुल गांवों का विवरण पीएमएएजीवाई, 2021–22 और 2022–23 के दौरान शुरू किए गए गांवों की संख्या और जारी की गई निधि **अनुलग्नक–6ग** में दी गई है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत सहायता अनुदान

6.16 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत सहायता अनुदान' भारत सरकार से 26 राज्यों को 100% वार्षिक अनुदान है। यह भारत की संचित निधि (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदानों को छोड़कर, एक अनिवार्य मद) के लिए चार्ज किया जाता है और यह राज्य योजना निधियों और जनजातीय विकास के प्रयासों के लिए एक योजक है। 2018–19 से 2022–23 के दौरान "अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान" योजना के तहत आवंटन, संशोधित अनुमान और निर्मुक्त निधि का विवरण नीचे **तालिका 6.5** में दिया गया है :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत पिछले 2 वर्षों और चालू वर्ष (प्रशासनिक खर्चों को छोड़कर) के तहत सहायता अनुदान के तहत निर्मुक्त निधि का राज्य–वार विवरण **अनुलग्नक–6घ** में दिया गया है।

तालिका 6.5 : 2018–19 से 2022–23 के दौरान अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान योजना का आवंटित बजट

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन (ब.अ.)	संशोधित अनुमान (सं.अ.)	निर्मुक्त निधि
2018–19	1800.00	1820.00	1819.81
2019–20	2662.55	2662.55	2661.41
2020–21	1350.00	800.00	799.69
2021–22	1350.00	923.24	923.24
2022–23	1350.00	925.00	419.84 (31.12.2022 तक)

अध्याय 7
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

पृष्ठभूमि

7.1 अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं, वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देने और निहितता प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, इस तरह के निहित वन अधिकारों को रिकॉर्ड करने और ऐसी मान्यता और वन भूमि के संबंध में निहितता प्रदान करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति को रिकॉर्ड करने के लिए एक वैधानिक रुपरेखा भी प्रदान करता है। अधिनियम वन अधिकार धारकों, ग्राम सभा और ग्राम स्तर की संस्थाओं को वन्य जीवन, वन और जैव विविधता की रक्षा करने का अधिकार भी देता है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की प्रमुख विशेषताएं

7.2 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:–

(1) अधिनियम की धारा 3 में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वन भूमियों पर वन अधिकार होंगे। वन अधिकार इस प्रकार हैं :

(क) वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के एक सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका हेतु निवास या स्व–कृषि हेतु व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वन भूमि पर कब्जा करने तथा वहाँ रहने का अधिकार;

(ख) सामुदायिक अधिकार जैसे 'निस्तार', जिस भी नाम से जाना जाता हो, सहित भूतपूर्व रियासतों, जमींदारी या ऐसे अंतरवर्ती राज्यों में प्रयुक्त अधिकार;

(ग) लघु (गौण) वन उपज/उत्पादों के स्वामित्व, इन्हें एकत्रित करने, इनके उपयोग तथा निपटान का अधिकार, जिन्हें गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रुप से एकत्र किया जाता है;

(घ) उपयोग तथा हकदारी के सामुदायिक अधिकार, जैसे– मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पादों, चराई (स्थायी या मौसम के अनुसार स्थान बदलने वाले) और घुमंतू या चरवाहा समुदायों की परंपरागत मौसमी संसाधन तक पहुंच;

(ङ.) आदिम जनजातीय समूहों तथा कृषि पूर्व समुदायों के लिए अधिवास तथा आवास के कार्यकाल सहित अधिकार;

(च) विवादित दावों वाले किसी भी राज्य में किसी नामावली के तहत विवादित भूमि में अथवा भूमि पर अधिकार;

(छ) अधिकार पत्रों के लिए वन भूमि पर किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पट्टों में परिवर्तन या लीज या अनुदानों के लिए अधिकार;

(ज) सभी वन गांवों, पुराने निवास स्थान, गैर–सर्वेक्षित गावों तथा वनों में अन्य गावों के व्यवस्थापन तथा परिवर्तन का अधिकार चाहे राजस्व गांवों में रिकार्ड किया गया हो, अधिसूचित किया गया हो या न किया गया हो;

(झ) किसी समुदाय वन संसाधन की सुरक्षा, पुनः उत्पन्न करने या संरक्षण या प्रबंध करने का अधिकार जिसे वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रुप से सुरक्षित तथा संरक्षित कर रहे हैं;

(ञ) वे अधिकार जो किसी राज्य विधि या किसी स्वायत्त जिला परिषद् के विधि या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् के तहत मान्यता प्राप्त हों या किसी राज्य के संबंधित जनजातियों के किसी परंपरागत या प्रथागत विधि के तहत जनजातीय लोगों के अधिकार के रुप में स्वीकृत हों;

(ट) जैव–विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव–विविधता एवं सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार;

(ठ) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा परम्परागत रूप से भोगित कोई अन्य परम्परागत अधिकार, जैसी भी स्थिति/मामला हो, जिसका उल्लेख खण्ड (क) से (ट) में नहीं किया गया है, परन्तु उनमें किसी भी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या पकड़ने या शरीर के अंग को निकालने का परम्परागत अधिकार शामिल नहीं है;

(ड) यथावत पुनर्वास का अधिकार, जिसके अंतर्गत उन मामलों में वैकल्पिक भूमि भी है जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व किसी भी प्रकार की वनभूमि से उनके पुनर्वास के वैध हक प्रदान किए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो;

(2) इस अधिनियम की धारा 3(2) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में दिए गए किसी प्रावधान के बावजूद सरकार द्वारा प्रबंधित कुछ सुविधाओं जैसे स्कूलों, अस्पतालों, जल आपूर्ति के लिए वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधान है तथा जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 75 वृक्षों से अधिक नहीं गिराए जाने चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए विपथित की जाने वाली वन भूमि का एक हेक्टेयर से कम होना तथा ग्राम सभा द्वारा ऐसी विकास परियोजना की निकासी (क्लीयरेंस) की सिफारिश किया जाना शामिल है।

(3) अधिनियम की धारा 4(3) इस शर्त पर वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने का विषय है कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वन निवासियों ने 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा कर लिया था। धारा 4(4) निर्धारित करती है कि इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार वंशानुगत होंगे लेकिन अन्य संक्राम्य या हस्तांतरणीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्तियों के मामले में दोनों पति–पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत होंगे।

(4) धारा 4(5) के माध्यम से वन अधिकार धारकों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक सुरक्षोपाय प्रदान किया गया है जो इस बात को अनिवार्य करता है कि किसी वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा।

(5) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वकृषि या आवास के लिए व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वनभूमि को धारण करने तथा वहां रहने का अधिकार उसके वास्तविक कब्जे के अंतर्गत क्षेत्र तक प्रतिबंधित होगा तथा इस अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किसी मामले में यह चार हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 4(7) में प्रावधान है कि सभी बाधाओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से मुक्त वन अधिकार सौंपे जाएंगे।

(6) इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एवं प्रदान किए गए वन अधिकारों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के लिए भूमि का अधिकार शामिल है जो यह स्थापित कर सकते हैं कि राज्य विकास हस्तक्षेपों के कारण भूमि की क्षतिपूर्ति के बिना उन्हें उनके रहने एवं खेती वाली जगह से विस्थापित किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार उक्त अधिग्रहण के पांच वर्षों के अन्दर इस भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था।

(7) अधिनियम की धारा 5 वन अधिकार धारकों, ग्रामसभा तथा ग्राम स्तरीय संस्थानों को (क) वन्यजीव, वन एवं जैव विविधता की सुरक्षा; (ख) यह सुनिश्चित करना कि निकटवर्ती जलागम–क्षेत्र, जल स्रोत तथा अन्य संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों की समुचित रूप से सुरक्षा हो; (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन निवासी

अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के आवास किसी विनाशकारी प्रक्रियाओं जो उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित कर रहे हैं, से संरक्षित रहे, तथा (घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियमित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णय तथा कोई गतिविधि जो जंगली जानवरों, जंगल और जैव–विविधता को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, की रोक का अनुपालन करने के लिए सशक्त करती है।

(8) इस अधिनियम की धारा 6 (अध्याय–IV) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के प्राधिकरणों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वन अधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकरणों की एक तीन–स्तरीय संरचना है, ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों जिन्हें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्रदान किया जा सकता है, की प्रकृति तथा सीमा के निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्राधिकरण है। उप–मण्डल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की जांच करती है तथा इसे अंतिम निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के पास भेजती है। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प से संतप्त कोई भी व्यक्ति उप–मण्डल स्तरीय समिति को याचिका प्रस्तुत कर सकता है और उप–मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय द्वारा संतप्त कोई व्यक्ति जिला स्तरीय समिति में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वन अधिकारों के रिकार्ड पर जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी है। वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी करने तथा नोडल एजेंसी को प्रस्तुत ऐसे विवरण तथा रिपोर्टें जिन्हें उस एजेंसी द्वारा मांगा जा सकता है, के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) है।

(9) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

(10) धारा 12 इस अधिनियम के अध्याय–IV में संदर्भित प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है।

(11) अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान उस समय प्रवृत किसी अन्य कानून के अलावा होंगे तथा उसके अपकर्ष में नहीं होंगें।

अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति

7.3 दिनांक 30.06.2022 तक, एफआरए के तहत दायर दावों की कुल संख्या 44,46,104 है, जिनमें से 87.94% दावों का निपटान किया जा चुका है और 22,35,845 (50.29%) अधिकार–पत्र (टाइटल) जारी किए गए हैं। दिनांक 30.06.2022 को अधिनियम के तहत प्राप्त दावों (राज्य–वार) के संबंध में निपटाए गए दावों की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–7** में दिया गया है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

7.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं/चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्पष्टीकरण और निर्देश जारी करता रहा है। मंत्रालय भी कार्यान्वयन प्रक्रियाओं की निगरानी को सुदृढ़ करने का प्रयास करता रहा है। इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :

- मंत्रालय, सभी राज्यों में अधिकारों की मान्यता और अधिकार–पत्र प्रदान करने में हुई प्रगति की नियमित तौर पर निगरानी करता है। मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) के रूप में सभी राज्यों से नियमित रुप से अद्यतन डेटा (अपडेट) मांगा जाता है जो प्रति माह, मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया (दर्शाया) जाता है।

- सचिव, जनजातीय कार्य, भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ 30.09.2022 को वर्चुअल माध्यम से और 21.10.2022 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठकों में एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विशेष तौर पर उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि डब्ल्यूपी(सी) संख्या 109/2008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर उनके संबंधित हलफनामों की सामग्री में

उल्लेखित बातों का समय–सीमा को ध्यान में रखते हुए अनुपालन किया जाए। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि अस्वीकृत मामलों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और प्रत्येक मामले की अस्वीकृति के कारणों का उपयुक्त ढंग से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

- दिनांक 02.11.2022 को सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में महानिदेशक वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें महानिदेशक वन से अनुरोध किया गया कि वे भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) के साथ बैठक करें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28.02.2019 के आदेश के जवाब में एफएसआई द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन करें।

- एमओटीए के प्रतिनिधियों ने जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, आदि जैसे अन्य मंत्रालयों द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लिया और अपना योगदान दिया।

- भूमि अर्जन (एलए) और पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के लिए निगरानी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रक्रिया (आर एंड आर) के लिए जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) के दिनांक 6/12.9.2017 के आदेश के तहत सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित एक समिति, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। 14.06.2022 को आयोजित पिछली बैठक में विभिन्न मुद्दों जैसे परियोजना से संबद्ध शेष विस्थापित परिवारों (पीडीएफ) का स्थानांतरण, आर एंड आर गतिविधियों का पूरा कार्यक्रम, वर्तमान स्थिति और भावी कार्य योजना, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का कार्यान्वयन, परियोजना से प्रभावित जनजातीय लोगों पर एनसीएसटी की विशेष रिपोर्ट आदि पर चर्चा की गई और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण को अत्यंत मानवीय विचार रखते हुए एलए और आरएंडआर गतिविधियों/ कार्यों को पूरा करने का अनुरोध किया गया।

अध्याय 8
शिक्षा के संवर्धन हेतु कार्यक्रम

8.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक स्कीमें और कार्यक्रम आरंभ किए हैं। ये नीचे दिए गए हैं :–

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

8.2 2018–19 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने घोषणा की कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस स्कूल स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट द्वारा 17.12.2018 को जनसंख्या मानदंड के आधार पर 452 नए स्कूल स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई थी। ये ईएमआरएस खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाओं के साथ नवोदय विद्यालयों के समान होंगे। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नवस्वरूपित कार्यक्रम का शुभारंभ 12 सितंबर, 2019 को रांची, झारखंड में किया गया था।

8.3 पुर्नोत्थान योजना की शुरूआत से पहले, 1998 से अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत कुल 288 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 200 स्कूल कार्यशील थे। प्रति छात्र आवर्ती लागत 61,000 रु. थी और इन स्कूलों के निर्माण के लिए दी गई धनराशि मैदानी इलाकों में 12 करोड़ रु. और पहाड़ी इलाकों में 16 करोड़ रूपये थी। स्कूल के निर्माण की लागत की तुलना में प्रति छात्र मौजूदा आवर्ती लागत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और विभिन्न हितधारकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्कूलों को तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इन विद्यालयों के प्रबंधन में कोई एकरूपता नहीं थी। अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग पाठ्यक्रम और शिक्षा के अलग–अलग मानक थे। जनजातीय छात्रों के समग्र विकास के लिए ईएमआरएस को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संस्थानों में बदलने के लिए निर्माण, शैक्षणिक, खेल और सह–पाठ्यचर्या, शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों और स्कूलों के प्रबंधन सहित स्कूल के लगभग हर पहलू में पूरी तरह से बदलाव की आवश्यकता थी।

8.4 नई योजना के तहत देश भर में 452 नए ईएमआरएस स्थापित किए जाएंगे। पुरानी योजना के तहत पहले से ही स्वीकृत 288 स्कूलों के साथ, स्थापित किए जाने वाले स्कूलों की कुल संख्या 740 हो जाती है। यह परिकल्पना की गई है कि 2025 तक 50% से अधिक एसटी आबादी या कम से कम 20,000 एसटी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस होंगे जो 480 छात्रों के साथ अपने स्वयं के भवन से कार्यशील होंगे। जनजातीय लोगों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए 15 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाऐंगे, जिनमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे (भवन, उपकरण आदि) और दो चुनिंदा खेलों (एक सामूहिक खेल और एक वैयक्तिक खेल सहित) की सुविधाएं होंगी।

8.5 ईएमआरएस के निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और खेल एवं पाठ्येतर गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचे के प्रावधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 15 एकड़ भूमि के प्रावधान की आवश्यकता है। स्कूल में सुविधाओं में अत्याधुनिक कक्षाएं, पूरी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं; पुस्तकालय; प्राचार्य और कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक सुविधाएं; स्वच्छता और पेयजल सुविधा; खेल और क्रीडा सुविधाएं (इनडोर और आउटडोर) शामिल हैं। अन्य सुविधाओं में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, रसोई और भोजन कक्ष और शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर आदि शामिल हैं। मानदंडों के अनुसार कक्षा VI से कक्षा X तक प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थियों के साथ दो सेक्शनों में प्रति कक्षा कुल 60 विद्यार्थी तथा विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी की विधाओं में कक्षा XI और XII के प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थियों के साथ तीन सेक्शनों में प्रति कक्षा कुल 90 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।

8.6 वर्ष 2018–19 में योजना को 50% अजजा आबादी और 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले सभी ब्लॉकों तक भौगोलिक पहुंच बढ़ाने के लिए नवस्वरूपित

किया गया है। तदनुसार, ईएमआरएस की स्थापना के लिए 452 ब्लॉकों को चिन्हित किया गया है। केंद्रीय बजट 2021– 22 में, छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर सहित स्कूल परिसर की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत मैदानी इलाकों में 20.00 करोड़ रुपये से संशोधित करके (बढ़ाकर) 38.00 करोड़ रुपये और पहाड़ी, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 24.00 करोड़ रुपये से संशोधित करके (बढ़ाकर) 48.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। स्कूल चलाने के लिए और छात्रों के खर्च (वर्दी, किताबें और स्टेशनरी, भोजन आदि) के लिए आवर्ती लागत रु. 1.09 लाख प्रति वर्ष प्रति छात्र का भुगतान किया जाता है।

8.7 वर्ष 2022–23 के दौरान, 2018–19 की बजट घोषणा के अनुरूप चिन्हित ब्लॉकों में कुल 8 नए स्कूलों को स्वीकृत किया गया है। 31.12.2022 तक 2018–19 की बजट घोषणा के अनुरूप चिन्हित ब्लॉकों में संचयी रूप से 689 स्कूलों को स्वीकृत किया गया है। इन 689 स्कूलों में से 401 स्कूलों को 2019 से नई योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। 31.12.2022 तक 401 ईएमआरएस के कार्यशील होने की सूचना है। अब तक स्वीकृत ईएमआरएस (ब्लॉक–वार) की सूची https://www.tribal.nic.in/emrs पर उपलब्ध है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराए और यह सुनिश्चित करे कि स्वीकृत विद्यालयों का निर्माण 2 वर्ष के निर्धारित समय में पूरा किया जाए। राज्य एक उपयुक्त भवन किराए पर लेकर स्कूल को क्रियाशील भी बना सकता है बशर्ते उसके पास शिक्षकों की उपलब्धता सहित आवश्यक बुनियादी ढाँचा हो। अनुमोदित विद्यालयों का राज्यवार सारांश और उनकी कार्यशील स्थिति नीचे **तालिका 8.1** में दी गई हैः–

तालिका 8.1 : स्वीकृत और कार्यशील ईएमआरएस की संख्या (31.12.2022 तक)

क्रम सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत ईएमआरएस	कार्यशील ईएमआरएस
1.	आंध्र प्रदेश	28	28
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	3
3.	असम	14	1
4.	बिहार	3	0
5.	छत्तीसगढ़	74	73
6.	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	1	1
7.	गुजरात	41	35
8.	हिमाचल प्रदेश	4	4
9.	जम्मू और कश्मीर	6	6
10.	झारखंड	88	7
11.	कर्नाटक	12	12
12.	केरल	4	4
13.	लद्दाख	3	0
14.	मध्य प्रदेश	70	63
15.	महाराष्ट्र	37	37
16.	मणिपुर	21	3
17.	मेघालय	27	0
18.	मिजोरम	17	6

क्रम सं.	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत ईएमआरएस	कार्यशील ईएमआरएस
19.	नागालैंड	22	3
20.	ओडिशा	104	32
21.	राजस्थान	31	30
22.	सिक्किम	4	4
23.	तमिलनाडु	8	8
24.	तेलंगाना	23	23
25.	त्रिपुरा	21	6
26.	उत्तर प्रदेश	4	2
27.	उत्तराखंड	4	3
28.	पश्चिम बंगाल	8	7
	कुल	**689**	**401**

8.8 राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर किसी विशेष ब्लॉक में एक स्कूल को एनईएसटीएस द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि भूमि सभी बाधाओं से मुक्त है। तब निर्माण एजेंसी मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट, पानी की उपलब्धता, सड़क संपर्क और वन विभाग की अनापत्तियों (क्लीयरेंस) के आधार पर निर्माण के लिए भूमि की उपयुक्तता सत्यापित करती है। भूमि को राज्य ईएमआरएस सोसाइटी के नाम हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की स्वीकृति केवल तभी दी जाती है जब मास्टर ले–आउट प्लान और डीपीआर प्रस्तुत किया जाता है और फिर निर्माण एजेंसी को निधियाँ जारी की जाती हैं।

2022–23 की मुख्य विशेषताएं :

8.9 ईएमआरएस का शिलान्यास समारोह और उद्घाटन

वर्ष 2022–23 में केंद्र और राज्य स्तर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा 23 ईएमआरएस के लिए आधारशिला रखी गई है। ये स्कूल 7 राज्यों के 16 जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। 23 स्कूलों में से 11 नागालैंड में, 5 ओडिशा में, 3 छत्तीसगढ़ में और 1–1 गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर में हैं। ये स्कूल देश के दूरस्थ पहाड़ी और वन क्षेत्रों में स्थित हैं। इसका विवरण **अनुलग्नक– 8क** में है।

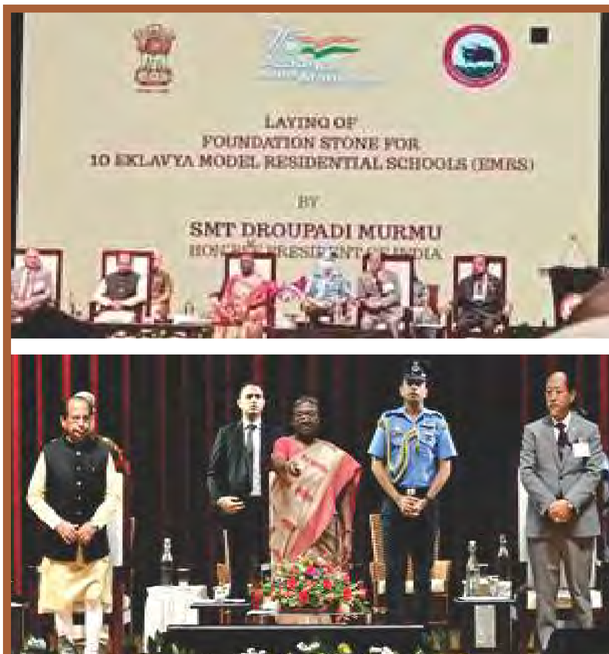

भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नागालैंड में 10 ईएमआरएस की आधारशिला रखते हुए।

माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा महाराष्ट्र में ईएमआरएस, सुरगना, की आधारशिला रखते हुए।

आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का उत्सव और स्मरणोत्सव मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल के तौर पर, वर्ष 2022–23 में केंद्र और राज्य स्तर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा **14 ईएमआरएस** का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किए गए 14 स्कूलों में से 7 राजस्थान में, 4 आंध्र प्रदेश में, 2 तेलंगाना में और 1 ओडिशा में है। इसे **अनुलग्नक–8ख** में सूचीबद्ध किया गया है।

8.10 पुराने ईएमआरएस का उन्नयन

1997–98 से, बजट सीमित होने पर अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत 288 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे। कई स्कूल बुनियादी सुविधाओं और आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे कि चारदीवारी, प्रयोगशाला, खेल सुविधा, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, स्टाफ क्वार्टर, छात्रावास ब्लॉक, फर्नीचर आदि के बिना चल रहे हैं। न्यूनतम आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रति स्कूल 5 करोड़ रुपये की स्वीकृत निधि के भीतर प्रचालन योग्य स्कूलों का उन्नयन करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसलिए, चेकलिस्ट के आधार पर ऐसे स्कूलों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया और उन्नयन के लिए 211 ईएमआरएस की पहचान की गई थी। 70 ईएमआरएस के उन्नयन प्रस्तावों को 31.12.2022 तक मंजूरी दे दी गई है। विवरण **अनुलग्नक 8ग पर है।**

तालिका 8.2 2022–23 के लिए बजट (₹ करोड़ में)

स्कीम	बजट अनुमान 2022–23	संशोधित अनुमान 2022–23	जनवरी–मार्च 2023 के लिए प्रक्षेपण/अनुमान
संविधान का अनुच्छेद 275(1)	1350.00	900.00	480.16
ईएमआरएस	2000.00	2000.00	534.73

8.11 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी (एनईएसटीएस) के संचालन को सरल तथा कारगर बनाने के लिए की गई पहलें :

एनईएसटीएस के संचालन को सरल तथा कारगर बनाने के लिए की गई पहलें इस प्रकार हैं :

- एनईएसटीएस ने एनईएसटीएस के 28 स्वीकृत पदों में से 18 पदों को भरने के लिए ईडीसीआईएल के माध्यम से भर्ती अभियान चलाया। भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 3 सहायक आयुक्त, 2 कार्यालय अधीक्षक, 3 कार्यालय सहायक, 1 आशुलिपिक ग्रेड–2 और 6 एमटीएस ने एनईएसटी में कार्यभार ग्रहण किया है। 1 कार्यालय सहायक और 2 आशुलिपिक (1 ग्रेड–। और 1 ग्रेड–।।) को अभी कार्यभार ग्रहण करना है।
- टीचिंग और नॉन–टीचिंग स्टाफ के लिए मॉडल भर्ती नियम राज्यों के साथ साझा किए गए हैं।
- राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार, यदि आवश्यक हो, संशोधनों के साथ भर्ती नियमों को अधिसूचित करने के लिए कहा गया था। अब तक, 8 राज्यों ने भर्ती नियमों को अधिसूचित किया है।
- राज्यों को एनईएसटीएस द्वारा साझा किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार समयबद्ध तरीके से ईएमआरएस में सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षकों को हायर करने के लिए आवश्यक और उचित कार्रवाई करने की सलाह दी जा रही है।
- एनईएसटीएस में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) बनाई गई है, जिसमें सलाहकार ग्रेड । और ।। और युवा परामर्शदाता (समेकित वेतन पर) शामिल हैं।

परियोजनाओं के विकास की देखरेख और विभिन्न एजेंसियों को सौंपे गए निर्माण कार्य की तकनीकी जांच और निगरानी के लिए जीईएम पोर्टल से हायर किए गए (नियुक्त) अनुभवी इंजीनियरों से युक्त एक तकनीकी विंग का गठन किया गया है।

8.12 राज्य ईएमआरएस सोसायटियां

यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए थे कि

ईएमआरएस रखने वाला प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ईएमआरएस स्थापित करने के लिए पात्र हो, साथ ही सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर की ईएमआरएस सोसाइटी भी स्थापित करे। तदनुसार, 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में से 27 में राज्य/संघ राज्य स्तर की ईएमआरएस सोसाइटी की स्थापना की गई है। शेष राज्य (बिहार) में जल्द से जल्द सोसायटी स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य सोसायटियों के साथ समझौता ज्ञापनः ईएमआरएस की नवस्वरूपित योजना के लिए राज्यों को ऑन–बोर्ड लाने के लिए, एनईएसटी द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ईएमआरएस सोसायटी के साथ एक समझौता ज्ञापन करने का निर्णय लिया गया। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की ईएमआरएस सोसायटियां एनईएसटी द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र में स्वीकृत/स्थापित स्कूलों के समग्र कार्यान्वयन/प्रबंधन/प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगी। एमओयू मूल रूप से ईएमआरएस के नवस्वरूपित कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में एनईएसटीएस और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की ईएमआरएस समितियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करता है। अब तक, 25 राज्यों ने एनईएसटीएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

8.13 शैक्षणिक पहल और उपलब्धियां

क. ईएमआरएस शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर से पुरस्कार विजेताओं के रूप में चुने गए 45 सबसे प्रतिभाशाली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2022 प्रदान किए। पुरस्कार पाने वाले 45 लोगों में, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) गंग्येप, सिक्किम के सक्षम और उत्कृष्ट प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल), श्री सिद्धार्थ योनजोन को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री सिद्धार्थ ने ईएमआरएस गंग्येप की स्थिति को ऊपर उठाने और स्कूल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उल्लेखनीय योगदान देकर पेशे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम का प्रदर्शन किया है। उनकी सबसे अनूठी उपलब्धियां शिक्षण के अभिकेन्द्र के रूप में खेल और संगीत जैसी आनंदपूर्ण शिक्षण की तकनीकों का समामेलन हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए 'शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार' (एनएटी) प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णायक मण्डल (जूरी) का गठन किया था। श्री सिद्धार्थ ने 3–चरणों वाली कठोर ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया के बाद पूरे भारत से चुने गए 45 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में जगह बनाई।

इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा, "जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए ईएमआरएस के एक जनजातीय स्कूल शिक्षक को तीसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता के रूप में देखना गर्व का क्षण है। उनके द्वारा किया गया अनुकरणीय कार्य अन्य स्कूल शिक्षकों को उत्कृष्टता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। उनकी उपलब्धियों को साझा करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ***"मैं श्री सिद्धार्थ योनजोन, प्रधानाचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), गंग्येप (सिक्किम) को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2022 के लिए बधाई देता हूँ"।***

ख. ईएमआरएस शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम

मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शिक्षकों के लिए एक ऑनलाइन अनुभवात्मक शिक्षण पाठ्यक्रम बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट, टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस), मुंबई और महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल (एमजीआईएस), अहमदाबाद के साथ सहयोग किया था। यह कार्यक्रम अनुभवात्मक (प्रायोगिक) अधिगम शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय है और अध्यापकों और शिक्षकों के लिए उनके सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के हिस्से के रूप में एनईपी 2020 को आगे बढ़ाने में सहायक था। बैच–2 के

लिए अनुभवात्मक (प्रायोगिक) शिक्षण कार्यक्रम अगस्त, 2022 के पहले सप्ताह में 9 राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ईएमआरएस शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए शुरू किया गया था। इस वर्ष, बैच–2 के लिए, चार नए राज्य जोड़े गए, अर्थात् गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।

ग. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा 'निष्ठा 2.0'

'निष्ठा' (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल) एनसीईआरटी द्वारा शुरू किया गया एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण का एक प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर सभी स्कूल के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के बीच क्षमताओं को बढ़ाना है। माध्यमिक शिक्षकों के लिए निष्ठा–2.0 शुरू किया गया था, जिसके लिए ईएमआरएस शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह एक सतत कार्यक्रम है जो दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन मोड में चलाया जा रहा है।

घ. सीबीएसई, एआईसीटीई और इनोवेशन काउंसिल, शिक्षा मंत्रालय द्वारा ईएमआरएस स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए स्कूल इनोवेशन एंबेसडर प्रोग्राम

छात्रों के पोषण और सहायता के लिए शिक्षकों की परामर्शी क्षमता को मजबूत करने के लिए, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल, सीबीएसई और एआईसीटीई के साथ एक ऑनलाइन 'इनोवेशन एंबेसडर प्रोग्राम' के लिए सहयोग किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षकों को परिवर्तन–एजेंट और नवाचार का दूत बनाना है, और बदले में लाखों छात्रों को नवाचार क्षमताओं का पोषण करना, नवाचार की संस्कृति विकसित करना और एक नए और जीवंत भारत की नींव रखना है। इस कार्यक्रम में, शिक्षकों को सक्षम बनाया गया है और निम्नलिखित पांच मॉड्यूलों पर प्रशिक्षित किया गया है:

1. डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन (12 घंटे)
2. आइडिया जनरेशन और आइडियल हैंड–होल्डिंग (15 घंटे)
3. बौद्धिक संपदा अधिकार (12 घंटे)
4. उत्पाद / प्रोटोटाइप विकास (12 घंटे)
5. वित्त / मानव संसाधन / बिक्री (6 घंटे)।

ईएमआरएस के लगभग 800 शिक्षकों ने कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया था जो अभी भी चल रहा है।

ङ. ईएमआरएस मेंटर्स का अनुभवात्मक लर्निंग फेस–टू–फेस मेंटरशिप ट्रेनिंग

टाटा ट्रस्ट्स, टीआईएसएस, मुंबई और महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल (एमजीआईएस), अहमदाबाद के सहयोग से प्रायोगिक शैक्षणिक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम अनुभवात्मक अधिगम शिक्षाशास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय है और इसे आगे शिक्षकों और गुरूओं के लिए उनके सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा योजना (एनईपी) 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 6 राज्यों (महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश) के लगभग 200 ईएमआरएस शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने 'बैच–1

रोल–आउट' के दौरान कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आभासी (वर्चुअल) प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों में से, लगभग 42 प्रतिभागियों को "टीचर लीडर्स" (भावी संरक्षक) के रूप में चुना गया था, जिन्हें 18 जुलाई से 20 जुलाई, 2022 तक अगरतला, त्रिपुरा में आमने–सामने "मेंटरशिप ट्रेनिंग" में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया था। कार्यशाला ने समावेशी शिक्षण कार्यनीतियों के साथ अनुभवात्मक अधिगम शिक्षाशास्त्र का उपयोग करके मॉड्यूल और पाठ योजना बनाने के लिए भावी संरक्षकों को सक्षम बनाया। भावी संरक्षकों का चयन 4 मानदंडों के आधार पर किया गया है, जैसे वेबिनार में भागीदारी, वेबिनार में उपस्थिति, टीआईएसएस–X प्लेटफॉर्म पर जुड़ाव और यूनिट–3 असाइनमेंट सबमिशन की गुणवत्ता। अनुभवात्मक अधिगम शिक्षाशास्त्र में ईएमआरएस शिक्षकों को सक्षम बनाने और ईएमआरएस के संदर्भ में इसके संचालन के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम था।

च. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और सीबीएसई की 'स्किल–हब परियोजना'

यह व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने के लिए सीबीएसई और कौशल विकास मंत्रालय (एमओएसडीई) की एक पहल है। स्कूल के समय या सप्ताहांत के बाद, जैसी भी स्थिति हो, यह स्कूल न जाने वाले युवाओं के लिए कौशल–हब के रूप में नामित स्कूलों के परिसरों में अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में कौशल केंद्रों के निर्माण की एक पहल है। प्रायोगिक चरण में, स्कूल न जाने वाले बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम (शिक्षा) प्रदान करने के लिए 52 ईएमआरएस कौशल हब केंद्र के रूप में नामित किये गये थे। यह उम्मीद की जाती है कि समय के साथ ये स्कूल आंतरिक व्यावसायिक क्षमता विकसित करने में सक्षम होंगे। पहले चरण में चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में पर्यटन और आतिथ्य, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी और हस्तशिल्प आदि शामिल हैं। इसके दूसरे चरण में, स्किल–हब, जो कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए चिन्हित किए गए नोडल कौशल–केंद्र हैं, लक्षित आबादी के क्षेत्रों में छटी कक्षा से 8वीं कक्षा तक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे। इस योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों, युवाओं और ड्रॉपआउट्स के लिए एनएसडीसी प्रमाणित कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करना है।

छ. सीबीएसई और विश्व बैंक के सहयोग से ईएमआरएस में व्यवसायीकरण के लिए स्कूल से कामगार होने (स्कूल टू वर्क ट्रांजीशन) की सुविधा प्रदान करना।

मंत्रालय ने विश्व बैंक समूह के सहयोग से "स्कूल–टू–वर्क–ट्रांजिशन" की सुविधा प्रदान करने के लिए सीबीएसई के साथ सहयोग किया है। सीबीएसई ने 11–18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल से कामगार होने की सुविधा प्रदान के लिए कौशल और व्यावसायिक शिक्षा में निवेश में वृद्धि हेतु सहायता के लिए इस परियोजना को शुरू किया है।

'100 हब–स्कूलों' में कौशल विकास के लिए कक्षा जैसे वातावरण को बढ़ाने के अलावा एक महत्वाकांक्षी कैरियर के रूप में व्यावसायिक कौशल संबंधी जागरूकता पैदा करना और सहायता/समर्थन करना परियोजना के उद्देश्यों में शामिल है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए सीबीएसई द्वारा चरण–1 में केवी, जेएनवी और ईएमआरएस सहित पूरे भारत के कुल 25 स्कूलों को नामांकित किया गया था। व्यावसायिक शिक्षा (सीबीएसई पाठ्यक्रम के आधार पर 4 कौशल

क्षेत्रों–परिधान, आईटी, ऑटोमेटिव, बैंकिंग/वित्त में) प्रदान करने के लिए उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे 6 राज्यों से 6 ईएमआरएस नामित किए गए थे।

चरण 2 में, सीबीएसई द्वारा पूरे भारत से 75 स्कूलों को नामांकित किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ जैसे 5 राज्यों के 15 ईएमआरएस शामिल हैं। इन 15 ईएमआरएस में बीएफएसआई, परिधान, मोटर वाहन, स्वास्थ्य देखभाल, रसद वगैरह के कौशल क्षेत्र शामिल हैं।

ज. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों ईएमआरएस में स्मार्ट क्लास की स्थापना

परियोजना "एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) में मेधा शैक्षिक बुनियादी अवसंरचना (स्मार्ट) की स्थापना" को 'इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' (मेइटी) द्वारा अनुमोदित किया गया था और मेइटी, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) और राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसायटी (एनईएसटी) द्वारा वित्त पोषित / सहायता प्रदत्त था। 'ईआरनेट' इंडिया, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है जो स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट को निष्पादित करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी है। देश भर के 175 ईएमआरएस में स्मार्ट क्लास सक्षमता और इंटरनेट कनेक्टिविटी का लक्ष्य रखा गया है। चरण 1 में 48 ईएमआरएस, स्मार्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सक्षम किये गये हैं। दूसरे चरण में शेष ईएमआरएस सक्षम किये जाएंगे।

झ. स्कूलों की सीबीएसई संबद्धता में सुविधा

ईएमआरएस को विभिन्न श्रेणियों के तहत सीबीएसई संबद्धता के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। ईएमआरएस को सीबीएसई से संबद्ध करने के संबंध में मामले का प्रबंधन एनईएसटीएस द्वारा केंद्रीय रूप से किया जा रहा है और स्कूलों को संबद्ध होने के लिए आवेदन करने हेतु प्रत्येक चरण पर प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान की जाती है। अब तक, कुल 268 ईएमआरएस सीबीएसई से संबद्ध हैं। इसके अलावा, 29 स्कूलों ने संबद्धता के लिए आवेदन किया है और 44 स्कूलों के लिए संबद्ध होना आवश्यक नहीं है। शेष 43 स्कूल राज्य बोर्डों से संबद्ध हैं।

ञ. ईएमआरएस के डिजिटल परिवर्तन के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्कशॉप

एनईएसटीएस, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से 21 नवंबर, 2022 को "शिक्षा परिवर्तन ढांचे" पर ईएमआरएस प्रधानाचार्यों के लिए एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। एनईएसटीएस, जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के अपने प्रयास में, ईएमआरएस (एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल) के शिक्षकों के तकनीकी कौशल में निरंतर वृद्धि करने की जरूरत महसूस करता है जो छात्रों में 21वीं सदी के कौशल को और विकसित करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य स्कूल (गुरूओं) लीडर्स, सिस्टम लीडर्स, विशेषज्ञ शिक्षकों और छात्रों की अंतर्दृष्टि को प्रकाश में लाना था और ईएमआरएस लीडर्स को अपने

स्कूलों में बदलाव लाने में सक्षम बनाना था। इस कार्यक्रम में 19 राज्यों के 36 ईएमआरएस के शिक्षकों/स्कूल प्रमुखों/प्राचार्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

पहले चरण में, 36 ईएमआरएस चुने गए हैं जो 'माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन' के उपयोग से स्कूलों में डिजिटल बदलाव लाने और तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान कार्यशाला, परिवर्तन की अपनी इस यात्रा में सबसे पहला आयोजन था, अन्य घटकों में माइक्रोसाफ्ट तकनीकों और एआई अनुप्रयोगों का उपयोग करने वाले शिक्षकों का व्यावसायिक विकासय छात्रों को एआई और कोडिंग से परिचित करानाय ग्रेड 6ठीं से 12वीं तक के लिए कोडिंग पाठ्यक्रम और ग्रेड 8वीं से 12वीं तक के लिए एआई पाठ्यक्रम साझा करनाय माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजुकेटर (एमसीई) कार्यक्रम आदि पर कार्यशाला शामिल है।

ट. ईएमआरएस में 'एकलव्य लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (ईएलएमएस)' ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत

कोविड–19 महामारी के मद्देनजर हुए, मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकी विकल्पों की पड़ताल कर रहा है कि शिक्षाविदों को बाधा न हो। कोविड–19 के बाद ईएमआरएस में छात्रों के लिए सीखने का व्यापक माहौल बनाने के उद्देश्य से, जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस)' ने ईएमआरएस में एकलव्य लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (ईएलएमएस) अर्थात् एक ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए उन्नत कंप्यूटिंग विकास केन्द्र (सीडीएसी) केंद्र के साथ सहयोग किया है। चरण–1 में, देश भर के 52 नामांकित शिक्षकों के लिए 12 और 13 दिसंबर, 2022 को दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नामांकित शिक्षक, मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे जो अगले चरण में पूरे भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे।

ठ. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से कैरियर परामर्श कार्यशाला का आयोजन

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटी) ने करियर परामर्श कार्यशाला आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) के साथ सहयोग किया। ईएमआरएस (एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय) के ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए 22 नवंबर 2022 को एक कार्यशाला का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया गया था। कैरियर परामर्श कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य ईएमआरएस छात्रों को भविष्य के करियर के लिए तैयार करना था, जो ईएमआरएस योजना के सफल कार्यान्वयन की प्रक्रिया का एक प्रमुख घटक है। आज के समय में छात्रों की काउंसलिंग करना और उन्हें अलग–अलग करियर विकल्पों और व्यवसायों के

पाठ्यक्रम को समझने के लिए उन्मुख करना अनिवार्य हो गया है जो उनके लिए सफलता की राह तलाशने का मार्ग प्रशस्त करेगा। चूंकि, एक कैरियर का चयन एक छात्र के जीवनकाल को प्रभावित करता है, यह उचित है कि छात्रों को उनके पास उपलब्ध ज्यादा से ज्यादा विकल्प बताए जाएं ताकि वे उच्च शिक्षा के मार्ग पर चलने के साथ–साथ अधिक सतर्क और बेहतर विकल्प बना सकें।

कार्यशाला के सत्रों में छात्रों को फैशन संगठन से परिचित कराना; विभिन्न प्रकार के स्नातक पाठ्यक्रमों और अतिरिक्त सह–पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के प्रति उनकी जानकारी बढ़ानाय परीक्षा पैटर्न और पात्रता मानदंड के बारे मेंय विशेषज्ञों के साथ बातचीतय पूर्ववर्ती छात्रों की यात्रा (शैक्षिक संस्मरण) आदि को साझा करना। देश भर में ईएमआरएस छात्रों द्वारा उत्साही भागीदारी उच्च शिक्षा के क्षेत्रों की खोज में छात्रों की उत्सुकता को दर्शाती है जो सफल कैरियर की पेशकश करते हैं और उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुरूप भी हैं।

ड. लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से 'अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम'

जनजातीय कार्य माननीय मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा ने 28 दिसंबर, 2022 को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में अमेजॅन 'फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम' लॉन्च किया। पहले चरण में, कार्यक्रम को चुनिंदा ईएमआरएस में लॉन्च किया गया था, जिसमें 6 राज्यों के 54 शिक्षकों को शामिल किया गया था। लॉन्च समारोह ने वाईएमसीए, नई दिल्ली में ईएमआरएस शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत भी की। कार्यशाला के एजेंडे में छात्रों को सरल कम्प्यूटेशनल कौशल से डेटा–कोडिंग कौशल तक उजागर करने के माध्यम से कम प्रतिनिधित्व वाले

समुदायों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा की शुरुआती पहुंच के बारे में संक्षिप्त जानकारी शामिल थी। अमेजॅन फ्यूचर इंजीनियर (एएफई) – सीएसआर कार्यक्रम का उद्देश्य कंप्यूटर विज्ञान में रुचि विकसित करने और उच्च शिक्षा और कैरियर का पता लगाने के लिए कम प्रतिनिधित्व वाले छात्रों की एजेंसी बनाना है और कंप्यूटर विज्ञान जागरूकता पैदा करने और इसकी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों और समर्थन के साथ शिक्षकों को भी सक्षम बनाना है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी आयुक्त, नेस्ट्स, श्री असित गोपालय श्रीमती स्मृति शर्मा, प्रमुख, सार्वजनिक नीति, अमेजनय श्रीमती अंजलि प्रकाश, संस्थापक, लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ उपस्थित हुए।

8.14 ईएमआरएस कल्चर सांस्कृतिक उत्सव (फेस्ट)

2022–23 में राष्ट्रीय ईएमआरएस सांस्कृतिक उत्सव का 31 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2022 तक तीसरी बार आयोजन बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया था। यह एक विशाल समारोह था जिसमें देश भर के लगभग 1400 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल (ईएमआरएस) के छात्र भारत की विविध संस्कृति की एकता का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए थे। 10 राज्यों द्वारा तीन दिवसीय उत्सव के दौरान 25 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए,

जिसमें नृत्य और गीत से लेकर प्रश्नोत्तरी और कहानी आदि शामिल थे। जनजातीय सांस्कृतिक प्रदर्शन इस आयोजन की प्रमुख विशिष्टता थी जिसमें 10 (दस) राज्यों में जनजातीय और सीानीय नृत्य, भोजन और लोक कला वस्त्रों और आभूषणों का प्रदर्शन किया।

उद्घाटन का दिन यानी 31 अक्टूबर, 2022 को सांस्कृतिक उत्सव के लिए एक शुभ दिन के रूप में चुना गया था क्योंकि यह सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती थी, जिन्होंने आजादी के बाद देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने एकता की शपथ ली।

8.15 ईएमआरएस स्पोर्ट्स मीट

ईएमआरएस स्पोर्ट्स मीट का तीसरा सत्र 17–22 दिसंबर 2022 तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और गुंटूर में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर और आंध्र लोयोला कॉलेज, विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी (एपीटीडब्ल्यूआरईआईएस) द्वारा 6 दिनों के शानदार खेल आयोजन की मेजबानी की गई। यह एक विशाल समारोह था जिसमें देश भर के लगभग 4300 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (ईएमआरएस) के छात्र छोटे बच्चों में खेल और खेल की भावना और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए। एथलेटिक्स और निशानेबाजी से लेकर कबड्डी और फुटबॉल आदि छह दिवसीय मीट के दौरान लगभग 22 खेलों का (व्यक्तिगत और टीम) आयोजन (ईवेंट) किया गया।

मंत्रालय ईएमआरएस के जनजातीय छात्रों को खेलों में अपनी छिपी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए हर साल 'ईएमआरएस–स्पोर्ट्स–मीट' का आयोजन करता रहा है। इस वर्ष आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में 'आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसायटी' द्वारा इस कार्यक्रम की मेजबानी की गई थी। खेलों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 'खेलो इंडिया' की भावना को बढ़ावा देते हुए ईएमआरएस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, छात्रों के बीच खेलों में भागीदारी की एक मजबूत भावना पैदा करती है, जो स्वाभाविक रूप से छात्रों में विद्यमान जबरदस्त–क्षमता और जिसमें वे निपुण है को प्रदर्शित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

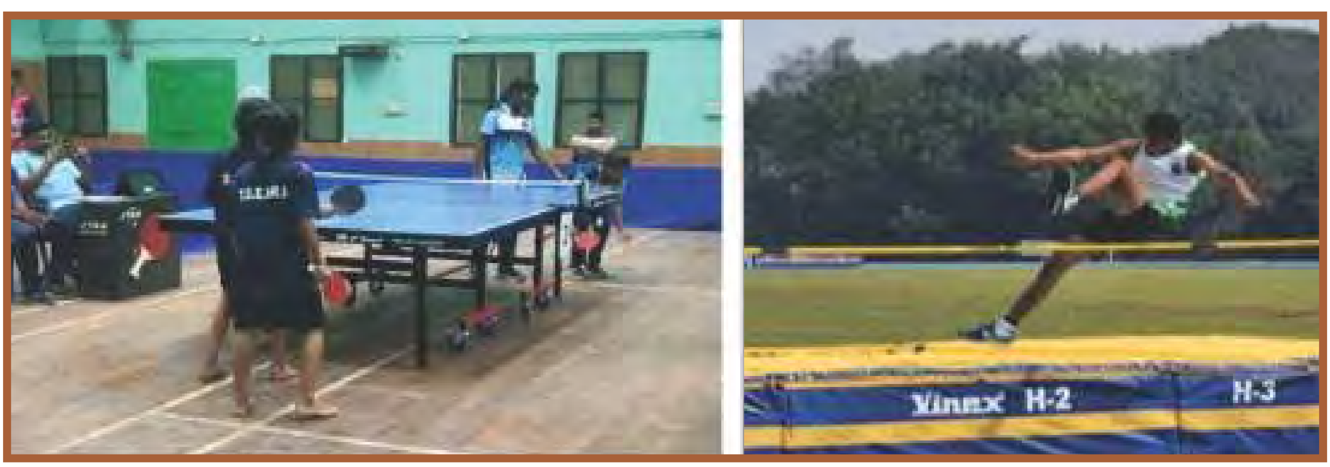

छात्रवृत्ति योजनाएँ:

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की पाँच छात्रवृत्ति योजनाएँ हैं जैसे कि मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति) और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं।

अनुसूचित जनजाति के कक्षा IX और X में पढ़ने वाले जरूरतमंद छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति

8.16 उद्देश्य: योजना का उद्देश्य कक्षा IX और X में पढ़ने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सहायता करना है ताकि विशेष रूप से प्राथमिक से माध्यमिक स्तर की शिक्षा में परिवर्तन के दौरान स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की घटनाओं को कम किया जा सके और उनके पास मैट्रिक के बाद की शिक्षा के चरणों में आगे बढ़ने का एक बेहतर मौका हो।

8.17 मुख्य विशेषताएं:

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां यह 90:10 है सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात 75:25 है। विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।
- छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध है।
- लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और छात्रवृत्ति के समय पर वितरण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र उत्तरदायी हैं।

8.18 पात्रता:

- छात्र अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
- उसकी स्वयं की / उसके माता–पिता / अभिभावक की आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वह कोई अन्य केंद्रीय वित्तपोषित मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति नहीं ले रहा हो।
- वह सरकारी स्कूल या केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाला एक नियमित, पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए।
- किसी भी कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए मिलेगी। यदि किसी छात्र को एक कक्षा दोहरानी पड़ती है, तो उसे दूसरे (या बाद के) वर्ष के लिए उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

8.19 लाभ :

- छात्रवृत्तियों का भुगतान एक वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दिवा विद्यार्थियों के लिए रु. 225/– प्रति माह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए रु. 525/– प्रति माह की दर से किया जाता है।
- पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा विद्यार्थियों के लिए रु. 750/– प्रति वर्ष की दर से और छात्रावासियों के लिए रु. 1000/– प्रति वर्ष की दर से किया जाता है।
- अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग छात्रावासियों (हॉस्टलर्स) को 800/– रुपये मासिक (9600 रुपये वार्षिक) और दिवा–छात्रों (डे स्कॉलर्स) के लिए 600 रुपये/मासिक (7200 रुपये वार्षिक) का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।
- एक बार दिया गया पुरस्कार अच्छे आचरण और उपस्थिति में नियमितता के अध्यधीन जारी रहेगा। छात्र के कक्षा IX उत्तीर्ण करने के बाद इसे कक्षा X के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

8.20 निष्पत्ति (परफार्मेंस) : योजना के तहत वर्ष 2022–23 के लिए 360.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 216.79 करोड़ रुपये 31.12.2022 को निर्मुक्त किए गए थे। वर्ष 2020–21 से 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान लाभार्थियों और निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक–8घ** में दिया गया है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)

8.21 उद्देश्य और कार्यक्षेत्रः योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा के माध्यमिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन सभी एसटी छात्रों के लिए है जिनके माता–पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है। छात्र देश में कहीं भी अध्ययन कर सकता है और छात्रवृत्ति उस राज्य / संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के माध्यम से प्रदान की जाती है जहां उसका अधिवास होता है।

8.22 प्रमुख विशेषताएं :

i. इस योजना में 'राज्य शुल्क नियामक समिति' द्वारा यथा निर्धारित शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। छात्रों को पाठ्यक्रम के प्रकार के आधार पर रखरखाव भत्ता भी प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है और दरें (रख रखाव भत्ते की) 230/– रुपये प्रति माह से लेकर 1200 रुपये प्रति माह तक भिन्न–भिन्न हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

उपरोक्त के अलावा अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग छात्रों के लिए 160 रुपये से लेकर 240 रुपये तक का प्रावधान किया गया है।

ii. नेत्रहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता और शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए अनुरक्षण और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

iii. यह छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रम की पूरी अवधि को कवर करती है और इसका भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाता है और यह छात्र के संतोषजनक प्रदर्शन और अच्छे आचरण के अध्यधीन है।

iv. लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और छात्रवृत्ति की समय पर वितरण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिम्मेदार हैं

समूह	पाठ्यक्रम	रखरखाव भत्ते की दर (रुपये प्रति माह)	
		छात्रावास	दिवा छात्रावास
समूह I	सहित डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम एम.फिल, पीएचडी और डॉक्टरेट के बाद अनुसंधान (चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, सीए आदि)	1200	550
समूह II	फार्मेसी (बीफार्मा), नर्सिंग (बी नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरा–मेडिकल शाखाओं (एमए, एमएससी, एमकॉम, एम.फार्मा, एम.एड आदि,	820	530
समूह III	स्नातक डिग्री के लिए अग्रणी अन्य सभी पाठ्यक्रम नहीं समूह I और II के तहत कवर किया गया बीए/बीएससी/बी.कॉम आदि।	570	300
समूह IV	सभी मैट्रिकोत्तर स्तर गैर–डिग्री ख्व्यावसायिक धारा, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आदि।	380	230

8.23 निधियन पद्धति (फंडिंग पैटर्न) : यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर (एनई) और पहाड़ी राज्यों/हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर के संघ राज्यक्षेत्र को छोड़कर जहां यह 90:10 है। सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात 75:25 है। विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्र के लिए साझाकरण पैटर्न 100: केंद्रीय शेयर है।

8.24 निष्पत्ति (परफार्मेंस) : चालू वित्त वर्ष 2022–23 में 1965.00 करोड़ रुपये के बजट आवंटन (बजट स्तर पर) में से 28.12.2022 तक 1801.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2020–21 से 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान लाभार्थियों का राज्य–वार विवरण और जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा **अनुलग्नक–**

8ङ में दिया गया है।

अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

8.25 उद्देश्य: योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को एम.फिल और पीएचडी जैसे उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है।

8.26 कवरेज: यह योजना निम्नानुसार भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों को कवर करती है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

I. यूजीसी अधिनियम की धारा 2(च)/12(ख) या 2(च) और 12(ख) के तहत शामिल विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज।

ii. यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत शामिल मानद और यूजीसी से सहायता अनुदान प्राप्त करने के पात्र विश्वविद्यालय।

iii. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज।

iv. उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान।

अध्येतावृत्ति की अवधि इस प्रकार है :

		(01.04.2022 से प्रभावी)
क.	एम.फिल पूरा करने के बाद पीएचडी का नामांकन	2 वर्ष (एम.फिल) और 3 वर्ष (पीएचडी)
ख.	एम. फिल	2 वर्ष
ग.	पीएचडी	5 वर्ष

पाठ्यक्रम	धारा	छात्रवृत्ति मासिक	फुटकर वार्षिक
एम.फिल	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	रू. 31000/–	रू. 10,000/–
	विज्ञान / इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी		रू. 12,000/–
पीएचडी	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	रू. 31000/– पहले दो वर्षों के लिए और	रू. 20,500/–
	विज्ञान / इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी	रू. 35000/– शेष 3 वर्षों के लिए	रू. 25,000/–
सभी पाठ्यक्रमों के लिए एचआरए (मासिक) : यूजीसी दरों के बराबर [शहर के आधार पर 8% या 16% या 24%]			
दिव्यांगजनों के लिए सहायता (एस्कॉर्ट) भत्ता (मासिक) : रु. 2000/– (यूजीसी दरों के बराबर)			

उपरोक्त दरें यूजीसी की दरों के बराबर हैं, जिन्हें यूजीसी द्वारा संशोधित किए जाने पर संशोधित किया जा सकता है।

8.27 निधियन पद्धति (फंडिंग पैटर्न) : यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और संपूर्ण वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। फेलोशिप की दर पिछले पृष्ठ में दी गई है:

केनरा बैंक के माध्यम से छात्र के खाते में धनराशि सीधे स्थानांतरित की जाती है, जो कि 2011 से यूजीसी द्वारा नामित अधिकृत बैंक है। छात्रों को छात्रवृत्ति राशि जारी करने के लिए तिमाही निरंतरता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

8.28 मुख्य विशेषताएं :

- योजना के तहत हर साल एसटी छात्रों को 750 अध्येतावृत्तियां (फेलोशिप) प्रदान की जाएगी।
- पीएचडी के मामले में फैलोशिप की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। और एम.फिल के लिए 2 वर्ष।
- इस योजना में आय की कोई सीमा नहीं है।

8.29 निष्पत्ति (परफार्मेंस) : चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट आवंटन रू. 145.00 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 31.12.2022 तक रू. 95.28 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। {छात्रवृत्ति के लिए (शीर्ष श्रेणी घटक) सहित}।

8.30 प्रतिभा पूल : जनजातीय कार्य मंत्रालय की जनजातीय प्रतिभा पूल ('ट्राइबल टैलेंट पूल') पहल का उद्देश्य सीखने, समर्थन, योगदान और मान्यता का वातावरण प्रदान करके अजजा विद्यार्थियों का विकास करना है और उन्हें केंद्रीय और राज्य स्तरों पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न अनुसंधान और मूल्यांकन गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रति वर्ष 3000 से अधिक शोधार्थियों को एम.फिल और पीएचडी अध्येतावृत्ति योजना के लिए वित्त–पोषण कर रहा है,

जिसमें पूरे भारत के अजजा विद्यार्थी चुनिंदा विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। जनजातीय प्रतिभा से जुड़ने के लिए उनकी रूचि के विषयक्षेत्रों को समझ कर उन्हें उद्यमियों शोधकर्ताओं के रूप में विकसित करने और उनके कल्याण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए उनकी क्षमता का उपयोग करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के साथ एक अनूठी पहल शुरू की है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति – (शीर्ष श्रेणी) योजना (स्नातक स्तर):

8.31 उद्देश्य : योजना का उद्देश्य उन मेधावी एसटी छात्रों को अधिसूचित 252 संस्थानों में डिग्री और पोस्ट डिग्री स्तर पर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनके माता–पिता की आय 6.00 लाख रुपये से कम है। यह योजना 2007–08 से प्रारंभ की गई है।

8.32 प्रमुख विशेषताएं :

(i) अजजा छात्रों के परिवार की सभी स्रोतों से आय 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6.00 लाख प्रति वर्ष।

(ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकार/सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के संबंध में पूरी ट्यूशन फीस और अन्य गैर–वापसी योग्य देय राशि को कवर करने वाली छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि, निजी संस्थानों के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये की सीमा होगी।

(iii) यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषित है और धनराशि लाभार्थी / संस्थानों के बैंक खाते में सीधे निर्मुक्त की जाती है।

(iv) छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय सहायता (शीर्ष श्रेणी)

घटक	विवरण
ट्यूशन फीस / एडमिन फीस	सरकार/सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के संबंध में पूर्ण शिक्षण शुल्क और अन्य अप्रतिदेय देय राशि
किताबें और स्टेशनरी	रु. 5000/– की दर से
वेतन	रु. 36000/– प्रति वर्ष
कंप्यूटर के सहायक उपकरण	कार्यकाल के दौरान रु. 45000/– एकमुश्त सहायता

8.33 निष्पत्ति (परफार्मेंस) : 2022–23 के दौरान (अध्येतावृत्ति घटक सहित) 145.00 करोड़ रुपये के बजट आवंटन में से 31.12.2022 तक 129.93 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है। एनएसपी पोर्टल को 28.07.2022 से 31.12.2022 तक खुला रखा गया था। धनराशि, सीधे छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते और संस्थान के खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है। राज्यवार, संस्थानवार, लिंगवार, निगरानी के लिए स्ट्रीमवार रिपोर्ट और विश्वविद्यालयों और छात्रों के साथ समन्वय जैसी विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा है।

8.34 ईएटी मॉड्यूल का कार्यान्वयन : मंत्रालय ने पीएफएमएस ईएटी (व्यय अग्रिम हस्तांतरण) मॉड्यूल पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 200 संस्थानों को जोड़ा है और इसके परिणामस्वरूप योजना के तहत फंड निगरानी को सुदृढ़ किया गया है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस):

8.35 उद्देश्य: इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना का उद्देश्य परास्नातक डिग्री, पीएचडी और पोस्ट–डॉक्टोरल अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चयनित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

8.36 दायरा : 17 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों) से संबंधित 3 उम्मीदवारों को विदेश में स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और डॉक्टरेट के बाद के स्तर के पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए सालाना छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है।

8.37 मुख्य विशेषताएं :

i. अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों (परिवार में एक सदस्य) को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, बशर्ते उम्मीदवार और उसके माता–पिता/अभिभावक की कुल आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।

ii. प्रासंगिक योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड आवश्यक है।

iii. पोस्ट–डॉक्टोरल, पीएचडी और मास्टर कोर्स के लिए पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 38 वर्ष, 35 वर्ष और 32 वर्ष है।

8.38 निधियन पद्धति (फंडिंग पैटर्न) : विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से सीधे मंत्रालय द्वारा चयनित उम्मीदवारों को अनुदान दिया जाता है।

8.39 निष्पत्ति : वर्ष 2022–23 के दौरान चयन वर्ष 2021–22 के लिए 20 विद्यार्थियों का चयन किया गया है तथा वर्ष 2022–23 के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2022–23 के बजट आवंटन रू. 4.00 करोड़ में से दिनांक 31.12.2022 तक रू. 1.52 करोड़ की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। चयन प्रक्रिया का प्रबंधन एक समर्पित पोर्टल https://tribal.nic.in/nos.aspx के माध्यम से किया जाता है, जिस पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

8.40 उमंग ऐप : राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम और राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम को एमईआईटीवाई के उमंग के साथ इंटीग्रेट किया गया है। छात्र अब इन योजनाओं के तहत आवेदन भरने और देखने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

8.41 ई–पहल (डीबीटी पोर्टल) : 2018 तक, प्री और पोस्ट मैट्रिक दोनों योजनाओं को कई राज्यों द्वारा 'मैन्युअल मोड' में क्रियान्वित किया जा रहा था। आवेदन दस्तवेजी रूप में मांगे जाते थे और संबंधित संस्थानों / जिला अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से सत्यापित किए गए थे। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में भी, प्रसंस्करण और सत्यापन प्रक्रिया लिखित रूप में होने के कारण बोझिल और समय की खपत करने वाली थी जिसके

छात्रवृत्ति की राशि

क्र. सं.	छात्रवृत्ति घटक	विवरण
1	वार्षिक रखरखाव भत्ता	सभी स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए यूएसडी में वार्षिक रखरखाव भत्ता यूएसडी15,400 ($पंद्रह हजार चार सौ मात्र) / यूनाइटेड किंगडम में पाउंड स्टर्लिंग 9,900 (£ नौ हजार नौ सौ केवल) अन्य देशों के लिए, यूएसडी के समतुल्य दरें लागू होंगी।
2	वार्षिक फुटकर (आकस्मिकता) और उपकरण भत्ता	अमेरिका में उम्मीदवारों के लिए पुस्तकों / आवश्यक उपकरणों / अध्ययन दौरे / टाइपिंग और थीसिस की जिल्दसाजी आदि के लिए वार्षिक फुटकर (आकस्मिकता) और उपकरण भत्ता $ 1532 (यूएस डॉलर एक हजार पांच सौ बत्तीस मात्र) होगा और यूनाइटेड किंगडम में उम्मीदवारों के लिए, यह £ 1116 (पाउंड स्टर्लिंग एक हजार एक सौ सोलह केवल) होगा। अन्य देशों के लिए, यूएस डॉलर या समतुल्य दरें लागू होंगी।
3	व्यक्तिगत कर	जहां भी लागू हो, वास्तविक भुगतान किया जाएगा
4	वीजा फीस	भारतीय रुपये में वास्तविक वीजा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
5	आकस्मिक यात्रा खर्च	आकस्मिक यात्रा खर्च यूएस डॉलर 20 या उसके तक भारतीय रुपये में समतुल्य स्वीकार्य हैं।
6	फीस	ट्यूशन फीस और अन्य अप्रतिदेय शुल्क जो छात्र द्वारा अनिवार्य रूप से भुगतान करना आवश्यक है। वास्तविक के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा करना।
7	चिकित्सा बीमा प्रीमियम	शुल्क के रूप में वास्तविक स्वीकार्य होगा। हालांकि, संबंधित देश में भारतीय दूतावास / मिशन छात्र द्वारा चुने गए / दावे किए गए मेडिकल प्रीमियम के औचित्य की जांच करेगा।
8	हवाई मार्ग की लागत	भारत से शैक्षिक संस्थान के निकटतम स्थान और वापस भारत के लिए वास्तविक आधार पर हवाई यात्रा अनुदान, इकोनॉमी क्लास और सबसे छोटे मार्ग से सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर प्रदान किया जाएगा।
9	स्थानीय यात्रा	अवतरण के बंदरगाह से अध्ययन के स्थान तक और वापसी के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल किराया; दूर–दराज के स्थान रेल से नहीं जुड़े होने की स्थिति में, निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन तक बस का किराया, फेरी द्वारा क्रॉसिंग का वास्तविक शुल्क, यात्रियों के लिए हवाई किराया निकटतम रेल–सह–वायु स्टेशन की अनुमति होगी।

छात्रवृत्ति योजना	यूआरएल
मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	https://dbttribal.gov.in
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	https://dbttribal.gov.in
राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना	https://fellowship.tribal.gov.in
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	https://scholarships.gov.in
राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	https://overseas.tribal.gov.in

परिणामस्वरूप फर्जी लाभार्थियों और फर्जी संस्थानों को लाभ मिलने की बहुत अधिक संभावना के साथ छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी होती थी। कई राज्यों में छात्रवृत्ति घोटाले हुए। राज्यों और छात्रों के साथ मजबूत संचार या शिकायत निवारण तंत्र की अनुपस्थिति के साथ–साथ लंबित बकाया राशि के कारण, अंतर–राज्य परिषद में कई उच्च न्यायालय मामले और विवाद थे।

2018 में डीबीटी मिशन के तहत छात्रवृत्ति निर्मुक्त/अंतरण करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने के निर्देशों के साथ–साथ विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रवृत्ति की राशि छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाए, जिस योजना में विशिष्ट एमआईएस के विकास के साथ लाभार्थी की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा हो। सभी 5 योजनाओं का प्रबंधन समर्पित योजना विशिष्ट पोर्टलों के माध्यम से किया जाता है।

तदनुसार, निम्नलिखित विशेषताओं के साथ कागज आधारित लिखित प्रारूप से डिजिटल मोड में बदलाव के साथ छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया में सुधार किया गया है।

(I). **राज्यों द्वारा डेटा साझाकरण, डेटा विश्लेषण और प्रदर्शन डैशबोर्ड :** सभी राज्योंध्संघ राज्यक्षेत्रों का अब या तो अपना पोर्टल है या आवेदन आमंत्रित करने और प्रसंस्करण के लिए वे एमईआईटीवाई द्वारा विकसित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) का उपयोग कर रहे हैं। चूंकि ये पोर्टल, विभिन्न डेटाबेस और विभिन्न प्रारूपों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्लेटफार्मों (कम्प्यूटर भाषा मंच) पर हैं, इसलिए, राज्यों द्वारा डेटा साझा करने के लिए एक 31–फील्ड (विषय क्षेत्रों) वाला सामान्य प्रारूप तैयार किया गया है ताकि लाभार्थी विवरण, बैंक विवरण, स्कूल का स्थान, पाठ्यक्रम विवरण और लेनदेन विवरण दर्ज किया जा सके। डीबीटी पोर्टल में, राज्यों को वेब सेवाओं, एक्सेल/सीएसवी फाइल या राज्य की आईटी क्षमता के आधार पर डेटा की मैन्युअल प्रविष्टि के माध्यम से ऑनलाइन लाभार्थी डेटा साझा करने की सुविधा दी गई है। राज्यों को पूछताछ, दस्तावेज उपयोग प्रमाण पत्र, और व्यय विवरण ऑनलाइन अपलोड करने और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संवाद करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे प्रसंस्करण समय कम हो गया है और शिकायतें कम हो गई हैं। संपूर्ण डेटा को एनआईसी द्वारा प्रबंधित 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेटा एनालिटिक्स (सीईडीए)' के साथ हटाया, संकलित, एकत्र और साझा किया जाता है। डुप्लिकेट और धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने के लिए डेटा का विश्लेषण किया जाता है और छात्रवृत्ति वितरण तंत्र में सुधार के लिए 'डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट' राज्यों के साथ साझा की जाती हैं। डेटा का उपयोग विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है और मंत्रालय के प्रदर्शन डैशबोर्ड पर साझा किया जाता है। आउटपुट परिणाम संकेतकों की निगरानी के लिए संकलित डेटा, डीबीटी मिशन, प्रयास डैशबोर्ड और नीति आयोग के साथ भी साझा किया जाता है।

(ii) **डिजी–लॉकर के साथ एकीकरण :** 'अध्येतावृत्ति' और 'समुद्रपारीय छात्रवृत्ति' पोर्टल दोनों को डिजी–लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है। डिजी–लॉकर पर उपलब्ध सभी दस्तावेज सत्यापन के लिए आवेदन पत्र में स्वतः प्राप्त हो जाते हैं।

(iii) **अध्येतावृत्ति पोर्टल के साथ विश्वविद्यालयों का एकीकरण:** सभी 331 विश्वविद्यालयों जहां छात्र शोध कर रहे हैं, को ष्सत्यापन मॉड्यूलष् के

माध्यम से अध्येतावृत्ति पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के पंजीकृत नोडल अधिकारी डिजी–लॉकर पर उपलब्ध दस्तावेजों और विद्यार्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को देख सकते हैं और डिजिटल रूप से आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार कर सकते हैं।

(iv) **शिकायत निवारण और संचार तंत्र** : तेजी से संचार और शिकायत निवारण के लिए, सभी हितधारकों, अर्थात, छात्रों, विश्वविद्यालयों, संवितरण के लिए अधिकृत बैंक और डिजी–लॉकर्स को अध्येतावृत्ति पोर्टल के "संचार मॉड्यूल" के साथ पंजीकृत किया गया है। छात्रों को यूजर मैनुअल, वीडियो क्लिपिंग, फोन हेल्पलाइन, ईमेल, हेल्प डेस्क द्वारा रिमोट एक्सेस के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है।

इन पहलों के परिणामस्वरूप मैन्युअल पेपर–आधारित, यूसी–आधारित निगरानी से डेटाबेस आधारित ऑनलाइन निगरानी में एक सराहनीय बदलाव आया है। निर्मुक्त की गई निधियों और उनके उपयोग का आकलन संभव हो पाया है। सत्यापन प्रक्रिया मजबूत हुई है और इसने फर्जी और धोखाधड़ी के मामलों को रोका है और इसके परिणामस्वरूप त्वरित और सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र के साथ–साथ समय की बचत होती है। सभी हितधारकों के प्रदर्शन, लाभार्थियों के जिलेवार विवरण और जिस तरीके से धन का उपयोग किया गया है, उसे प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है। केपीएमजी ने, नीति आयोग के लिए अपने अधिदेश के हिस्से के रूप में, सामाजिक समावेश पर केंद्रित केंद्र प्रायोजित योजनाओं का राष्ट्रीय मूल्यांकन किया है और जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पोर्टल को ई–गवर्नेंस में एक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता दी है, जिससे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सेवा वितरण में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और आमूलचूल सुधार आया है। मंत्रालय ने 2020 में "आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण" के लिए 'स्कॉच गोल्ड' पुरस्कार (अवार्ड) भी जीता है।

8.42 मंत्रालय, संविधान के 'अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान' की योजना को लागू कर रहा है जिसके तहत राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को निधि प्रदान की जाती है। मंत्रालय द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ शिक्षा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं जैसे मौजूदा भवन अवसंरचना में वृद्धि, सह–शिक्षा, आवासीय विद्यालयों का निर्माण, बालकों और बालिकाओं के छात्रावासों का निर्माण, आश्रम विद्यालयों का निर्माण, आवासीय विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रय आईटी आधारित शिक्षा सुविधाएं / उपकरण आदि। आश्रम स्कूलों, बालकों और बालिकाओं के छात्रावासों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) से संबंधित हस्तक्षेपों को "भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान" की योजना के तहत शामिल किया गया है।

अध्याय 9
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना

9.1 जनजातीय आबादी में कुछ समूह ऐसे हैं जिनकी सदस्यों की संख्या घट रही है या स्थिर है, साक्षरता का स्तर निम्न और प्रौद्योगिकी कृषि–पूर्व स्तर की है और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये समूह सामान्यतः घटिया अवसंरचना एवं कम प्रशासनिक सहायता वाले दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करते हैं। 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई है तथा उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक–9क** में दी गई है।

पीवीटीजी के विकास की योजना

9.2 पीवीटीजी समुदायों को केन्द्र सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकारों के जनजातीय कल्याण विभागों की सभी स्कीमों में सहायता दी जा रही है। 1998–99 में ऐसे समुदायों के लिए एक समर्पित स्कीम शुरू की गई थी। पीवीटीजी के विकास के लिए यह अनन्य रूप से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है और केन्द्र सरकार से 100% वित्त पोषित है।

स्कीम का कार्यक्षेत्र और कार्यान्वयन

9.3 राज्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की विकासात्मक गतिविधियों अर्थात आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि वृद्धि (पैदावार), मवेशी विकास, संपर्क (कनेक्टिविटी), प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतों की संस्थापना, सामाजिक सुरक्षा अथवा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। संरक्षण–सह–विकास योजनाएं (सीसीडी) राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा, उनके द्वारा किए गए आधारभूत (बेसलाइन) या अन्य सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अधिवास विकास दृष्टिकोण अपनाकर पांच वर्षों के लिए तैयार की जाती हैं और मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें अनुमोदित किया जाता है।

संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी)/वार्षिक योजनाओं की जांच और अनुमोदन

9.4 सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में मंत्रालय की एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) / वार्षिक योजनाओं के प्रस्तावों की जांच करती है और प्रासंगिक कार्यकलापों के लिए वितपोषण (निधियन) का अनुमोदन करती है। वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान, मंत्रालय को विभिन्न राज्यों (अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पं. बंगाल) से वार्षिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो 2022–23 के दौरान उनके संबंधित संरक्षण– सह–विकास (सीसीडी) योजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं की गतिविधियों के कार्यान्वयन के अनुमोदन के लिए पीएसी के तहत सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

निधियन पद्धति

9.5 यह 100% केन्द्र प्रायोजित योजना है। निधियां सामान्यतः सीसीडी योजना में विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एक या अधिक किस्तों में निर्मुक्त की जाती हैं।

निगरानी (मॉनीटरिंग) और मूल्यांकन

9.6 मंत्रालय ने स्कीम की वास्तविक और वित्तीय

प्रगति की डिजीटल निगरानी के लिए आदिग्राम पोर्टल विकसित किया है। राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों में रहने वाली पीवीटीजी जनसंख्या का आकलन करने हेतु राज्यों को बेसलाइन (आधारभूत) सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। योजना का मूल्यांकन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया है। आईआईपीए की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- सभी राज्यों को सीसीडी योजना के तहत सूक्ष्म योजना परियोजनाओं का गठन करना चाहिए, जिसमें न केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाए बल्कि पारंपरिक आजीविका और कौशल विकास को भी मजबूत किया जाए। सीसीडी योजनाओं में 3 से 5 वर्ष का दीर्घकालीन दृष्टिकोण होना चाहिए।

- पीने के पानी और स्वच्छता, सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण और पीवीटीजी आवास की सभी मौसम सड़कों के साथ कनेक्टिविटी (संपर्क) का प्रावधान।

- पीवीटीजी समुदायों के लिए उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए मानदंडों में शिथिलता (रियायत)।

- यह उल्लेख करने के प्रावधान के साथ जाति प्रमाण–पत्र जारी करना कि व्यक्ति मिशन मोड में पीवीटीजी समुदाय से संबंधित है।

- वन उपजों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पीवीटीजी क्षेत्रों में एमएफपी को एमएसपी की योजना का कार्यान्वयन।

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अधिवास अधिकारों की मान्यता।

आवंटन और व्यय

9.7 पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीवीटीजी के विकास की स्कीम के तहत किया गया आवंटन तथा निर्मुक्ति/व्यय **तालिका–9** में दिया गया है:–

योजना के तहत 2020–21 से 2022–23 के दौरान जारी निधियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक 9ख** में दिया गया है।

तालिका 9: 2020–21 से 2022–23 के दौरान आवंटन और निर्मुक्तियां (31.12.2023 तक की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय/निर्मुक्ति
2020–21	250.00	140.00	140.00
2021–22	250.00	160.00	160.00
2022–23	252.00	137.18	137.18

अध्याय 10
अनुसंधान, सूचना और जनसंचार

10.1 जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता

देश भर में 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) हैं, जो संबंधित राज्यों की सरकारों द्वारा स्थापित हैं और उन्हें प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाती है। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) का विवरण **अनुलग्नक–10क** में दिया गया है। यह परिकल्पना की गई है कि जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को, साक्ष्य आधारित आयोजना तथा उपयुक्त विधानों, जनजातीय लोगों तथा जनजातीय कार्य से जुड़े व्यक्तियों/संस्थानों का क्षमता निर्माण, सूचना के प्रसार व जागरूकता निर्माण, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु एक निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, इन जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी अवसंचनात्मक जरूरतों, अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियों और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि में सुदृढ़ीकरण के लिए "टीआरआई को सहायता" योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दिसंबर, 2017 में मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार 'टीआरआई को सहायता' योजना के तहत की जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं :

10.2.1 अवसंरचना निर्माण :

क. जनजातीय अनुसंधान संस्थान(नों)/राष्ट्रीय टीआरआई के लिए अत्याधुनिक (ढ़ंग के) भवन।

ख. गृह–व्यवस्था (हाउस–कीपिंग), अत्याधुनिक (ढ़ंग के) अनुरक्षण, उपयोग बिल आदि जैसे दैनिक रख–रखाव को छोड़कर, मौजूदा टीआरआई भवन की मरम्मत/विस्तार/उन्नयन।

ग. आभासी (वर्चुअल) संग्रहालयों सहित जनजातीय संग्रहालय/स्मारक स्थापित करने के लिए सहायता (वित्तीय)।

घ. डिजिटल कोष (रिपोजिटरी) सहित पुस्तकालय स्थापित करने के लिए सहायता (वित्तीय)।

ङ. टीआरआई भवन में सम्मेलन कक्ष, प्रशिक्षणः संसाधन केन्द्र, प्रशिक्षण छात्रावास।

च. टीआरआई/संग्रहालय परिसर में अथवा राज्य में अन्य स्थानों पर जनजातीय भोजन फूड) कैफे, कारीगर कॉर्नर, जनजातीय कला तथा कलाकृतियों (कारीगरी) की प्रर्दशनी–सह–बिक्री केन्द्र, सूवनीर (स्मारक) इत्यादि स्थापित करना।

10.2.2 अनुसंधान तथा प्रलेखन (श्रव्य/दृश्य/आभासी सार (वर्चुअल रियल्टी) (वीआर)/संवर्धित सार (एआर) तथा नई प्रौद्योगिकी सहित):

(क) जनजातीय कल्याणकारी उपाय।

(ख) सफलता की कहानियां।

(ग) जनजातीय प्रोफाइल।

(घ) जनजातीय भाषा, संस्कृति, परम्परा, कला तथा कलाकृतियां (कारीगरी), परम्परागत चिकित्सा प्रक्रियाएं, जनजातीय कल्पित कथाएं तथा कहानियां, जनजातीय पाक कला तथा अन्य विशिष्ट विशेषताएं (लक्षण)।

(ङ) विभिन्न सरकारी उपायों की निगरानी (मॉनीटरिंग) तथा मूल्यांकन।

(च) स्थानीय जनजातीय भाषाओं में प्रवेशिकाएं (प्राइमर) तैयार करना तथा उनका मुद्रण।

(छ) जनजातीय कला, परम्परा तथा संस्कृति से संबंधित कोई अन्य पहलू।

10.2.3 प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण:

(क) अनुसूचित क्षेत्र/जनजातीय अधिकारों के संबंध में कानून/संवैधानिक प्रावधान। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा), अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन अधिनियम आदि सहित)।

(ख) सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध कार्यकर्ताओं तथा जनजातीय प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण।

(ग) कारीगरों की क्षमता का निर्माणः कला तथा शिल्प, धातु शिल्प, चित्रकारी, नृत्य/नाटक, वस्त्र, हस्तशिल्प कारीगरों की क्षमता का निर्माण के साथ–साथ कला, शिल्प तथा डिजाइन आदि के लिए मूल्यवर्धन। इसमें किट और उपकरण इत्यादि शामिल किए जा सकते हैं।

(घ) जनजातीय संबंधी विभिन्न मुद्दों पर संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।

(ड.) विचारक–मण्डल (थिंक टैंक) से जुड़े हुए कार्यकलाप।

10.2.4 अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय त्योहारों/यात्राओं का आयोजन।

10.2.5 "जनजातियों में पारस्परिक यात्राओं का आयोजन (एक्वेंज विजिट्स), ताकि वे संस्कृति और परंपराओं के बारे में व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझ सकें और सामाजिक–आर्थिक विकास/अन्य क्षेत्रों के सर्वोत्तम पद्धतियों (तरीकों) को सीख सकें।

10.2.6 जनजातीय समुदायों या जनजातीय क्षेत्रों के लिए लाभकारी कार्य अनुसंधान परियोजनाएं।

10.3 "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआईएस) को सहायता" स्कीम के तहत वित्त पोषणः

यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जहां जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टीआरआई को 100% सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। टीआरआई द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) के समक्ष रखा जाता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव जिसके अध्यक्ष होते हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 और 2022–23 के दौरान "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता" योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का विवरण **अनुलग्नक–10ख** में दिया गया है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआईएस) का नवीकरण और राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) की स्थापना

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित समारोह का गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 07.06.2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया।

10.4 2015 में, नीति आयोग ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, आंध्र प्रदेश, एवं मध्य प्रदेश के टीआरआई के प्रतिनिधियों और कुछ गैर–आधिकारिक सदस्यों/विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व के साथ डॉ. एस.एम. झारावल, चांसलर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, की अध्यक्षता में एक उप–समूह, का गठन किया। उप–समूह ने नीति आयोग के निर्देशन में राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) के माध्यम से टीआरआईएस का 'एसडब्ल्यूओटी' विश्लेषण और कुछ चयनित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का मूल्यांकन अध्ययन किया। उप समूह की रिपोर्ट में पाया गया कि

जनजातीय अनुसंधान और विकास के लिए कोई संस्थान राष्ट्रीय स्तर का नहीं था। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की गतिविधियां प्रेरक नहीं थीं और उनमें से कई संस्थान जनशक्ति (स्टाफ) की कमी, प्रशासनिक बाधाओं, वित्तीय बाधाओं, बुनियादी ढांचे की बाधाओं आदि के कारण निष्क्रिय थे। यद्यपि, जनजातीय विकास के लिए एक विचारक मंडल (थिंक टैंक) के रूप में ज्ञान और अनुसंधान के निकाय के रूप में काम करने की परिकल्पना की गई थी, परंतु कई टीआरआई राज्य के समाज कल्याण/जनजातीय कल्याण विभागों में नियमित प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त थे। इसलिए, वे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में विफल रहे।

10.5 उप–समूह द्वारा रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधार पर नीति आयोग ने इस मंत्रालय को राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के नवीनीकरण और राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसंधानों के बेहतर समन्वय और गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए कहा। टीआरआई योजना का बजट 2013–14 में 13 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2022–23 में 121 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2014–15 के बाद 9 टीआरआई स्वीकृत किए गए हैं। "टीआरआई को सहायता" योजना के तहत कई राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, राज्य टीआरआई स्थापित करने के लिए आगे आए हैं और कई मौजूदा टीआरआई ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए निधि प्रदान करने का अनुरोध किया है। टीआरआई उत्तराखंड भवन का निर्माण कार्य 2019 में संपन्न हुआ था और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2019 में इसका उद्घाटन किया था और टीआरआई आंध्र प्रदेश का कार्य 15 अगस्त 2021 को पूरा होने पर उद्घाटन किया गया था।

10.6 नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के परिसर में एक राष्ट्रीय स्तर का जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है और कार्यशील बनाया गया है। इस संस्थान में कल्पना की गई थी कि यह संस्थान राज्य के टीआरआई के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करेगा और जनजातीय विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समन्वित अनुसंधान करने में जनजातीय कार्य मंत्रालय को सहायताध्सुविधा प्रदान करेगा। इसके लिए, दिल्ली में जमीन आवंटित करने के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। नीति आयोग के सीईओ ने भी एनटीआरआई के लिए भूमि आवंटन का मामला उठाया है।

10.7 यह देखा जा सकता है कि 2014–15 तक, केवल 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार के 01 (एक) संघ राज्य क्षेत्र में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) कार्यशील थे। अब देश भर में 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थान कार्यशील हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू–कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और गोवा के 9 राज्यों में स्वीकृत नए टीआरआई कार्यशील हैं। इनमें से कई राज्यों में टीआरआई भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा, मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा को भी निधियां स्वीकृत की गई थी। इनमें से कई टीआरआई को सोसाइटियों में परिवर्तित कर दिया गया है ताकि नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर और निधियों के सीधे अंतरण के लिए वे स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य कर सकें। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना से जनजातीय अनुसंधान में सुधार और टीआरआई के बेहतर समन्वयन और प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी। एनटीआरआई का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में स्थित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सलाह (परामर्श) देना और सहायता प्रदान करना है, और अनुसंधान कार्यों में गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करना, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण, जनजातियों के बीच जागरूकता पैदा करना, भाषाओं सहित समृद्ध जनजातीय विरासत एवं पर्यावासों आदि का प्रदर्शन करना है।

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय :

10.8 माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2016 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना के संबंध में एक घोषणा की। उसका एक अंश प्रस्तुत है: ***"भाइयों और बहनों, जब हम आजादी के इतिहास, अपने देश के संघर्ष के बारे में बात करते हैं, तो कुछ लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, कुछ का अत्यधिक उल्लेख किया जाता है लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में जंगलों में रहने वाले लोगों, जनजातियों द्वारा किया गया योगदान बेजोड़ था। वे जंगलों में रहा करते थे। हम बिरसा मुंडा का नाम सुनते हैं लेकिन शायद कोई जनजातीय बहुल जिला होगा जहां 1857 से आजादी मिलने तक जनजातियों ने लड़ाई नहीं लड़ी होगी और बलिदान नहीं दिये होंगे। उन्होंने अपने बलिदान से साबित कर दिया कि आजादी क्या है, गुलामी के खिलाफ संघर्ष क्या होता है। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। सरकार की इच्छा और योजना है कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में ये***

स्वतंत्रता सेनानी, जो जनजातीय थे, जो जंगल में रहते थे, वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और झुकने को तैयार नहीं थे। सरकार, विभिन्न राज्यों में बहादुर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित स्थायी संग्रहालय बनाने की दिशा में काम करेगी, इस उद्देश्य के लिए जहां भी जमीन उपलब्ध होगी, वहां पर उनके योगदान और संस्मरण प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए किए गए उनके बलिदानों के बारे में पता चल सके।

10.9 माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसरण में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जहां जनजातीय रहते थे, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, उन राज्यों में स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण के लिए श्रृंखलाबद्ध तरीके से बहुत बार परामर्शी बैठकें आयोजित की। मंत्रालय ने प्रगति की निगरानी सहित प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए सचिव (जनजातीय कार्य) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तरीय समिति (एनएलसी) का गठन किया है। एनएलसी में विभिन्न मंत्रालयोंध्संगठनों के सदस्य होते हैं, जिनमें संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, योजना और वास्तुकला विद्यालय, आईसीएचआर और एक बाहरी विशेषज्ञ शामिल हैं। एनएलसी की प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक होती है। विभिन्न हितधारकों, इतिहासकारों, मानवविज्ञानियों, निजी वास्तुकारों और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई थी। इन अधिकारियों को, विरासत–ए–खालसा संग्रहालय, पंजाब और भोपाल में मानव संग्रहालय का दौरा कराया गया ताकि वे, संग्रहालय की डिजाइनिंग से कहानी और प्रौद्योगिकी के उपयोग से स्वयं को अवगत करा सकें। जिन राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें निर्मुक्त की गई निधि की स्थिति सहित विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	स्थान	स्वीकृति वर्ष	परियोजना की लागत	जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रतिबद्धता	निर्मुक्त निधि
1	गुजरात	राजपिपला	2017–18	102.55 / 137.01 (revised)	50.00	50.00
2	झारखंड	रांची	2017–18	36.66	25.00	25.00
3	आंध्र प्रदेश	लम्बासिंगी	2017–18	35.00	15.00	7.50
4	छत्तीसगढ़	रायपुर	2017–18	25.66	15.00	4.65
5	केरल	वायनाड	2017–18	16.16	15.00	7.50
6	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	2017–18	38.26	15.00	11.77
7	तेलंगाना	हैदराबाद	2018–19	18.00	15.00	1.00
8	मणिपुर	लुआंगकाओ, तामेंगलोंग	2018–19	51.38	15.00	1.00
9.	मिजोरम	केल्सिह	2019–20	15.00	15.00	12.00
10.	गोवा	पोंडा	2020–21	30.00	15.00	0.10
				कुल	**195.00**	**120.52**

10.10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय भारत में जनजातीय लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के प्रति समर्पित होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के लिए उनके बलिदानों के बारे में जान सकें और उनकी सराहना कर सकें। अपनी अवस्थिति के कारण ये संग्रहालय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहे हैंय वास्तुकला और ऑडियो–वीडियो डिस्प्ले तैयार किए जा रहे हैं और जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प और जनजातीय–कला को संरक्षित और बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये संग्रहालय, समय क्रमानुसार (ट्रेल्स–घटना क्रम के अनुसार साथ) इतिहास का पता लगाएंगे, जिसमें पहाड़ियों और जंगलों में जनजातीय लोगों ने अपने जीने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी और इसलिए, स्वस्थानी संरक्षण, आत्मोन्नति की पहल के साथ 'एक्स–सिटू' (डिस्प्ले) का प्रदर्शन जोड़ेंगे। इन संग्रहालयों में जनजातियों द्वारा अपने वनों, भूमि अधिकारों, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करने के तरीके और देश की जैविक और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिरसा मुंडा संग्रहालय का भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 15 नवंबर को रांची में उद्घाटन किया गया।

10.11 'जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और महोत्सव योजना (टीआरआई–ईसीई)

'जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और महोत्सव योजना (टीआरआई–ईसीई), एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत प्रतिष्ठित संगठन, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय जहां विशेषज्ञ होते हैं और जो पहले से ही अपने संबंधित विषय में अनुसंधान करके अग्रणी के रूप से अपनी पहचान बना चुके हैं, उन्हें महत्वपूर्ण विषयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, डिजिटल अभिशासन आदि के क्षेत्रों में अनुकरणीय मॉडल उदाहरण के रूप में तैयार करना है। 'उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को सहायता अनुदान', योजना के तहत जनजातीय समुदायों के विकास के लिए गुणात्मक, कार्रवाई–उन्मुख और नीतिक अनुसंधान करने हेतु संस्थागत संसाधन क्षमताओं वाले ऐसे संगठनों को संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत प्रवासन, रोगों पर शोध जैसे अखिल भारतीय या अंतर्राज्यीय किस्म की परियोजनाएं भी संचालित की जाती हैं। ऐसे संगठनों द्वारा ऑनलाइन या वास्तविक मोड में प्रस्तुत परियोजनाओं की मंत्रालय के टीआरआई डिवीजन द्वारा जांच की जाती है और वे सचिव, जनजातीय कार्य अध्यक्षता वाली परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) के समक्ष रखी जाती हैं।

10.12 5 कार्यशालाओं/सेमिनारों के लिए विश्वविद्यालयों / संस्थानों / गैर–सरकारी संगठनों को निम्नलिखित पैटर्न पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	धनराशि (रूपए में)
एक दिन के लिए	50,000/–
दो दिनों के लिए	75,000/–
तीन दिनों के लिए (विशेष मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरा आवश्यक है)	1,00,000/–

10.13 अलिखित जनजातीय लोककथाओं सहित, जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकें लिखने या अनुवाद करने के लिए प्रख्यात लेखकों/लेखकों/विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए, यह मंत्रालय, अधिमानतः एक संस्थान को, जिससे ऐसे ही व्यक्ति जुड़े हुए हैं, एक परियोजना/पुस्तक के लिए 30,000/– रुपये तक अनुदान प्रदान करता है।

10.14 अखिल भारतीय या अंतर्राज्यीय प्रकृति के उत्कृष्टता केंद्र और परियोजनाओं के लिए अनुदान योजना के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता विकास, जल संरक्षण, पंचायती राज संस्थानों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के क्षेत्रों में जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले प्रतिष्ठित संगठनों के साथ सहयोग किया है और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सकारात्मक कार्रवाई के हिस्से के रूप में वन अधिकार और जैविक खेती और विभिन्न अभिनव मॉडल विकसित किए हैं जिन्हें पूरे देश में अपनाया जा सकता है। इनमें से कुछ परियोजनाएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

10.15 जनजातीय कार्य मंत्रालय लद्दाख के छात्रों के शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन (एसईसीएमओएल) के साथ साझेदारी में यह प्रदर्शित कर रहे है कि इन बर्फ के स्तुपों, जिनमें सर्दी के महीनों में कम प्रयोग किए जमें हुए

संगठन का नाम	परियोजना का नाम
एक्सिस माय इंडिया पीडब्लूसी, अर्नस्ट एंड यंग	मंत्रालय की प्रमुख पहलों का प्रभाव आकलन
एसोचौम, फिक्की	जनजातीय आबादी की उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाना
दिशा फाउंडेशन	प्रवास
सर गंगाराम अस्पताल	सिकल सेल रोग
आरके मिशन और भारत सेवाश्रम	जनजातीय स्कूल एवं दिव्यांग–आजीविका विकास कार्यक्रम
डेटा एनालिटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीईडीए)	प्रदर्शन डैशबोर्ड
ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई)	वन अधिकार अधिनियम 2006
बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन	आदर्श ग्राम (आदर्श ग्राम)
एएफसी इंडिया लिमिटेड	आकांक्षी जिले गजपति के लिए व्यापक विकास योजना
लद्दाख के छात्र शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन (एसईसीएमओएल)	लद्दाख में आइस स्तूपों के माध्यम से गांवों का इको–पुनर्वास

संगठन का नाम	परियोजना का नाम
टाटा फाउंडेशन	लद्दाख में सतत आजीविका में सुधार
फेसबुक	'ऑनलाइन अग्रणी'
आर्ट ऑफ लिविंग	महाराष्ट्र में जैविक खेती के माध्यम से आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर)
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	ओडिशा में 1000 स्प्रिंग्स (झरनों) संबंधी पहल
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	साक्ष्य आधारित योजना और विकास के लिए डेटा विज्ञान
पीरामल फाउंडेशन	स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल
एम्स जोधपुर पतंजलि माँ अमृतमई संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर), गुवाहाटी	राजस्थान, उत्तराखंड, केरल और महाराष्ट्र में स्वदेशी ज्ञान, जनजातीय चिकित्सा, पौधों और जड़ी–बूटियों का संरक्षण।

पानी (फ्रोजन वाटर) का स्टोर हो जाता है, गर्मी के महिनों के दौरान पानी और अजीविका का समाधान कर सकते हैं, जब डोम आकार वाले ये स्तूप पिघलते है और उनसे बिजाई (सीडिंग) के महत्वपूर्ण मौसम में, खेतों और गांवों को पानी की आपूर्ति करते हैं। 2019–20 से अब तक 60 मिलियन लिटर से अधिक जल संचय करने वाले चयनित गांवों में प्रतिवर्ष 25–30 बर्फ के स्तूप स्थापित किए जा रहे हैं। उन क्षेत्रों में, जहां तापमान –30 डिग्री से नीचे गिर जाता है, बर्फ के स्तूप, जो कृत्रिम रूप से हिमनद संरचनाएं होते हैं, कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान बर्फ के रूप में बड़ी मात्रा में पानी जमा करने के लिए बनाए जाते हैं। यह आत्मनिर्भर बनने में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट घरानों की संयुक्त पहल वाला एक सहभागी और सहयोगी मॉडल है।

10.16 इस पहल से परित्यक्त गांवों के पुनर्वास करने में मदद मिली है। कुलुम में बर्फ के तीन स्तूप और ग्लेशियर की 07 कृत्रिम दीवारें बनाई गई। पहले की तुलना में अब काफी अधिक पानी है। कुलुम गांव में 15 साल के अंतराल के बाद, 2021 के वसंत में कृषि–गतिविधियां शुरू हो हुई। इस तरह की पहल से पानी की समस्या का समाधान, वृक्षारोपण और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता से गांव की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। स्तूप न केवल पर्यटकों के आकर्षण का स्रोत हैं, बल्कि "होम स्टे प्रोजेक्ट" में स्थानीय लोगों को शामिल करके इससे उनके आर्थिक उत्थान में भी मदद मिलेगी।

हिमोत्थान सोसाइटी के साथ लेह में खुबानी और सब्जी की खेती, कृषि–प्रसंस्करण और कृषि संबद्ध गतिविधियों पर जोर देते हुए जनजातीय परिवारों के जीविकोपार्जन और आय में संवर्धन

10.17 लद्दाख की खुबानी अपनी गुणवत्ता की दृष्टि से मूल्यवान हैं और शाम घाटी (निचले लद्दाख) में ग्रामीणों के लिए आय का मुख्य स्रोत बनी हुई है। लद्दाख खुबानी की 62% हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा खुबानी उत्पादक है। वार्षिक कुल उत्पादन 15,789 टन (कारगिल 10,656 टन और लेह 5133 टन) है। लद्दाख की खुबानी की विशिष्टता हाल ही में 'डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च' (डीआईएचएआर) द्वारा सिद्ध की गई है, जबकि रक्षते कार्पो (सफेद कर्नेल खुबानी) को टीएसएस 37.9 ब्रिक्स के साथ दुनिया की सबसे मीठी खुबानी के रूप में जाना जाता है। सुनियोजित विपणन की कमी और सुखाने के अकुशल तरीकों के कारण कुल उत्पादन का 40–50% बेकार हो जाता है। बर्बादी को कम करने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा बेहतर कटाई तकनीक, शुष्कीकरण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

10.18 मंत्रालय ने हिमोत्थान सोसाइटी (टाटा ट्रस्ट की शाखा) के सहयोग से लेह जिले की 'शाम घाटी' के गांवों में खुबानी और सब्जियों के पैकेजिंग और विपणन के लिए 3 साल तक चलने वाली एक परियोजना तैयार की है। इसका उद्देश्य कृषि प्रसंस्करण और बाजार लिंकेज के लिए भागीदारी कार्रवाई, अनुसंधान कार्यक्रम द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। इसने किसानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने और सब्जी किसान उत्पादक संगठन और खुबानी किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य किया। कृषि–प्रसंस्करण इकाइयों और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को कृषि उत्पादों के सामूहिकीकरण, उत्पाद ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन में सहायता प्रदान की गई। परियोजना का उद्देश्य कार्रवाई, अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम से लेह जिले में जनजातीय आबादी के परंपरागत और उन्नत तरीको का अध्ययन करना है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर, 'फोर्स्ड सर्कुलेशन सोलर खुबानी' ड्रायर विकसित किया जिसे विश्वकर्मा सौर ऊर्जा निगम, फिल्लौर पंजाब से प्राप्त किया गया था। इसमें ताजा भराई (लोडिंग) क्षमता 300 किलोग्राम है जो 4–5 दिनों में खुबानी को सुखा सकती है। 'एप्रीकॉट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' सोलर ड्रायर ताकमचिक गांव में स्थापित किया गया है।

Self Reliance (Atmanirbhar) in tribal farmers through Organic Farming in Collaboration with Art of Living Foundation

10.19 किसान अब अपनी उपज के अपने स्वयं के अनूठे ब्रांड "जुले लद्दाख खुबानी" के तहत 'एफपीओ' के माध्यम से सीधे बाजारों में बेचते हैं, जिसे एफपीओ द्वारा पंजीकृत किए जाने के बाद पंजीकृत किया गया है। इससे बिचौलियों और ठेकेदारों से बचकर उच्च आय सुनिश्चित हो सकेगी। सब्जियों, फलों अन्य ग्रामीण उत्पादों के विपणन हेतु लेह शहर और अन्य शहरी क्षेत्रों में स्थापित ग्रामीण मार्ट ताजा, संग्रहीत और संसाधित सब्जियों और फलों के लिए साल भर क्रियाशील रहेगा। धीरे–धीरे इस कार्यक्रम को अन्य पड़ोसी गांवों तक विस्तारित करने की योजना है, ताकि वे भी उत्कृष्टता केन्द्रों का लाभ उठा सकें। इसने कृषि उपज के बेहतर मूल्य की प्राप्ति के द्वारा जनजातीय आबादी की आय बढ़ाने और आजीविका के विकल्प बनाने में सुविधा प्रदान की है। इसने प्रभावी विपणन चौनल के माध्यम से खुबानी और सब्जियों के उत्पादन के लिए उत्पादकता में वृद्धि, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और बाजार में अवसर की पहचान के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ किया है जिससे बिचौलियों को हटाकर किसान की आय को बढ़ावा मिलेगा। 'शाम वैली एप्रीकॉट प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड' को अपना व्यवसाय संचालन शुरू करने के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस, पैन और जीएसटी मिल गया है। अमेजन जैसी ई–कॉमर्स साइट पर खुबानी की बिक्री प्रक्रिया अधीन है, जबकि इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग विभिन्न ऑनलाइन चैनलों और सोशल मीडिया साइटों के माध्यम से की जाएगी। इस जीवाणु (कीट) को नियंत्रित करने के लिए, ताजा खुबानी पर लगाया गया घरेलू संगरोध, आगे के अध्ययन हेतु एक समाधान खोजने के लिए, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मंत्रालय द्वारा उठाया गया।

10.20 कृषि–रसायनों ने धीरे–धीरे जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने सदियों से स्थायी जैविक या प्राकृतिक कृषि तकनीकों को अपनाया है। इससे फसल की जैव विविधता का गंभीर क्षरण हो रहा है और मिट्टी का क्षरण हो रहा है। यह स्थायी कृषि में आदिवासी समुदायों के पारपंरिक पारिस्थितिक ज्ञान के नुकसान का कारण बन रहा है। इस खतरनाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एसएसआईएएसटी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ "जनजातीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाना" परियोजना शुरू की है, क्योंकि इसका उद्देश्य जनजातीय किसानों के बीच आत्मनिर्भरता पैदा करना है।

10.21 जनजातियों के निवास वाले 10 गांवों में भील, पारधी, लमन, वदर, कैकडी, प्रधान, अंध, वैदु और अन्य का चयन किया गया था। जनजाति के लोगों की उच्च जनसंख्या घनत्व और परियोजना टीम की जमीनी स्तर पर कार्य–पूर्वक्षेत्र भ्रमण रिपोर्ट के आधार पर 2 परियोजना समन्वयकों और 10 सलाहकारों (मैंटरों) की पहचान की गई थी। मैंटरों का चयन उनके नेतृत्व कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण, उपलब्धता और जनजातियों के साथ काम करने के पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर किया गया था। प्रतिभागियों ने स्वदेशी बीजों, देशी गायों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी के साथ खेती की गौ–आधारित तकनीक के कौशल को सीखा। क्षेत्र के दौरों, प्रशिक्षणों और फीडबैक सर्वेक्षणों से संबंधित रिकॉर्डों को ट्रैक और बनाए रखने के लिए सलाहकारों (मैंटरों), समन्वयकों और परियोजना प्रबंधकों को सक्षम करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। सभी सलाहकारों (मैंटरों) और परियोजना समन्वयकों को एक अच्छी परियोजना प्रशासन तंत्र के महत्व पर प्रशिक्षित किया गया था।

10.22 यह पहल लोगों को प्रशिक्षकों और सलाहकारों के रूप में विकसित करने में लोगों की भागीदारी पर आधारित है जो पूरे समुदाय को लैंगिक आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। आजीविका जानकारी को रीसायकल करने के लिए चंहुदिश जैव–अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों की समग्र समझ वाले सभी पहलुओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस पहल के तहत, किसानों को पीजीएस–इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए भी पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें ई–नाम, स्फूर्ति आदि जैसे अन्य मार्केटिंग पोर्टलों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अब तक 3489 जनजातीय किसानों को प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित किया गया है। अन्य उपलब्धियां हैं :

i. किसानों के साथ 1 लाख वृक्षारोपण किया गया।

ii. आयुर्वेद के सहयोग से, किसानों को, औषधीय पौधे लगाने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है।

10.23 **वृक्षबंधनः** महिला किसान मंच के 1100 सदस्यों ने देशी बीजों से राखी बनाने का विचार रखा। 10 अगस्त 2021 को आयोजित एक कार्यक्रम में जनजातीय किसान महिला मंच की महिलाओं ने "बीज राखियों" को प्रभावशाली और उन्हें बनाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया। ये राखियां प्राकृतिक रूप से रंगे हुए, नरम स्वदेशी, गैर–विषैले, बायोडिग्रेडेबल कपास पर चिपके स्वदेशी बीजों से बनी होती हैं। इन्हें एक बार उपयोग करने के बाद, बीजों को मिट्टी में बोया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को लाभ होता है। उम्मीद है कि इस

परियोजना के तहत हजारों पेड़ लगाए जाएंगे और इस परियोजना से, जुड़ी जनजातीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जनजातीय महिलाओं को बीज राखी (सीड राखी) बनाने जैसे कौशल में भी प्रशिक्षण दिया गया है जो त्योहारों के दौरान अतिरिक्त रोजगार पैदा कर सकता है।

10.24 पानी की कमी को दूर करने के लिए यूएनडीपी के साथ साझेदारी में जनजातीय क्षेत्रों में 1000 'स्प्रिंग्स इंनीशिएटिव्ह के द्वारा झरनों की क्षमता का दोहन

पानी की कमी खाद्य सुरक्षा, आजीविका विकल्पों और शैक्षिक अवसरों को प्रभावित करती है। जटिल भौगोलिक स्थिति और जटिल जल–भौगोलिक सीमाओं के कारण, परंपरागत साधनों के माध्यम से पहाड़ी और घने जंगलों वाले क्षेत्रों में जहां अधिकांशतः जनजातीय समुदाय रहते हैं भूजल विकास की क्षमता सीमित है। पीने और घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पानी तक पहुंच अभी भी पहाड़ी इलाकों और जंगलों में बसे हुए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए दूर की बात बनी हुई है। अच्छी पैदावार वाले नलकूपों/कुओं की खुदाई में सफलता कम मिलती है और पाइपों के माध्यम से पानी की आपूर्ति के परंपरागत साधन या तो मुश्किल हैं या सस्ते नहीं हैं। दूर–दराज की बस्तियों में रहने वाले इन समुदायों के लिए अपने लिए पानी की जरूरतों के लिए प्राकृतिक झरनों पर निर्भर रहना ही एकमात्र विकल्प है। पानी की बढ़ती मांग, भूमि उपयोग में बदलाव, पारिस्थितिक क्षरण, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के कारण 'स्प्रिंग डिस्चार्ज' में गिरावट की जानकारी/सूचना है। इससे वनस्पति आच्छादन में कमी, तेज बहाव, पेयजल की भारी कमी और आजीविका से संबंधित गतिविधियों में कमी हुई है। महिलाओं और लड़कियों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

10.25 यूएनडीपी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के एक कठिन और दुर्गम हिस्से में रहने वाले जनजातीय समुदायों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पानी तक पहुंच में सुधार के लिए प्राकृतिक झरनों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से '1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव' शुरू किया। इसका उद्देश्य दूरस्थ जनजातीय बस्तियों में पानी की आपूर्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां पाइप से पानी की आपूर्ति एक चुनौती बनी हुई है एक स्थानीय समाधान प्रदान करना है। जनजातीय युवाओं के एक संवर्ग को स्थायी जल संसाधन के रूप में झरनों की पहचान, आकलन और बचाव, संरक्षण, नवीकरण और झरनों के प्रबंधन के लिए, उनके परंपरागत और वैज्ञानिक ज्ञान का लाभ उठाकर विशुद्ध जलविज्ञानी के रूप में प्रशिक्षित किया गया। इन विशुद्ध जल–विज्ञानियों ने मोबाइल–फोन पर मानचित्रों के माध्यम से 550 से अधिक झरनों (स्प्रिंग्स) के वास्तविक, जल भूवैज्ञानिक और रासायनिक गुणों (पीएच, टीडीएस, तापमान, विद्युत चालकता, निर्वहन आदि) को रिकॉर्ड किया, जिन्हें आगे वेब–आधारित 'जीआईएस सक्षम स्प्रिंग एटलस' से टैग किया गया। यह कार्य 'मनरेगा' और 'वाटरशेड विकास' सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के साथ किया जा रहा है। प्रशिक्षित स्थानीय लोगों ने गांवों में पानी की साल भर उपलब्धता के लिए झरनों के कायाकल्प में मदद करने के लिए जलग्रहण क्षेत्र में काउंटर–ट्रेंचिंग की। पानी के प्रवाहध्बह जाने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मनरेगा के साथ अभिसरण में 1500 से अधिक आडी तिरछी 'कंटूर खाइयां' खोदी गईं। यह समुदाय आधारित मॉडल मानचित्रों की पहचान कर के परंपरागत और वैज्ञानिक ज्ञान को जोड़ता है और मीठे पानी के एक स्थायी स्रोत के रूप में झरनों की सुरक्षा के लिए नवीकरण और संरक्षण के उपाय किए जाते हैं। उपाय करने के बाद से उनकी भागीदारी से स्प्रिंग्स के मानचित्रण, संरक्षण और नवीकरण के लिए सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व सुनिश्चित किया जाता है।

10.26 डेटा–संग्रह के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन और स्प्रिंग्स के जलीय (हाइड्रोलॉजिकल) और रासायनिक गुणों के साथ एक 'जीआईएस–आधारित स्प्रिंग एटलस' (https://thespringsportal.org/) भी तैयार किया गया है ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डेटा का आसानी से अवलोकन किया जा सके। वर्तमान में, ओडिशा के समस्त जनजातीय बहुल जिलों से 550 से अधिक झरनों का डेटा दर्ज किया गया है। झरनों का आकलन (मैपिंग) और पुनर्भरण क्षेत्रों का चिन्हन करने से सुरक्षा और संरक्षण के उपायों के साथ–साथ अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पुनर्भरण संरचना तैयार करने में मदद मिलेगी।

10.27 '1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव' से, दूरस्थ जनजातीय बस्तियों की पानी की जरूरतों को स्रोत से संसाधन में बदलने के लिए बारहमासी झरनों की क्षमता का उपयोग करके एक स्थानीय समाधान देखने को मिला है। स्प्रिंग एटलस तैयार किया गया है और

Tribal women and young girls on the job of fetching water for drinking and domestic use

No water, no animal. Nothing now. It's all dry. Just dry. There are four springs in my village. They are all gone. Every spring counts for us but all have dried up and hence no agriculture in our village – Piscu Majhi

1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव : पहुंच (आउटरीच)*

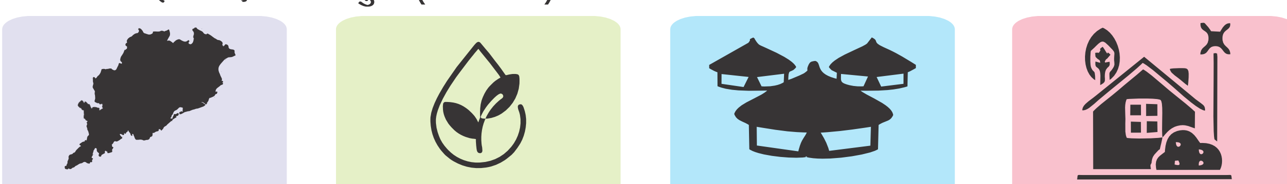

11 जिले – 554 झरने	38 जलाशय	116 बस्तियां	2233 परिवार

*जुलाई 2021 तक

जनजातीय युवाओं को जलभृतों (एक्वीफर्स) का नक्शा बनाने और झरनों की सुरक्षा और संरक्षण के उपायों के लिए विशुद्ध जलविज्ञानी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। प्रयासों की सफलता को निम्नलिखित परिणामों से मापा जा सकता है।

10.28 दूरदर्शिता और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी के कारण, जनजातीय युवा, देश के बाकी हिस्सों की तुलना में डिजिटल रूप से काफी कम जुड़े हुए हैं और यह कार्यक्रम विशेष रूप से युवा जनजातीय महिलाओं के लिए लागू है। सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए जागरूकता और क्षमता, ऑनलाइन जॉब मार्केट को समझने, नौकरी खोजने और आवेदन करने आदि के संदर्भ में यह एक चुनौती है। उद्यमियों और कलाकारों / कारीगरों के लिए भी अवसर नहीं दिए गए हैं। डिजिटल उपस्थिति नहीं होने के कारण, उनके व्यवसाय भौगोलिक रूप से और उनका ग्राहक आधार सीमित हो गया है। आज, इंटरनेट कई लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और इंटरनेट के उपयोग के बिना काम करने की कल्पना करना मुश्किल है।

10.29 जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक ने एक डिजिटल रूप से सक्षम मेंटरशिप प्रोग्राम यानी गोल (गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स) लॉन्च किया है, जो अनुसूचित जनजाति (एसटी) के युवाओं के लिए एक

जनजातीय विशुद्ध जल विज्ञानियों के संवर्ग का सृजन	135 जनजातीय युवाओं को विशुद्धनय से जल विज्ञानियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया, ताकि झरनों के संरक्षण के लिए उनके द्वारा पुनरुद्धार और संरक्षण के उपायों की पहचान करने, नक्शा तैयार करने के कार्य किए जा सकें।
झरनों का चिन्हन और आकलन (मैपिंग)	ओडिशा के 11 जिलों में 116 बस्तियों को कवर करते हुए 554 झरनों को चिन्हित किया गया है।
वृक्षारोपण और वनारोपण पहल	जल भृतों (एक्वीफार्स) को स्थायी रूप से पुनः चालू करने के लिए प्रवाह और मिट्टी की नमी को कम करने के लिए झरने के जलग्रहण क्षेत्र में आईटीडीए और वन विभाग के अभिसरण में स्वदेशी प्रजातियों के 150,000 से अधिक वृक्ष लगाए गए।
झरनों को पुनः चालू करने हेतु जलभृतों के पुनर्भरण के लिए भूमि विकास गतिविधियां	जलग्रहण क्षेत्र में 1250 एकड़ भूमि को वाटरशेड सिद्धांतों के आधार पर स्प्रिंगशेड के तहत उपचारित / सिंचित किया गया है।
पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी की बेहतर उपलब्धता	झरने के जलग्रहण क्षेत्र में भूमि उपचार और वृक्षारोपण के कारण सभी 116 बस्तियों में पिछले वर्षों की तुलना में पूरे वर्ष पीने के पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। वृक्षारोपण के बाद पीने और घरेलू उपयोग के लिए घरेलू परिसरों में पानी की उपलब्धता 20% से बढ़कर 100% होने की उम्मीद है।
पाइप्ड पानी के कनेक्शन तक पहुंच	समुदाय के नेतृत्व वाले झरना–आधारित गुरुत्वाकर्षण आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से अपने घरों में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल के लिए 24 x 7 पहुंच के साथ 25 जनजातीय आवास
वृक्षारोपण का बढ़ा हुआ आवरण	25 बस्तियों में अपेक्षित वृक्षारोपण का क्षेत्र 115 एकड़ (वर्तमान) से बढ़कर 750 एकड़ हो जाएगा जिसका परिणाम वृक्षारोपण के अपेक्षित जीवन (40 वर्ष) पर ~95,200 टन CO2 का आच्छादन होगा।
कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि	सभी बस्तियों में मिट्टी और नमी के संरक्षण कार्यों के कारण कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है। कुछ ने 'इंटरक्रॉपिंग सिस्टम' को अपनाया और कुछ किसानों ने हल्दी और केले जैसी बागवानी फसलें लगाईं। इससे न केवल आजीविका में वृद्धि होगी बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

अनूठी और प्रभावशाली पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के युवाओं को डिजिटल दुनिया के साथ आत्मसात करने में सक्षम बनाना है और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल इंडिया के प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जनजातीय समुदाय की वंचित प्रतिभाओं तक पहुंच बनाना है। इस पहल का मूल विचार डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाकर जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाना है और डिजिटल साक्षरता, उद्यमिता और जीवन कौशल पर परामर्श प्रदान करके युवाओं को अपने समुदायों के लिए ग्रामीण स्तर के डिजिटल युवा नेता बनने में सक्षम बनाना है। प्रशिक्षकों को बुनियादी कौशल, डिजिटल उपकरण, क्षेत्र विशिष्ट कौशल और नेतृत्व और उद्यमिता में प्रशिक्षण दिया जाता है और परामर्शदाताओं द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। कार्यक्रम को वित्तपोषण पूरी तरह से 'फेसबुक इंडिया' द्वारा किया जाता है। ''गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स'' (गोल) कार्यक्रम का दूसरा चरण 28.06.2022 को शुरू किया गया था। 'गोल 2.0' पहल का उद्देश्य देश के जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देकर और डिजिटल तकनीक का उपयोग करके उन्हें अवसर प्रदान करके 10 लाख युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।

10.30 एसोचैम के सहयोग से जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम (टीईडीपी)

इस संयुक्त पहल के तहत, 'एसोसिएटेड चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचौम)' अपने कौशल सैट्स को बढ़ाने, उनकी क्षमताओं के संवर्धन और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनके योगदान में उनकी मदद करने के लिए तीन साल की अवधि में 1000 जनजातीय कारीगरों की पहचान करेगा और उन्हें प्रशिक्षित करेगा। यह 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अनुरूप है जो आत्मनिर्भर बनने की शुरूआत करने के लिए है और जनजातीय समुदाय के लिए रोजगार पैदा करने के अवसर पैदा करने में सहायक होगा। पहले वर्ष में, 'टीईडीपी' की पहल मजबूत जनजातीय ब्रांड पहचान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और निर्माण करने के रास्ते तलाशने और इस प्रक्रिया में – जनजातीय कारीगरों की उद्यमशील क्षमता उत्पन्न करने और वृद्धि करने में सफल रही है।

इन कारीगरों ने अपने सामान और सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और ई–कॉमर्स जैसे अपने पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण का उपयोग पहले से ही करना शुरू कर दिया है। प्रशिक्षित लोगों में से अधिकांश, एक उत्पादक के रूप में कार्यशील हैं और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।

10.31 जनजातीय स्वास्थ्य और अनुसंधान के लिए 'सेटेलाइट–सेंटर' और 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान', जोधपुर और 'प्रवर आयुर्विज्ञान संस्थान' के माध्यम से गुणवत्तापरक सुलभ स्वास्थ्य देखभाल

दिन–प्रतिदिन की शारीरिक बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए, दूरदराज के इलाकों में जनजातीय लोग अभी भी अपने समुदाय के परंपरागत जनजातीय उपचारकों से सलाह लेते हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, जनजातीय उपचारकर्ताओं की उपयोगिता, ज्ञान और प्रथाओं के पद्धतियों के बारे में अधिक जानकारी की खोजबीन नहीं की जाती है। जनजातीय उपचारकर्ताओं की वर्तमान स्थिति और उनकी प्रथाओं (पद्धतियों) को समझने के लिए, राजस्थान में एक आकांक्षी जनजातीय जिले सिरोही, में एम्स जोधपुर द्वारा और प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा महाराष्ट्र राज्य के चार जनजातीय मंडलों, 34 जिलों और 47 जनजातीय समूहों में यह परियोजना शुरू की गई थी। परियोजनाओं का उद्देश्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर और प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज महाराष्ट्र, के माध्यम से चयनित जिलों में 'जियो–टैगिंग', जनजातीय समुदायों के परंपरागत उपचार और जनजातीय–उपचार प्रथाओं (पद्धतियों) के दस्तावेजीकरण और पारंपरिक चिकित्सकों के प्रशिक्षण के साथ सामाजिक आर्थिक और जनसांख्यिकीय विवरण (प्रोफाइल) का अध्ययन करना है।

10.32 इस अध्ययन को चार भागों में बांटा गया है (i) जनजातीय समुदायों की जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक जानकारी का अध्ययन (ii) अनुसंधान और समीक्षा के दृष्टिकोण से पौधों की औषधीय जानकारी का दस्तावेजीकरण। (iii) जनजातीय समुदायों के परंपरागत औषधीय पौधों संबंधी अनुसंधान की रूपरेखा। (iv) जनजातीय उपचारकर्ताओं के लिए वैज्ञानिक पाठ्यक्रम के विकास के माध्यम से जनजातीय परंपरागत उपचारकों का मार्गदर्शन, समन्वयन, प्रशिक्षण और प्रमाणन

सिरोही जिले में एक हजार पंद्रह (1015) जनजातीय उपचारकों की गिनती की गयी। 1000 से अधिक जनजातीय उपचारकर्ताओं को 'कोविड–19' और 'कोविड' उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूक किया गया। उपचारकों द्वारा इलाज की गई 26 प्रकार की स्वास्थ्य

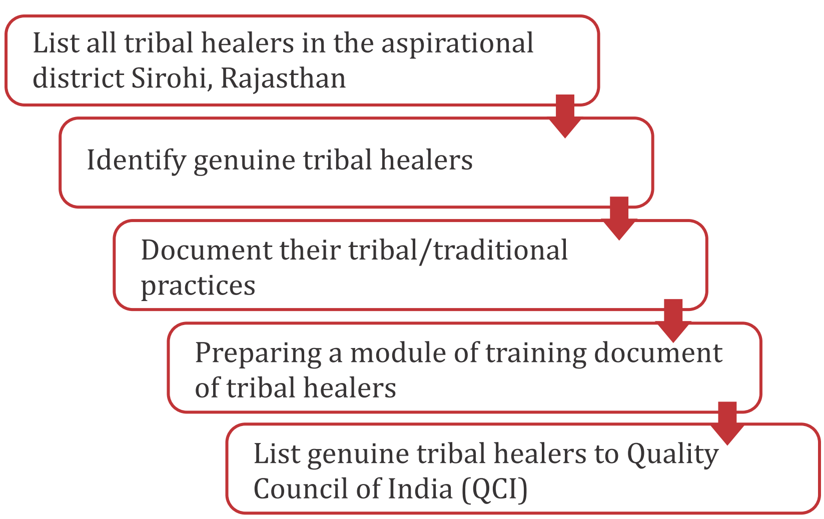

स्थितियों का दस्तावेजीकरण किया गया और जनजातीय उपचारकों की लगभग 40 जमीनी स्तर की प्रथाओं (पद्धतियों) को दर्ज किया गया। स्वास्थ्य स्थितियों पर डेटा एकत्र करने के लिए यह सर्वेक्षण में 1000 से अधिक जनजातीय लोगों को शामिल किया गया था। लगभग 500 जनजातीय महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूक किया गया था, 200 स्कूली बच्चों को दंत स्वास्थ्य शिविर से लाभान्वित किया गया था। 500 जनजातीय रोगियों ने सत्र में संपर्क किया और एम्स जोधपुर के विशेषज्ञों द्वारा 'टेलीमेडिसिन परामर्श' के माध्यम से 200 नए जनजातीय रोगियों को लाभान्वित किया गया। सिरोही में एक सेटेलाइट सेंटर स्थापित किया गया है जहां डॉक्टरों की टीम सिरोही में रहकर क्षेत्र के स्थानिक रोगों के संबंध में अनुसंधान करके, जनजातीय उपचारकों के प्रशिक्षण के लिए और एम्स के विशेषज्ञों द्वारा सिरोही और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को टेलीमेडिसिन सुविधा प्रदान करेगी।

10.33 जल संरक्षण, आजीविका और स्वास्थ्य में सुधार करते हुए कृत्रिम मेधा (एआई) उपाय से एकीकृत जनजातीय विकास

मंत्रालय ने बिट्स पिलानी के सहयोग से जल संरक्षण, आजीविका और स्वास्थ्य में सुधार करके जनजातीय विकास में कृत्रिम मेधा (एआई) उपाय वाली एक परियोजना तैयार की। भारत की जनजातीय आबादी के समग्र विकास के लिए एआई और सहायक डेटा अधिग्रहण और विश्लेषणकारी तकनीकों का उपयोग करते हुए उपरोक्त पहलुओं को शामिल किया जाएगा। परियोजना में की गई गतिविधियों में कृत्रिम मेघा (एआई) का उपयोग करके सिकल सेल रोग के लिए एक "सॉफ्ट–टेस्ट किट" तैयार करना, झरनों और संभावित जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक ड्रोन–आधारित झरना निगरानी प्रणाली, कम संसाधन वाली जनजातीय भाषाओं के लिए एआई–आधारित भाषा अनुवाद प्रणाली विकसित करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच, प्रतिक्रिया और प्रभावशीलता में सुधार के लिए कल्याणकारी योजनाओं और डेटा– संचालित प्रक्रिया विश्लेषण के लिए स्वचालित रूप से भाषा स्वतंत्र प्रचार सामग्री तैयार करना शामिल है।

पशुधन और ऊन शिल्प संवर्धन, चौगथांग, लेह

10.34 चांगथांग, तिब्बत (4500 मीटर से ऊपर) से सटे उच्च ऊंचाई वाले पठार क्षेत्र में एक ठंडा रेगिस्तानी कम आबादी वाले क्षेत्र है, जिसमें लेह जिले के दुरबुक, न्योमा और रूपशो के तीन प्रशासनिक ब्लॉकों में फैले हुए 14 राजस्व गांव शामिल हैं। इसमें 4,000 वर्ग किलोमीटर का विशाल भौगोलिक क्षेत्र आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, चांगथांग क्षेत्र में कुल 10,800 की आबादी वाले 2,063 घर हैं। ब्लॉक मुख्यालय, न्योमा, लेह शहर से 180 किमी की दूरी पर स्थित है। न्योमा गाँव में 202 घर हैं और 918 की जनसंख्या वाली 100% आबादी जनजातीय (एसटी) है। चांगथांग के न्योमा ब्लॉक में मुध

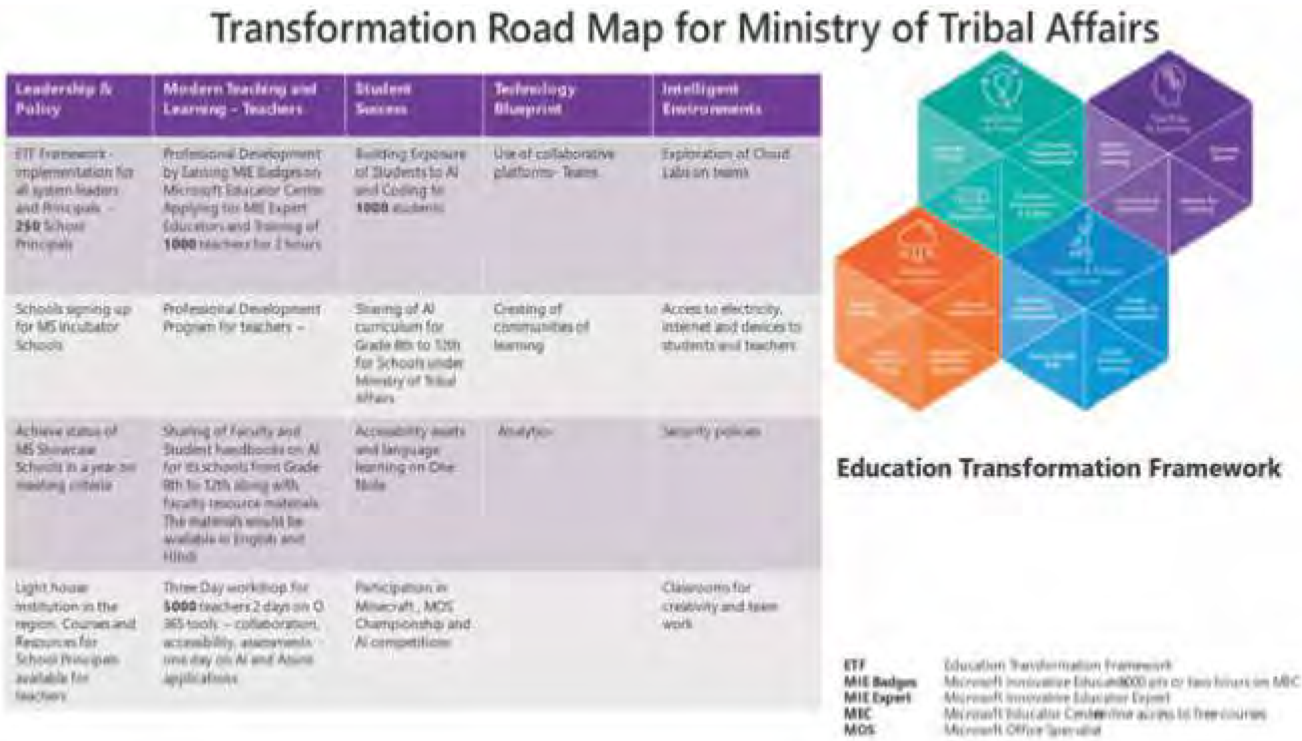

Leadership & Policy	Modern Teaching and Learning - Teachers	Student Success	Technology Blueprint	Intelligent Environments
ETF Framework - implementation for all system leaders and Principals - **250** School Principals	Professional Development by Earning MIE Badges on Microsoft Educator Centre Applying for MIE Expert Educators and Training of **1000** teachers for 2 hours	Building Exposure of Students to AI and Coding for **1000** students	Use of collaborative platforms- Teams	Exploration of Cloud Labs on teams
Schools signing up for MS Incubator Schools	Professional Development Program for teachers -	Sharing of AI curriculum for Grade 8th to 12th for Schools under Ministry of Tribal Affairs	Creating of communities of learning	Access to electricity, internet and devices to students and teachers
Achieve status of MS Showcase Schools in a year on meeting criteria	Sharing of Faculty and Student handbooks on AI for these schools from Grade 8th to 12th along with faculty resource materials. The materials would be available in English and Hindi	Accessibility assets and language learning on One-Note	Analytics	Security policies
Light house institution in the region. Courses and Resources for School Principals available for teachers	Three Day workshop for **5000** teachers 2 days on O 365 tools – collaboration, accessibility, assessments - one day on AI and Azure applications	Participation in Minecraft, MOS Championship and AI competition		Classrooms for creativity and team work

गांव, लेह शहर से 203 किमी की दूरी पर स्थित है। कुल 68 घर हैं जिनकी कुल आबादी 330 है।

यह गांव लेह–सागा मार्ग रोड पर स्थित है और इसकी 100% आबादी जनजातीय है।

10.35 स्थानीय आबादी, ज्यादातर खानाबदोश (घुमन्तु) और अर्ध–घुमंतू चरवाहे अनिवार्य रूप से भेड़ और बकरियों के पालन–पोषण पर निर्वाह करती है। यह परम्परा भेड़ ऊन, याक ऊन और पश्मीना ऊन की उपलब्धता की संभावना की ओर ले जाती है और गांव के कारीगर ऊन प्रसंस्करण में बुनियादी कौशल रखते हैं। सर्दियों के दौरान, गंभीर ठंड के कारण मेमनों की मृत्यु दर अक्सर 50% तक पहुंच जाती है।

10.36 जनजातीय कार्य मंत्रालय, एनएसटीएफडीसी और टाटा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई परियोजना का उद्देश्य ऊन से बनी वस्तुओं पर आधारित उद्यम के गठन के द्वारा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लेह जिले के 3 गांवों में अर्थात न्योमा ब्लॉक (न्योमा, मुध और हनले) के तीन गांवों में मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाते हुए 300 परिवारों के लिए बेहतर पशुधन, ऊनी वस्तुओं पर आधारित उपायों (पहल) से जीवन की गुणवत्ता और आय में सुधार करना है। इसका उद्देश्य बुनती और बुनाई कार्य में 50 कारीगरों को प्रशिक्षित करना और उत्पादों के डिजाइन तैयार करने 50 शिल्पकारों और खानाबदोशों (घुमंतुओं) को बेहतर पशुधन प्रबंधन, तौर तरीकों (पद्धतियों) और शिल्पकारी में उपकरणों के उपयोग में पूरी तरह से पेशेवर बनाना है। मेमनों के लिए 'इनडोर लैम्बिंग शेड' की एक प्रणाली का अन्वेषण (खोज) किया गया है जिससे उन्हें मौसम की गड़बड़ी से सुरक्षा मिल सके और मेमनों की मृत्यु दर को कम किया जा सके।

10.37 चांगथांग के मुध और हनले गांव में भेड़ के बच्चों (मेमनों) के लिए 23′ x 26′ आकार के दो शेडों का निर्माण किया गया था, जिसमें 70 से 80 भेड़ें बैठ सकती हैं। यह परियोजना, लैम्बिंग–शेड के बंद सुरक्षात्मक ढांचे के परिणाम स्वरूप रात के समय शून्य से नीचे के तापमान और जंगली जानवरों से होने वाली क्षति के कारण भेड़ के बच्चे की मृत्यु दर को कम करने में सफल रही है। इस परियोजना से 93 परिवारों और 262 व्यक्तियों को लाभ हुआ है। ऊनी उत्पादों की बुनाई और बुनती (स्वैटर आदि) में 36 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है और बुनाई प्रशिक्षण के दौरान कारीगरों द्वारा 300 मदें (आइटम) तैयार की गई हैं।

10.38 उत्सव, प्रचार और विज्ञापन

इस योजना के तहत सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य कार्यक्रम सहित गणतंत्र दिवस समारोह, स्वास्थ्य शिविर, आदि–महोत्सव, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन और सेमिनार भी आयोजित किए गए हैं। इस योजना के तहत समृद्ध

बुनकर केंद्र में बुनी हुई शॉल के साथ बुनकर

प्रशिक्षण के दौरान बुनी गई जुराबें, दस्तानें एवं ऊनी टोपियां

जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, सूचना के प्रसार और जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिष्ठित संगठनों को परियोजनाएं भी सौंपी जाती हैं।

10.39 मंत्रालय ने 'मानवता के लिए योग' योजना के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2022 के अवसर पर झारखंड के खूंटी में बिरसा मुंडा कॉलेज तीन प्रतिष्ठित स्थानों अर्थात (माननीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में) छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चौरागांव में भोरमदेव मंदिर (माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता के नेतृत्व में) और मां किशकेश्वरी मंदिर स्थल खिचिंग, मयूरभंज, ओडिशा (माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री और जल शक्ति मंत्रालय, श्री बिश्वेश्वर टुडू के नेतृत्व में) में योग के सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 को 'आजादी का 75वां अमृत महोत्सव' के रूप में मनाया गया।

मंत्रालय ने एनएसटीएफडीसी के माध्यम से 26 जून 2022 से खूंटी, झारखंड में "स्वास्थ्य शिविर" का आयोजन किया। महोत्सव में 27 राज्यों के एक हजार से अधिक कारीगरों ने भाग लिया। इसके अलावा, मंत्रालय ने 4 दिसंबर, 2022 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उपलब्ध निधियों के माध्यम से झारखंड के सरायकेला खरस्वां जिले में भी एक "स्वास्थ्य शिविर" आयोजित किया।

10.40 टीआरआई और सीओई परियोजनाओं की ऑनलाइन मॉनीटरिंग : इस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई), उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) और अनुसंधान संस्थानों को स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी के लिए मंत्रालय ने वेब पते https://tri.tribal.gov.in के साथ राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान पोर्टल विकसित किया है। टीआरआई/सीओई त्रैमासिक स्थिति सहित अपने स्वीकृत परियोजना विवरण जमा कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, यूसी और दस्तावेज, इस पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।

10.41 जनजातीय निधान (ट्राइबल रिपॉजिटरी) : समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और दूसरों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, https://tribal.nic.in/repository वेब पते के साथ एक डिजिटल निधान (संग्रह) विकसित किया गया है जहां दस्तावेजों, लोक गीतों, फोटो/वीडियो के माध्यम से उनके विकास, उत्पत्ति के स्थान, जीवन शैली, खाने की आदतों, वास्तुकला, शिक्षा स्तर, पारंपरिक कला, लोक नृत्य और भारत में जनजातियों के अन्य मानवशास्त्रीय विवरण संग्रहीत हैं। इस निधान (संग्रह) में वर्तमान में 10,000 से अधिक तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज और प्रकाशन संग्रहीत हैं जिनका संग्रह ज्यादातर टीआरआई द्वारा किया गया है।

10.42 जनजातीय डिजिटल अभिलेख निधान (संग्रह): "जनजातीय डिजिटल अभिलेख निधान (संग्रह)" प्रकाशित शोध पत्रों, पुस्तकों, रिपोर्टों और दस्तावेजों का एक अद्वितीय डिजिटल निधान (संग्रह) है, जिसमें वेब पते http://repository.tribal.gov.in पर भारत में जनजातियों से संबंधित राज्य, टीआरआई, लेखक, जनजाति, विषय इत्यादि जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर उनके मेटाडेटा के साथ संबंधित दस्तावेज दिए गए हैं। इसमें परिष्कृत खोज की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि हर कोई सुगमता से अपने से संबंधित दस्तावेज ढूंढ़ (देख) सके।

10.43 आदिप्रशिक्षण पोर्टल: क्षमता निर्माण के लिए पोर्टल, जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य जनजातीय विकास/कल्याण विभाग के साथ–साथ जनजातीय विकास के लिए जिम्मेदार अन्य नोडल एजेंसियों द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय डेटाबेस की सुविधा हेतु एक वेब पोर्टल (https://adiprashikshan.tribal.gov.in) विकसित किया गया है। यह पोर्टल जनजातीय विकास के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे संवैधानिक सुरक्षा और विधायी संरक्षण, वन अधिकार अधिनियम, कौशल और उद्यमिता विकास, एसटी, पीआरआई सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, जनजातीय स्कूलों के शिक्षकों, युवा आदि के लिए देश भर में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी को एक साथ लाने में सक्षम है। यह संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों और विभिन्न कार्य क्षेत्रों (डोमेन) में प्रशिक्षण संसाधन सामग्री के डेटाबेस के एक–स्थलीय सूचना केंद्र के रूप में भी काम करेगा। पोर्टल का शुभारंभ माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा किया गया था।

10.44 आदि प्रसारण : यह, मीडिया समाचार और समारोहों के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है (https://adiprasaran.tribal.gov.in) जिसका उद्देश्य समाचार और इवेंटस की मुख्य शीर्षक हाइलाइट्स, इवेंट्स पर पीआईबी रिलीज, नवीन पहल, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, प्रकाशन और रिपोर्ट और दखल रखने वालों की 'सिंगल विंडो एक्सेस' को सक्षम बनाना है।

10.45 जनजातीय कार्य मंत्रालय इन डिजिटल पहलों के माध्यम से अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति, जिस तरीके से धन का उपयोग किया जाता है और अनुसंधान परियोजनाओं की गुणवत्ता की ऑनलाइन निगरानी कर रहा है। दस्तावेज रिपोजिटरी, राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में जनजातीय समुदायों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए योजना बनाने के लिए जनजातियों से संबंधित डेटा और नीति निर्माताओं में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं और व्यक्तियों के लिए उपयोगी टीआरआई द्वारा परस्पर (क्रॉस) लर्निंग की सुविधा प्रदान करता है। टीआरआई ने टीआरआई के साथ समन्वय में पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधियों के लिए 'एफआरए', 'पेसा' और केंद्र एवं राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। आने वाले वर्षों में जनजातीय मुद्दों से संबंधित एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिए इन सभी पदाधिकारियों, मास्टर प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं का डेटा बेस उपयोगी होगा।

10.46 मीडिया सेल : जनजातीय कार्य मंत्रालय के मीडिया प्रकोष्ठ (सेल) का गठन नवंबर 2021 में किया गया था। यह प्रकोष्ठ सूचना के प्रबंधन और जनसाधारण एवं मीडिया आउटलेट्स में सूचना के प्रसार के लिए उत्तरदायी है।

यह प्रकोष्ठ अपनी योजनाओं/नीतियों, नवीन पहलों के बारे में संभावित सभी प्रकार के मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यमों से दर्शकों के लिए सूचना का व्यापक प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करता है:

1. प्रिंट मीडिया – समाचार पत्र (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय / स्थानीय), पत्रिका (राष्ट्रीय / स्थानीय), ब्लॉग, विज्ञापन
2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑडियो–विजुअल (श्रव्य–दृश्य) मीडिया, टीवी चौनल, ई–समाचार पत्र, ई–पत्रिकाएं, रेडियो
3. जनजातीय कार्य मंत्रालय – फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कू, यूट्यूब के साथ उपलब्ध सोशल मीडिया हैंडल
4. आईईसी का व्यावहारिक अभियान – बिलबोर्ड, बैनर, पोस्टर, डीएमआरसी, रेलवे आदि के साथ सहयोग।
5. जनजातीय कार्य मंत्रालय के इंटरएक्टिव डैशबोर्ड और मंत्रालय की वेबसाइट/पोर्टल: समर्पित मीडिया पोर्टल–आदि प्रसारण और अन्य वेबसाइट/पोर्टल जैसे स्वास्थ्य, टीआरआई, जनजातीय डिजिटल प्रलेख संग्रह, जनजातीय संग्रह, आदि कलाकर पोर्टल, ईएमआरएस, एसटीसी, और निष्पादन डैशबोर्ड

इसके कार्यों में प्रेस विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करना, मंत्रालय की सोशल मीडिया उपस्थिति का प्रबंधन करना, समाचार कवरेज की निगरानी करना और मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पर आलेख तैयार करना शामिल है।

प्रेस सूचना ब्यूरो ऑफ इंडिया के सहयोग से मीडिया टीम ने जन जातीय गौरव दिवस समारोह को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। मीडिया टीम ने 13 नवंबर 2022 से शुरू हुए जनजातीय गौरव दिवस के दौरान अपनी क्रॉस–फंक्शनल दक्षताओं का प्रदर्शन करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगामी जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान पहले से शुरू किया गया था। टीम ने इस महोत्सव (कार्यक्रम) के लिए संकल्पना की और ट्वीट तैयार किये और प्री–इवेंट

वातावरण (बज) बनाने के लिए सोशल मीडिया चैनलों पर एक अभियान शुरू किया। अभियान को बढ़ाने के लिए, 6 से 20 नवंबर तक ट्वीट करने के लिए पीआईबी, क्षेत्रीय पीआईबी इकाइयों, अन्य मंत्रालयों और मीडिया इकाइयों के साथ एक ट्वीट बैंक साझा किया गया था। चार मुख्य हैशटैग #Empowering Tribals TransformingIndia #JanJatiyaGauravDivas, #JanjatiyaGauravDivas2022, और #TribalPride ने 6–20 नवंबर 2022 के बीच 27.8K उपयोगकर्ताओं से 181K उल्लेखों के बीच 2.25 बिलियन इंप्रेशन और 305 मिलियन पहुंच प्राप्त की। यह स्वीकृत हैशटैग # JanJatiyaGauravDivas ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। बिरसा मुंडा से जुड़े दूसरे हैशटैग भी ऊपरि दस (टॉप टेन) में ट्रेंड करते रहे।

अन्य सत्यापित सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से मंत्रालय की उपस्थिति ने 'लाइक', 'कमेंट' और शेयर के माध्यम से आयोजन की सफलता के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले लोगों से सक्रिय प्रतिक्रिया प्राप्त की।

इसके अलावा, सोशल मीडिया अभियान और कर्टेन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जनजाति गौरव दिवस के लिए एक अच्छा माहौल तैयार किया।

मीडिया सेल द्वारा प्रचारित मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के कुछ सफल अभियानः

- झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातु गांव (भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान) का माननीय राष्ट्रपति का दौरा, इस आयोजन का सफल कवरेज सुनिश्चित करना। इस प्रमुख कार्यक्रम का लाइव कवरेज लिंक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साझा किया गया था।
- जनजातीय गौरव दिवस 2021 और 2022
- आदि शौर्य
- सुशासन सप्ताहः अच्छे इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से एमओटीए की ई–शासन पहलों का प्रचार
- मेदाराम जथाएरा महोत्सव 2022
- परीक्षा पर चर्चा 2022 और 2023
- 75 लाख पोस्टकार्ड अभियान– ईएमआरएस संकाय और छात्र
- आत्मानिर्भर भारत का बजट
- कोविड–19 अभियान
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
- विशेष स्वच्छता अभियान 2.0
- सोशल मीडिया–ईएमआरएस पर माननीय एमटीए का कार्यक्रम का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग)
- मंथन शिविर
- झारखंड के 4 जिलों में जॉब ड्राइव का आयोजन
- झारखंड के खूंटी में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

बुकलेट डिजाइन और सृजन :

- जनजातीय गौरव दिवस,
- भारत 2022 वार्षिक पुस्तक,
- जनजातियों को सशक्त बनाना... भारत को बदलना
- भारत के जनजातीय नृत्यों पर पुस्तिका
- वेबसाइटें : एकम पोर्टल, आदि प्रसारण पोर्टल
- पीआईबी रिलीज विज्ञप्तियां : नवंबर 2021 से पीआईबी द्वारा 100 से अधिक प्रेस रिलीज तैयार और प्रकाशित की गई हैं
- विद्वानों की सफलता की प्रेरणादायक कहानियां रिकॉर्ड की गईं, ड्राफ्ट की गईं और यूट्यूब पर अपलोड की गईं

निर्मित वीडियो वृत्तचित्र (इन–हाउस) :

- मंत्रालय की 8 साल की उपलब्धियां
- राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान
- खूंटी–झारखंड में स्वास्थ्य शिविर
- झारखंड के 4 जिलों में भर्ती अभियान चलाया गया (हटिया से होसुर–तमिलनाडु तक)
- सरायकेला–झारखंड में स्वास्थ्य शिविर
- परीक्षा पर चर्चा पर लघु वीडियो
- माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री और अन्य मंत्रालयों के मंत्रियों के वीडियो चलचित्र (बाइट्स)
- कोलकाता–पश्चिम बंगाल में G20
- जेएलएन स्टेडियम, नई दिल्ली में आदिशौर्य का आयोजन हुआ।

10.47 योजना कार्य निष्पादन

जनजातीय महोत्सव, अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा

योजना के अंतर्गत पिछले वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत किये गये व्यय को दर्शाने वाला विवरण नीचे दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	नई और चल रही परियोजनाओं के लिए व्यय	स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या
2017–18	0.41	5
2018–19	4.50	16
2019–20	7.00	24
2020–21	8.00	17
कुल		**62**

बहुत कम बजट वाली योजना होने के बावजूद, इस योजना में पिछले 3–4 वर्षों में स्वीकृत 62 परियोजनाओं से संबंधित सफलता की कई कहानियां और साझा करने के लिए सर्वोत्तम परंपराएं (प्रथाएं) हैं, जिन्हें tribal.gov.in, adiprasaran.tribal.gov.in और dashboard.tribal.gov.in पर देखा जा सकता है। मंत्रालय को वर्ष 2020–21 के दौरान ई–गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए "स्कॉच चौलेंजर अवार्ड" से सम्मानित किया गया। आइस–स्तूप, स्वास्थ्य, जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण, पोर्टल का उपयोग करते हुए जल प्रबंधन में अभिनव डिजाइन, जनजातीय गांवों के पारिस्थितिकी–पुनर्वास की परियोजना, प्रदर्शन डैशबोर्ड – भारत को बदलने वाले जनजातीय लोगों को सशक्त बनाना "आईटी सक्षम छात्रवृत्ति, जनजातियों का सशक्तिकरण, योजनाओं के माध्यम से स्कॉच गोल्ड श्रेणी पुरस्कार प्राप्त किया। मंत्रालय को विभिन्न आईसीटी पहलों के माध्यम से 18वें सीएसआई एसआईजी ई–गवर्नेंस अवार्ड्स 2020 में प्रोजेक्ट कैटेगरी–सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटी के लिए, 'परफॉर्मेंस डैशबोर्ड'– एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' के लिए और 19वें सीएसआई एसआईजी ई–गवर्नेंस अवार्ड्स 2021 में जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल – स्वास्थ्य पोर्टल के लिए प्रोजेक्ट कैटेगरी–सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुआ। परियोजनाओं को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में जगह मिली और पिछले 2 वर्षों के दौरान मीडिया में भी व्यापक स्थान दिया गया।

अध्याय 11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

संगठन के बारे में

11.1 संगठन : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनन्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए 10.04.2001 को स्थापित एक शीर्ष संगठन है। इस निगम को सरकारी कंपनी के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत निगमित किया गया था और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के साथ निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उन्नयन में अग्रणी भूमिका निभाता है।

उद्देश्य

11.2 एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं:–

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकि स्व–रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनकी आय को बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत और कार्यरत रहकर प्रशिक्षण (ऑन जॉब ट्रेनिंग) दोनों उपलब्ध कराकर अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयुक्त उनके कौशल और प्रक्रियाओं का उन्नयन करना।
- मौजूदा राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों (एससीए) और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में लगे अन्य विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्यीय चौनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की परियोजना निर्माण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कार्यान्वयन की निगरानी करना।

अंश पूंजी

11.3 निगम की अधिकृत अंश पूंजी 750.00 करोड़ रुपए है और 31.12.2022 तक प्रदत्त पूंजी 750.00 करोड़ रुपए थी।

11.4 एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड हैं : –

क. व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह

- सभी आवेदक (आवेदकों) अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए आवेदक (कों) की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए

ख. सहकारी समितियां : कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिएं तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 3 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के परिवर्तन के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी ऋण की मुद्रा की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम न हो।,

- गरीबी रेखा से दुगनी (डीपीएल) से अधिक तथा 6.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक आय वाली अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने के लिए

ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंक ऋण दरों से 2 प्रतिशत कम है।

स्कीमें

11.5 निगम अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु आय सृजनकारी कार्यकलापों तथा विपणन समर्थन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की स्कीमों के विवरण इस प्रकार हैं:–

क. आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत प्रमुख स्कीमें :

- **मियादी ऋण योजना :** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 50.00 लाख रुपए तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी स्कीम की लागत के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है तथा शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक के अंशदान/उपान्त (मार्जिन) धनराशि के रूप में पूरी की जाती है।

- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) :** यह स्कीम अनन्य रूप से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए है। इस स्कीम के तहत, एनएसटीएफडीसी 2 लाख रुपए तक की लागत वाली स्कीम के लिए 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च रियायती ब्याज दर पर 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है।

- **लघु (माइक्रो) ऋण योजना :** यह स्कीम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों हेतु एक अनन्य योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रति सदस्य 50,000/– रूपये और प्रति स्व–सहायता समूह 5.00 लाख रूपये ऋण प्रदान करता है।

- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना :** यह शिक्षा ऋण योजना है जो भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी और पेशेवर शिक्षा के व्यय को वहन करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत, निगम 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार इस स्कीम के लिए ब्याज–सब्सिडी प्रदान करता है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान तथा नौकरी प्राप्त होने के पश्चात एक वर्ष या छह माह तक, जैसा भी मामला हो, विद्यार्थी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं है।

- **जनजातीय वन निवासी सशक्तीकरण स्कीम :** इस स्कीम का उद्देश्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि के अधिकार दिए गए हैं, में जागरुकता पैदा करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देना, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देना, बाजार के साथ संपर्क (लिंकेज) इत्यादि में सहायता देना है। इस स्कीम के तहत, एनएसटीएफडीसी, लाभार्थियों द्वारा 4 प्रतिशत देय की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रूपये तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान करता है।

ख. विपणन समर्थन सहायता : निगम लघु वन उत्पाद (एमएफपी) और अन्य जनजातीय उत्पादों की खरीद तथा विपणन में लगी एजेंसियों की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ग. अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी सहायता योजना : भारत सरकार की स्टैंड–अप इंडिया योजना के तहत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए, दिसंबर 2020 में "एसटी उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी सपोर्ट स्कीम" नामक एक अलग योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत, पात्र एसटी उद्यमियों को स्टैंड–अप इंडिया योजना के तहत कुल परियोजना लागत के 15% की सीमा तक एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता का लाभ उठाने की अनुमति है।

घ. अनुदान के रूप में एनएसटीएफडीसी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता : स्वरोजगार/रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल और उद्यमिता विकास के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

तालिका 11 : एनएसटीएफडीसी की उपर्युक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के मानदण्ड सरसरी दृष्टि से इस प्रकार हैं

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	प्रति इकाई लागत	एनएसटीएफडीसी का अंश	प्रतिवर्ष देय ब्याज	
				एससीए द्वारा	लाभार्थियों द्वारा
1.	सावधि ऋण योजना	50.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक)	
				5%	8%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 10 लाख रुपए तक)	
				7%	10%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए से ऊपर) (उपर्युक्त ब्याज दरें स्लैब आधार पर नहीं हैं)	
2.	आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई)	2 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3.,	स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ)	प्रति सदस्य 50,000 रुपए तथा प्रति एसएचजी 5 लाख रुपए	100%	3%	6% (एसएचजी द्वारा देय)
4.	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई)	10 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	3%	6%
5.	जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना	2 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	2%	4%

11.6 निगम का निष्पादन

क. स्वीकृतियां : 31.12.2022 तक, निगम ने 27,228 लाभार्थियों के आर्थिक उत्थान के लिए 111.47 करोड़ रुपए की अपनी हिस्सेदारी वाली आय सृजन गतिविधियों के तहत 112 योजनाओं को स्वीकृति दी है।

ख. संवितरण : 31.12.2022 तक, निगम ने 34,100 लाभार्थियों को लाभान्वित करने वाली स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 181.12 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें सावधि ऋण के तहत 104.59 करोड़ रुपए और माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत 70.48 करोड़ रुपए का संवितरण शामिल है। वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक–11** में दी गई है।

अध्याय 12
जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता

प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)

12.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" और "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन" योजना के विलय के माध्यम से तैयार किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" योजना वर्ष 2013–14 के दौरान अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों जिनकी आजीविका एमएफपी के संग्रह और बिक्री पर निर्भर करती है, से संबंधित लोगों को आवश्यक सुरक्षा जाल और सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गयी थी।

12.2 इस स्कीम में, चयनित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूबनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की जाती है। किसी विशिष्ट एमएफपी वस्तु का प्रचलित बाजार मूल्य, न्यूनतम निर्धारित एमएसपी मूल्य से कम हो जाने के मामले में पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर प्रापण व विपणन का प्रचालन निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ–साथ अन्य मध्यम व दीर्घकालिक मुद्दों जैसे निरंतर संग्रहण, मूल्य वृद्धि, अवसंरचना विकास, लघु वन उत्पादों का ज्ञान आधारित विस्तार और बाजार आसूचना विकास का समाधान भी किया जाएगा।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य

12.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या एफ.सं.19/17/2018–आजीविका दिनांक 01 मई 2020 के माध्यम से जनजातियों का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए, योजना के तहत पहले से अधिसूचित 50 एमएफपी वस्तुओं के लिए एमएसपी को संशोधित किया। इसके अलावा, योजना के तहत एमएफपी वस्तुओं की कवरेज को भी जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ.सं.19/17/2018–आजीविका दिनांक 26.05.2020 और 11.11.2020 के माध्यम से अखिल भारतीय संकेन्द्रण (पैन इण्डिया फोकस) के साथ अतिरिक्त 37 वस्तुओं तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार, इस योजना में वर्तमान में 87 वस्तुएं शामिल हैं। विवरण **अनुलग्नक–12** में दिया गया है। यह योजना राज्य सरकार के परामर्श से ट्राइफेड द्वारा चयनित राज्य स्तरीय एजेंसी (एसएलए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एसएलए को परिक्रामी निधि प्रदान करता है। हानि, यदि कोई हो, को केंद्र और राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में साझा किया जाना है।

वन धन योजना

12.4 वन धन योजना के तहत वन धन स्व–सहायता समूह (वीडीएसएचजी) के रूप में जानी जाने वाली एक ग्राम स्तर की प्राथमिक एसएचजी इकाई की स्थापना की जाती है, जिसमें 20 वनवासी होते हैं, जो लघु वन उत्पादों, कृषीय उत्पादों, औषधीय पौधों इत्यादि के संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का कार्य करती है। 15 ऐसे वीडीएसएचजी को एक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) में शामिल कर लिया गया है, जो प्रशिक्षण, कच्चे माल के एकत्रीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन कार्यों में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभों को प्राप्त करने के लिए 300 सदस्यों को जोड़ता है। यह वन धन अर्थात वन संपदा का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका सृजन को लक्षित करने वाली एक पहल है। कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय आधारित उद्यमों, वन धन विकास केंद्रों के सृजन और संचालन के माध्यम से, जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल का उपयोग करना और जनजातीय के ज्ञान को एक अधिक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में मजबूत करना है। वन धन विकास केन्द्रों को जनजातीय आवास में और उसके आसपास उपलब्ध विभिन्न वन उत्पादों के मूल्यवर्धन और बेहतर विपणन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण इनपुट, उपकरण और अन्य सहायता दी जाएगी।

तालिका 12.1: विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) का विवरण				
क्र. सं.	**राज्य**	**स्वीकृत वीडीवीके की संख्या**	**वन धन लाभार्थियों की कुल संख्या**	**स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)**
1	आंध्र प्रदेश	415	123258	6162.9
2	अरुणाचल प्रदेश	85	25500	1275
3	असम	302	92119	4530
4	छत्तीसगढ़	139	41700	2085
5	दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव	1	302	15
6	गोवा	10	3000	150
7	गुजरात	116	34424	1721.2
8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	55.5
9	जम्मू और कश्मीर	100	29791	1457
10	लद्दाख	10	3000	150
11	झारखंड	39	11601	569.7
12	कर्नाटक	140	41748	2087.4
13	केरल	44	12038	597.25
14	मध्य प्रदेश	107	32160	1605
15	महाराष्ट्र	264	79350	3960
16	मणिपुर	200	60403	2996.8
17	मेघालय	39	11835	584.1
18	मिजोरम	159	46168	2306.55
19	नागालैंड	206	61798	3089.9
20	ओडिशा	170	50094	2479.25
21	राजस्थान	479	144803	7135.6
22	सिक्किम	80	23801	1169.05
23	तमिलनाडु	8	2400	120
24	तेलंगाना	17	5100	255
25	त्रिपुरा	32	8774	436.95
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	359.55
27	उत्तराखंड	12	3605	179.95
28	पश्चिम बंगाल	22	6719	329.35
	कुल	**3225**	**963839**	**47863**

अगस्त, 2019 के बाद से, ट्राइफेड को विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) को स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उद्यमशीलता एवं आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के लिए 9.63 लाख लाभार्थियों से जुड़े 25 राज्यों और 3 संघ राज्यक्षेत्रों में 3225 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी गई।

जबकि केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार को भूमि/भवन निःशुल्क उपलब्ध कराना होता है, वहीं केंद्र सरकार प्रशिक्षण, पक्ष समर्थन (एडवोकेसी), कच्चा माल,

उपकरण किट आदि के लिए व्यय प्रदान करेगा। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से स्थायी जनजातीय उद्यमिता स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए वन धन योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संशोधित किया गया है। यह जनजातीय परिवारों को नियमित आजीविका और आय सृजन के अवसर प्रदान करेगा।

राज्य स्तरीय पक्ष समर्थन (एडवोकेसी)

12.5 एमएफपी के लिए एमएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत सभी वन धन विकास केंद्रों के संचालन के लिए राज्य नोडल विभागों/राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ पक्ष समर्थन (एडवोकेसी) बैठकें/वेबिनार आयोजित किए गए।

योजना का प्रदर्शन

12.6. 2014–15 से 2021–22 के दौरान 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास' योजना के तहत जारी सहायता अनुदान का विवरण नीचे **तालिका 12.2(क)** और **तालिका 12.2(ख)** में दिया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान राज्यों द्वारा लघु वनोपज (एमएफपी) की खरीद **तालिका 12.2(ग)** में दी गई है।

तालिका 12.2 (क) : एमएफपी की खरीद के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी सहायता अनुदान (परिक्रामी निधियां)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	राज्यों को स्वीकृत/निर्मुक्त की गई परिक्रामी निधियां
1	छत्तीसगढ	15366.00
2	गुजरात	622.00
3	झारखंड	2415.00
	झारखंड	2257.00
4	महाराष्ट्र	500.00
5	आंध्र प्रदेश	828.75
6	मध्य प्रदेश	3489.00
7	ओडिशा	4991.00
8	राजस्थान	20.00
9	पश्चिम बंगाल	201.72
10	मणिपुर	10.50
11	नागालैंड (डूडा)	252.16
12	उत्तर प्रदेश	240.00
13	केरल	59.74
14	कर्नाटक	124.60
15	असम	66.935
16	त्रिपुरा (टीआरपीसी लिमि.)	192.15
	त्रिपुरा (मार्कफेड)	8.51
17	तमिलनाडु	228.97
18	मिजोरम	91.50
	कुल	**31965.535**

तालिका 12.2 (ख) : अवसंरचना ढांचे के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	राज्यों को निर्मुक्त की गई अवसंरचना निधियां
1	छत्तीसगढ़	990.25
2	गुजरात	497.37
3	झारखंड	39.00
4	महाराष्ट्र	325.00
5	आंध्र प्रदेश	709.50
6	मध्य प्रदेश	2681.25
7	ओडिशा	820.00
8	पश्चिम बंगाल	455.44
9	मणिपुर	300.00
10	नागालैंड (डूडा)	65.80
11	उत्तर प्रदेश	821.25
12	केरल	357.75
13	असम	708.380
14	त्रिपुरा	114.00
15	तमिलनाडु	30.94
	कुल	**8915.93**

तालिका (12.2 (ग) : वर्ष 2021–22 और 2022–23 (नवंबर 2022 तक) के दौरान राज्यों द्वारा लघु वन उपज (उत्पादों) (एमएफपी) की खरीद

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य	खरीदे गए एमएफपी का मूल्य	
		2021–22	2022–23 (नवम्बर, 2022 तक)
1	ओडिशा	578.75	1622.10
2	छत्तीसगढ़	10191.85	4070.24
3	आंध्र प्रदेश	95.40	26.33
4	गुजरात	90.99	102.04
5	राजस्थान	2.65	0.00
6	महाराष्ट्र	119.01	22.66
7	झारखंड	263.05	183.98
8	नागालैंड	0.67	7.12
9	त्रिपुरा	0.00	0.00
10	पश्चिम बंगाल	0.00	8.63
11	असम	0.00	0.00
12	मणिपुर	0.00	0.00
13	कर्नाटक	36.58	0.00
14	मध्य प्रदेश	5.55	1180.88
15	केरल	79.27	0.00
16	उत्तर प्रदेश	1.67	0.00
17	तमिलनाडु	0.00	4.46
	कुल	**11465.44**	**7228.44**

12.7 2017–18 से 2021–22 तक "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज/उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास" की योजना के तहत ट्राइफेड को निर्मुक्त सहायता अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
ट्राइफेड	2.00	31.47	147.43	75.74	106.29

"प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)" योजना के तहत वर्ष 2022–23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान जारी अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रुपए में)	संशोधित अनुमान	व्यय
2022–23	499.00	140.27 करोड़	106.07 (दिसम्बर, 22 तक)

अध्याय 13
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के बारे में

13.1 अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षोपायों और विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 1978 में, एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु–सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं, समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अतः जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना की गई थी।

13.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि आयोग के अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है।

कार्यालय की अवधि

13.3 आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य दो अवधियों से अधिक के लिए नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

कार्य एवं कर्तव्य

13.4 आयोग के मुख्य कर्तव्य अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है।

13.5 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्य तथा शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5), (8) तथा (9) में दी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 5 के अनुसार, आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(क) इस संविधान के तहत या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी भी आदेश के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना;

(ख) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ एवं किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) राष्ट्रपति को सालाना और ऐसे अन्य समय पर प्रस्तुत करने के लिए जो आयोग उपयुक्त समझे, उन सुरक्षा उपायों के काम पर रिपोर्ट;

(ड.) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिश करने के लिए जो संघ या किसी राज्य द्वारा

अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने चाहिएं; तथा

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास एवं उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना, जैसा कि राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, नियम द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 8 के अनुसार, आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं, अर्थातः

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन भेजकर उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ दिलाकर उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से आयोग के किसी सार्वजनिक रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की आवश्यकता;

(ड.) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए शासन आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित करें।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (9) में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय और प्रत्येक राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

13.6 इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना एफ.सं. 17014/3/2004–सी एंड एलएम–।। दिनांक 23 अगस्त, 2005 के अनुसार, आयोग अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगा, अर्थातः

(क) उपाय जो वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व का अधिकार दिए जाने के लिए आवश्यक हैं;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) जनजातियों के विकास और अधिक व्यवहार्य आजीविका रणनीतियों के लिए किए जाने वाले उपाय;

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ड.) जनजातीय लोगों का भूमि से अन्य हस्तान्तरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही हस्तान्तरण हो चुका है;

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों को शामिल करने एवं अधिकतम सहयोग प्रदान करने हेतु किए जाने वाले उपाय;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ज) जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती को धीरे–धीरे कम करना और अन्ततः समाप्त करना, जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, के लिए किए जाने वाले उपाय।

आयोग तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्यस्थल

13.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय

कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के पते (स्थान) और क्षेत्राधिकार **अनुलग्नक–13** में दिए गए हैं।

आयोग की वार्षिक रिपोर्टें

13.8 संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 5(घ) की शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षोपाय करने संबंधी रिपोर्टें राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक रूप से और आयोग जब भी उचित समझे, अन्य समय पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अनुसार इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखना अपेक्षित है और इसके साथ केन्द्रीय सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी किन्ही सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हों, भी बताने होंगे। एनसीएसटी के सृजन और उसके बाद इसके द्वारा की गई कार्रवाई के बाद प्रस्तुत रिपोर्टों की स्थिति नीचे **तालिका 13** में दी गयी है :–

तालिका 13 : एनसीएसटी के सृजन और उसके बाद इसके द्वारा की गई कार्रवाई के बाद प्रस्तुत रिपोर्टों की स्थिति

रिपोर्ट	वर्ष	एनसीएसटी द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि	जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद (लोकसभा/राज्यसभा) में को रखी गई
पहली	2004–05 और 2005–06	08.08.2006	30.08.2012 और 31.08.2012
दूसरी	2006–07	03.09.2008	26.04.2013 और 02.05.2013
तीसरी	2007–08	29.03.2010	08.08.2016 और 10.08.2016
चौथी	2008–09	27.08.2010	08.08.2016 और 10.08.2016
पांचवी	2009–10	13.07.2011	08.08.2016 और 10.08.2016
जनजातीय विकास और प्रशासन के लिए सुशासन की विशेष रिपोर्ट	2012	18.06.2012	12.12.2013 और 13.12.2013
6ठीं	2010–11	25.10.2013	10.4.2017. और 29.3.2017
7वीं	2011–12	20.02.2015	10.4.2017 और 29.3.2017
8वीं	2012–13	16.11.2015	10.4.2017 और 29.3.2017
9वीं	2013–14	24.05.2016	31.12.2018 और 03.01.2019
10वीं	2014–15	31.05.2016	11.02.2019 और 07.02.2019
11वीं	2015–16	28.10.2016	25.11.2019 और 28.11.2019
आन्ध्र प्रदेश में इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना संबंधी एनसीएसटी की विशेष रिपोर्ट	2018	03.07.2018	13.03.2023 और 15.03.2023
12वीं	2016–17*	14.11.2019	–
13वीं	2017–18*	15.01.2020	–
विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन संबंधी विशेष रिपोर्ट (राउरकेला स्टील प्लांट)	2020	15.01.2020	13.03.2023 और 15.03.2023
14वीं	2018–19*	24.03.2021	–
15वीं	2019–20 – 2020–21*	21.06.2022	–

* मंत्रालय में प्रक्रियाधीन

अध्याय 14
स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

14.1 स्वैच्छिक अथवा गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के स्थानीय आधार और पहुंच के साथ उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि यह सुनिश्चित करने में वे सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि इन प्रयासों के लाभ बड़ी सख्या में लक्षित आबादी तक पहुंचें। कई स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ) ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और मंत्रालय इन संगठनों के प्रयासों का समर्थन करता है जो "एनजीओ को सहायता अनुदान" योजना के माध्यम से देश के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एनजीओ जो नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हैं और मंत्रालय के एनजीओ पोर्टल पर भी पंजीकृत हैं, अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से चयनित गैर सरकारी संगठनों को अनुदान जारी किया जाता है। किसी विशेष वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठन को अनुदान सरकार द्वारा उस विशेष वर्ग की परियोजना के लिए निर्धारित तथा समय–समय पर संशोधित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार सीमित है। अनुदान समय–समय पर यथा संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम 230 से 234 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं तथा वर्तमान दिशा–निर्देशों के नियम और शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

14.2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का चयन, पारदर्शी तरीके से, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की अधिक भागीदारी से किया जाए, मंत्रालय ने गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है। इस प्रक्रिया के अनुसार, सभी राज्य सरकारों/संघ संघ राज्य क्षेत्रों ने जनजातीय कल्याण विभाग के प्रधान सचिव/प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में "स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन देने के लिए राज्य समिति" का गठन किया है। समिति गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत नए प्रस्तावों की जांच करती है और अनुदानों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को एनजीओ की परियोजनाओं के प्रस्तावों पर आवश्यक सिफारिशें करती है। हालांकि, एनजीओ के चल रहे प्रस्तावों के लिए राज्यों के जनजातीय कल्याण विभाग के प्रधान सचिव/प्रभारी अधिकारी की सिफारिश आवश्यक है।

14.3 2018 तक, इस योजना को मैनुअल मोड में क्रियान्वित किया जा रहा था। गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आवेदन/प्रस्तावों को ऑफलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक था और प्रस्तावों को वास्तविक (फिजिकल) सत्यापन के लिए राज्यों को भेजा गया था और इसमें किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान जारी करने से पहले कुछ वर्षों का समय अंतराल था। निधियों को जारी करने में देरी के कारण, गैर सरकारी संगठनों को अपने लंबित अनुदानों के बारे में पूछताछ करने के लिए राज्य और केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय में बार–बार जाना पड़ता था और कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं था। गैर सरकारी संगठनों के कामकाज की निगरानी के लिए कोई मजबूत तंत्र नहीं था।

14.4 योजना के संचालन को ऑनलाइन करने के नीति आयोग के अधिदेश के बाद, मंत्रालय ने एक समर्पित एनजीओ पोर्टल विकसित किया है जो एनजीओ योजना को क्रियान्वित करने के लिए अनुकूलित शुरु से अंत तक (एंड–टू–एंड) समाधान प्रदान करता है। इस पोर्टल में अनुदान का आवेदन ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने, निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने, राज्यों द्वारा ऑनलाइन सिफारिश या अस्वीकृति, प्रसंस्करण और अनुदान जारी करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने की सुविधा है। ऑनलाइन प्रस्ताव दाखिल करने, सत्यापन, आवेदनों के प्रसंस्करण और पीएफएमएस के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों के खाते में निधियों के सीधे वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, पोर्टल को एनजीओ, जिला, राज्य, एनजीओ डिवीजन और आईएफडी के साथ एकीकृत किया गया है, जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एक्सेस दिया गया है। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए, एनजीओ के पास नीति आयोग के एनजीओ दर्पण से यूनिक–आईडी होना

आवश्यक है। एक परियोजना के लिए जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन को जिला और राज्य के अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाता है। ऑनलाइन प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के बाद, स्वीकृति आदेश उत्पन्न होता है और पीएफएमएस के माध्यम से अनुदान जारी किया जाता है। मंत्रालय से निधियां प्राप्त करने वाले एनजीओ के सभी व्यय और रसीदों को दर्ज करने के लिए आवश्यक है कि गैर–सरकारी संगठन अपना व्यय विवरण प्राप्ति व्यय अग्रिम अंतरण (आरटीई मॉड्यूल) के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराएं। पोर्टल में ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र है। सभी हितधारक अपने लॉगिन आईडी के साथ आवेदन की लाइव स्थिति को ट्रेक कर सकते हैं। डेटाबेस में एनजीओ और राज्यों के साथ निगरानी और समन्वय के लिए राज्य–वार, एनजीओ–वार, क्षेत्र–वार, जिला–वार जारी निधियाँ जैसी विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता है, जिसे प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

14.5 समर्पित एनजीओ पोर्टल (ngo.tribal.gov.in) एनजीओ योजना के ऑनलाइन कार्यान्वयन और 24 राज्यों में 320 से अधिक परियोजनाओं के लिए लगभग 190 एनजीओ जो सेवा की कमी वाले क्षेत्रों, एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों में मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, को जारी अनुदान की निगरानी के लिए अनुकूलित एंड–टू–एंड (शुरु से अंत तक) समाधान प्रदान करता है।

14.6 इस पहल से प्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। न केवल प्रसंस्करण समय कम हो गया है, मंत्रालय उसी वित्तीय वर्ष में अनुदान के बड़े हिस्से को मंजूरी देने और शिकायतों का तेजी से निवारण करने में सक्षम हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल विश्वसनीय एनजीओ को ही योजना के दायरे में लाया जाए, मंत्रालय सामान्यतः एनजीओ के सत्यापन के लिए स्वतंत्र एजेंसी/तृतीय पार्टी को नियुक्त करता है जिनको उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर भी निरीक्षित/वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, मंत्रालय जीआईएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से छात्रों की उपस्थिति और एम्बुलेंस की आवाजाही पर नजर रखने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

14.7 सामान्यतया जिला क्लेक्टर अथवा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर गैर–सरकारी संगठनों के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर अनुदान प्रतिवर्ष निर्मुक्त किया जाता है। इस योजना के तहत मंत्रालय निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए और अधिक प्रयास कर रहा है।

स्कीम का निष्पादन

14.8 विगत 2 वर्षों में किए गए आवंटन तथा व्यय के साथ–साथ वर्ष 2022–23 के दौरान स्कीम के तहत मंत्रालय द्वारा आवंटन एवं किये गये व्यय के ब्यौरे तालिका 14 में दिये गये हैं। योजना के तहत वर्ष 2020–21 से 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी सगठनों, निर्मुक्त निधि और लाभार्थियों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक 14** पर है।

तालिका 14 : वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय
	ब.अ.	सं.अ.	
2020–21	110	60	59.5
2021–22	110	90	89.25
2022–23	110	110	88.92 (31.12.2022 तक)

अध्याय 15
अनुसूचित जनजातियों के लिए मानवाधिकार और संवैधानिक सुरक्षा उपाय

प्रस्तावना

15.1 "मानव अधिकार", "मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993" की धारा 2 (घ) के तहत परिभाषित किये गए हैं, जो भारत में प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। भारत का संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

15.2 अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

क. अजजा के रूप में समुदायों की परिभाषा और निर्धारण

i. अनुच्छेद 366 (25) में उन जनजातियों की परिभाषा दी गई हैं जिन्हें अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां सभझा जाता है

ii. अनुच्छेद 342 में यह प्रावधान है कि (1) राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से पश्चात लोक अधिसूचना के द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजाति समुदायों के भागों या जनजातीय समूहों या अनुसूचित जनजातीय होने वाले समुदायों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा और (2) संसद, खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन या उसमें से अपवर्जन कर सकेंगी।

भारत सरकार ने समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित करने की प्रविधियां जारी की हैं। ये प्रविधियां निर्दिष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रस्ताव को यथावत, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के समक्ष रखा जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा संबंधित अधिसूचना के तहत संशोधन के भारत सरकार द्वारा उपयुक्त अधिनियमन के लिए इस प्रस्ताव को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व इस पर आरजीआई और एनसीएसटी दोनों की सहमति आवश्यक होगी।

ख. अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान

iii. अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किये गये हैं कि (1) पांचवीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे और (2) छठी अनुसूची के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिएइन चार राज्यों (असम मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) में लागू होंगे।

iv. अनुच्छेद 339 में यह प्रावधान है कि (1) राष्ट्रपति, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों के अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकेगा और (2) संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवश्यक बताई गई स्कीमें तैयार करने और कार्यान्वयन के बारे में हैं।

ग. सार्वजनिक नियोजन, सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा और एसटी के विकास से संबंधित प्रावधान

v. अनुच्छेद 15 (1) में यह प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म–स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 15 (4) में प्रावधान हैं कि इस अनुच्छेद में

या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

vi. अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

vii अनुच्छेद 19 में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को निम्नलिखित का अधिकार होगाः

(क) वाक्–स्वातंर्त्य और अभिव्यक्ति स्वातंर्त्य का अधिकार;

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार;

(ग) संगम या संघ (या सहकारी सोसाइटी) बनाने का अधिकार;

(घ) समस्त भारत में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार;

(ङ) भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बस जाने का अधिकार; तथा

(च) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।

अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में ये स्वतंत्रता और सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देश के समान नागरिकों के अनुरूप अपने अधिकारों का उपयोग करने में ये सुरक्षा–उपाय, अनुसूचित जनजातियों को सक्षम बनाते हैं।

viii. अनुच्छेद 23 और 24 के तहत मानव का दुर्व्यापार (तस्करी) और बेगार (बंधुआ मजदूरी) के साथ–साथ बाल–श्रम भी प्रतिषिद्ध (मना) है। अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक कमजोरियों को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

ix. अनुच्छेद 29 में प्रावधान है कि एक सांस्कृतिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है।

x. अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।

xi. अनुच्छेद 275 (1) के तहत, राज्य द्वारा उस राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण या उसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक स्तर के उन्नयन के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की जाने वाली ऐसी विकासात्मक योजनाओं की लागतों को पूरा करने के लिए राज्यों को भारत की संचित निधि से अनुदान का प्रावधान है।

xii. अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान है संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा परंतु, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में, या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी भी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

घ. राजनीतिक सुरक्षा–उपायों से संबंधित प्रावधान

xiii. अनुच्छेद 330, 332, 243 घ और 243 न में क्रमशः लोक सभा (हाऊस ऑफ पीपल), राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों (पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं) में अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार सीटों के आरक्षण के प्रावधान दिये गये हैं।

ङ. सांविधानिक उपचार का अधिकार

xiv. अनुच्छेद 32 में राज्य या अन्य संस्थानों/ व्यक्तियों द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा के लिए कानूनी उपायों का प्रावधान है। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को

इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में जाने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से मना किया गया है जिसका मौलिक अधिकारों के साथ टकराव होता हो। यह अधिकार भारत की जनजातीय आबादी के लिए समान रूप से उपलब्ध है।

च. अजजा के हितों की सुरक्षा के लिए सांविधिक प्रावधान

भारत सरकार ने माना है कि सांविधानिक सुरक्षा उपायों को कानूनी और अन्य उपायों में निरूपित किये जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जनजातीय (एसटी) लोग अपनी अद्वितीय सामाजिक–सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए समाज के अन्य वर्गों के साथ अपना विकास करने में सक्षम हो सकें। इस संबंध में मुख्य सांविधिक प्रावधान निम्नलिखित हैंः

i. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को "अस्पृश्यता" को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता का व्यवहार करने पर उससे संबंधित मामलों में उत्पन्न किसी भी दिव्यांगता के खिलाफ दंडित करने के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

ii. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के साथ भेदभाव के खिलाफ एक सुरक्षा–उपाय है। यह अधिनियम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के साथ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए लागू किया गया है।

iii. पंचायत अधिनियम, 1996 (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (संक्षेप में 'पेसा') को, संविधान के भाग IX में पंचायतों से संबंधित दिए गए प्रावधानों का, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

iv. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम {वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के नाम से प्रसिद्ध}, 2006 का मुख्य उद्देश्य, वन में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्पारगत वन निवासियों के जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवास कर रहे हैं, किंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है और वन भूमि में कब्जों को मान्यता देना तथा उन्हें निहित वन अधिकार प्रदान करना है।

v. अनुसूचित जनजातियों के हितों और अधिकारों से संबद्ध अन्य कानून हैं– भारतीय वन अधिनियम 1927, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, भारतीय वन नीति 1988, भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, क्षतिपूरक वनीकरण कोष नियम 2018, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूमि का हस्तांतरण और बहाली या परिवर्तन से संबद्ध सभी केंद्रीय और राज्य अधिनियम और विनियम।

15.3 सुरक्षा–उपायों की निगरानी के लिए एजेंसीः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना संविधान में,'संविधान अधिनियम, 2003 (89वां संशोधन)', अनुच्छेद 338 में संशोधन और नए अनुच्छेद 338क को शामिल करके,19 फरवरी 2004 को की गई थी। आयोग के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष को क्रमशः केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्य के मंत्री का जबकि आयोग के अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का रैंक दिया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य और कर्त्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (5) के अंतर्गत किया गया है :–

आयोग का यह कर्त्तव्य होगा –

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायो से संबंधित सभी मामलों की जांच करना तथा मॉनीटर करना।

(ख) अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और संघ और किसी भी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(घ) राष्ट्रपति को, वार्षिक तौर पर और अन्य ऐसे समयों पर, जब भी आयोग उपयुक्त समझें, उन सुरक्षा उपायों के आकलन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ङ) उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के बारे में लिए जो संघ या किसी भी राज्य द्वारा किए जाने चाहिएं, सिफारिश करना; तथा

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नयन के संबंध ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

आयोग, उपरोक्त कार्यों के अलावा, निष्पादन, कल्याण और विकास तथा अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के संबंध में निम्नलिखित अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगा जैसे –

(क) वन क्षेत्रों में रहने वाले अजजा के लोगों को लघु/गौण वन उपज (एमएफपी) के संबंध में स्वामित्व–अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करना;

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों, आदि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय करना;

(ग) जनजातियों के विकास के लिए खामियों को दूर करने और अधिक व्यवहारिक आजीविका संबंधी कार्यनीतियां बनाने के काम करने के लिए उपाय करना;

(घ) विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वासन–उपायों की पर्याप्तता में सुधार के लिए उपाय करना;

(ङ) जनजातीय लोगों को भूमि से अलग किये जाने से बचाव और ऐसे लोगों जिनके मामले में भूमि से पहले ही अलग किया जा चुका है,को प्रभावी ढंग से पुनर्वासित करने के लिए उपाय करना;

(च) वनों की रक्षा और सामाजिक तौर पर वनीकरण के लिए जनजातीय समुदायों के अधिकतम सहयोग और भागीदारी के लिए उठाए जाने वाले उपाय करना;

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने वाले उपाय करना;

(ज) जनजातियों द्वारा स्थानांतरी जुताई (शिफ्ट) कल्टीवेशन (खेती) को कम करने और अंततः उसे समाप्त करने के उपाय करना जो उन्हें निरंतर उनके निशक्त होने और भूमि और पर्यावरण के क्षरण की प्रवृत्ति की ओर ले जाती है।

अध्याय 16
पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केन्द्रण/केंद्रित करना

मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए की गईं पहलें

16.1 तत्कालीन योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपने–अपने बजट आबंटन का कम से कम 10%, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करना आवश्यक है। इन दिशा–निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए निधियां आवंटित करता रहा है। सामान्यतया, प्रदान की गयी धनराशि, कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक होती है।

16.2 मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य सरकारों को अनुदान जारी करता है। यह 'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' की योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत 'गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के अंतर्गत भी सीधे अनुदान जारी करता है। 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान', और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) जैसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता वाली परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद जारी किया जाता है। मंत्रालय इस तरह की केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान जारी करने पर पर्याप्त ध्यान दे रहा है और इन योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को बजट आवंटन का कम से कम 10 प्रतिशत प्रवाह सुनिश्चित किया है।

16.3 वित्तीय वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियों के योजना–वार विवरण **अनुलग्नक–16** में दिए गये हैं।

16.4 145 करोड़ रुपये के बजट से "पूर्वोत्तर क्षेत्रों से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और संभारिकी विकास" नामक एक पृथक स्कीम स्वीकृत की गई है जिसे पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

अध्याय 17
जेंडर बजट

संवैधानिक तथा विधिक ढांचा

17.1 संविधान में महिलाओं को न केवल समानता प्रदान की गयी है, बल्कि भेद–भाव के विरुद्ध महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक उपाय अपनाने के लिए भी राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी पात्रताओं के सुरक्षोपाय के रुप में संसद के एक अधिनियम के तहत, वर्ष 1990 में 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का गठन किया गया था। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान करता है।

मंत्रालय की पहलें

17.2 किसी भी देश के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसलिए, सामान्यतः, महिलाओं और विशेष रुप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई महिलाओं की स्थिति (स्टेटस) में उन्नयन, न केवल नैतिक दृष्टि से आवश्यक है अपितु, कार्यनीतिक दृष्टि से भी अनिवार्य है। इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते समय कि महिलाओं को योजनाओं का लाभ समान रुप से प्राप्त हो, मंत्रालय की कुछ विशेष योजनाएं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और बालिकाओं के हित के लिए ही बनी हैं।

17.3 मंत्रालय में अगस्त, 2017 में एक जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया गया है जो विभिन्न जेंडर विशिष्ट बजट–कार्यों अर्थात मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार से देखता है कि वह लैंगिक दृष्टि से असंतलुन का समाधान कर सके और लैंगिक समानता और विकास को बढ़ावा दे सके तथा बजट के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन और उनका तदनुसार प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

17.4 प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) की नई शुरू की गई योजना के तहत 2021–22 से 2025–26 के दौरान कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अजजा वाले कुल 36,428 गांवों को लिया जा रहा है। योजना के तहत कवर की जाने वाली कुल आबादी लगभग 4.22 करोड़ (कुल जनजातीय आबादी का लगभग 40%) होगी। इसमें से 2.10 करोड़ की महिला अजजा आबादी को कवर किया जाएगा जो कुल लाभार्थियों का लगभग 50% है।

17.5 "भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान" का आशय अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन से है। जनजातीय क्षेत्रों को देश के शेष हिस्सों के समतुल्य बनाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। दिशानिर्देशों में विशेष रुप से यह परिकल्पना की गई है कि परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार करने में आयोजना से कार्यान्वयन के स्तर तक, महिलाओं को प्रभावित करने सरोकारों/मुद्दों को महिलाओं की सहभागिता सहित प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक के दौरान भी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि कुल लाभार्थियों में से कम–से–कम एक–तिहाई वाले लाभार्थी महिलाएं/बालिकाएं होनी चाहिएं।

17.6 "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय" स्कीम के तहत आज की तारीख में वर्ष 2022–23 के दौरान 1,13,275 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया है। इनमें से नामांकित बालिकाओं की संख्या 57,168 (50.46%) है।

17.7 कक्षा IX और X में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना 01.07.2012 से शुरू की गई है और 2021–22 से संशोधित की गई है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा

रही है। छात्रवृत्तियों का भुगतान, दिवा–छात्र के लिए 225/– रूपये प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 525/– रूपये प्रतिमाह की दर से, वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु किया जाता है। पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा–छात्र के लिए 750/– रुपये वार्षिक की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 1000/– रुपये वार्षिक की दर से किया जाता है। छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के उन पात्र छात्रों तथा छात्राओं को प्रदान की जाती है जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये है। वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान योजना के तहत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 51% था जबकि 2021–22 में यह 52% था।

17.8 अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं तथा बालकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जा रहे मैट्रिकोत्तर / माध्यमिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को (1) वार्षिक आय सीमा; (2) पाठ्यक्रमों के समूहों में संशोधन; तथा (3) अनुरक्षण और अन्य भत्तों की दर में बदलाव के साथ 01.07.2010 से संशोधित किया गया है। वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान योजना के तहत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 51% था।

17.9 'अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति' की योजना के तहत, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को एमफिल तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए अध्येतावृत्तियों के रुप में उच्चतर शिक्षा अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान आते हैं। कुल 750 स्लॉट्स में से अन्य बातों के साथ–साथ, 30% स्लॉट्स महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हैं। एमफिल के लिए चयनित अभ्यर्थियों को प्रति माह 31,000/– रुपये तथा पीएचडी अभ्यर्थियों के लिए प्रतिमाह 35,000/– रुपये की दर से अध्येतावृत्ति राशि तथा चयनित अभ्यर्थियों को अन्य स्वीकार्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

17.10 राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर की पढ़ाई करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली कुल 20 छात्रवृत्तियों में से 6 छात्रवृत्तियां (30%) बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं। तथापि, निर्धारित स्लॉट्स खाली रह जाने की स्थिति में ये स्लॉट्स, बालकों को दे दिए जाते हैं। माता–पिता/परिवार की सभी स्रोतों से आय प्रतिवर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने विदेश के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है, उन्हें वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, वार्षिक आकस्मिकता भत्ता तथा अन्य भत्ते, विदेश में स्थित 'भारतीय मिशन' के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं।

17.11 जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटो में शैक्षिक परिसर चलाने के लिए 'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत अनुदान प्रदान किया जाता है। यह जिले में अजजा लड़कियों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए लागू किया जा रहा है, जहां अजजा आबादी 25% या उससे अधिक है, और महिला अजजा साक्षरता दर नवीनतम जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला अजजा साक्षरता दर से कम है। इस योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ सामान्य महिला आबादी और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता के स्तरों में अंतर को पाटना है। यह योजना उन्हें नियमित स्कूलों में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान करने पर जोर देती है। योजना के तहत अन्य एनजीओ प्रशासित परियोजनाओं के तहत महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान, 'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान' योजना के तहत शिक्षा क्षेत्र में महिला लाभार्थियों की प्रतिशतता लगभग 34 थी।

17.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)', एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम के पास जनजातीय महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना' (एएमएसवाई) शीर्षक के तहत एक विशिष्ट योजना है। योजना के तहत, निगम 2 लाख रुपये तक की इकाई लागत वाली योजनाओं के लिए 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष 4% की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है। एएमएसवाई के तहत, इस वर्ष के दौरान 31.12.2022 तक, एनएसटीएफडीसी ने 577 महिला लाभार्थियों के

आर्थिक विकास के लिए 6.59 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। निगम, अन्य आय–सृजनकारी स्कीमों के तहत भी महिला लाभार्थियों के लिए अपनी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

17.13 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' नामक योजना के तहत जनजातीय लोगों द्वारा देश के विभिन्न भागों में आदान–प्रदान यात्राओं (एक्सचेंज विजिट्स) के आयोजन के लिए सहायता दी जाती है। अतिथि समूह में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

17.14 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ''ग्राम सभा'' से ऐसी ग्राम सभा अभिप्रेत है जो ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिल कर बनेगी और ऐसे राज्यों की दशा में जिनमें कोई पंचायत पाड़ा, टोला तथा ऐसी अन्य परम्परागत ग्राम संस्थाएं और निर्वाचित ग्राम समितियां नहीं है, जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अनिबंधित भागीदारी है'' के तौर पर परिभाषित {धारा 2(छ)} किया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 4(4) उपबंधित करती है कि उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार वंशानुगत होगा, किन्तु संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं होगा और विवाहित लोगों की दशा मे पति–पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रुप से और यदि किसी घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम में पंजीकृत होगा और सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशानुगत अधिकार अगले निकटतम संबंधी को चला जाएगा। धारा 6(8) के अनुसार भी ''उप खंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की निगरानी समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग तथा जनजातीय मामले विभाग के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायती राज्य संस्थाओं के तीन सदस्य होंगे जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से दो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे और कम से कम एक महिला होगी जैसा विहित किया जाए''। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 में प्रावधान है कि (नियम 3 (1) के तहत) ग्राम संभाएं ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित की जाएंगी और इनकी प्रथम बैठक में, इनके सदस्यों से ही कम से कम दस और अधिक से अधिक पन्द्रह व्यक्तियों की एक समिति का 'वन अधिकार समिति' के रुप में चयन किया जाएगा, जिसमें दो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे बशर्ते कि ऐसे सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी। यह आगे भी उपबंधित करता है कि जहां अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, वहां, कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी ।

17.15 गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से, प्रत्येक वर्ष, दो जनजातीय लोगों को दिल्ली में आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते रहे हैं कि इस समारोह में प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से एक महिला तथा एक पुरूष अतिथि, भेजा जाए।

17.16 वर्ष 2022–23 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्धियां **अनुलग्नक–17** में दी गई हैं।

अध्याय 18
दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

18.1 अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किए गए योजना–वार प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'

18.2 इस योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं:

(क) दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए वाचक भत्ता;

(ख) शैक्षणिक संस्था के परिसर के अंदर छात्रावास में नहीं रहने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए परिवहन भत्ते का प्रावधान;

(ग) कम गहनता वाले दिव्यांग दिवा–विद्यार्थिंयों (डे–स्कॉलर्स) के लिए अनुरक्षक भत्ता;

(घ) किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रावास में रह रहे गंभीर रूप से अस्थि–दिव्यांग विद्यार्थियों को सहायता देने के इच्छुक, छात्रावास के किसी कर्मचारी को विशेष वेतन;

(ड.) मंदबुद्धि अथवा मानसिक रोग से पीड़ित विद्यार्थियों को अतिरिक्त अनुशिक्षण (कोचिंग) के लिए भत्ता। उपर्युक्त प्रावधानों का विवरण **अनुलग्नक–18** में दिया गया है।

18.3 संशोधित मैट्रिक–पूर्व दिशा–निर्देशों के तहत छात्रावास में रहने वाले दिव्यांगजन छात्र को 800/– रुपये मासिक (9600 रुपए वार्षिक) और एक दिवा छात्र को 600/– रुपए मासिक (7200 रुपए वार्षिक) का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। अधिनियम के तहत परिभाषित दिव्यांगता को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। कुष्ठ–उपचारित एवं सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया से ग्रसित छात्रों को आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ निःशक्तता भत्ता के प्रावधान भी लागू होंगे। इसके अलावा, छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए देय होगी। अतिरिक्त दिव्यांगता भत्ते का सभी बारह महीनों के लिए भुगतान किया जाएगा।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

18.4 शारीरिक रूप से दिव्यांग और दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों (विद्यार्थियों) के मामलों में 2000/– रुपए प्रतिमाह की दर से अनुरक्षक/वाचक सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं तथा बालकों के लिए छात्रावास संबंधी योजना तथा जनजातीय उप–योजना वाले क्षेत्रों में 'आश्रम विद्यालयों' की स्थापना संबंधी योजना

18.5 पीएसी की बैठकों के दौरान, दिव्यांग अनुसूचित जनजातियों की सुविधा के लिए राज्यों को बाधा मुक्त बुनियादी ढांचा (जैसे रैंप) बनाने पर जोर दिया जाता है।

एनजीओ स्कीम

18.6 गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) से अनुरोध किया गया है कि वे मंत्रालय से योजना के तहत प्राप्त अनुदान से 'दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006' के अनुसार आवासीय विद्यालयों/गैर–आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों में "अवरोध मुक्त परिवेश (वातावरण)" सुविधाएं प्रदान कराएं।

अध्याय 19
लोक शिकायत एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

लोक शिकायत

19.1 मंत्रालय में एक अलग लोक शिकायत प्रभाग है जिसके प्रमुख लोक शिकायत निदेशक हैं। निदेशक (शिकायत)/ अपर सचिव (नोडल अपीलीय प्राधिकारी) के संपर्क ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट (http://tribal.nic.in/publicGriev.aspx) पर भी उपलब्ध है।

19.2 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए एक पीजी पोर्टल विकसित किया है ताकि वे कहीं से और किसी भी समय ऑनलाइन शिकायतें/आपत्तियां दर्ज कर सके और सरकारी विभाग निर्धारित समय–सीमा के भीतर निवारण कार्रवाई करने में भी सक्षम हों। इसके दो इंटरफेस हैं:– (क) नागरिकों के लिए लोक शिकायत दर्ज करना और निगरानी प्रणाली, तथा (ख) मंत्रालयों, विभागों/ संगठनों के लिए केन्द्रीकृत लोक शिकायत और निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)। सीपीजीआरएएमएस वेब आधारित एकल विंडो प्रणाली है जो : (i) नागरिकों को अपनी शिकायत करने के लिए, और (ii) निवारण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए सरकारी विभागों में नोडल लोक शिकायत अधिकारी तक ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध कराती है।

19.3 इस मंत्रालय को अभ्यावेदन/शिकायतें डाक, व्यक्तिगत रूप से और सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त होती हैं। अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों पर उनसे संबद्ध वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है और उनका उपयुक्त तरीके से समाधान किया जाता है। अन्य संगठनों से संबंधित शिकायतें उपयुक्त कार्यवाही के लिए उन्हें अग्रेषित की जाती हैं, याचिकाकर्ताओं को उनकी शिकायतों पर की गई कृत कार्रवाई के विषय में भी अवगत कराया जाता है। वर्ष 2022–23 के दौरान अर्थात् 01.04.2022 से 31.12.2022 तक 112 शिकायतें आगे लाई गई और 914 शिकायतें प्राप्त हुई और कुल मिलाकर 1026 शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल 898 शिकायतों का निपटान किया गया अर्थात् 87.52 प्रतिशत निपटान किया गया। निदेशक शिकायत/अपर सचिव (नोडल अपीलीय प्राधिकारी) द्वारा और सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में भी शिकायतों के निपटान की स्थिति की नियमित तौर पर समीक्षा की जाती है।

19.4 मंत्रालय के छात्रवृत्ति और एनजीओ पोर्टल के पास समर्पित ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। प्रत्येक छात्र जो 3 केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना, अर्थात् राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के तहत मंत्रालय से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, को एक विशिष्ट लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है ताकि वह ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सके। इसी तरह, मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाले एनजीओ ऑनलाइन संचार प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसकी निगरानी ब्यूरो प्रमुखों और सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

19.5 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ। जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में प्रावधान किया गया है, मंत्रालय के संबंध में नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) और (2) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय लोक (जन) सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को पदनामित कर दिया गया है। संबंधित अनुदेशों को भी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। मंत्रालय में संसद एवं समन्वय अनुभाग को मंत्रालय से संबंधित आवेदकों द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत किए गए अनुरोधों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त शुल्क सहित ई–रजिस्टर में उचित प्रविष्टि करने के पश्चात मंत्रालय में संबंधित सीपीआईओ को आगे की आवश्यक कार्रवाई

करने के लिए आवेदनों को अग्रेषित किया जाता है।

19.6 मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय लोक (जन) सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के ब्यौरे **अनुलग्नक–19** में दिए गए हैं। श्री मनोज कुमार सिंह, निदेशक को मंत्रालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। अधिसूचनाएं मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर डाल दी गई हैं।

19.7 इस प्रकार की अधिसूचनाएं/नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय लोकजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित लोकजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और iii) राष्ट्रीय अनुसूचित लोकजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा भी प्रकाशित की गई हैं और उन्हें अपनी–अपनी संबंधित वेबसाइटों पर डाल दिया है, जिसका लिंक मंत्रालय की वेबसाइट में दिया गया है।

19.8 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 के दौरान प्राप्त आवेदनों और उनके उत्तरों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

01.04.2022 से 31.12.2022 के दौरान आरटीआई की स्थिति

आवेदन का तरीका	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
ऑनलाइन	1472	1366	86
ऑफलाइन	167	145	22
कुल	**1639**	**1511**	**108**

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलें

19.9 संबंधित निदेशक/उप–सचिव/अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को लोकजातीय कार्य मंत्रालय में उनके द्वारा नियंत्रित (संचालित) किए जा रहे संबंधित विषयों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनयम, 2005 के तहत दिनांक 16.12.2022 से अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। आरटीआई लेखा परीक्षा पार्टी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार सीपीआईओ को अन्य सीपीआईओ के लिंक अधिकारियों के रूप पदनामित करने की अधिसूचना भी 24.11.2020 को जारी की गई थी। प्राप्त सभी अपीलों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है और अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान किया जाता है। 30.11.2021 को अद्यतन किया गया आरटीआई मैनुअल भी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

अध्याय 20
विभागीय लेखा

संगठन :

20.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से निभाते हैं। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, मंत्रालय के लेखा संगठन का प्रमुख होता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), सहायता अनुदान सहित विभिन्न प्रकार के बिलों की पूर्ववर्ती जांच–कार्य के अलावा खातों के समेकन, आवंटित बजट के संबंध में व्यय की निगरानी, विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों इत्यादि का निष्पादन करता है। प्रधान लेखा–अधिकारी कम्प्यूटरीकृत मासिक खातों, खातों के विनियोजन, केन्द्रीय लेन–देन के विवरण, संघीय वित्त–खातों, अन्य संबंधित कार्यों जैसे कि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओ को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, प्राप्ति–बजट तैयार करने, महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के साथ समन्वयन आदि का कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए भारतीय स्टेट बैंक, शास्त्री भवन एक अधिकृत बैंक है।

व्यय की निर्मुक्ति तथा निगरानी (मॉनीटरिंग)

20.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में भुगतान एवं व्यय की निगरानी का कार्यान्वयन, वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किया जाता है, जो मासिक खातों को भी प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से महालेखा नियंत्रक, आईएनए, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

खातों और भुगतान कार्य का कम्प्यूटरीकरण

20.3 विगत में, वेतन तथा लेखा कार्यालय 'कॉम्पैक्ट' के सभी मॉड्यूलों जैसे पूर्व–जांच, संकलन, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन का उपयोग करता था। 01 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी गैर–योजना (नॉन प्लान) भुगतान के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के आरंभ के साथ, विगत में उपयोग किए जाने वाले 'कॉम्पैक्ट' के अधिकतर मॉड्यूल बंद कर दिए गए हैं। 'गवर्नमेंट ई–भुगतान गेटवे (जीईपीजी)' के माध्यम से ई–भुगतान प्रणाली में भी परिवर्तन किया गया है तथा सभी भुगतान पीएफएमएस की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट के माध्यम से पास किए गए बिलों की वेब–फाइल निर्मित करते हुए पीएफएमएस पर अपलोड किया जा रहा है। अधिकृत बैंक, 'ई–एडवाइस' डाउनलोड करते हैं तथा आरटीजीएस/एनईएफटी आदि के द्वारा प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे भुगतान करते हैं।

ई–लेखा

20.4 दैनिक आधार पर 'ई–लेखा' में 'कॉम्पैक्ट' का डाटा अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब 'पीएफएमएस', आंकड़ों को स्वतः ही अद्यतित कर देता है तथा मंत्रालय एवं अन्य हितधारकों (स्टेकहोल्डर) को विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों की निगरानी में सक्षम बनाने के लिए एवं पीएओ के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए 'ई–लेखा' में आंकड़े भर देता है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

20.5 भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयनकारी संस्थाओं को निधियों के अंतरण अथवा उनसे जिलों तथा उपमंडल और व्यय बिन्दुओं तक राशियों के प्रवाह पर विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के विचार से 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' को आरंभ किया गया है जिसे इससे पूर्व 'सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम (सीपीएसएमएस)' के रूप में जाना जाता था। तदनुसार, इस मंत्रालय की सभी 'प्लान स्कीमों' की मैपिंग इस संगठन द्वारा 'सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली' के माध्यम से की गई है। इस संबंध में विभाग के सभी संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग–अलग संगठनों/निकायों को निर्मुक्त किए गए सहायता अनुदान की स्थिति को देखा जा सकता है। इसे विभाग द्वारा भी अत्यंत उपयोगी पाया गया है। इस प्रणाली में, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के बैंक खातों में अप्रयुक्त निधियों/अनुदानों का अवलोकन करने की एक नई उपयोगिता भी दी गई है।

20.6 विभिन्न स्कीमों के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभ के सीधे अंतरण (डीबीटी) पर भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, इस उद्देश्य के लिए पीएफएमएस में एक अतिरिक्त कार्य–प्रविधि प्रदान की गयी है।

20.7 राज्यों को की गई निर्मुक्तियों के स्कैन किए गए स्वीकृति आदेशों को अपलोड करने तथा अंतःसरकारी लेखा सलाह (आईजीएए) के ऑनलाइन सृजन के लिए एक नई कार्य–प्रविधि प्रदान की गयी है तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक को ऑनलाइन भेजा जाता है जो राज्य सरकारों के लिए तत्काल जमा (क्रेडिट) सुनिश्चित करता है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस)

20.8 1.1.2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत ऐसे सभी कर्मचारियों के वेतन (ग्रेड वेतन + मंहगाई भत्ते) का 10 प्रतिशत लेकर तथा सरकार के 14 प्रतिशत अंशदान को सम्मिलित रूप से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के पास उसके ट्रस्टी बैंक के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना इस मंत्रालय में क्रियाशील है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

20.9 मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित समुचित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु एवं 'उपयोग प्रमाण–पत्र' की प्रभावी मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री के दो स्तर हैं। प्रथम स्तर सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं संवितरण अधिकारी हेतु स्वीकृति एवं बिलों के ब्यौरे दर्ज करने के लिए है। द्वितीय स्तर, वेतन एवं लेखा कार्यालय के लिए है जो स्वीकृतियों और बिलों को सत्यापित करता है और अंतिम रूप से उन्हें स्वीकार करता है। यह कार्यक्रम विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें सृजित करता है, जो मंत्रालय द्वारा निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं।

20.10 प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा–परीक्षा इकाई, जो अनुवर्ती लेखा–परीक्षा करती है, अलग–अलग योजनाओं के आकलन, निगरानी तथा मूल्यांकन में भी शामिल है। आंतरिक लेखा–परीक्षा अब निम्नलिखित पर भी ध्यान देती है:

- सामान्यतः आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन तथा विशेषतः वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता; जोखिम वाले कारकों की पहचान तथा निगरानी (जो परिणाम बजट में हैं, उनके सहित);
- धन का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था, कार्यकुशलता तथा सेवा प्रदायगी–तंत्र की प्रभावोत्पादकता का महत्वपूर्ण आकलन; और
- कार्य–प्रणाली सुधार को सुसाध्य बनाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराना।

पीएसी पैरा पर कार्रवाई की गई टिप्पणियां (एटीएन) / कार्रवाई की गई रिपोर्टें (एटीआर)

20.11 रिकॉर्ड के अनुसार, 31.12.2022 को इस मंत्रालय के संबंध में लोक लेखा समिति (पीएसी) पैरा की स्थिति निम्नानुसार है :

मंत्रालय द्वारा 'जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)' पर अपनी 85वीं रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) में निहित लोक लेखा समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर 4 पैराओं पर की जाने वाली कार्रवाई। डीएपीएसटी, नीति आयोग के तहत जिम्मेदार मंत्रालयों/विभागों से मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई रिपोर्ट (एटीआर) तैयार करने के लिए समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में इनपुट/टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। ऊपर उल्लिखित लोक लेखा समिति के पैरा के संबंध में एटीआर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 जून, 2023 है।

अध्याय 21
नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिक/ग्राहक चार्टर

पताः
गेट नं. 5, प्रथम तल, जीवन तारा भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
वेबसाइटः www.tribal.nic.in

परिदृश्यः

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानव विकास सूचकांकों (एचडीआई) में अंतर को कम करना और समाप्त करना तथा जनजातीय लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

मिशनः

जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित के माध्यम से जनजातीय लोगों के विकास तथा उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैः

1. वैधानिक एवं कार्यकारी उपायों का प्रतिपादन करना एवं उनका संवर्धन करना,
2. क्षेत्र एवं जनसंख्या लक्षित दृष्टिकोण (अप्रोच) के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों के उन्नयन को सरल बनाना,
3. सामाजिक–आर्थिक एवं आजीविका अवसरों में बढ़ोत्तरी।

मुख्य सेवाएं/कार्य संपादन

क्र. सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
1.	जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता पीएमएएजीवाई (टीएसएस को एससीए) के तहत राज्य सरकारों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान, और पीवीटीजी–विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास। क) लक्षित अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कल्याण एवं सामाजिक–आर्थिक विकास, ख) अनुसूचित जनजाति की लक्षित जनसंख्या का कौशल विकास, आय सृजन ग) अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास। घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना। ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।	30	सुश्री समिधा सिंह, निदेशक श्री वैभव गोयल, उप–सचिव श्री वैभव गोयल, उप–सचिव	samidha.singh @gov.in vibhavgoyal. ofb@ofb.gov.in vibhavgoyal. ofb@ofb.gov.in	011–23340473 011–23340470 011–23340470	i) राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित करना ii) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति iii) परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकों का आयोजन iv) मंत्रालय में पीएसी द्वारा अनुमोदन। v) प्रथम और दूसरी (I/II) किश्त की संस्वीकृति/निर्मुक्ति (जैसी भी स्थिति हो) जारी करना।	i) आवंटित राशि के अधीन तथा योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों से प्रस्ताव ii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, iii) विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, iv) भूमि की उपलब्धता, यथा अपेक्षित।	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं

क्र. सं.	सेवाएं / कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
2	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां।	20	श्री शिवानंद बाचागुंडी, संयुक्त निदेशक	shivanand.b@gov.in	011–23340273	i) राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों से डीबीटी पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करना। ii) मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी की जांच और अनुमोदन iii) मंजूरी का मुद्दा / पीएफएमएस के माध्यम से I / II किस्त (जैसा लागू हो) जारी करना।	i) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों से व्यय के विवरण के साथ प्रस्ताव। ii) पिछले वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में यूसी। iii) व्यय विभाग के प्रपत्र दिनांक 04.05.2020 के अनुसार वित्तीय प्रबंधन। iv) डीओई पत्र दिनांक 23.03.2021 के अनुसार सीएसएस योजनाओं की नई प्रक्रिया का अनुपालन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को, जनजातीय उत्सवों सहित जनजातीय लोगों से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता	10	सुश्री संगीता गुप्ता, निदेशक	sangeeta gupta.ofb@ofb.gov.in	011–23073706	i) प्रस्ताव आमंत्रित करना ii) राज्य सरकारों से वार्षिक कार्य योजना आमंत्रित करना। iii) राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति iv) मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच और अनुमोदन v) अनुसूची के अनुसार पहली / दूसरी किस्त की संस्वीकृति जारी करना	i) निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव। ii) राज्य सरकार की संस्तुति। iii) लेखे का लेखा–परीक्षित विवरण (द्वितीय और अंतिम किस्त के लिए) iv) निर्धारित प्रपत्र में पूर्व अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र। v) प्रबंधन समिति की सूची vi) कर्मचारियों की सूची, vii) पंजीकरण प्रमाण–पत्र viii) अग्रिम जमानत बांड, ix) नियम एवं शर्तों की स्वीकृति। x) बैंक का प्राधिकार–पत्र,	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
4	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः– क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को सहायता। ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	5	सुश्री संगीता गुप्ता, निदेशक	sangeet gupta.ofb@ ofb.gov.in	011–23073706	i) संबंधित एसटीडीसीसी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के साथ (जहां देय हो) के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति ii) मंत्रालय और आईएफडी में सक्षम प्राधिकारी की संवीक्षा व अनुमोदन। iii) पहली और दूसरी किस्त की संस्वीकृति/निर्मुक्ति जारी करना (जैसा लागू हो)	क. ट्राइफेड i) प्रस्ताव ii) वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन रिपोर्ट। iii) पूर्व वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र ख. एसटीडीसीसी i) योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकारों के प्रस्ताव/सिफारिश, ii) पूर्व वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र, iii) पूर्व वर्ष के अनुदान की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन–मंत्रालयों/विभागों के नीतिगत दस्तावेज/मामले, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमण्डल टिप्पणियां तथा ईएफसी ज्ञापन के संबंध में निविष्टियां (इनपुट्स)/टिप्पणियां प्रदान करना।	10	कार्य वितरण के अनुसार मंत्रालय के संबंधित प्रभाग।			i) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से नीतिगत दस्तावेजों, विधान संबंधी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियां, ईएफसी ज्ञापन आदि की प्राप्ति। ii) गहन अध्ययन, प्रासंगिक साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण जनजातियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मत का प्रतिपादन। iii) संबंधित मंत्रालय/विभाग तक जनजातीय कार्य मंत्रालय के विचार संप्रेषित करना,	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	सेवाएं / कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
6	मंत्रालयों / विभागों और नीति आयोग में विभिन्न कार्य समूहों, विभिन्न केंद्रीय विशेषज्ञ समूहों, कार्यबलों और शासी परिषदों का गठन सुझावों / नीतिगत आदानों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया	10	कार्य वितरण के अनुसार मंत्रालय के संबंधित प्रभाग।			i) विभिन्न मंत्रालयों / विभागों तथा नीति आयोग के कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्य–बलों, शासी–परिषदों से कार्यसूची मदों की प्राप्ति। ii) गहन अध्ययन, प्रासंगिक साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण और हमारे मतों का प्रतिपादन iii) बैठकों में हमारे विचार व्यक्त करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	मंत्रालय के कर्मचारियों / सेवा प्रदाताओं की शिकायतों / पीड़ाओं का निवारण तथा निपटान।	10	सुश्री मार्गरेट गैंगटे, निदेशक सुश्री आर. जया, अतिरिक्त. सचिव, (नोडल अपीलीय प्राधिकारी)	margaret.g@nic.in js.mota@tribal.gov.in	011–23343303 011–23383622	i) शिकायत प्राप्ति ii) जांच एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई iii)आवेदक को उत्तर	लागू नहीं समर्थनकारी दस्तावेज / आदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ई–मेल	मोबाइल (फोन न.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
8	आवासीय/गैर–आवासीय/स्वास्थ्य/व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाओं आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों/एनजीओ को वित्तीय सहायता की निर्मुक्तियां	5	श्री वैभव गोयल, उप–सचिव	vibhavgoyal.ofb@ofb.gov.in	011–23340470	i) राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से एनजीओ द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ii) प्रस्तावों की संवीक्षा तथा पात्र मामलों में अनुदानों की निर्मुक्ति।	i) आवेदन पत्र, ii) राज्य सरकार की संस्तुति, iii) जिला कलेक्टर द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित निरीक्षण रिपोर्ट, iv) बजट अनुमान, v) लेखाओं का लेखा–परीक्षित विवरण, vi) निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, vii) प्रबंधन समिति की सूची, viii) कर्मचारियों की सूची, ix) लाभार्थियों की सूची, x) वार्षिक रिपोर्ट, xi) पंजीकरण प्रमाण–पत्र, नियम एवं उप–नियम (नवीनीकरण प्रस्ताव के मामले में जमा करने की आवश्यकता नहीं), xii) अद्यतन किराया करार/किराया आकलन प्रमाण–पत्र, xiii) अग्रिम जमानत बांड, xiv) नियम एवं शर्तों की स्वीकृति, xv) प्राधिकार–पत्र, xvi) परियोजना के लिए रखी गई पासबुक के बैंक लेन–देन की प्रति,	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

एएमटीः राशि, एनए : लागू नहीं

सेवा मानक

क्र. सं.	सेवाएं / संव्यवहार (ट्रैनजेक्शन)	भार	सफलता सूचकांक	सेवा मानक	इकाई	डेटा स्रोत
1	राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः क) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास, ख) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कौशल विकास, आय सृजन। ग) अजजा बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास। घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना। ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।	20.0	समय	40	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
2	राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः– क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों और आवासीय विदयालयों के रूप में शैक्षिक सुविधाएं, ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां।	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
3	अनुसूचित जनजातियों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
4	राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः– क) जनजातीय संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना, ख) जनजातीय उत्सव,	10.0	समय	45	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
5	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः– भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन	5.0	समय	45	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों / विभागों की नीति संबंधी दस्तावेजों / मामलों / विधायी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों और ईएफसी ज्ञापन पर इनपुट्स / टिप्पणी प्रस्तुत करना।	10.0	समय	25	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासी परिषदों की बैठकों में सुझावों / नीति अंतर्निवेशों (इनपुट्स) के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।	10.0	समय	लागू नहीं	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
8	मंत्रालय के कर्मचारियों / सेवा आपूर्तिकर्ताओं की शिकायतों / पीड़ाओं का समाधान व निपटान	10.0	समय	30	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड
9	आवासीय / गैर–आवासीय / स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परियोजनाओं आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों / गैर–स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता जारी करना।	5.0	समय	90	दिन	मंत्रालय के रिकॉर्ड

शिकायत निवारण तंत्र
शिकायत दर्ज करने के लिए http://pgportal.gov.in/ वेबसाइट/यूआरएल

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन नं.	ई–मेल
1	• सुश्री मार्गरेट गैंगटे, निदेशक • सुश्री आर जया, अपर सचिव, (नोडल अपीलीय प्राधिकारी)	011–23343303 011–23383622	margaret.g@nic.in js-mota@tribal.gov.in
2	श्री अनुपम त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक, ट्राइफेड	94064 03962	md-trifed@trifed.nic.in vsudhakaran@trifed.nic.in
3	एनएसटीएफडीसी		
	श्री राजन जे. कच्छप, महाप्रबंधक (पर्सनल एवं विजिलेंस), अखिल भारतीय	011–26177046	rajanstfdc@gmail.com
	सुश्री बिस्मिता दास, मुख्य प्रबंधक (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और तेलंगाना)	9953536179	bismitadad@gmail.com
	श्री श्री. पी बग्यराज, मुख्य प्रबंधक (गुजरात, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दादरा और नगर हवेली तथा अंडमान और निकोबार राज्यों के लिए)	8722124553	bagyaraj0613@gmail.com
	सुश्री ज्योति सिंघल, मुख्य प्रबंधक (परियोजना एवं एमआईएस) (छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और महाराष्ट्र राज्यों के लिए)	9871378133	Jyoti_sin2003@yahoo.co.in

हितधारकों/ग्राहकों की सूची

क्र. सं.	हितधारक/ग्राहक
1	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास से संबंधित केन्द्रीय/राज्य, मंत्रालय/विभाग
2	केन्द्रीय/राज्य सरकार के निकाय
3	संस्थान (यूजीसी/शैक्षिक संस्थान)
4	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)
5	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)
6	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी)
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)
8	गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)
9	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
10	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
11	नागरिक

उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठन

क्र. सं.	उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठन	दूरभाष संख्या	ई–मेल	पता
1	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	011–71600410 71600415 71600420	trifed@rediffmail.com md-trifed@trifed.nic.in vsudhakaran@trifed.nic.in	एनएसआईसी बिजनेस पार्क एनएसआईसी एस्टेट, ओखला फेज III, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली, दिल्ली 110020
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	011–26712519 26712562 26712583	nstfdc@bol.net.in	एनबीसीसी टावर, 5वां तल, हाल नं 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066.

सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं

क्र. सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं
1	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन (सभी दृष्टियों से) (अपेक्षित दस्तावेज www.tribal.gov.in पर उपलब्ध है)
2	प्रस्तावों का जल्द व यथासमय पर प्रस्तुतीकरण
3	निर्धारित अवधि में निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना
4	किसी नीति/विधान/योजनात्मक उपाय के गुण–दोषों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पर्याप्त समय/सूचना देना।

अनुष्ठानक

अनुलग्नक-I

संगठनात्मक संरचना
जनजातीय कार्य मंत्रालय

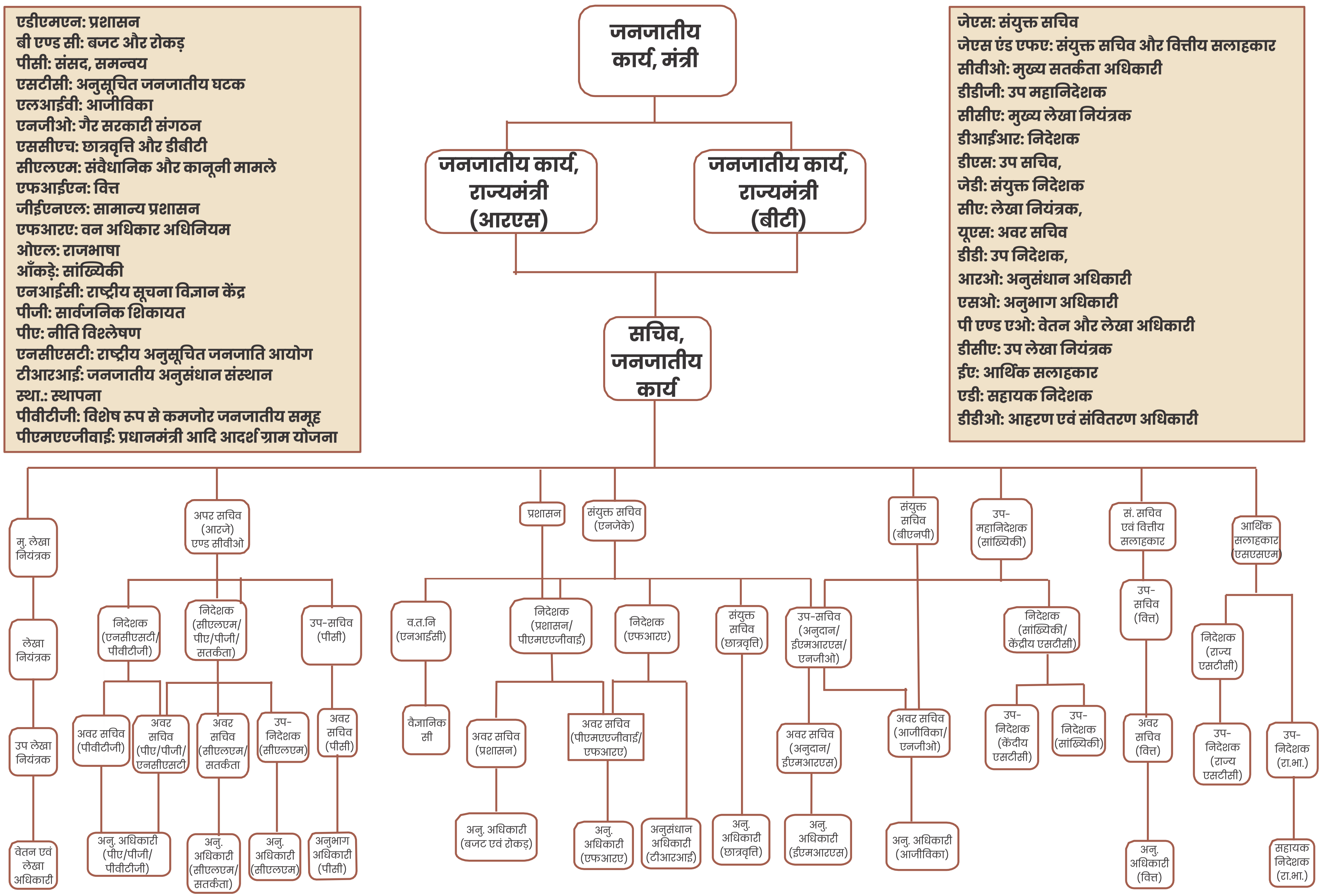

एडीएमएन: प्रशासन
बी एण्ड सी: बजट और रोकड़
पीसी: संसद, समन्वय
एसटीसी: अनुसूचित जनजातीय घटक
एलआईवी: आजीविका
एनजीओ: गैर सरकारी संगठन
एससीएच: छात्रवृत्ति और डीबीटी
सीएलएम: संवैधानिक और कानूनी मामले
एफआईएन: वित्त
जीईएनएल: सामान्य प्रशासन
एफआरए: वन अधिकार अधिनियम
ओएल: राजभाषा
आँकड़े: सांख्यिकी
एनआईसी: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
पीजी: सार्वजनिक शिकायत
पीए: नीति विश्लेषण
एनसीएसटी: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
टीआरआई: जनजातीय अनुसंधान संस्थान
स्था.: स्थापना
पीवीटीजी: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
पीएमएएजीवाई: प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

जेएस: संयुक्त सचिव
जेएस एंड एफए: संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
सीवीओ: मुख्य सतर्कता अधिकारी
डीडीजी: उप महानिदेशक
सीसीए: मुख्य लेखा नियंत्रक
डीआईआर: निदेशक
डीएस: उप सचिव,
जेडी: संयुक्त निदेशक
सीए: लेखा नियंत्रक,
यूएस: अवर सचिव
डीडी: उप निदेशक,
आरओ: अनुसंधान अधिकारी
एसओ: अनुभाग अधिकारी
पी एण्ड एओ: वेतन और लेखा अधिकारी
डीसीए: उप लेखा नियंत्रक
ईए: आर्थिक सलाहकार
एडी: सहायक निदेशक
डीडीओ: आहरण एवं संवितरण अधिकारी

अनुलग्नक–3क

वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का योजना–वार बजट आवंटन/संशोधित आवंटन तथा व्यय

(करोड़ रुपए में)

कार्यक्रम / उप–स्कीमें	2020–21 (पूर्वोत्तर राज्यों सहित)			2021–22 (पूर्वोत्तर राज्यों सहित)		
	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	110	60	59.66	110	90	89.43
जनजातीय उत्पाद / उपज के विकास तथा विपणन हेतु संस्थागत सहायता	140	105	105	150	120	113.06
विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) का विकास	250	140	140	250	160	160
राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	150	0	0	0.01	0	0
अनुसूचित जनजाति के बच्चों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति	100	120	120	150	120	119.98
विदेश में अध्यन हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	2	4.76	4.76	3	5	4.95
लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	152.51	85.74	82.86	155	115	106.29
जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी) में सुधार	0.01	0	0	0.01	0	0
मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	1900	1833	1830.18	1993	2257.72	2257.72
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	400	250	248.9	400	400	394.14
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	1313.23	1200	1200	1418.04	1057.74	1057.74
जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	110	60	60	120	60	60
अनुसंधान सूचना तथा जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव (टी आर आई – ई सी ई)	24	12	9	30	15	14.61
निगरानी तथा मूल्यांकन	4	2	1.82	5	5	3.14
जनजातीय उप–स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (पीएमएएजीवाई)	1350	800	799.49	1350	785	784.99
संविधान के अनुच्छेयद 275(1) के प्रावधानों के तहत योजना	1350.01	800	800	1350.01	900	923.44
पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और संभार–तंत्र का विकास	0	0	0	0	36	36
कुल योग	**7355.76**	**5472.5**	**5461.67**	**7484.07**	**6126.46**	**6125.51**

अनुलग्नक–3 ख

वर्ष 2022–23 के लिए योजना–वार बजट आबंटन एवं व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	ब.अ. 2022–23	सं.अ. 2022–23	व्यय 2022–23
1	2	3	4	5
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधानों के तहत योजना	1350.00	925.00	976.49
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के खण्ड (क) के तहत असम सरकार को अनुदान	0.01	0.00	0.00
3	अजजा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	145.00	140.00	145.00
4	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	4.00	4.00	4.00
5	अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि	50.00	20.00	20.00
6	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)	499.00	140.27	135.27
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	121.00	58.50	12.40
8	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	419.00	357.30	357.30
9	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1965.00	1965.00	1965.00
10	अजजा के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	110.00	110.00	109.25
11	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	252.00	124.53	137.18
12	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	2000.00	2000.00	1999.98
13	जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (ट्राई–ईसीई)	15.00	18.00	15.01
14	निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा–परीक्षा (मेसा)	15.00	15.00	8.84
15	जनजातीय उप–योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता (पीएमएएजीवाई)	1354.38	1354.38	1354.37
16	उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और संभार तंत्र का विकास	107.53	0.01	0.00
17	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की प्रशासनिक लागत	0.00	14.05	0.00
	कुल योग	**8406.92**	**7246.04**	**7244.10**

*अनंतिम

अनुलग्नक–4क

लिंग और निवास के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जनसंख्या: जनगणना 2011

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टी/आर/यू	व्यक्ति	पुरूष	महिला
	भारत	कुल	104545716	52547215	51998501
		ग्रामीण	94083844	47263733	46820111
		शहरी	10461872	5283482	5178390
1	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र)	कुल	1275106	666062	609044
		ग्रामीण	1222204	637064	585140
		शहरी	52902	28998	23904
2	लद्दाख (संघ राज्यक्षेत्र)	कुल	218193	110195	107998
		ग्रामीण	184629	93011	91618
		शहरी	33564	17184	16380
3	हिमाचल प्रदेश	कुल	392126	196118	196008
		ग्रामीण	374392	186896	187496
		शहरी	17734	9222	8512
4	उत्तराखंड	कुल	291903	148669	143234
		ग्रामीण	264819	134691	130128
		शहरी	27084	13978	13106
5	राजस्थान	कुल	9238534	4742943	4495591
		ग्रामीण	8693123	4454816	4238307
		शहरी	545411	288127	257284
6	उत्तर प्रदेश	कुल	1134273	581083	553190
		ग्रामीण	1031076	526315	504761
		शहरी	103197	54768	48429
7	बिहार	कुल	1336573	682516	654057
		ग्रामीण	1270851	648535	622316
		शहरी	65722	33981	31741
8	सिक्किम	कुल	206360	105261	101099
		ग्रामीण	167146	86059	81087
		शहरी	39214	19202	20012
9	अरुणाचल प्रदेश	कुल	951821	468390	483431
		ग्रामीण	789846	390625	399221
		शहरी	161975	77765	84210
10	नागालैंड	कुल	1710973	866027	844946
		ग्रामीण	1306838	665351	641487
		शहरी	404135	200676	203459
11	मणिपुर	कुल	1167422	588279	579143
		ग्रामीण	1055808	533856	521952
		शहरी	111614	54423	57191

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टी/आर/यू	व्यक्ति	पुरूष	महिला
12	मिजोरम	कुल	1036115	516294	519821
		ग्रामीण	507467	257987	249480
		शहरी	528648	258307	270341
13	त्रिपुरा	कुल	1166813	588327	578486
		ग्रामीण	1117566	563908	553658
		शहरी	49247	24419	24828
14	मेघालय	कुल	2555861	1269728	1286133
		ग्रामीण	2136891	1070557	1066334
		शहरी	418970	199171	219799
15	असम	कुल	3884371	1957005	1927366
		ग्रामीण	3665405	1847326	1818079
		शहरी	218966	109679	109287
16	पश्चिम बंगाल	कुल	5296953	2649974	2646979
		ग्रामीण	4855115	2428057	2427058
		शहरी	441838	221917	219921
17	झारखंड	कुल	8645042	4315407	4329635
		ग्रामीण	7868150	3928323	3939827
		शहरी	776892	387084	389808
18	ओडिशा	कुल	9590756	4727732	4863024
		ग्रामीण	8994967	4428522	4566445
		शहरी	595789	299210	296579
19	छत्तीसगढ़	कुल	7822902	3873191	3949711
		ग्रामीण	7231082	3577134	3653948
		शहरी	591820	296057	295763
20	मध्य प्रदेश	कुल	15316784	7719404	7597380
		ग्रामीण	14276874	7187769	7089105
		शहरी	1039910	531635	508275
21	गुजरात	कुल	8917174	4501389	4415785
		ग्रामीण	8021848	4042691	3979157
		शहरी	895326	458698	436628
22	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	कुल	193927	96615	97312
		ग्रामीण	158561	78892	79669
		शहरी	35366	17723	17643
23	महाराष्ट्र	कुल	10510213	5315025	5195188
		ग्रामीण	9006077	4540456	4465621
		शहरी	1504136	774569	729567
24	तेलंगाना	कुल	3286928	1659963	1626965
		ग्रामीण	2939027	1482516	1456511
		शहरी	347901	177447	170454

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टी/आर/यू	व्यक्ति	पुरूष	महिला
25	आंध्र प्रदेश	कुल	2631145	1309399	1321746
		ग्रामीण	2293102	1138376	1154726
		शहरी	338043	171023	167020
26	कर्नाटक	कुल	4248987	2134754	2114233
		ग्रामीण	3429791	1723762	1706029
		शहरी	819196	410992	408204
27	गोवा	कुल	149275	72948	76327
		ग्रामीण	87639	43263	44376
		शहरी	61636	29685	31951
28	लक्षद्वीप	कुल	61120	30515	30605
		ग्रामीण	13463	6752	6711
		शहरी	47657	23763	23894
29	केरल	कुल	484839	238203	246636
		ग्रामीण	433092	213208	219884
		शहरी	51747	24995	26752
30	तमिलनाडु	कुल	794697	401068	393629
		ग्रामीण	660280	333178	327102
		शहरी	134417	67890	66527
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कुल	28530	14731	13799
		ग्रामीण	26715	13837	12878
		शहरी	1815	894	921

स्रोतः महापंजीयक कार्यालय, भारत

टिप्पणीः 2011 की स्थिति के अनुसार पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है

अनुलग्नक–4ख

राज्य / संघ राज्यक्षेत्र–वार समग्र जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, भारत / राज्य की कुल जनसंख्या में समस्त/राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत और राज्य में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत।

क्र. सं.	भारत / राज्य	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अ.ज.जा. का प्रतिशत	भारत में अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अ.ज.जा. का प्रतिशत
	भारत	1,21,08,54,977	10,45,45,716	8.6	–
1	आंध्र प्रदेश	4,93,86,799	26,31,145	5.3	2.5
2	अरुणाचल प्रदेश	13,83,727	9,51,821	68.8	0.9
3	असम	3,12,05,576	38,84,371	12.4	3.7
4	बिहार	10,40,99,452	13,36,573	1.3	1.3
5	छत्तीसगढ़	2,55,45,198	78,22,902	30.6	7.5
6	गोवा	14,58,545	1,49,275	10.2	0.1
7	गुजरात	6,04,39,692	89,17,174	14.8	8.5
8	हरियाणा	2,53,51,462	एनएसटी	लागू नही	लागू नही
9	हिमाचल प्रदेश	68,64,602	3,92,126	5.7	0.4
10	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र)	1,22,67,013	12,75,106	10.4	1.2
11	झारखंड	3,29,88,134	86,45,042	26.2	8.3
12	कर्नाटक	6,10,95,297	42,48,987	7.0	4.1
13	केरल	3,34,06,061	4,84,839	1.5	0.5
14	लद्दाख (संघ राज्यक्षेत्र)	2,74,289	2,18,193	79.5	0.2
15	मध्य प्रदेश	7,26,26,809	1,53,16,784	21.1	14.7
16	महाराष्ट्र	11,23,74,333	1,05,10,213	9.4	10.1
17	मणिपुर	28,55,794	11,67,422	40.9	1.1
18	मेघालय	29,66,889	25,55,861	86.1	2.4
19	मिजोरम	10,97,206	10,36,115	94.4	1.0
20	नागालैंड	19,78,502	17,10,973	86.5	1.6
21	ओडिशा	4,19,74,218	95,90,756	22.8	9.2
22	पंजाब	2,77,43,338	एनएसटी	लागू नही	लागू नही
23	राजस्थान	6,85,48,437	92,38,534	13.5	8.8
24	सिक्किम	6,10,577	2,06,360	33.8	0.2
25	तमिलनाडु	7,21,47,030	7,94,697	1.1	0.8
26	तेलंगाना	35193978	3286928	9.3	3.1
27	त्रिपुरा	36,73,917	11,66,813	31.8	1.1
28	उत्तराखंड	1,00,86,292	2,91,903	2.9	0.3
29	उत्तर प्रदेश	19,98,12,341	11,34,273	0.6	1.1
30	पश्चिम बंगाल	9,12,76,115	52,96,953	5.8	5.1
31	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3,80,581	28,530	7.5	0.0
32	चंडीगढ़	10,55,450	एनएसटी	लागू नही	लागू नही
33	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	5,86,956	1,93,927	33.0	0.2
34	दिल्ली	1,67,87,941	एनएसटी	लागू नही	लागू नही
35	लक्षद्वीप	64,473	61,120	94.8	0.1
36	पुदुचेरी	12,47,953	एनएसटी	लागू नही	लागू नही

स्रोतः जनगणना 2011, महापंजीयक कार्यालय, भारत

एनएसटीः कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं (2011 के अनुसार)

अनुलग्नक–4ग

अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का भारत, राज्य–संघ राज्यक्षेत्र वार लिंग अनुपात

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लिंग अनुपात 2001			लिंग अनुपात 2011		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत	978	981	944	990	991	980
जम्मू और कश्मीर	910	916	799	924	927	872
हिमाचल प्रदेश	996	1002	809	999	1003	923
उत्तराखंड	950	956	867	963	966	938
राजस्थान	944	950	851	948	951	893
उत्तर प्रदेश	934	945	850	952	959	884
बिहार	929	934	839	958	960	934
सिक्किम	957	950	1024	960	942	1042
अरुणाचल प्रदेश	1003	1000	1020	1032	1022	1083
नागालैंड	943	942	946	976	964	1014
मणिपुर	980	977	1040	984	978	1051
मिजोरम	984	959	1012	1007	967	1047
त्रिपुरा	970	971	921	983	982	1017
मेघालय	1000	987	1072	1013	996	1104
असम	972	974	929	985	984	996
पश्चिम बंगाल	982	984	950	999	1000	991
झारखंड	987	989	965	1003	1003	1007
ओडिशा	1003	1006	948	1029	1031	991
छत्तीसगढ़	1013	1017	941	1020	1021	999
मध्य प्रदेश	975	979	912	984	986	956
गुजरात	974	978	926	981	984	952
दमन और दीव	947	952	928	977	982	972
दादरा और नगर हवेली	1028	1032	973	1010	1011	1002
महाराष्ट्र	973	979	931	977	984	942
तेलंगाना	962	965	922	980	982	961
आंध्र प्रदेश	983	986	957	1009	1014	977
कर्नाटक	972	975	960	990	990	993
गोवा	893	827	928	1046	1026	1076
लक्षद्वीप	1003	1001	1006	1003	994	1006
केरल	1021	1020	1053	1035	1031	1070
तमिलनाडु	980	977	997	981	982	980
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	948	954	796	937	931	1030

स्रोतः जनगणना 2001 और 2011, महापंजीयक कार्यालय, भारत

अनुलग्नक–4घ

सम्पूर्ण जनसंख्या तथा अ.ज.जा. जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर : जनसंख्या 2011

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	व्यक्ति			पुरूष			महिला		
		सभी	अ.ज.जा.	अन्तर	सभी	अ.ज.जा.	अन्तर	सभी	अ.ज.जा.	अन्तर
	भारत	73	59	14.0	80.9	68.5	12.4	64.6	49.4	15.2
1	जम्मू और कश्मीर	67.2	50.6	16.6	76.8	60.6	16.2	56.4	39.7	16.7
2	हिमाचल प्रदेश	82.8	73.6	9.2	89.5	83.2	6.3	75.9	64.2	11.7
3	उत्तराखंड	78.8	73.9	4.9	87.4	83.6	3.8	70	63.9	6.1
4	राजस्थान	66.1	52.8	13.3	79.2	67.6	11.6	52.1	37.3	14.8
5	उत्तर प्रदेश	67.7	55.7	12.0	77.3	67.1	10.2	57.2	43.7	13.5
6	बिहार	61.8	51.1	10.7	71.2	61.3	9.9	51.5	40.4	11.1
7	सिक्किम	81.4	79.7	1.7	86.6	85	1.6	75.6	74.3	1.3
8	अरुणाचल प्रदेश	65.4	64.6	0.8	72.6	71.5	1.1	57.7	58	−0.3
9	नागालैंड	79.6	80	−0.4	82.8	83.1	−0.3	76.1	76.9	−0.8
10	मणिपुर	76.9	72.6	4.3	83.6	77.3	6.3	70.3	67.8	2.5
11	मिजोरम	91.3	91.5	−0.2	93.3	93.6	−0.3	89.3	89.5	−0.2
12	त्रिपुरा	87.2	79.1	8.1	91.5	86.4	5.1	82.7	71.6	11.1
13	मेघालय	74.4	74.5	−0.1	76	75.5	0.5	72.9	73.5	−0.6
14	असम	72.2	72.1	0.1	77.8	79	−1.2	66.3	65.1	1.2
15	पश्चिम बंगाल	76.3	57.9	18.4	81.7	68.2	13.5	70.5	47.7	22.8
16	झारखंड	66.4	57.1	9.3	76.8	68.2	8.6	55.4	46.2	9.2
17	ओडिशा	72.9	52.2	20.7	81.6	63.7	17.9	64	41.2	22.8
18	छत्तीसगढ़	70.3	59.1	11.2	80.3	69.7	10.6	60.2	48.8	11.4
19	मध्य प्रदेश	69.3	50.6	18.7	78.7	59.6	19.1	59.2	41.5	17.7
20	गुजरात	78	62.5	15.5	85.8	71.7	14.1	69.7	53.2	16.5
21	दमन और दीव	87.1	78.8	8.3	91.5	86.2	5.3	79.5	71.2	8.3
22	दादरा और नगर हवेली	76.2	61.9	14.3	85.2	73.6	11.6	64.3	50.3	14
23	महाराष्ट्र	82.3	65.7	16.6	88.4	74.3	14.1	75.9	57	18.9
24	तेलंगाना	66.5	49.5	17.0	75	59.5	15.5	57.9	39.4	18.5
25	आंध्र प्रदेश	67.4	48.8	18.6	74.8	56.9	17.9	60	40.9	19.1
26	कर्नाटक	75.4	62.1	13.3	82.5	71.1	11.4	68.1	53	15.1
27	गोवा	88.7	79.1	9.6	92.6	87.2	5.4	84.7	71.5	13.2
28	लक्षद्वीप	91.8	91.7	0.1	95.6	95.7	−0.1	87.9	87.8	0.1
29	केरल	94	75.8	18.2	96.1	80.8	15.3	92.1	71.1	21
30	तमिलनाडु	80.1	54.3	25.8	86.8	61.8	25	73.4	46.8	26.6
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	86.6	75.6	11.0	90.3	80.9	9.4	82.4	69.9	12.5

टिप्पणी: 2011 में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है

अनुलग्नक – 4 ड.

शैक्षिक स्तर–15 वर्ष और उससे अधिक आयु के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक और उससे ऊपर

क्र. सं.	भारत / राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्नातक तथा इससे ऊपर की प्रतिशतता (कॉलम 3)								
		कुल स्नातक तथा इससे ऊपर	तकनीकी डिग्री के अलावा स्नातक डिग्री	तकनीकी डिग्री के अलावा स्नात कोत्तर डिग्री	डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री के समतुल्य तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा					
					इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी	चिकित्सा	कृषि तथा डेयरी	पशु चिकित्सा विज्ञान	शिक्षण*	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भारत	1763879	64.08	18.28	5.92	1.94	0.36	0.11	9.27	0.04
1	जम्मू और कश्मीर	19320	55.01	22.51	7.16	3.98	0.61	0.45	10.09	0.20
2	हिमाचल प्रदेश	16983	57.57	27.58	4.57	1.74	0.18	0.11	8.20	0.05
3	उत्तराखंड	18868	61.74	28.87	4.43	1.35	0.20	0.01	3.40	0.00
4	राजस्थान	199280	52.83	22.17	3.14	1.20	0.11	0.06	20.49	0.01
5	उत्तर प्रदेश	18275	71.22	19.62	3.64	1.00	0.20	0.01	4.31	0.00
6	बिहार	12772	83.34	9.02	4.60	1.43	0.05	0.10	1.46	0.01
7	सिक्किम	9401	71.71	16.93	5.94	2.60	0.55	0.20	2.01	0.06
8	अरुणाचल प्रदेश	33331	70.94	13.40	8.99	3.32	1.03	0.36	1.94	0.02
9	नागालैंड	75326	75.44	15.18	4.25	2.22	0.68	0.28	1.92	0.03
10	मणिपुर	60186	82.04	12.68	2.62	1.61	0.15	0.04	0.85	0.01
11	मिजोरम	45681	70.62	16.57	5.51	2.43	0.48	0.38	4.01	0.02
12	त्रिपुरा	12074	72.58	15.83	5.47	3.35	0.80	0.15	1.81	0.02
13	मेघालय	63897	73.85	13.05	5.59	2.47	0.61	0.28	4.13	0.03
14	असम	74746	83.24	9.80	3.93	1.66	0.19	0.18	0.98	0.02
15	पश्चिम बंगाल	62032	79.85	13.50	3.00	1.03	0.12	0.04	2.44	0.01
16	झारखंड	144262	79.58	12.76	2.62	0.95	0.13	0.06	3.90	0.01
17	ओडिशा	64859	71.23	9.64	14.56	1.24	0.14	0.06	3.13	0.00
18	छत्तीसगढ़	109384	54.98	37.76	4.09	1.39	0.38	0.05	1.35	0.01
19	मध्य प्रदेश	121374	59.30	32.64	4.72	1.41	0.37	0.05	1.51	0.00
20	गुजरात	133702	56.13	19.54	5.11	3.11	0.38	0.05	15.55	0.13
21	दमन और दीव	170	63.53	14.71	7.06	3.53	0.00	0.00	11.18	0.00
22	दादरा और नगर हवेली	2232	38.22	12.90	4.57	4.17	0.00	0.00	40.10	0.04
23	महाराष्ट्र	185590	55.83	15.81	5.78	2.33	0.87	0.09	19.28	0.01
24	आंध्र प्रदेश	63124	57.36	13.61	10.52	2.75	0.27	0.14	15.11	0.24
25	तेलंगाना	83954	56.08	14.55	13.17	2.89	0.17	0.11	12.88	0.15
26	कर्नाटक	102014	57.84	12.29	10.82	1.95	0.30	0.09	16.68	0.03
27	गोवा	3990	77.57	8.47	6.24	3.48	0.18	0.00	4.06	0.00
28	लक्षद्वीप	1986	44.66	21.70	8.61	5.09	1.71	0.45	17.12	0.65
29	केरल	10675	62.49	17.80	8.51	4.14	0.36	0.24	6.41	0.06
30	तमिलनाडु	13970	49.20	20.76	20.08	2.66	0.46	0.19	6.63	0.03
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	421	46.32	17.10	3.33	5.23	0.00	0.71	27.32	0.00

* **शिक्षण** : जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी), बीएड, एमएड आदि

स्रोतः जनगणना 2011, महापंजीयक कार्यालय, भारत

अनुलग्नक – 4च

जनजातीय क्षेत्रों में उप केन्द्रों, पीएचसी एवं सीएचसी की आवश्यकता और कमी

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2022 तक)									
		ग्रामीण क्षेत्रों में 01 जुलाई, 2022 को वर्ष के मध्यकाल में अनुमानित जनजातीय जनसंख्या	उपकेन्द्र			पीएचसी			सीएचसी		
			आर	पी	एस	आर	पी	एस	आर	पी	एस
1	आंध्र प्रदेश	2235578	745	955	**	111	158	**	27	17	10
2	अरुणाचल प्रदेश #	856243	285	367	**	42	131	**	10	57	**
3	असम	4101442	1367	844	523	205	188	17	51	36	15
4	बिहार	1516410	505	लागू नही	लागू नही	75	लागू नही	लागू नही	18	लागू नही	लागू नही
5	छत्तीसगढ़	8073397	2691	2943	**	403	417	**	100	93	7
6	गोवा *	61949	20	लागू नही	लागू नही	3	लागू नही	लागू नही	0	लागू नही	लागू नही
7	गुजरात	8462631	2820	2756	64	423	422	1	105	88	17
8	हरियाणा *	0	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
9	हिमाचल प्रदेश	404760	134	106	28	20	45	**	5	8	**
10	झारखंड	9086894	3028	2465	563	454	159	295	113	100	13
11	कर्नाटक	3449898	1149	195	954	172	31	141	43	7	36
12	केरल	230835	76	285	**	11	40	**	2	13	**
13	मध्य प्रदेश	16584104	5528	3263	2265	829	361	468	207	111	96
14	महाराष्ट्र	9501900	3167	2076	1091	475	318	157	118	66	52
15	मणिपुर	848401	282	239	43	42	48	**	10	8	2
16	मेघालय #	2378890	792	459	333	118	147	**	29	28	1
17	मिजोरम #	536021	178	373	**	26	66	**	6	9	**
18	नागालैंड #	1134576	378	452	**	56	136	**	14	23	**
19	ओडिशा	9635546	3211	2701	510	481	445	36	120	134	**
20	पंजाब *	0	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
21	राजस्थान	9977780	3325	1557	1768	498	243	255	124	70	54
22	सिक्किम	130572	43	48	**	6	12	**	1	0	1
23	तमिलनाडु	634163	211	545	**	31	96	**	7	21	**
24	तेलंगाना	2733521	911	621	290	136	95	41	34	8	26
25	त्रिपुरा	1043625	347	486	**	52	53	**	13	9	4
26	उत्तराखंड	280175	93	121	**	14	13	1	3	2	1
27	उत्तर प्रदेश *	1182140	394	लागू नही	लागू नही	59	लागू नही	लागू नही	14	लागू नही	लागू नही
28	पश्चिम बंगाल	4896019	1632	970	662	244	102	142	61	39	22
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1)	25465	8	41	**	1	4	**	0	1	**
30	चंडीगढ़ *	0	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	153009	51	49	2	7	6	1	1	0	1
32	दिल्ली *	0	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
33	जम्मू और कश्मीर	1291499	430	169	261	64	60	4	16	2	14
34	लद्दाख #	208000	69	288	**	10	33	**	2	7	**
35	लक्षद्वीप #(1)	1904	0	9	**	0	4	**	0	3	**
36	पुडुचेरी *	0	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
	अखिल भारत/कुल	**101657344**	**33870**	**25383**	**9357**	**5068**	**3833**	**1559**	**1254**	**960**	**372**

टिप्पणियां:

एन ऐप – लागू नहीं

एन ए – डेटा उपलब्ध नहीं है

आवश्यकता की गणना जनजातीय जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदंडों का उपयोग करके की जाती है। अखिल भारतीय कमी कुछ राज्यों में मौजूदा अधिशेष की अनदेखी करते हुए कमी के राज्य–वार आंकड़ों को जोड़कर प्राप्त की जाती है। जनगणना 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय आबादी के प्रतिशत के आधार पर वर्ष 2022 के लिए मध्य–वर्ष की जनजातीय जनसंख्या की गणना

आर : आवश्यक; पी : तैनात; एस : कमी ** : अधिशेष

* : राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है;

: राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र हैं (1)

जनसंख्या 80,000 के मानक (सीएचसी) से कम है।

अनुलग्नक– 4 छ

जनजातीय क्षेत्रों में उप–केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31मार्च, 2022 तक)				
		अपेक्षित1 (आर1)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस–पी)	कमी (आर1–पी)
1	आंध्र प्रदेश	955	1542	1404	138	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	367	उपलब्ध नही	483	उपलब्ध नही	**
3	असम	844	1203	1159	44	**
4	बिहार	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
5	छत्तीसगढ़	2943	4119	3470	649	**
6	गोवा *	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
7	गुजरात	2756	2786	2567	219	189
8	हरियाणा *	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
9	हिमाचल प्रदेश	106	106	22	84	84
10	झारखंड	2465	3010	2955	55	**
11	कर्नाटक	195	145	101	44	94
12	केरल	285	278	236	42	49
13	मध्य प्रदेश	3263	4237	2253	1984	1010
14	महाराष्ट्र	2076	3000	2780	220	**
15	मणिपुर	239	419	310	109	**
16	मेघालय #	459	810	807	3	**
17	मिजोरम #	373	0	381	**	**
18	नागालैंड #	452	1151	1100	51	**
19	ओडिशा	2701	2967	2741	226	**
20	पंजाब *	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
21	राजस्थान	1557	2102	1778	324	**
22	सिक्किम	48	72	75	**	**
23	तमिलनाडु	545	590	534	56	11
24	तेलंगाना	621	1213	956	257	**
25	त्रिपुरा	486	उपलब्ध नही	322	उपलब्ध नही	164
26	उत्तराखंड	121	128	104	24	17
27	उत्तर प्रदेश *	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
28	पश्चिम बंगाल	970	1890	1661	229	**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	41	62	62	0	**
30	चंडीगढ़ *	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	49	69	70	**	**
32	दिल्ली *	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
33	जम्मू और कश्मीर	169	203	182	21	**
34	लद्दाख #	288	446	363	83	**
35	लक्षद्वीप #	9	28	28	0	**
36	पुदुचेरी *	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

टिप्पणियां: एन ऐप – लागू नही

एन ए – डेटा उपलब्ध नहीं

*: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र मे कोई अलग जनजातीय क्षेत्र /जनसंख्या नही है

** अधिशेष

मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्यों मे

आईपीएचएस मानदंडो के अनुसार प्रति उपकेंद्र एक है

अनुलग्नक – 4 ज

जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 20212 तक)				
		अपेक्षित1	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		(आर1)	(एस)	(पी)	(एस–पी)	(आर1–पी)
1	आंध्र प्रदेश	158	0	0	0	158
2	अरुणाचल प्रदेश #	131	उपलब्ध नही	173	उपलब्ध नही	**
3	असम	188	285	257	28	**
4	बिहार	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
5	छत्तीसगढ़	417	519	408	111	9
6	गोवा	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
7	गुजरात	422	929	794	135	**
8	हरियाणा *	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
9	हिमाचल प्रदेश	45	15	5	10	40
10	झारखंड	159	318	260	58	**
11	कर्नाटक	31	177	131	46	**
12	केरल	40	49	41	8	**
13	मध्य प्रदेश	361	671	625	46	**
14	महाराष्ट्र	318	540	432	108	**
15	मणिपुर	48	105	100	5	**
16	मेघालय #	147	340	388	**	**
17	मिजोरम #	66	0	22	**	44
18	नागालैंड #	136	123	238	**	**
19	ओडिशा	445	420	314	106	131
20	पंजाब *	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
21	राजस्थान	243	339	296	43	**
22	सिक्किम	12	34	32	2	**
23	तमिलनाडु	96	158	129	29	**
24	तेलंगाना	95	9	6	3	89
25	त्रिपुरा	53	उपलब्ध नहीं	38	उपलब्ध नहीं	15
26	उत्तराखंड	13	4	3	1	10
27	उत्तर प्रदेश *	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
28	पश्चिम बंगाल	102	21	10	11	92
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	8	8	0	**
30	चंडीगढ़ *	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	6	1	2	*	4
32	दिल्ली *	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
33	जम्मू और कश्मीर	60	67	60	7	0
34	लद्दाख #	33	41	40	1	**
35	लक्षद्वीप #	4	18	17	1	**
36	पुडुचेरी *	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

टिप्पणियां:

* : राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है

** आधिशेष।

मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्यों में

आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति पीएचसी एक है

अनुलग्नक – 4 झ

जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में नर्सिंग स्टाफ (स्टाफ नर्स)

क्र.सं.	राज्यध्संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2022 तक)				
		अपेक्षित1	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[आर1]	[एस]	[पी]	[एस–पी]	[आर1–पी]
1	आंध्र प्रदेश	158	482	434	48	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	131	उपलब्ध नहीं	273	उपलब्ध नहीं	**
3	असम	188	397	353	44	**
4	बिहार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	छत्तीसगढ़	417	1132	868	264	**
6	गोवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	422	816	706	110	**
8	हरियाणा *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	45	13	5	8	40
10	झारखंड	159	318	180	138	**
11	कर्नाटक	31	40	38	2	**
12	केरल	40	104	97	7	**
13	मध्य प्रदेश	361	589	386	203	**
14	महाराष्ट्र	318	387	280	107	38
15	मणिपुर	48	111	89	22	**
16	मेघालय #	147	394	411	**	**
17	मिजोरम #	66	0	206	**	**
18	नागालैंड #	136	167	214	**	**
19	ओडिशा	445	887	214	673	231
20	पंजाब *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	243	705	585	120	**
22	सिक्किम	12	39	44	**	**
23	तमिलनाडु	96	320	260	60	**
24	तेलंगाना	95	181	153	28	**
25	त्रिपुरा	53	उपलब्ध नहीं	256	उपलब्ध नहीं	**
26	उत्तराखंड	13	3	1	2	12
27	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	102	284	184	100	**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	18	18	0	**
30	चंडीगढ़ *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादर एवं नगर हवेली दमन और दीव #	6	24	24	0	**
32	दिल्ली *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	60	25	19	6	41
34	लद्दाख #	33	12	11	1	22
35	लक्षद्वीप #	4	11	11	0	**
36	पुडुचेरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियां: ** आधिशेष

* : राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है

मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्यों में

आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति पीएचसी एक है

अनुलग्नक – 4 ज

जनजातीय क्षेत्रों में सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2022 तक)				
		अपेक्षित1 [आर1]	स्वीकृत [एस]	तैनात [पी]	रिक्त [एस–पी]	कमी [आर1–पी]
1	आंध्र प्रदेश	119	248	181	67	**
2	अरुणाचल प्रदेश #	399	उपलब्ध नहीं	453	उपलब्ध नहीं	**
3	असम	252	262	263	**	**
4	बिहार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	छत्तीसगढ़	651	1268	1027	241	**
6	गोवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	616	579	564	15	52
8	हरियाणा *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	56	33	23	10	33
10	झारखंड	700	900	686	214	14
11	कर्नाटक	49	70	70	0	**
12	केरल	91	108	94	14	**
13	मध्य प्रदेश	777	1125	634	491	143
14	महाराष्ट्र	462	572	451	121	11
15	मणिपुर	56	83	67	16	**
16	मेघालय #	196	361	407	**	**
17	मिजोरम #	63	0	37	**	26
18	नागालैंड #	161	168	223	**	**
19	ओडिशा	938	1409	785	624	153
20	पंजाब *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	490	728	654	74	**
22	सिक्किम	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23	तमिलनाडु	147	200	174	26	**
24	तेलंगाना	56	70	44	26	12
25	त्रिपुरा	63	उपलब्ध नहीं	79	उपलब्ध नहीं	**
26	उत्तराखंड	14	14	6	8	8
27	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	273	1039	876	163	**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	10	10	0	**
30	चंडीगढ़ *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	दिल्ली *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	14	15	13	2	1
34	लद्दाख #	49	41	41	0	8
35	लक्षद्वीप #	21	35	35	0	**
36	पुडुचेरी *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियाँ:
** आधिशेष
* राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है
# मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य
1. आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार सात प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक

अनुलग्नक – 4 ट

जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में डॉक्टर2

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2022 तक)				
		अपेक्षित1	स्वीकृत	तैनात	रिक्त	कमी
		[आर1]	[एस]	[पी]	[एस–पी]	[आर1–पी]
1	आंध्र प्रदेश	158	316	221	95	**
2	अरुणाचल प्रदेश	131	उपलब्ध नहीं	152	उपलब्ध नहीं	**
3	असम	188	329	264	65	**
4	बिहार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	छत्तीसगढ़	417	563	289	274	128
6	गोवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	गुजरात	422	736	641	95	**
8	हरियाणा *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	45	50	32	18	13
10	झारखंड	159	159	148	11	11
11	कर्नाटक	31	34	28	6	3
12	केरल	40	106	97	9	**
13	मध्य प्रदेश	361	552	332	220	29
14	महाराष्ट्र	318	764	633	131	**
15	मणिपुर	48	154	139	15	**
16	मेघालय #	147	188	195	**	**
17	मिजोरम #	66	0	67	**	**
18	नागालैंड #	136	140	137	3	**
19	ओडिशा	445	474	356	118	89
20	पंजाब *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
21	राजस्थान	243	313	258	55	**
22	सिक्किम	12	16	16	0	**
23	तमिलनाडु	96	194	174	20	**
24	तेलंगाना	95	143	110	33	**
25	त्रिपुरा	53	उपलब्ध नहीं	121	उपलब्ध नहीं	**
26	उत्तराखंड	13	13	11	2	2
27	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पश्चिम बंगाल	102	155	104	51	**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	8	7	1	**
30	चंडीगढ़ *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6	6	6	0	0
32	दिल्ली *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	जम्मू और कश्मीर	60	82	44	38	16
34	लद्दाख #	33	109	55	54	**
35	लक्षद्वीप #	4	12	12	0	**
36	पुडुचेरी *	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोटः ** आधिक्य।

* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है

मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य

1 आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक

2 एलोपैथिक डॉक्टर

अनुलग्नक – 4 ठ

2015–16 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए परिचालन जोतों की संख्या का राज्य–वार प्रतिशत वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कृषि जनगणना 2015–16				
		सीमांत	छोटा	अर्द्ध–मध्यम	मध्यम	विशाल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–
2	आंध्र प्रदेश	64.83	21.6	10.47	2.84	0.25
3	अरुणाचल प्रदेश	22.68	21.37	26.12	23.79	6.03
4	असम	60.85	21.64	13.99	3.45	0.07
5	बिहार	87.33	8.34	3.73	0.58	0.02
6	चंडीगढ़	–	–	–	–	–
7	छत्तीसगढ़	47.51	25.42	18.41	7.55	1.11
8	दादरा और नगर हवेली	55.74	26.91	12.63	4.3	0.41
9	दमन और दीव	93.57	5.27	1.15	0	0
10	दिल्ली	–	–	–	–	–
11	गोवा	79.54	10.33	6.11	3.64	0.38
12	गुजरात	38.19	28.74	22.02	10.14	0.9
13	हरियाणा	–	–	–	–	–
14	हिमाचल प्रदेश	72.75	17.82	7.66	1.65	0.12
15	जम्मू और कश्मीर	81.64	12.62	4.76	0.94	0.04
16	झारखंड	62.12	17.14	12.79	6.74	1.2
17	कर्नाटक	51.46	28.81	14.33	4.82	0.58
18	केरल	89.95	6.85	2.96	0.24	0
19	लक्षद्वीप	95.83	2.64	1.3	0.22	0.01
20	मध्य प्रदेश	47	27.8	17.68	6.89	0.62
21	महाराष्ट्र	37.55	33.41	20.41	7.85	0.77
22	मणिपुर	44.71	33.92	19.36	2.01	0
23	मेघालय	52.3	26.19	17.38	4.02	0.11
24	मिजोरम	50.14	30.63	15.4	3.55	0.29
25	नगालैंड	4.14	15.16	32.25	37.55	10.91
26	ओडिशा	68.5	22.48	7.76	1.21	0.05
27	पुदुचेरी	–	–	–	–	–
28	पंजाब	–	–	–	–	–
29	राजस्थान	56.74	22.61	13.86	5.97	0.82
30	सिक्किम	55.06	18.85	18.21	7.16	0.72
31	तमिलनाडु	74.02	17.86	6.35	1.68	0.09
32	तेलंगाना	61.16	26.36	10.64	1.77	0.07
33	त्रिपुरा	75.12	16.15	7.69	1.03	0.02
34	उत्तर प्रदेश	67.09	18.75	9.34	4.26	0.56
35	उत्तराखंड	56.44	15.55	16.24	10.96	0.81
36	पश्चिम बंगाल	85.00	12.34	2.59	0.07	0.00
	अखिल भारत	**56.26**	**23.46**	**13.98**	**5.55**	**0.75**

स्रोतः कृषि जनगणना, 2015–16

अनुलग्नक – 4ड

2019–2021 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरूद्ध अपराध / अत्याचार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2019	2020	2021	अजजा के खिलाफ कुल अपराध दर (2021)	चार्जशीट की दर (2021)
राज्य:						
1	आंध्र प्रदेश	330	320	361	13.7	77.6
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0.1	–
3	असम	4	10	16	0.4	75.0
4	बिहार	97	94	103	7.7	84.6
5	छत्तीसगढ़	427	502	506	6.5	98.5
6	गोवा	2	2	5	3.3	100.0
7	गुजरात	321	291	341	3.8	96.5
8	हरियाणा	1	0	0	–	–
9	हिमाचल प्रदेश	1	3	7	1.8	75.0
10	झारखंड	342	347	250	2.9	63.7
11	कर्नाटक	327	293	361	8.5	89.9
12	केरल	140	130	133	27.4	81.8
13	मध्य प्रदेश	1922	2401	2627	17.2	99.8
14	महाराष्ट्र	559	663	628	6.0	90.0
15	मणिपुर	2	2	0	0.0	0.0
16	मेघालय	0	0	0	0.0	–
17	मिजोरम	8	0	0	0.0	–
18	नागालैंड	0	0	0	0.0	–
19	ओडिशा	576	624	676	7.0	95.0
20	पंजाब	1	4	0	–	0.0
21	राजस्थान	1797	1878	2121	23.0	46.5
22	सिक्किम	2	0	1	0.5	100.0
23	तमिलनाडु	31	23	39	4.9	94.7
24	तेलंगाना	530	573	512	15.6	76.4
25	त्रिपुरा	2	2	0	0.0	–
26	उत्तर प्रदेश	36	3	4	0.4	75.0
27	उत्तराखंड	8	13	6	2.1	80.0
28	पश्चिम बंगाल	99	90	92	1.7	98.6
	कुल राज्य (एस)	**7565**	**8268**	**8790**	**8.6**	**81.4**
संघ राज्यक्षेत्र:						
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	2	3	10.5	100.0
30	चंडीगढ़	0	0	0	–	–
31	दादर एवं नगर हवेली दमन और दीव+	0	0	3	1.5	100.0
32	दिल्ली	2	1	5	–	75.0
33	जम्मू और कश्मीर *	0	0	1	0.1	–
34	लद्दाख @	–	0	0	0.0	–
35	लक्षद्वीप	0	1	0	0.0	–
36	पुडुचेरी	0	0	0	–	–
	कुल संघ राज्यक्षेत्र (एस)	**5**	**4**	**12**	**0.7**	**88.9**
	कुल अखिल भारत	**7570**	**8272**	**8802**	**8.4**	**81.4**

जनसंख्या जनगणना 2011 (आरजीआई) के अनुसार अ.ज.जा. (एसटी) की वास्तविक जनसंख्या।

अत्याचार गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अपराधों को संदर्भित करता है। केवल आईपीसी के तहत मामले (एससी/एसटी अधिनियम के बिना) को बाहर रखा गया है क्योंकि उन मामलों में एससी/एसटी द्वारा एसटी के खिलाफ अपराध का उल्लेख है

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना +' 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादर एवं नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र और दमन एवं दीव राज्यक्षेत्र का संयुक्त डेटा केवल अपराध के आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

'*' 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा

'@' 2019 के लिए नव निर्मित संघ राज्यक्षेत्र का डेटा

स्रोत: भारत में अपराध 2021, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक – 4ढ

अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले राज्य /संघ राज्यक्षेत्र–वार जिले

(लाख में जनसंख्या)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा < 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (1) **कुल 0.24**	(1) निकोबार 0.24 (64.3%) 0.24	——	——
आंध्र प्रदेश (1– एलडब्ल्यूई) **कुल 6.19**	——	——	(1) विशाखापट्नम 6.19 (14.4%) **6.19**
अरुणाचल प्रदेश (16) **कुल 9.50**	(1) कुरुंग कुमेय 0.91 (98.6%) (2) अपर सुबासिरि 0.78 (93.9%) (3) पूर्वी कमेंग 0.72 (92.0%) (4) तिराप 0.98 (87.9%) (5) लोअर सुबासिरि 0.73 (87.8%) (6) पश्चिमी सियांग 0.93 (82.6%) (7) अपर सियांग 0.28 (80.6%) (8) अजाव 0.16 (77.7%) (9) दिबांग घाटी 0.06 (71.2%) (10) पूर्वी सियांग 0.70 (70.5%) (11) तवांग 0.35 (69.7%) (12) पापुम परे 1.17 (66.4%) (13) पश्चिमी कमेंग 0.46 (55.2%) **8.23**	(1) लोअर दिबांग घाटी 0.26 (48.0%) (2) चागलांग 0.54 (36.3%) (3) लोहित 0.47 (32.5%) **1.27**	
असम (7) **कुल 20.73**	(1) दीमा हसाव 1.52 (70.9%) (2) कारबी आंगलोंग 5.39 (56.3%) **6.91**	(1) धीमाजी 3.26 (47.4%) (2) चिरांग 1.79 (37.1%) (3) बक्सा 3.31 (34.8%) (4) उदालगुड़ी 2.67 (32.1%) (5) कोकराझार 2.79 (31.4%) **13.82**	
बिहार (6 एलडब्ल्यूई) **कुल 1.81**	——	——	1) जमुई 0.79 (4.5%) (2) बांका 0.9 (4.4%), (3) मुज्जफरपुर 0.06 (0.12%) (4) नवादा 0.02 (0.09%) (5) गया 0.03 (0.07%) (6) औरंगाबाद 0.01 (0.04%) **1.81**
(छत्तीसगढ़ (11 + 8 एलडब्ल्यूई) **कुल 65.72**	(1) सुकमा (एल) 2.09 (83.5%) (2) बिजापुर (एल) 2.04 (80.0%) (3) नारायणपुर (एल) 1.08 (77.4%) (4) दंतेवाड़ा (एल) 2.01 (71.1%) (5) कोंडागांव (एल) 4.11 (71.0%) (6) बलरामपुर 4.59 (62.8%) (7) बस्तर (एल) 5.21 (62.4%) (8) जशपुर 5.30 (62.3%) (9) सरगुजा 4.82 (57.4%) (10) कांकेर (एल) 4.15 (55.4%) **35.4**	(1) कोरिया 3.04 (46.2%) (2) सुरजपुर 3.60 (45.6%) (3) कोरबा 4.94 (40.9%) (4) गरियाबंद 2.16 (36.1%) (5) रायगढ़ 5.06 (33.8%) (6) बलोद 2.59 (31.4%) (7) महासमुंद 2.80 (27.1%) (8) राजनंदगांव (एल) 4.05(26.4%) (9) धमतरी 2.08 (26.0%) **30.32**	——
दादर एवं नागर हवेली (1) **कुल 1.79**	(1) दादर एवं नागर हवेली 1.79 (52.0%) **1.79**	——	——
गुजरात (10) **कुल 65.7**	(1) डांगस 2.16 (94.7%) (2) तापी 6.79 (84.2%) (3) नर्मदा 4.81 (81.6%) (4) छोटा उदयपुर 8.57 (79.9%) (5) दाहोद 15.81 (74.3%) (6) वलसाड 9.03 (52.9%) **47.17**	(1) नवसारी 6.40 (48.1%) (2) भरुच 4.88 (31.5%) (3) महिसागर 2.85 (31.2%) (4) पंचमहल 4.40 (25.5%) **18.53**	——

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा < 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
हिमाचल प्रदेश (3) **कुल 2.11**	(1) लाहुल तथा स्पिति 0.26 (81.4%) (2) किन्नौर 0.49 (58.0%) **0.75**	(1) चम्बा 1.36 (26.1%) **1.36**	----
जम्मू एवं कश्मीर (5) **कुल 7.15**	(1) कारगिल 1.22 (86.9%) (2) लेह (लद्दाक) 0.96 (71.8%) **2.18**	(1) पुंछ 1.76 (36.9%) (2) राजौरी 2.33 (36.2%) (3) रियासी 0.88 (28.1%) **4.97**	----
झारखण्ड (4 + 16 एलईडब्ल्यू) **कुल 79.45**	(1) खुंटी (एल) 3.90 (73.3%) (2) सिमडेगा(एल) 4.24 (70.8%) (3) गुमला(एल) 7.07 (68.9%) (4) पश्चिमी सिंहभूम (एल) 10.11 (67.3%) (5) लोहारदगा (एल) 2.63 (56.9%) **27.95**	(1) लातेहर(एल) 3.31 (45.5%) (2) दुमका(एल) 5.71 (43.2%) (3) पाकुर 3.79 (42.1%) (4) रांची(एल) 10.42 (35.8%) (5) सरायकेला–खरसांवा 3.75 (35.2%) (6) जामतारा 2.40 (30.4% (7) पूर्वी सिंहभूम(एल) 6.54 (28.5%) (8) साहिबगंज 3.08 (26.8%) **39**	(1) रामगढ़ 2.01 (21.2%) (2) गढ़वा 2.06 (15.6%) (3) बोकारो 2.56 (12.4%) (4) गिरिडीह 2.38 (9.7%) (5) पलामु 1.81 (9.3%) (6) हजारीबाग 1.22 (7.02%) (7) छतरा 0.46 (4.4%) **12.5**
लक्षद्वीप (1) **कुल 0.61**	लक्षद्वीप 0.61 (94.8%) **0.61**	----	----
मध्य प्रदेश (19) **कुल 105.72**	(1) अलीराजपुर 6.49 (89.0%) (2) झाबुआ 8.92 (87.0%) (3) बरवानी 9.62 (69.4%) (4) डिंडोरी 4.56 (64.7%) (5) मांडला 6.11 (57.9%) (6) धार 12.23 (55.9%) **47.93**	(1) अनुपपुर 3.59 (47.9%) (2) उमरिया 3.01 (46.6%) (3) शहडौल 4.76 (44.7%) (4) बेतुल 6.67 (42.3%) (5) खरगांव (पश्चिम निमार) 7.30 (39.0%) (6) सियोनी 5.20 (37.7%) (7) छिंदवाड़ा 7.70 (36.8%) (8) खंडवा (पूर्वी निमार) 4.59 (35.1%) (9) सिसरौली 3.84 (32.6%) (10) बुरहानपुर 2.30 (30.4%) (11) रतलाम 4.10 (28.2%) (12) हरदा 1.60 28.0%) (13) सिधि 3.13 (27.8%) **57.79**	----
महाराष्ट्र (4 + 1 एलडब्ल्यूई) **कुल 48.86**	(1) नन्दूरबार 11.42 (69.3%) **11.42**	(1) गढ़चिरोली(एल) 4.15 (38.7%) (2) पालघर 11.18 (37.4%) (3) धुले 6.47 (31.6%) (4) नासिक 15.64 (25.6%) **37.44**	----
मणिपुर (5) **कुल 11.11**	(1) तामेंगलोंग 1.35 (95.7%) (2) उखरुल 1.74 (94.4%) (3) चुराचांदपुर 2.55 (92.9%) (4) चांदेल 1.28 (89.0%) (5) सेनापति 4.19 (87.5%) **11.11**	----	----
मेघालय (7) **कुल 25.55**	(1) पश्चिमी खासी हिल 3.75 (97.8%) (2) पूर्वी गारो हिल्स 3.05 (96.0%) (3) जैन्तिया हिल्स 3.76 (95.2%) (4) दक्षिणी गारो हिल्स 1.34 (94.3%) (5) रिभोई 2.30 (88.9%) (6) पूर्वी खासी हिल्स 6.61 (80.1%) (7) पश्चिमी गारो हिल्स 4.74 (73.7%) **25.55**	----	----

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% तथा < 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
मिजोरम (8) **कुल 10.37**	(1) चफाई 1.23 (98.2%) (2) शेरछिप 0.63 (96.8%) (3) सैहा 0.55 (96.6%) (4) लवांगत्लाई 1.12 (95.3%) (5) लुगलेई 1.54 (95.1%) (6) ममित 0.82 (95.0%) (7) आइजोल 3.74 (93.3%) (8) कोलासिब 0.74 (87.7%) **10.37**	——	——
नागालैंड (11) **कुल 17.11**	(1) त्वेनसांग 1.91 (97.1%) (2) जुन्हेबोटा 1.37 (97.0%) (3) किफिरे 0.71 (96.5%) (4) लोंगलोंग 0.49 (96.3%) (5) फेक 1.57 (96.2%) (6) मोन 2.38 (95.2%) (7) वोखा 1.57 (94.2%) (8) मोकोक्चुंग 1.78 (91.7%) (9) पेरेन 0.84 (88.5%) (10) कोहिमा 2.25 (83.9%) (11) दीमापुर 2.24 (59.1%) **17.11**	——	——
ओडिशा (12 + 2 एलडब्ल्यूई) **कुल 76.41**	(1) मयूरभंज 14.80 (58.7%) (2) मलकानगिरी(एल) 3.55 (57.8%) (3) रायगढ़ 5.42 (56.0%) (4) नबरंगपुर 6.81 (55.8%) (5) गजापटी 3.14 (54.3%) (6) कंधमल 3.93 (53.6%) (7) सुंदरगढ़ 10.62 (50.8%) (8) कोरापुट(एल) 6.98 (50.6%) **55.25**	(1) केंदुजहर 8.19 (45.5%) (2) देवगढ़ 1.10 (35.3%) (3) संबलपुर 3.55 (34.1%) (4) नौपाडा 2.06 (33.8%) (5) झारसुगुडा 1.77 (30.5%) (6) कालाहांडी 4.49 (28.5%) **21.16**	——
राजस्थान (6) **कुल 51.56**	(1) बांसवाड़ा 13.73 (76.4%) (2) डुंगरपुर 9.83 (70.8%) (3) प्रतापगढ़ 5.50 (63.4%) **29.06**	(1) उदयपुर 15.25 (49.7%) (2) सिरोही 2.92 (28.2%) (3) दौसा 4.33 (26.5%) 22.5	——
सिक्किम (4) **कुल 2.06**	(1) उत्तरी जिला 0.29 (65.7%) **0.29**	(1) पश्चिमी जिला 0.58 (42.4%) (2) दक्षिणी जिला 0.41 (28.2%) (3) पूर्वी जिला 0.78 (27.7%) **1.77**	——
तेलंगाना (1 + एलडब्ल्यूई) **कुल 6.57**	(1) खम्माम (एल) 6.57 (25.2%) **6.57**	——	——
त्रिपुरा (5) **कुल 8.10**	(1) धलाई 2.11 (55.7%) **2.11**	(1) गोमती 1.89 (42.7%) (2) खोवाई 1.40 (42.6%) (3) दक्षिणी त्रिपुरा 1.53(35.5%) (4) उत्तरी त्रिपुरा 1.17 (28.1%) **5.99**	——
पश्चिम बंगाल (2) **कुल 6.33**	——	(1) दार्जिलिंग 2.51 (28.7%) (2) अलीपुर द्वार 3.82 (26.8%) **6.33**	——
कुल: 177 (142 + एलडब्ल्यूई 35)	**(80 + एलडब्ल्यूई 14)**	**(62 + एलडब्ल्यूई 7)**	**14 एलडब्ल्यूई**
कुल 630.75	**341.43**	**268.82**	**20.5**

एलडब्ल्यूई: वामपंथ उग्रवाद (प्रभावित जिले)

अनुलग्नक– 4ण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार प्रमुख अनुसूचित जनजाति समुदाय : जनगणना 2011

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
1	**आंध्र प्रदेश**			
	1. येनादिस चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मंची येनादी, रेड्डी येनादी	5.34	20.3	%
	2. येरुकुलस, कोराचा, डब्बायेरुकुला, कुंचपुरीयेरुकुला, उप्पुयेरुकुला	3.75	14.3	%
	3. सुगालिस, लम्बादिस, बंजारा	3.62	13.7	%
	4. कोन्डा धोरस, कुबी	2.11	8.0	%
	5. सावरस, कापूसावरस, मालियासावरस, खुट्टोसावरस	1.38	5.2	%
	6. बगता	1.33	5.0	%
	अ.ज.जा.(6) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	17.51	66.6	%
	अ.ज.जा. (28) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	8.05	30.6	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.74	2.8	%
	कुल :	**26.31**	**100**	%
2	**बिहार**			
	1. संथाल	4.06	30.4	%
	2. गोंड	2.57	19.2	%
	3. थारू	1.60	12.0	%
	4. उरांव धनगर (उरांव)	1.44	10.8	%
	5. खारवार	1.26	9.4	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	10.93	81.8	%
	अ.ज.जा. (27) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.27	9.5	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.17	8.8	%
	कुल :	**13.37**	**100**	%
3	**छत्तीसगढ़**			
	1. गोंड, अराख, अगारिया, असुर, भटोला, भीम्मा, भूटा/भूटी , भार, मारिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोयतार, कोया, खिरवार, माना, मान्नेवर, मोघिया, मोघिया, मूड़िया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरेका, थाटिया, थोटिया, दरोई	42.98	54.9	%
	2. कवर, कनवर, चेरवा, राठिया, तंवर, चत्री	8.87	11.3	%
	3. ओरांव, ढांका, धनगढ़	7.49	9.6	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	59.35	75.9	%
	अ.ज.जा. (39) अ.ज.जा.(ढ 5% जनसंख्या)	18.56	23.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.32	0.4	%
	कुल :	**78.23**	**100**	%
4	**गोवा**			
	1. गवड़ा	1.07	71.5	%
	2. वेलिप	0.32	21.5	%
	अ.ज.जा.(2) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	1.39	92.9	%
	अ.ज.जा. (6) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.06	3.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.05	3.4	%
	कुल :	**1.49**	**100**	%

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
5	**गुजरात**			
	1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरीगरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा	42.16	47.3	%
	2. धूबला, तालविया, हालपटी	6.43	7.2	%
	3. राठवा	6.42	7.2	%
	4. धोड़िया, धोडी	6.36	7.1	%
	5. नायकदा, नायका	4.60	5.2	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	65.97	74.0	%
	अ.ज.जा. (24) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	21.10	23.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.11	2.4	%
	कुल :	**89.17**	**100**	%
6	**हिमाचल प्रदेश**			
	1. गद्दी	1.78	45.4	%
	2. गुज्जर	0.93	23.6	%
	3. कनौरा, किन्नरा	0.51	13.0	%
	4. भोत, बोध	0.27	6.9	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	3.49	89.0	%
	अ.ज.जा. (6) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.33	8.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.11	2.7	%
	कुल :	**3.92**	**100**	%
7	**जम्मू और कश्मीर****			
	1. गुज्जर	9.81	65.7	%
	2. बकरवाल	1.13	7.6	%
	3. बोत, बोतो	0.91	6.1	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	11.85	79.4	%
	अ.ज.जा. (9) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.96	13.1	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.12	7.5	%
	कुल :	**14.93**	**100**	%
8	**झारखंड**			
	1. संथाल	27.55	31.9	%
	2. ओरांव, धनगर (उरांव)	17.17	19.9	%
	3. मुंडा, पतर	12.29	14.2	%
	4. हो	9.28	10.7	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	66.29	76.7	%
	अ.ज.जा. (28) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	18.42	21.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.74	2.0	%
	कुल :	**86.45**	**100**	%
9	**कर्नाटक**			
	1. नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटानायका, नाना नायका, नायक, नायक, बेदा, बेदार और वाल्मीकि	32.96	77.6	%
	अ.ज.जा.(1) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	32.96	77.6	%
	अ.ज.जा. (49) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.41	15.1	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	3.12	7.3	%
	कुल :	**42.49**	**100**	%

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
10	**केरल**			
	1. पनियान	0.88	18.2	%
	2. कुरिच्चान, कुरिचियान	0.35	7.3	%
	3. मलाई अरायान, माला अरायान	0.33	6.9	%
	4. माविलान	0.31	6.4	%
	5. कुरुमांस मुल्लू कुरुमन, मुल्ला कुरुमन, माला कुरुमन	0.25	5.1	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	2.12	43.8	%
	अ.ज.जा. (31) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.10	43.4	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.62	12.9	%
	कुल :	**4.85**	**100**	%
11	**मध्य प्रदेश**			
	1. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया	59.94	39.1	%
	2. गोंड, अरख, अर्रख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भिम्मा, भूटा, कोइलाभुता, कोलियाभूति, भर, बाइसनहॉर्न मारिया, छोटा मारिया, दंडमी मारिया, धुरु, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैता, गोंडगोवारी, हिल मारिया, कांद्रा, कलंगा, खटोला, कोइतार, कोया, खिरवार, खिरवाड़ा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मादिया, मारिया, माना, मान्नेवर, मोधिया, मोग्या, मुदिया, मूड़िया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज,सोनझारी,झरेका,थाटिया,थोटिया, वड्डे मारिया, दरोई	50.93	33.3	%
	3. कोल	11.68	7.6	%
	अ.ज.जा.(3)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	122.55	80.0	%
	अ.ज.जा. (40) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	27.98	18.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.64	1.7	%
	कुल :	**153.17**	**100**	%
12	**महाराष्ट्र**			
	1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भागलिया, भिलाला, पवारा, वसावा, वसावे	25.89	24.6	%
	2. गोंड, राजगोंड, अरख, अरख, अगरिया, असुर, बड़ी मरिया, बड़ा मरिया, भटोला, भीम, भूटा, कोइलाभूता, कोइलाभूति, भर, बाइसनहॉर्न मारिया, छोटामारिया, दंडमीरिया, धुरु, धुरवा, धोबा, धूलिया, दोरला, गट्टी, गट्टी, गट्टी ,गीता, गोंडगोवारी, हिल मारिया, कांद्रा, कलंगा, खटोला, कोइतार, कोया, खिरवार, खिरवाड़ा, कुचा मारिया, कुचाकीमारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवर, मोघ्या, मोगिया, मोग्या, मुदिया, मुरिया, नागरची, नायकपोड, नागवंशी , ओझा, राज, सोनझारी झरेका, ठटिया, थोटिया, वेड मारिया, वड्डे मारिया	16.18	15.4	%
	3. कोली महादेव, डोंगरकोली	14.60	13.9	%
	4. वर्ली	7.96	7.6	%
	5. कोकना, कोकनी, कुकना	6.87	6.5	%
	6. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, का ठाकार, मा ठाकुर, मा ठाकर	5.68	5.4	%
	अ.ज.जा.(6) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	77.18	73.4	%
	अ.ज.जा. (39) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	26.17	24.9	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.76	1.7	%
	कुल :	**105.10**	**100**	%

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
13	**ओडिशा**			
	1. खोंड, कोंड, कंधा, नंगुली कांधा, सीता कांधा, कोंध, कुई, बुड़ा कोंध, बुरा कांधा, देसिया कांधा, डूंगरिया कोंध, कुटिया कांधा, कंधा गौड़ा, मुलीकोंड, मलुआ कोंध, पेंगो कांधा, राजा कोंध, राज खोंड	16.27	17.0	%
	2. संथाल	8.95	9.3	%
	3. गोंड, गोंडो, राजगोंड, मारिया गोंड, धुरगोंडो	8.89	9.3	%
	4. कोल्हा	6.25	6.5	%
	5. मुंडा, मुंडालोहारा, मुंडामहलिस, नागबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा	5.59	5.8	%
	6. साओरा, सावर, सौरा, सहारा, अर्सीसौरा, आधारित साओरा, भीमासौरा, भीम्मासौरा, चुमुरासौरा, जरासावर, जादूसौरा, जातिसौरा, जुआरीसौरा, कम्पूसौरा, कम्पासौरा, कपोसाओरा, किंडलसौरा, कुम्बी कंचेरसाओरा, कालापिठियासाओरा, लंजियासाओरा, लांजीसाओरा, लंजीसाओरा , मालियासौरा, मल्लासौरा, उरियासौरा, राइकासौरा, सुड्डासाओरा, सारदासौरा, टंकालासाओरा, पात्रोसोरा, वेसुसाओरा	5.35	5.6	%
	7. शबार, लोधा	5.16	5.4	%
	अ.ज.जा.(7) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	56.46	58.9	%
	अ.ज.जा. (55) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	38.19	39.8	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.26	1.3	%
	कुल :	**95.91**	**100**	%
14	**राजस्थान**			
	1. मीना	43.46	47.0	%
	2. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरीगरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगलिया, भिलाला, पवारा, वसावा, वसावा	42.00	45.5	%
	अ.ज.जा.(2) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	85.56	92.5	%
	अ.ज.जा. (9) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.25	6.9	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.58	0.6	%
	कुल :	**92.39**	**100**	%
15	**सिक्किम**			
	1. भूटिया (चुंबिपा, दोप्थापा, दुक्पा, कागाटे, शेरपा, तिब्बती, ट्रोमोपा, योल्मो सहित)	0.70	33.7	%
	2. लिम्बू	0.54	26.0	%
	3. लेप्चा	0.43	20.8	%
	4. तमांग	0.38	18.3	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	2.04	98.8	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.02	1.2	%
	कुल :	**2.06**	**100**	%
16	**तमिलनाडु**			
	1. मलयाली	3.58	45.0	%
	2. इरुलार	1.90	23.9	%
	3. कट्टूनायकन	0.47	5.9	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	5.94	74.8	%
	अ.ज.जा. (33) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.46	18.3	%
	अन्य अ.ज.जा. (< 5% जनसंख्या)	0.55	6.9	%
	कुल :	**7.95**	**100**	%

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
17	**तेलंगाना**			
	1. सुगालीज, लंबाडीज, बंजारा	20.46	62.3	%
	2. कोया, डोलीकोया, गुट्टाकोया, कम्माराकोया, मुसराकोया, ओड्डिकोया, पट्टीडीकोया, राजाह, राशाकोया, लिंगधारीकोया (साधारण), कोट्टूकोया, भीनकोया, राजकोया	4.86	14.8	%
	3. गोंड, नायकपोड, राजगोंड, कोइतुर	2.98	9.1	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	28.30	86.1	%
	अ.ज.जा. (29) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.96	9.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.61	4.9	%
	कुल :	**32.87**	**100**	%
18	**उत्तर प्रदेश**			
	1. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राज गोंड (मेहराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में)	5.69	50.2	%
	2. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)	1.61	14.2	%
	3. थारु	1.05	9.3	%
	4. सहरिया (जिले ललितपुर में)	0.71	6.2	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	9.06	79.8	%
	अ.ज.जा. (11) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.46	12.9	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.83	7.3	%
	कुल :	**11.34**	**100**	%
19	**उत्तराखंड**			
	1. थारु	0.91	31.3	%
	2. जानसारी	0.89	30.4	%
	3. बुक्सा	0.54	18.5	%
	4. भोटिया	0.39	13.4	%
	अ.ज.जा.(4)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	2.73	93.6	%
	अ.ज.जा. (1) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	0.2	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.18	6.2	%
	कुल :	**2.92**	**100**	%
20	**पश्चिम बंगाल**			
	1. संथाल	25.12	47.4	%
	2. ओरांव	6.44	12.1	%
	3. भूमिज	3.76	7.1	%
	4. मुंडा	3.66	6.9	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	38.99	73.6	%
	अ.ज.जा. (36) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	11.57	21.8	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.41	4.6	%
	कुल :	**52.97**	**100**	%
	पूर्वोत्तर राज्य			
21	**अरुणाचल प्रदेश**			
	1. न्यईशी	2.50	26.2	%
	2. गलोंग	0.79	8.3	%
	3. अदी	0.68	7.1	%
	4. तगिन	0.63	6.6	%
	5. वांचो	0.57	6.0	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	5.17	54.3	%
	अ.ज.जा. (99) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	4.32	45.4	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.03	0.3	%
	कुल :	**9.52**	**100**	%

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
22	**असम**			
	1. बोरो, बोरोकचारी	13.62	35.1	%
	2. मिरि	6.80	17.5	%
	3. कार्बी	4.30	11.1	%
	4. राभा	2.96	7.6	%
	5. कचारी, सोनोवाल	2.53	6.5	%
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	30.22	77.8	%
	अ.ज.जा. (24) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.83	17.6	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.79	4.6	%
	कुल :	**38.84**	**100**	%
23	**मणिपुर**			
	1. थाडोऊ	2.16	18.5	%
	2. थंगखुल	1.79	15.3	%
	3. पौमाई नागा	1.27	10.9	%
	4. काबुई	1.04	8.9	%
	5. माओ	0.93	8.0	%
	6. कच्चा नागा	0.66	5.7	%
	अ.ज.जा.(6) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	7.85	67.3	%
	अ.ज.जा. (27) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	3.61	31.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.21	1.8	%
	कुल :	**11.67**	**100**	%
24	**मेघालय**			
	1. खासी, जयंतिया, सैन्तेंग, प्नार, वार, भोइ, लिग्यंम	14.12	55.2	%
	2. गारो	8.21	32.1	%
	अ.ज.जा.(2) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	22.33	87.4	%
	अ.ज.जा. (15) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.49	5.8	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.74	6.8	%
	कुल :	**25.56**	**100**	%
25	**मिजोरम**			
	1. कोई मिजो (लुसाई) जनजातियां	7.35	70.9	%
	2. चकमा	0.97	9.4	%
	3. पावी	0.51	5.0	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	8.83	85.2	%
	अ.ज.जा. (12) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.45	14.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.07	0.7	%
	कुल :	**10.36**	**100**	%
26	**नागालैंड**			
	1. नागा	16.68	97.5	%
	अ.ज.जा.(1)(≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	16.68	97.5	%
	अ.ज.जा. (4) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.34	2.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.09	0.5	%
	कुल :	**17.11**	**100**	%

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या	
1	2	3 (लाख)	4 (%)	
27	**त्रिपुरा**			
	1. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टिप्पेरा	5.92	50.8	%
	2. रियांग	1.88	16.1	%
	3. जमातिया	0.83	7.1	%
	4. चकमा	0.80	6.8	%
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	9.44	80.9	%
	अ.ज.जा. (15) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.75	15.0	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.48	4.1	%
	कुल :	**11.67**	**100**	%
28	**अंडमान निकोबार द्वीप समूह**			
	1. निकोबारी	0.27	95.2	%
	अ.ज.जा.(1) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	0.27	95.2	%
	अ.ज.जा. (5) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	2.7	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	2.1	%
	कुल :	**0.29**	**100**	%
29	**दादर और नगर हवेली**			
	1. वर्ली	1.12	62.8	%
	2. कोकना	0.28	15.6	%
	3. धोडिया	0.24	13.6	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	1.64	91.9	%
	अ.ज.जा. (4) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.06	3.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.08	4.8	%
	कुल :	**1.79**	**100**	%
30	**दमन और द्वीव**			
	1. दुबला (हालपाति)	0.11	72.2	%
	2. धोडिया	0.02	15.2	%
	3. वर्ली	0.01	9.0	%
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	0.15	96.5	%
	अ.ज.जा. (2) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.00	1.3	%
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.00	2.3	%
	कुल :	**0.15**	**100**	%
31	**लक्षद्वीप**			
	1. सभी अनुसूचित जनजाति	0.61	99.99	%
	कुलः	**0.61**	**100**	%

टिप्पण:

(1) 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। इनमें से ≥ 5% जनसंख्या वाले पीवीटीजी अलग से दर्शाए गए हैं।

(2) जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा चंडीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों में कोई अधिसूचित अ.ज.जा. नही है।

* ( ) में दिये गये आंकड़े अजजा समुदाय की संख्या दर्शाते हैं

** जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों के रूप में विभाजित होने से पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य

स्रोत : जनगणना 2011 के आंकड़े, आरजीआई के कार्यालय की वेबसाइट

अनुलग्नक– 5 क

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश/संशोधन

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
1.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 (सी.ओ.22)	06.9.1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल।
2.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 (सी.ओ.33)	20.9.1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3.	आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1953	14.9.1953	आंध्र प्रदेश
4.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनयम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 63)	25.9.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोच्चि, अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश
5.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956	29.10.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा लक्ष्यद्वीप, मिनीकॉय तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
6.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 के शुद्धिपत्र	28.1.1957	मध्य प्रदेश
7.	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 (सी.ओ.58)	31.3.1959	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
8.	मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960की संख्या 11)	25.4.1960	महाराष्ट्र तथा गुजरात
9.	संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 (सी.ओ.65)	30.6.1962	दादर व नगर हवेली
10.	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 (सी.ओ.78)	24.6.1967	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड
11.	संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968	12.1.1968	गोवा, दमन और दीव
12.	संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 (सी.ओ.88)	23.7.1970	नागालैण्ड
13.	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970	06.01.1971	हिमाचल प्रदेश
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) आदेश, 1971	30.12.1971	असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश
15.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 की संख्या 108)	18.9.1976	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
16.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 का शुद्धिपत्र	03.2.1977	महाराष्ट्र
17.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 (सी.ओ.111)	22.6.1978	सिक्किम
18.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 43)	09.12.1987	मेघालय
19.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 (सी.ओ.142)	07.10.1989	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
20.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 36)	20.8.1991	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
21.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 39)	17.9.1991	कर्नाटक
22.	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 28)	25.8.2000	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
23.	मध्य प्रदेश पुनर्गठन (समस्याओं का निराकरण) आदेश, 2003	19.8.2003	छत्तीसगढ़
24.	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 29)	25.8.2000	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
25.	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 30)	25.8.2000	बिहार झारखंड
26.	बिहार पुनर्गठन (समस्याओं का निराकरण) आदेश, 2003	19.8.2003	झारखंड
27.	संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 32)	03.6.2002	गुजरात
28.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की संख्या 10)	07.1.2003	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम
29.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 47)	19.9.2003	असम
30.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 48)	12.12.2006	बिहार
31.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 14)	01.4.2008	अरूणाचल प्रदेश
32.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 की संख्या 2)	07.1.2009	लक्षद्वीप
33.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 की संख्या 2)	08.1.2012	मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
34.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 की संख्या 24)	31.5.2012	कर्नाटक
35.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 24)	18.9.2013	केरल तथा छत्तीसगढ़
36.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 6)	1.3.2014	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
37.	संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 2016	22.12.2016	पुद्दुचेरी
38.	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 34)	9.8.2019	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
39.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 की संख्या 4)	19.3.2020	कर्नाटक
40.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 की संख्या 32)	13.08.2021	अरुणाचल प्रदेश
41.	संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 की संख्या 8)	8.4.2022	झारखंड
42.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 की संख्या 9)	18.4.2022	त्रिपुरा
43.	संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 की संख्या 20)	24.12.2022	उत्तर प्रदेश
45.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 का क्रमांक 1)	2.1.2023	तमिलनाडु
46.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 का क्रमांक 2)	2.1.2023	कर्नाटक

विशेष ध्यान दीजिए: हरियाणा तथा पंजाब राज्यों और चंडीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

Annexure- 5 B

State / Union Territory wise list of Scheduled Tribes in India

Andhra Pradesh	आंध्र प्रदेश
1. Andh, Sadhu Andh	1. अन्ध, साधू आन्ध्र
2. Bagata	2. बगटा
3. Bhil	3. भील
4. Chenchu,	4. चेंचु
5. Gadabas, Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kallayi Gadaba, Parangi Gadaba, Kathera Gadaba, Kapu Gadaba	5. गडबा, बोडो गडावा, गुतोब गडावा, कलायी गडावा, पारांगी गडावा, कथेरा गडावा, कापू गडावा
6. Gond, Naikpod, Rajgond, Koitur	6. गोंड, नायकपोड, राजगोंड, कोइतूर
7. Goudu (in the Agency tracts)	7. गौडू (अभिकरण भूखण्डों में)
8. Hill Reddis	8. हिल रेद्दि
9. Jatapus	9. जातपू
10. Kammara	10. कम्भर
11. Kattunayakan	11. कटुनायकन
12. Kolam, Kolawar	12. कोलम, कोलावार
13. Konda Dhoras, Kubi	13. कोंडा दोरा, कुबी
14. Konda Kapus	14. कोंड कापु
15. Kondareddis	15. कोंडारेड्डि
16. Kondhs, Kodi, Kodhu, Desaya Kondhs, Dongria Kondhs, Kuttiya Kondhs, Tikiria Kondhs, Yenity Kondhs, Kuvinga	16. कोंध, कोडि, कोदू, देसेय कोंध, डोंगरिया कोंध, कट्टिया कोंध, टिकरिया कोंध, येनिटी कोंध, कुविंगा
17. Kotia, Bentho Oriya, Bartika, Dulia, Holva, Sanrona, Sidhopaiko	17. कोटिया, वेंथो ओरिया, बारत्तिका, डुलिया, होल्बा, सन्नोण, सिधापैको
18. Koya, Doli Koya, Gutta Koya, Kammara Koya, Musara Koya, Oddi Koya, Pattidi Koya, Rajah, Rasha Koya, Lingadhari Koya (ordinary), Kottu Koya, Bhine Koya, Rajkoya	18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोया, पटिदी कोया, राजा, राश कोया, लिंगधारी कोया (साधारण), कोट्टू कोया, भिणे कोया, राजकोया
19. Kulia	19. कुलिया
20. Malis	20. मालि
21. Manna Dhora	21. मन्ना दोरा
22. Mukha Dhora, Nooka Dhora	22. मुखा दोरा, नूका दोरा
23. Nayaks (in the Agency tracts)	23. नायक (अभिकरण भूखण्डों में)
24. Pardhan	24. परधाण
25. Porja, Parangiperja	25. पुर्जा, पेरंगीपेर्जा
26. Reddi Dhoras	26. रेड्डि दोरा
27. Rona, Rena	27. रोणा, रेणा
28. Savaras, Kapu Savaras, Maliya Savaras, Khutto Savaras	28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, खुट्टा सवार
29. Sugalis, Lambadis, Banjara	29. सुगाली, लम्बाडी, बंजारा

30. Valmiki (Scheduled Areas of Vishakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagram, East Godavari and West Godavari districts)	30. बाल्मीकि (विशाखापट्नम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)
31. Yenadis, Chella Yenadi, Kappala Yenadi, Manchi Yenadi, Reddi Yenadi	31. यनादी, चेला येनादी, कपाला येनादी, मंची येनादी, रेड्डी येनादी
32. Yerukulas, Koracha, Dabba Yerukula, Kunchapuri Yerukula, Uppu Yerukula	32. येरूकुला, कोरचा, डब्बा येरूकुला, कांचीपुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला
33. Nakkala, Kurvikaran	33. नकाला कुरविकरन
34. Dhulia, Paiko, Putiya (in the districts of Vishakhapatnam and Vijayanagaram)	34. धुलिया, पैको, पुटिया (विशाखापट्नम तथा विजयनगरम के जिलों में)

Arunachal Pradesh	**अरुणाचल प्रदेश**
All tribes in the State including:	निम्नलिखित सहित राज्य में सभी जनजातियां:
1. *Omitted*	1. *हटा दिया गया*
2. Aka	2. आका
3. Apatani	3. आपनी
4. Nyishi	4. निशी
5. Galo	5. गालो
6. Tai Khamti	6. ताई खाम्ती
7. Khowa	7. खोवा
8. Mishmi-Kaman (Miju Mishmi), Idu (Mishmi), Taraon (Digaru Mishmi)	8. मिश्मी – कामन (मिजु मिश्मी), इदु (मिश्मी), तारोन (दिगारू मिश्मी)
9. Monpa, Memba, Sartang, Sajolang (Miji)	9. मोन्पा, मेम्बा, सरताङ्, सजोलाङ् (मिजी)
10. Nocte, Tangsa, Tutsa, Wancho	10. नोक्ते , ताङ्सा, तुत्सा, वान्चो
11. Sherdukpen	11. शेरडुक्पेन
12. Singpho	12. सिंग्फो
13. Hrusso	13. हुरुसो
14. Tagin	14. टेगिन
15. Khamba	15. खाम्बा
16. Adi	16. आदि

Assam	**असम**
I. In the autonomous Districts of Karbi Anglong and North Cachar Hills.	**I.कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ी के स्वाशासी जिलों मे:**
1. Chakma	1. चाक्मा
2. Dimasa, Kachari	2. डिमासा, कछारी
3. Garo	3. गारो
4. Hajong	4. हाजंग
5. Hmar	5. ह्मार
6. Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War, Bhoi, Lyngngam	6. खासी, जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लिंगनागम
7. Any Kuki tribes, including: -	7. निम्नलिखित के सहित कोई भी कूकी जनजातियां : -
(i) Biate, Biete	(i) बियाते, बियेते

(ii) Changsan	(ii) चांगसान
(iii) Chongloi	(iii) चंगलोई
(iv) Doungel	(iv) दौंगेल
(v) Gamalhou	(v) गमल्हो
(vi) Gangte	(vi) गांगटे
(vii) Guite	(vii) गुहते
(viii) Hanneng	(viii) हान्नेंग
(ix) Haokip, Haupit	(ix) हौकिप, हौपित
(x) Haolai	(x) हौलाई
(xi) Hengna	(xi) हेंगना
(xii) Hongsungh	(xii) हंसुंध
(xiii) Hrangkhwal, Rangkhol	(xiii) हांग्खवाल, रंग्खल
(xiv) Jongbe	(xiv) जंग्बे
(xv) Khawchung	(xv) ख्वौचूंग
(xvi) Khawathlang, Khothalong	(xvi) ख्वौरंग, खोतालंग
(xvii) Khelma	(xvii) खेल्मा
(xviii) Kholhou	(xviii) खोल्ह
(xix) Kipgen	(xix) किप्गेन
(xx) Kuki	(xx) कुकी
(xxi) Lengthang	(xxi) लेथांग
(xxii) Lhangum	(xxii) ल्हाघुम
(xxiii) Lhoujem	(xxiii) ल्हाजेम
(xxiv) Lhouvun	(xxiv) ल्हौबुन
(xxv) Lupheng	(xxv) लुफैंग
(xxvi) Mangjel	(xxvi) मांजेल
(xxvii) Misao	(xxvii) मिसाउ
(xxviii) Riang	(xxviii) रिआंग
(xxix) Sairhem	(xxix) सैहैम
(xxx) Selnam	(xxx) सेल्मान
(xxxi) Singson	(xxxi) सिग्सन
(xxxii) Sitlhou	(xxxii) सितल्हो
(xxxiii) Sukte	(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) Thado	(xxxiv) याडो
(xxxv) Thangngeu	(xxxv) थांग्यू
(xxxvi) Uibuh	(xxxvi) उइद
(xxxvii) Vaiphei	(xxxvii) व्हाइफे
8. Lakher	8. लाखेर
9. Man (Tai- speaking)	9. मान (ताई बोलने वाली)
10. Any Mizo (Lushai) tribes	10. कोई मिजो (लुशाई) जनजातियां
11. Karbi	11. करबी

12. Any Naga tribes	12. कोई नागा जनजातियां
13. Pawi	13 पावी
14. Syntheng	14. सिंतेंग
15. Lalung	15. लालुंग

II. In the State of Assam including the Bodoland Territorial Areas District and excluding the autonomous districts of Karbi Anglong and North Cachar Hills:

II.बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला सहित और कार्बी आंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी जिलों को छोड़कर, असं राज्य में :-

1. Barmans in Cachar	1. कछार में वर्मन
2. Boro, Borokachari	2. बड़ो, बड़ो कछारी
3. Deori	3. ड्योरी
4. Hojai	4. होजाई
5. Kachari, Sonwal	5. कछारी, सोन्वाल
6. Lalung	6. लालुंग
7. Mech	7. मेच
8. Miri	8. मिरी
9. Rabha	9. राभा
10. Dimasa	10. डीमासा
11. Hajong	11. हाजोंग
12. Singhpho	12. सिंघफो
13. Khampti	13. खाम्पति
14. Garo	14. गारो

Bihar	बिहार
1. Asur, Agaria	1. असुर, अगरिया
2. Baiga	2. बेगा
3. Banjara	3. बनजारा
4. Bathudi	4. बठुडी
5. Bedia	5. बेदिया
6. *Omitted*	*6. हटा दिया है*
7. Binjhia	7. बिंझिया
8. Birhor	8. बिरहोर
9. Birjia	9. बिरजिया
10. Chero	10. चेरो
11. Chik Baraik	11. चिक बराइक
12. Gond	12. गोंड
13. Gorait	13. गोराइत
14. Ho	14. हो
15. Karmali	15. करमाली
16. Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia	16. खरिया, ढेलकी खड़िया, दुध खड़िया, हिल खड़िया
17. Kharwar	17. खरवार
18. Khond	18. खोंड
19. Kisan, Nagesia	19. किसान, नागेसिया
20. Kora, Mudi-Kora	20. कोरा, मुडी-कोरा

21. Korwa	21. कोरवा
22. Lohara, Lohra	22. लोहारा, लोहरा
23. Mahli	23. माहली
24. Mal Paharia, Kumarbhag Paharia	24. माल पहरिया, कुमारभाग पहारिया
25. Munda, Patar	25. मुन्डा, पातार
26. Oraon, Dhangar (Oraon)	26. उरांव, धांगड़ (उरांव)
27. Parhaiya	27. परहया
28. Santal	28. संथाल
29. Sauria Paharia	29. सोरिया पहाडिया
30. Savar	30. सावर
31. Kawar	31. कवार
32. Kol	32. कोल
33. Tharu	33. थारू

Chhattisgarh	**छत्तीसगढ़**
1. Agariya	1. अगरिया
2. Andh	2. आंध
3. Baiga	3. बैगा
4. Bhaina	4. भैना
5. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Bhumiya, Bharia, Paliha, Pando	5. भारिया भूमिया, भुईहार भूमिया, भूमिया भारिया, पालिहा, पांडो
6. Bhattra	6. भत्तरा
7. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia	7. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
8. Bhil Mina	8. भील मीना
9. Bhunjia	9. भुंजिया
10. Biar, Biyar	10. बियार, बीआर
11. Binjhwar	11. बिंझवार
12. Birhul, Birhor	12. बिरहुल, बिरहोर
13. Damor, Damaria	13. डामोर, डामरिया
14. Dhanwar	14. धनवार
15. Gadaba, Gadba	15. गडाबा, गडबा
16. Gond, Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Abhuj Maria, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koliabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Raj, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi	16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, अबूझ मारिया, बड़ी मारिया, बडा मारिया, भटोला, भीम्मा, भूता, कोइलाभुता, कोलियाभुती, भार, बायसनहार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गेटा, गोंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोईतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुच मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघ्या, मोगिया, मोंघ्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडेमारिया, वडेमारिया, दरोई
17. Halba, Halbi	17. हलबा, हलबी
18. Kamar	18. कमार
19. Karku	19. कारकू

20. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri	20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
21. Khairwar, Kondar	21. खैरवार, कोंदर
22. Kharia	22. खरिया
23. Kondh, Khond, Kandh	23. कोंध, खोंड, कांध
24. Kol	24. कोल
25. Kolam	25. कोलम
26. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul, Bondhi, Bondeya	26. कोरकू, बोपची, मोवसी, निहाल, नाहुल बौंधी, बोडिया
27. Korwa, Hill Korwa, Kodaku	27. कोरवा, पहाड़ी कोरवा, कोडाकू
28. Majhi	28. मांझी
29. Majhwar	29. मझवार
30. Mawasi	30. मवासी
31. Munda	31. मुंडा
32. Nagesia, Nagasia	32. नगेसिया, नागासिया
33. Oraon, Dhanka, Dhangad	33. उरांव, धानका, धनगढ़
34. Pao	34. पाव
35. Pardhan, Pathari, Saroti	35. परधान, पथारी, सरोती
36 Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Langoli Pardhi, Phans Pardhi, Shikari, Takankar, Takia [In (i) Bastar, Dantewara, Kanker, Raigarh, Jashpurnagar, Surguja and Koria district, (ii) Katghora, Pali, Kartala and Korba tahsils of Korba district, (iii) Bilaspur, Pendra, Kota and Takhatpur tahsils of Bilaspur district, (iv) Durg, Patan Gunderdehi, Dhamdha, Balod, Gurur and Dondilohara tahsils of Durg district, (v) Chowki, Manpur and Mohala Revenue Inspector Circles of Rajnandgon district, (vi) Mahasamund Saraipali and Basna tahsils of Mahasamund district, (vii) Bindra-Navagarh Rajim and Deobhog tahsils of Raipur district, and (viii) Dhamtari, Kurud and Sihava tahsils of Dhamtari district]	36 पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली परधी, फांस पारधी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया [(i) बस्तर, दंतेवाडा, कांकेर, रायगढ़, जशपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले में (ii) कोरबा जिले की कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा तहसीलों में (iii) बिलासपुर जिले की बिलासपुर, पेंडरा, कोटा, और तखतपुर तहसीलों में (iv)दुर्ग जिले की दुर्ग, पाटन, गुंडेरदही, धमधा, बालौद, गुरुर और डोंडीलोहारा तहसीलों में (V)राजनांदगांव गांव जिले के चौकी, मानपुर और मोहला राजस्व निरीक्षक सर्किलों में (vi)महासमुंद जिले की महासमुंद, सराईपाली और बसना तहसीलों में (Vii) रायपुर जिले की बिंद्रा-नवागढ़ राजिम और देवभोग तहसीलों में और (viii)धमतरी जिले की धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसीलों में:
37. Parja	37. परजा
38. Sahariya, Saharia, Seharia, Sehria, Sosia, Sor	38. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहेरिया, सोसिया, सोर
39. Saonta, Saunta	39. साओंता, सौंता
40. Saur	40. सौर
41. Sawar, Sawara	41. सवर, सवरा
42.Sonr	42. सोंर

Goa		गोवा	
1.	Dhodia	1.	धोडिया
2.	Dubla (Halpati)	2.	दुबला (हलपति)
3.	Naikda (Talavia)	3.	नायकड़ा (तलाविया)
4.	Siddi (Nayaka)	4.	सिद्दी (नायका)
5.	Varli	5.	वारली
6.	Kunbi	6.	कुन्बी

7. Gawda
8. Velip

7. गावड़ा
8. वेलिप

Gujarat

1. Barda
2. Bavacha, Bamcha
3. Bharwad (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir)
4. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave.
5. Charan (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir)
6. Chaudhri (in Surat and Valsad districts)
7. Chodhara
8. Dhanka,Tadvi, Tetaria, Valvi
9. Dhodia, Dhodi
10. Dubla, Talavia, Halpati
11. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi
12. Gond, Rajgond
13. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari
14. Kokna, Kokni, Kukna
15. *Omitted*
16. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
17. Kunbi (in the Dangs district)
18. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
19. Padhar
20. *Omitted*
21. Pardhi, Advichincher, Phanse Pardhi (excluding Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Kutch, Rajkot and Surendranagar districts)
22. Patelia
23. Pomla
24. Rabari (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir)
25. Rathawa
26. Siddi, Siddi-Badshan (in Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Rajkot and Surendranagar districts)
27. *Omitted*
28. Varli
29. Vitola, Kotwalia, Barodia
30. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia
31. Tadvi Bhil, Bawra,Vasave,
32. Padvi.

गुजरात

1. बर्डा
2. बावचा, बामचा
3. भरवाड़ (अलेच्छ, गीर, बराढ़ा के जंगलों के नेसों में)
4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी, गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पावड़ा, बसावा, बसावे
5. चारण (अलेच्छ, बराढ़ा और गीर के जंगलों के नेसों में)
6. चौधरी (सूरत और बलसाद जिलों में)
7. चौधरा
8. धनक, तडवी, तेतारिया, वलवी
9. धोडिया, ढोडी
10. दुबला, तलाविया, हलपति
11. गमित, गम्ता, गविट, मव्ची, पदवी
12. गोंड, राजगोंड
13. कथोडी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कटकारी, सोन कथोडी, सोन कटकारी
14. कोकणा, कोकणी, कुक्णा
15. *हटा दिया गया*
16. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्घा
17. कुन्बी (डांग्स जिले में)
18. नायकाड़ा, नायेक, चोलीवाला नायक, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
19. पाधर
20. *हटा दिया गया*
21. पर्धी, अदविचिन्चेर, फांनसे पर्धी (अमेरली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर)
22. पटेलिया
23. पोमला
24. रबरी (अलेच्छ, बराढ़ा और गीर के जंगलों के नेसों में)
25. राथवा
26. सिद्दी, सिद्दी-बादशान (अमेरली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में)
27. *हटा दिया गया*
28. वारली
29. विटोलिया, कोटवालिया, बरोडिया,
30. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
31. तदवी भील, बावरा, वसावे,
32. पडवि

Himachal Pradesh

1. Bhot, Bodh
2. Gaddi
3. Gujjar
4. Jad, Lamba, Khampa
5. Kanaura, Kinnara

हिमाचल प्रदेश

1. भोट, बोढ़
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाद, लाम्बा, खम्पा
5. कनौरा, किन्नारा,

6. Lahaula	6. लाहौला
7. Pangwala	7. पंगवाला
8. Swangla	8. स्वांगला
9. Beta, Beda	9. बेटा, बेडा
10. Domba, Gara, Zoba	10. डोम्बा, गारा, जोबा

Jammu & Kashmir	**जम्मू और कश्मीर**
1. Balti	1. बाल्टी
2. Beda	2. बेडा
3. Bot, Boto	3. बोट, बोटो
4. Brokpa, Drokpa, Dard, Shin	4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
5. Changpa	5. चंगपा
6. Garra	6. गर्रा
7. Mon	7. मोन
8. Purigpa	8. पुरिगपा
9. Gujjar	9. गूजर
10. Bakarwal	10. बकरवाल
11. Gaddi '	11. गद्दी
12. Sippi	12. सिप्पी

Jharkhand	**झारखण्ड**
1. Asur, Agaria	1. असुर, अगरिया
2. Baiga	2. बेगा
3. Banjara	3. बनजारा
4. Bathudi	4. बठुडी
5. Bedia	5. बेदिया
6. Binjhia	6. बिंझिया
7. Birhor	7. बिरहोर
8. Birjia	8. बिरजिया
9. Chero	9. चेरो
10. Chik Baraik	10. चिक बराइक
11. Gond	11. गोंड
12. Gorait	12. गोराइत
13. Ho	13. हो
14. Karmali	14. करमाली
15. Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia	15. खारिया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, हिल खड़िया
16. Kharwar, Bhogta, Deshwari, Ganjhu, Dautalbandi (Dwalbandi), Patbandi, Raut, Maajhia, Khairi (Kheri)	16. खरवार, भोगता, देशवारी, गंझू, दौतलबन्दी (द्वालबंदी), पटबन्दी, राउत, माझिया, खैरी (खेरी)
17. Khond	17. खोंड
18. Kisan, Nagesia	18. किसान, नागेसिया
19. Kora, Mudi-Kora	19. कोरा, मुडी-कोरा
20. Korwa	20. कोरवा
21. Lohra	21. लोहरा
22. Mahli	22. माहली
23. Mal Paharia, Kumarbhag Paharia	23. माल पहारिया, कुमारभाग पहारिया
24. Munda, Patar, Tamaria (Tamadia)	24. मुण्डा, पतार, तमरिया (तमड़िया)
25. Oraon, Dhangar (Oraon)	25. उरांव, ढांगर (उरांव)
26. Parhaiya	26. परहैया
27. Santal	27. संताल
28. Sauria Paharia	28. सौरिया पहाड़िया
29. Savar	29. सावर
30. Bhumij	30. भूमिज

31. Kawar	31. कवार
32. Kol	32. कोल
33. Puran	33. पुरान

Karnataka	कर्नाटक
1. Adiyan	1. अदियन
2. Barda	2. बर्डा
3. Bavacha, Bamcha	3. बवचा, बम्चा
4. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave	4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया भिलाला, पवरा, वासव, वासवे
5. Chenchu, Chenchwar	5. चेचू, चेंचवार
6. Chodhara	6. चोधारा
7. Dubla, Talavia, Halpati	7. दुबला, तालाविया, हलपति
8. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi, Valvi	8. गामिट, गमटा, गाविट, मावचि, पदवी, वाल्वी
9. Gond, Naikpod, Rajgond	9. गोंड, नायकपोड, राजगोंड
10. Gowdalu	10. गोव्डालू
11. Hakkipikki	11. हक्कीपिक्की
12. Hasalaru	12. हासालारू
13. Irular	13. इरूलर
14. Iruliga	14. इरूलिगा
15. Jenu Kuruba	15. जेनु कुरूबा
16. Kadu Kuruba, Betta-Kuruba	16. काडू कुरुबा, बेट्टा-कुरुबा
17. Kammara (in South Kanara district and Kollegal taluk of Mysore district)	17. कम्मार (दक्षिणी कनारा जिला और मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
18. Kaniyan, Kanyan (in Kollegal taluk of Mysore district)	18. कनियान, कन्यान (मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
19. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari	19. काथोडी, काटकारी, ढोर कथोडी, ढोर काटकारी, सोन कथोडी, सोन काटकारी
20. Kattunayakan	20. काट्टूनायकन्
21. Kokna, Kokni, Kukna	21. कोंकण, कोंकणी, कुक्णा
22. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha	22. कोली धोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्घा
23. Konda Kapus	23. कोंडा कापूस
24. Koraga	24. कोरग
25. Kota	25. कोटा
26. Koya, Bhine Koya, Rajkoya	26. कोया, भिने कोया, राजकोया
27. Kudiya, Melakudi	27. कुडिया, मेलकुडी
28. Kuruba (in Coorg district)	28. कुरूब (कुर्ग जिले में)
29. Kurumans	29. कुरूमान
30. Maha Malasar	30. महा मालासार
31. Malaikudi	31. मलाई कुडी
32. Malasar	32. मालासार
33. Malayekandi	33. मालायेकान्डी
34. Maleru	34. मालेरू
35. Maratha (in Coorg district)	35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. Marati (in south Kanara district)	36. मराटी (दक्षिणी कनारा जिले में)
37. Meda, Medara, Medari, Gauriga, Burud	37. मेडा, मेदार, मेडारी, गौरिगा, बुरूद
38. Naikda, Nayaka (including Parivara and Talawara), Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka, Naik, Nayak, Beda, Bedar, and Valmiki.	38. नायकडा, नायक (जिसके अंतर्गत परिवार और तलवार भी है), चौलीवाला नायका, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाईक, नायक, बेडा, बेडर और बाल्मीकि

39.	Palliyan	39.	पल्लियान
40.	Paniyan	40.	पानियान
41.	Pardhi, Advichincher, Phanse Pardhi, Haranshikari	41.	पार्धी, अडविचिन्चेर, पनसे पार्धी, हरनशिकारी
42.	Patelia	42.	पटेलिया
43.	Rathawa	43.	राथावा
44.	Sholaga	44.	शोलगा
45.	Soligaru	45.	सोलीगारू
46.	Toda	46.	तोडा
47.	Varli	47.	वरली
48.	Vitolia, Kotwalia, Barodia	48.	विटोलिया, कोतवालिया बारोडिया
49.	Yerava	49.	येरावा
50.	Siddi (in Belagavi, Dharwad and Uttar Kannada districts)	50.	सिद्दी (बेलागवी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले में)

	Kerala		**केरल**
1.	Adiyan	1.	आडियन्
2.	Arandan, Aranadan	2.	अरांडन्, अरांडन्
3.	Eravallan	3.	अरावालन्
4.	Hill Pulaya, Mala Pulayan, Kurumba Pulayan, Karavazhi Pulayan, Pamba Pulayan	4.	हिल पुलया, माला पुलयान, कुरूम्बा पुलयान, कारावाजी पुलयान, पम्बा पुलयान
5.	Irular, Irulan	5.	इरूलर, इरूलन्
6.	Kadar, Wayanad Kadar	6.	कादर, वयनाद कादर
7.	*Omitted*	7.	*हटा दिया गया*
8.	Kanikaran, Kanikkar	8.	कणिक्कारन्, काणिक्कर्
9.	Kattunayakan	9.	काट्टुनायकन्
10.	Kochuvelan	10.	कोचुवेलान
11.	*Omitted*	*11.*	*हटा दिया गया*
12.	*Omitted*	*12.*	*हटा दिया गया*
13.	Koraga	13.	कोरग
14.	*Omitted*	14.	हटा दिया गया
15.	Kudiya, Melakudi	15.	कुडीया, मेलाकुडी
16.	Kurichchan, Kurichiyan	16.	करचिचान्, कुरिचियान
17.	Kurumans , Mullu Kuruman, Mulla Kuruman, Mala Kuruman	17.	कुरूमन्, मुल्लु कुरूमन, मुल्ला कुरूमन, माला कुरूमन
18.	Kurumbas, Kurumbar, Kurumban	18.	कुरूम्बा, कुरुम्बर, कुरुम्बन
19.	Maha Malasar	19.	महामालासार
20.	Malai Arayan, Mala Arayan	20.	मलय अर्यन, माला अरयन
21.	Malai Pandaram	21.	मलय पंडारम्
22.	Malai Vedan, Malavedan	22.	मलवेडन, मालावेडन
23.	Malakkuravan	23.	मलकुर्वन
24.	Malasar	24.	मालासार
25.	Malayan, Nattu Malayan, Konga Malayan (excluding the areas comprising the Kasargode, Connanore, Wayanad and Kozhikode districts)	25.	मलयन, नट्टू मलयन, कोंगा मलयन, (कासरगौडे, कन्नोर, वयानाद और कोजीकोडे जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर)
26.	Malayarayar	26.	मलयरयर
27.	Mannan (to be spelt in Malayalam script in parenthesis)	27.	मनान् (कोष्ठक में मलायम लिपि में लिखा जाए)
28.	Marati (of the Hosdurg and Kasargod Taluks of Kasargod District)	28.	माराटि (कासरगोड जिले के होसदुर्ग और कासरगोड तालुक)
29.	Muthuvan, Mudugar, Muduvan	29.	मुतुवान, मुदुगर, मुदुवन
30.	Palleyan, Palliyan, Palliyar, Paliyan	30.	पल्लेयान, पल्लियान, पल्लियार, पालियान
31.	*Omitted*	*31.*	*हटा दिया गया*

32. Omitted	*32. हटा दिया गया*
33. Paniyan	33. पाणियन्
34. Ulladan, Ullatan	34. उल्लाडन, उल्लातान
35. Uraly	35. उरालि
36. Mala Vettuvan (in Kasargode and Kannur districts)	36. माला वेट्टुवन (कासरगोडै और कन्नूर जिलों में)
37. Ten Kurumban, Jenu Kurumban	37. तेन कुरुम्बन, जेनु कुरुम्बन
38. Thachanadan, Thachanadan Moopan	38. थाचानाडन, थाचानाडन, मूपन
39. Cholanaickan	39. चोलानाइकन
40. Mavilan	40. माविलन
41. Karimpalan	41. करीमपालन
42. Vetta Kuruman	42. वेट्टा कुरुमन
43. Mala Panickar	43. माला पनिकर

Ladakh	लद्दाख
1. Balti	12. बाल्टी
2. Beda	13. बेडा
3. Bot, Boto	14. बोट, बोटो
4. Brokpa, Drokpa, Dard, Shin	15. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
5. Changpa	16. चंगपा
6. Garra	17. गर्रा
7. Mon	18. मोन
8. Purigpa	19. पुरिगपा
9. Gujjar	20. गूजर
10. Bakarwal	21. बकरवाल
11. Gaddi '	22. गद्दी
12. Sippi	12. सिप्पी

Madhya Pradesh	मध्य प्रदेश
1. Agariya	1. अगरिया
2. Andh	2. आंध
3. Baiga	3. बैगा
4. Bhaina	4. भैना
5. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Bhumiya, Bharia,Paliha, Pando	5. भारिया, भूमिया, भुईहार, भुमिया, भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो
6. Bhattra	6. भत्तरा
7. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia	7. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
8. Bhil Mina	8. भील मीना
9. Bhunjia	9. भुंजिया
10. Biar, Biyar	10. बियार, बीआर
11. Binjhwar	11. बिझवार
12. Birhul, Birhor	12. बिरहुल, बिरहोर
13. Damor, Damaria	13. डामोर, डामरिया
14. Dhanwar	14. धनवार
15. Gadaba, Gadba	15. गडाबा, गडबा
16. Gond,Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koliabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Raj, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi	16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीम्मा, भूता, कोइलाभुता, कोलियाभुती, भार, बायसन हार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गोंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुच मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, माघया, मोगिया, मोंघ्या , मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोट्या, वाडेमारिया, वडेमारिया, दरोई
17. Halba, Halbi	17. हलबा, हलबी

18. Kamar
19. Karku
20. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri
21. *Omitted*
22. Khairwar, Kondar
23. Kharia
24. Kondh, Khond, Kandh
25. Kol
26. Kolam
27. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul, Bondhi, Bondeya
28. Korwa, Kodaku
29. Majhi
30. Majhwar
31. Mawasi
32. *Omitted*
33. Munda
34. Nagesia, Nagasia
35. Oraon, Dhanka, Dhangad
36. Panika [in (i) Chhatarpur, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, Umaria, Sidhi and Tikamgarh districts, and (ii) Sevda and Datia Tehsils of Datia district]
37. Pao
38. Pardhan, Pathari, Saroti
39. *Omitted*
40. Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Langoli Pardhi, Phans Pardhi, Shikari, Takankar, Takia [In (i) Chhindwara, Mandla, Dindori and Seoni districts, (ii) Baihar tehsil of Balaghat district, (iii) Betul, Bhainsdehi and Shahpur tahsils of Betul district, (iv) Patan tahsil and Sihora and Majholi blocks of Jabalpur district, (v) Katni (Murwara) and Vijaya Raghogarh tahsils and Bahoriband and Dhemerkheda blocks of Katni district, (vi) Hoshangabad, Babai, Sohagpur, Pipariya and Bankhedi tahsils and Kesla block of Hoshangabad district, (vii) Narsinghpur district, and (viii)Harsud tahsil of Khandwa district]
41. Parja
42. Sahariya, Saharia, Seharia, Sehria, Sosia, Sor
43. Saonta, Saunta
44. Saur
45. Sawar, Sawara
46. Sonr

18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
21. *विलोपित कर दिया गया*
22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया
24. कोंध, खोंड, कांध
25. कोल
26. कोलम
27. कोरकू, बोपची, मोवसी, निहाल, नाहुल, बौंधी, बोडियां
28. कोरवा, कोडाकू
29. मांझी
30. मझवार
31. मवासी
32. *विलोपित कर दिया गया*
33. मुंडा
34. नगेसिया, नागासिया
35. उरांव, धानका, धनगढ़
36. पनिका [(i) छतरपुर, पन्ना, रीवां, सतना, शहडोल, उमरिया, सीधी और टीकमगढ़ जिलों में और (ii) दतिया जिले की सेंवढ़ा और दतिया तहसीलों में]
37. पाव
38. परधान, पथारी, सरौती
39. *विलोपित कर दिया गया*
40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, फांस पारथी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया [(i) छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी और सिओनी जिलों में, (ii) बालाघाट जिले की बैहर तहसील में (iii) बैतूल जिले की बैतूल, भैंसदेही और शाहपुर तहसीलों में, (iv) जबलपुर जिले की पाटन तहसील और सिहोरा तथा मझोली खंडों में, (v) कटनी जिले की कटनी (मुंडरवारा) और विजया राघौगढ़ तहसीलों और बहोरीबंद तथा ढीमरखेड़ा खंडों में, (vi) होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद, बाबई, सोहागपुर, पिपरिया और बनखेड़ी तहसीलों तथा केसला खंड में, (vii) नरसिंहपुर जिले में और (viii) खंडवा जिले की हरसुद तहसील में]
41. परजा
42. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहरिया, सोसिया, सोर
43. साओंता, सोंता
44. सौर
45. सवर, सवरा
46. सोंर

Maharashtra

1. Andh
2. Baiga
3. Barda
4. Bavacha, Bamcha
5. Bhaina
6. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Pando
7. Bhattra
8. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
9. Bhunjia
10. Binjhwar

महाराष्ट्र

1. आंध
2. बैगा
3. बर्डा
4. बावचा, बामचा
5. भैना
6. भारिआ, भूमिया, भुईहार- भूमिया, पान्डों
7. भतरा
8. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगली गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार

11. Birhul, Birhor
12. *Omitted*
13. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
14. Dhanwar
15. Dhodia
16. Dubla, Talavia, Halpati
17. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi
18. Gond, Rajgond, Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koilabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Naikpod, Nagwanshi, Ojha, Raj, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria
19. Halba, Halbi
20. Kamar
21. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Kathkari, Son Kathodi, Son Katkari
22. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri
23. Khairwar
24. Kharia
25. Kokna, Kokni, Kukna
26. Kol
27. Kolam, Mannervarlu
28. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
29. Koli Mahadev, Dongar Koli
30. Koli Malhar
31. Kondh, Khond, Kandh
32. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul, Bondhi, Bondeya
33. Koya, Bhine Koya, Rajkoya
34. Nagesia, Nagasia
35. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
36. Oraon, Dhangad
37. Pardhan, Pathari, Saroti
38. Pardhi, Advichincher, Phans Pardhi, Phanse Pardhi, Langoli Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Shikari, Takankar, Takia
39. Parja
40. Patelia
41. Pomla
42. Rathawa
43. Sawar, Sawara
44. Thakur, Thakar, Ka Thakur, Ka Thakar, Ma Thakur, Ma Thakar
45. *Omitted*
46. Varli
47. Vitolia, Kotwalia, Barodia

11. बिरहूल, बिरहोर
12. *हटा दिया गया*
13. धाणका, तडवी, तेतारिया, वलवी
14. धनवार
15. धोडिया
16. दुबला, तालविवा, हलपति
17. गामित, गामता, गावोत,मावचि, पडवि
18. गोंड, राजगोड, अरख, आरखा, अगारिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोईलाभुता कोईलाभुती, भार, बिसीनहान मारिया, छोटा मारिया, दडांमी मारिया, धुरू, धरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, कैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मढ़िया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघया, मोगिया, मौंघया, मुदिया, मुरिया, नगारची, नायकपाड, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्धारी, झरेका थाटिया, थोटया, वाडेमारिया, वाडेमारिया
19. हलवा, हलवी
20. कमार
21. काथोडि, कातकारी, ढोर काथोडी, ढोर कातकारी, सोन काथोडी, सोन कातकारी
22. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
23. खैरवार
24. खड़िया
25. कोकणा, कोकणी, कुकणा
26. कोल
27. कोलाम, मन्नेरवरलू
28. कोली ढोर , टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्हार
31. कौंध, खौंड, कांध
32. कौरकू, बोंपची, मौवासी, निहाल, नाहुल, बोधी, बौधया
33. कोया, भिन्ने कोया, राजकोया
34. नगेसिया, नगासिया
35. नायकडा, नायक, नायका, चोलीवाला, नायक, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. औरांव, धनगड
37. परधान, पथारी, सरौती
38. पारधी, अडविचिंचेर, फंस पारधी, लंगोली पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चित्ता पारधी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया
39. परजा
40. पटेलिया
41. पीमला
42. राथवा
43. सावर, सावरा
44. ठाकुर, ठाकर, का-ठाकुर, का-ठाकर, मा-ठाकुर, मा-ठाकार
45. *हटा दिया गया*
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बरोडिया

Manipur

1. Aimol
2. Anal
3. Angami
4. Chiru
5. Chothe
6. Gangte
7. Hmar
8. Kabui, Inpui, Rongmei
9. Kacha Naga, Liangmai, Zeme
10. Koirao, Thangal
11. Koireng
12. Kom
13. Lamgang
14. Mao
15. Maram
16. Maring
17. Any Mizo (Lushai) Tribes
18. Monsang
19. Moyon
20. Paite
21. Purum
22. Ralte
23. Sema
24. Simte
25. Suhte
26. Tangkhul
27. Thadou
28. Vaiphei
29. Zou
30. Poumai Naga
31. Tarao
32. Kharam
33. Any Kuki tribes.
34. Mate

मणिपुर

1. आयमोल
2. एनाल
3. अंगामी
4. चिरु
5. चौथे
6. गंगते
7. हमार
8. काबुई, इनपुई, रोंगमेई
9. कच्चा नागा, लियांगमई, जेमे
10. कोईराओ, थंगल
11. कोयंरग
12. कोम
13. लैमगैंग
14. माओ
15. मराम्
16. मैरिंग
17. कोई मीजो (लुसाई) जनजातियां
18. मोन्सैंग
19. मायोन
20. पाइटे
21. पुरुम
22. राल्टे
23. सेमा
24. सिम्टे
25. सुहटे
26. तेंगखुल
27. थाडो
28. व्हाइफे
29. जाओ
30. पउमेइ नागा
31. तराओ
32. खरम
33. कोई कुकी जनजाति
34. मेट

Meghalaya

1. Chakma
2. Dimasa, Kachari
3. Garo
4. Hajong
5. Hmar
6. Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War, Bhoi, Lyngngam
7. Any Kuki tribes, including:-

i. Biate, Biete
ii. Changsan
iii. Chongloi

मेघालय

1. चाक्कमा
2. डिमासा, कछारी
3. गारो
4. हाजंग
5. हमार
6. खासी, जैन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लिंगाम
7. कोई कुकी जनजातियां जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :-

i. बियाते, बियेते
ii. चंगसान
iii. चंगलोई

iv.	Doungel	iv.	दौगेल
v.	Gamalhou	v.	गमल्हौ
vi.	Gangte	vi.	गंगते
vii.	Guite	vii.	गुइते
viii.	Hanneng	viii.	हैन्नंग
ix.	Haokip, Haupit	ix.	हौकिप, हैपित
x.	Haolai	x.	हौलाई
xi.	Hengna	xi.	हेंगना
xii.	Hongsungh	xii.	हौनसुध
xiii.	Hrangkhwal, Rangkhol	xiii.	हाग्खोवाल, रंग्खोल
xiv.	Jongbe	xiv.	जंग्बे
xv.	Khawchung	xv.	ख्वौचंग
xvi.	Khawathlang, Khothalong	xvi.	ख्वोत्लंग, खोतालंग
xvii.	Khelma	xvii.	खेल्मा
xviii.	Kholhou	xviii.	खाल्हु
xix.	Kipgen	xix.	किपगेन
xx.	Kuki	xx.	कूकी
xxi.	Lengthang	xxi.	लेंथांग
xxii.	Lhangum	xxii.	ल्हांगम
xxiii.	Lhoujem	xxiii.	ल्हाजम
xxiv.	Lhouvun	xxiv.	ल्होबुन
xxv.	Lupheng	xxv.	लुफेंग
xxvi.	Mangjel	xxvi.	मांजेल
xxvii.	Misao	xxvii.	मिसाऊ
xxviii.	Riang	xxviii.	रियांग
xxix.	Sairhem	xxix.	सैरहैम
xxx.	Selnam	xxx.	सेल्नाम
xxxi.	Singson	xxxi.	सिंग्सन
xxxii.	Sitlhou	xxxii.	सितल्हौ
xxxiii.	Sukte	xxxiii.	सुक्ते
xxxiv.	Thado	xxxiv.	थादो
xxxv.	Thangngeu	xxxv.	थांग्न्यू
xxxvi.	Uibuh	xxxvi.	उइबू
xxxvii.	Vaiphei	xxxvii.	व्हाइफै
8.	Lakher	8.	लाखेर
9.	Man (Tai Speaking)	9.	मान (ताई बोलने वाली)
10.	Any Mizo (Lushai) tribes	10.	कोई मिजो (लुसाई) जनजातियां
11.	Mikir	11.	मिकिर
12.	Any Naga tribes	12.	कोई नागा जनजातियां
13.	Pawi	13.	पावी
14.	Synteng	14.	सिंतेंग
15.	Boro Kacharis	15.	बोरो कचरिस
16.	Koch	16.	कोच
17.	Raba, Rava	17.	राबा, रावा

Mizoram — **मिजोरम**

1.	Chakma	1.	चाकमा
2.	Dimasa (Kachari)	2.	डिमासा (कछारी)
3.	Garo	3.	गारो

4.	Hajong	4.	हाजंगू
5.	Hmar	5.	हमार
6.	Khasi and Jaintia (including Khasi, Synteng or Pnar, War, Bhoi or Lyngngam)	6.	खासी और जैन्तिया (खासी, सिन्तेंग या प्नार, वार, भोइ या लिंगाम सहित)
7.	Any Kuki tribes, including: -	7.	कोई कुकी जनजातियां जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :-
i.	Biate or Biete	i.	बियाते या बियेते
ii.	Changsan	ii.	चांगसान
iii.	Chongloi	iii.	चंगलोई
iv.	Doungel	iv.	दौंगेल
v.	Gamalhou	v.	गमाल्हौ
vi.	Gangte	vi.	गंगतै
vii.	Guite	vii.	गुइते
viii.	Hanneng	viii.	हैन्नेंग
ix.	Haokip or Haupit	ix.	हौकिप या हौपित
x.	Haolai	x.	होलाई
xi.	Hengna	xi.	हेंगना
xii.	Hongsungh	xii.	होंगसुंध
xiii.	Hrangkhwal or Rangkhol	xiii.	होंग्खवाल या रेंग्खोल
xiv.	Jongbe	xiv.	जंग्बे
xv.	Khawchung	xv.	खावचुंग
xvi.	Khawathlang or Khothalong	xvi.	खावथालंग या खोथालंग
xvii.	Khelma	xvii.	खेल्मा
xviii.	Kholhou	xviii.	खोल्हु
xix.	Kipgen	xix.	किप्गेन
xx.	Kuki	xx.	कुकी
xxi.	Lengthang	xxi.	लेंगयांग
xxii.	Lhangum	xxii.	ल्हांगम
xxiii.	Lhoujem	xxiii.	ल्होजम
xxiv.	Lhouvun	xxiv.	ल्होबुन
xxv.	Lupheng	xxv.	लुफेंग
xxvi.	Mangjel	xxvi.	मांजेल
xxvii.	Missao	xxvii.	मिसाऊ
xxviii.	Riang	xxviii.	रियांग
xxix.	Sirphem	xxix.	सैरहेम
xxx.	Selnam	xxx.	सेल्नाम
xxxi.	Singson	xxxi.	सिंग्सन
xxxii.	Sitlhou	xxxii.	सितल्हौ
xxxiii.	Sukte	xxxiii.	सुक्ते
xxxiv.	Thado	xxxiv.	थादो
xxxv.	Thangngeu	xxxv.	थांग्न्यू
xxxvi.	Uibuh	xxxvi.	उइबु
xxxvii.	Vaiphei	xxxvii.	वाइफै
8.	Lakher	8.	लाखेर
9.	Man (Tai-Speaking)	9.	मान (ताई बोलने वाले)
10.	Any Mizo (Lushai) tribes	10	कोई मिजो (लुशाई) जनजातियां
11.	Mikir	11.	मिकिर
12.	Any Naga tribes.	12.	कोई नागा जनजातियां
13.	Pawi	13.	पावी
14.	Synteng.	14.	सिंतेंग .
15.	Paite	15.	पाइते

Nagaland	नागालैंड
1. Naga	1. नागा
2. Kuki	2. कुकी
3. Kachari	3. कछारी
4. Mikir	4. मिकिर
5. Garo	5. गारो

	Odisha		ओडिशा
1.	Bagata, Bhakta	1.	बागडा, भक्त
2.	Baiga	2.	बैगा
3.	Banjara, Banjari	3.	बणजारा, वणजारी
4.	Bathudi, Bathuri	4.	वाथुडी, बथूरी
5.	Bhottada, Dhotada, Bhotra, Bhatra, Bhattara, Bhotora, Bhatara	5.	भौत्तडा, धोत्तडा, भोतरा, भातरा, भट्टारा , भोटोरा, भतरा
6.	Bhuiya, Bhuyan	6.	भुइया, भूयां
7.	Bhumia	7.	भूमिआ
8.	Bhumij, Teli Bhumij, Haladipokhria Bhumij, Haladi Pokharia Bhumija, Desi Bhumij, Desia Bhumij, Tamaria Bhumij	8.	भूमिज, तेली भूमिज, हलादीपोखड़िया भूमिज, हलादी पोखड़िया भूमिजा, देसी भूमिज ,देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज
9.	Bhunjia	9.	भूजीआ
10.	Binjhal, Binjhwar	10.	बिंजाल, बिंझवार
11.	Binjhia, Binjhoa	11.	बिंझिआ, बिंझोआ
12.	Birhor	12.	बीरहोर
13.	Bondo Poraja, Bonda Paroja, Banda Paroja	13.	वोंडोपोरजा, बोंडपरजा, बांडा परजा
14.	Chenchu	14.	चेन्चू
15.	Dal	15.	दाल
16.	Desua Bhumij	16.	देसुआ भूमिज
17.	Dharua, Dhuruba, Dhurva	17.	धारूआ, धुरूबा, धुर्वा
18.	Didayi, Didai Paroja, Didai	18.	दिदयी, दीदाई परजा, दीदाई
19.	Gadaba, Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kapu Gadaba, Ollara Gadaba, Parenga Gadaba, Sano Gadaba	19.	गादबा, बोदो गादबा, गुतोब गादबा, कापु गादबा, ओलारा गादबा, पेरेंगा गादबा, सेनो गादबा
20.	Gandia	20.	गांडिया
21.	Ghara	21.	धारा
22.	Gond, Gondo, Rajgond, Maria Gond, Dhur Gond	22.	गोंड, गोंडो, राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड
23.	Ho	23.	हो
24.	Holva	24.	होलवा
25.	Jatapu	25.	जातपु
26.	Juang	26.	जुआंग
27.	Kandha Gauda	27.	कंध गोड
28.	Kawar, Kanwar	28.	कावार, कनवार
29.	Kharia, Kharian, Berga Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Erenga Kharia, Munda Kharia,Oraon Kharia, Khadia, Pahari Kharia	29.	खडीआ, खडीयां, बेरगा खड़िया, ढेलकी खड़िया, दुध खड़िया, एरेंगा खड़िया, मुंडा खड़िया, उरांव खड़िया, खडिया, पहाड़ी खड़िया
30.	Kharwar	30.	खरवार
31.	Khond, Kond, Kandha, Nanguli Kandha, Sitha Kandha, Kondh, Kui, Buda Kondh, Bura Kandha,	31.	खोंड, कोंड, कन्ध, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा, कोंध, कुई, बूढ़ा कोंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगरिया कोंध, कुटिया कंधा,

	Desia Kandha, Dungaria Kondh, Kutia Kandha, Kandha Gauda, Muli Kondh, Malua Kondh, Pengo Kandha, Raja Kondh, Raj Khond		कंधा गोडा, मुली कोंध, मलुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड
32.	Kisan, Nagesar, Nagesia	32.	किसान, नागेसर, नागेसिया
33.	Kol	33.	कोल
34.	Kolah Loharas, Kol Loharas	34.	कोल्हा लोहार, कोल लोहार
35.	Kolha	35.	कोल्हा
36.	Koli, Malhar	36.	कोली, मल्हार
37.	Kondadora	37.	कोन्डादोरा
38.	Kora, Khaira, Khayara	38.	कोरा, खेरा, खयारा
39.	Korua	39.	कोरूआ
40.	Kotia	40.	कुटीआ
41.	Koya, Gumba Koya, Koitur Koya, Kamar Koya, Musara Koya	41.	कोया, गुंबा कोया, कोयटुर कोया, कमर कोया, मुसारा कोया
42.	Kulis	42.	कुली
43.	Lodha, Nodh, Nodha, Lodh	43.	लोधा, नोध, नोधा, लोध
44.	Madia	44.	मादिआ
45.	Mahali	45.	माहालि
46.	Mankidi	46.	मांकिडी
47.	Mankirdia, Mankria, Mankidi	47.	मांकिरडिआ, मांकरिया, मानकिडी
48.	Matya, Matia	48.	माटिआ, मटिया
49.	Mirdhas, Kuda, Koda	49.	मिर्धा, कुडा, कोडा
50.	Munda, Munda Lohara, Munda Mahalis, Nagabanshi Munda, Oriya Munda	50.	मुंडा, मुंडालोहरा, मुंडा- महाली, नागबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा
51.	Mundari	51.	मुंडारी
52.	Omanatya, Omanatyo, Amanatya	52.	औमनात्या, ओमानात्यो, अमानात्या
53.	Oraon, Dhangar, Uran	53.	ओरांव, धांगर, उरांव
54.	Parenga	54.	पेरेंगा
55.	Paroja, Parja, Bodo Paroja, Barong Jhodia Paroja, Chhelia Paroja, Jhodia Paroja, Konda Paroja, Paraja, Ponga Paroja, Sodia Paroja, Sano Paroja, Solia Paroja	55.	परोजा, परजा, बोडो परोजा, बरोंग झोडिया परोजा, छेलिया परोजा, झोडिया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोडिया परोजा, सेनो परोजा, सोलिया परोजा
56.	Pentia	56.	पेंटिया
57.	Rajuar	57.	राजुआर
58.	Santal	58.	सांताल
59.	Saora, Savar, Saura, Sahara, Arsi Saora, Based Saora, Bhima Saora, Bhimma Saora, Chumura Saora, Jara Savar, Jadu Saora, Jati Saora, Juari Saora, Kampu Saora, Kampa Soura, Kapo Saora, Kindal Saora, Kumbi Kancher Saora, Kalapithia Saora, Kirat Saora, Lanjia Saora, Lamba Lanjia Saora, Luara Saora, Luar Saora, Laria Savar, Malia Saora, Malla Saora, Uriya Saora, Raika Saora, Sudda Saora, Sarda Saora, Tankala Saora, Patro Saora, Vesu Saora	59.	सवोरा, सवर, सौरा, सहरा, आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जारा सावर, जादू साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, कम्पू साओरा, कम्पा सौरा, कापो साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कालापिठिआ साओरा, किराट साओरा, लंजिया साओरा, लाम्बा लंजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लरिया सावर, मालिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पात्रो साओरा, बेसु साओरा
60.	Shabar, Lodha	60.	शवर, लोधा
61.	Sounti	61.	साउन्ती
62.	Tharua, Tharua Bindhani	62.	थारूआ, थारूआ बिंधानी

Rajasthan

1. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
2. Bhil Mina
3. Damor, Damaria
4. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
5. Garasia (excluding Rajput Garasia)
6. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari
7. Kokna, Kokni, Kukna
8. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
9. Mina
10. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
11. Patelia
12. Seharia, Sehria, Sahariya.

राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भलाला, पावरा, वसवा, वसावे
2. भील मीना
3. डामोर, डामरिया
4. धाणका, तड़वी, तेतारिया, वलवी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न)
6. काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढौर कातकरी, सोन काथौडी, सोन कातकरी
7. कोकना, कोकनी, कुकणा
8. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलधा
9. मीना
10. नायकडा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया, सहारिया

Sikkim

1. Bhutia (including Chumbipa, Dopthapa, Dukpa, Kagatey, Sherpa, Tibetan, Tromopa, Yolmo)
2. Lepcha
3. Limboo
4. Tamang

सिक्किम

1. भूटिया (चुम्बिपा, दोपथापा, डुकपा, कगाटे, शेर्पा, टिबेटन, ट्रोमोपा, योल्मो सहित)
2. लेपचा
3. लिम्बू
4. तमंग

Tamil Nadu

1. Adiyan
2. Aranadan
3. Eravallan
4. Irular
5. Kadar
6. Kammara (excluding Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
7. Kanikaran, Kanikkar (in Kanyakumari district and Shenkottah and Ambasamudram taluks of Tirunelveli district)
8. Kaniyan, Kanyan
9. Kattunayakan
10. Kochu Velan
11. Konda Kapus
12. Kondareddis
13. Koraga
14. Kota (excluding Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
15. Kudiya, Melakudi
16. Kurichchan
17. Kurumbas (in the Nilgiris district)
18. Kurumans
19. Maha Malasar
20. Malai Arayan

तमिलनाडु

1. अडियन
2. अरनाडन
3. एरवल्लन
4. इरूलर
5. काडर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला और तिरूनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
7. कनिकरण, कनिकर (कन्याकुमारी जिले में और तिरूनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा और अम्बासमुद्रम तालुक में)
8. कनियन, कन्यन
9. काट्टुनायक्कन
10. कोचुवेलन
11. कोन्डा कपूस
12. कोन्डारेड्डि
13. कोरागा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिले में और तिरूनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेला कुडी
16. कुरिच्छन
17. कुरूमान्स (नीलगिरि जिले में)
18. कुरमान्स
19. महा मल्लेसर
20. मलै अरैयन

21. Malai Pandaram	21. मालै पंडाराम
22. Malai Vedan	22. मलै बैडन
23. Malakkuravan	23. मलक्कुरवन
24. Malasar	24. मल्लेसर
25. Malayali (in Dharmapuri, North Arcot, Pudukottai, Salem, South Arcot and Tiruchirapalli districts)	25. मल्याली (धर्मपुरी, उत्तरी अर्काट, पुडुकोट्टाई, सलेम, दक्षिणी अर्काट और तिरूचिरापल्ली जिलों में)
26. Malayekandi	26. मलयेकंडी
27. Mannan	27. मान्नन
28. Mudugar, Muduvan	28. मुडुगर, मुडूवन
29. Muthuvan	29. मदुवन
30. Palleyan	30. पाल्लयन
31. Palliyan	31. पलियन
32. Palliyar	32. पल्लयर
33. Paniyan	33. पनियन
34. Sholaga	34. शोलागा
35. Toda (excluding Kanyakumari district and Shenkottah Taluk of Tirunelveli district)	35. टोडा (कन्याकुमारी जिले में और तिरूनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
36. Uraly	36. उरली
37. Narikoravan, Kurivikkaran	37. नरिकुरवन, कुरूविक्कारन

Telangana	**तेलंगना**
1. Andh, Sadhu Andh	1. आंध्र , साधू आंध्र
2. Bagata	2. बगटा
3. Bhil	3. भील
4. Chenchu	4. चेंचु
5. Gadabas, Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kallayi Gadaba, Parangi Gadaba, Kathera Gadaba, Kapu Gadaba	5. गडवा, बोडो गडावा, गुतोब गडावा, कलायी गडावा, पारांगी गडावा, कथेरा गडावा, कापू गडावा
6. Gond, Naikpod, Rajgond, Koitur	6. गोंड, नायकपोड, राजगोंड, कोइतूर
7. Goudu (in the Agency tracts)	7. गोडू (अभिकरण भूखंडो में)
8. Hill Reddis	8. हिल रेड्डि
9. Jatapus	9. जातपू
10. Kammara	10. कम्मरा
11. Kattunayakan	11. कडुनायकन
12. Kolam, Kolawar	12. कोलम, कोलावार
13. Konda Dhoras, Kubi	13. कोंडधोरा, कुबी
14. Konda Kapus	14. कोड कापु
15. Kondareddis	15. 15. कोडारेड्डि
16. Kondhs, Kodi, Kodhu, Desaya Kondhs, Dongria Kondhs, Kuttiya Kondhs, Tikiria Kondhs, Yenity Kondhs, Kuvinga	16. कोंध कोडि, कोध, देसेय कोंध, डोंगरिया कोंध, कट्टिया कोंध, टिकरिया कोंध, येनिटी कोंध, कुविंगा
17. Kotia, Bentho Oriya, Bartika, Dulia, Holya, Sanrona, Sidhopaiko	17. कोटिया, वेंथो ओरिया, वारत्तिका, डुलिया, होल्वा, सनरोण , सिधोपैको
18. Koya, Doli Koya, Gutta Koya, Kammara Koya, Musara Koya, Oddi Koya, Pattidi Koya, Rajah, Rasha Koya, Lingadhari Koya (ordinary), Kottu Koya, Bhine Koya, Rajkoya	18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोया, पटिदी कोया, राजा, राशकोया, लिंगधारी कोया (साधारण), कोट्टू कोया, भीण कोया, राजकोया
19. Kulia	19. कुलिया
20. Manna Dhora	20. मन्ना दोरा
21. Mukha Dhora, Nooka Dhora	21. मुक्खा दोरा, नूका दोरा
22. Nayaks (in the Agency tracts)	22. नायक (अभिकरण भूखंडो में)

23. Pardhan	23. परधाण
24. Porja, Parangiperja	24. पुर्जा, परांगीपेरजी
25. Reddi Dhoras	25. रेड्डी दोरा
26. Rona, Rena	26. रोणा, रेणा
27. Savaras, Kapu Savaras, Maliya Savaras, Khutto Savaras	27. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, खुट्टा सवार
28. Sugalis, Lambadis, Banjara	28. सुगाली, लम्बाडी, बंजारा
29. Thoti (in Adilabad, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad and Warangal districts)	29. तोटी (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद, वारंगल जिलों में)
30. Yenadis, Chella Yenadi, Kappala Yenadi, Manchi Yenadi, Reddi Yenadi	30. येनादी, चेला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
31. Yerukulas, Koracha, Dabba Yerukula, Kunchapuri Yerukula, Uppu Yerukula	31. येरूकुल्लास, कोरचा, डब्बा, येरूकुल्ला, कुंचापुरी, येरुकुल्ला, उपु येरुकुल्ला
32. Nakkala, Kurvikaran	32. नक्काला, कुरविकरन

Tripura	**त्रिपुरा**
1. Bhil	1. भील
2. Bhutia	2. भुटिया
3. Chaimal	3. चैमल
4. Chakma	4. चकमा
5. Garoo	5. गारो
6. Halam, Bengshel, Dub, Kaipeng, Kalai, Karbong, Lengui, Mussum, Rupini, Sukuchep, Thangchep	6. हलाम, बेंगशेल, डुब, केइपेंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रुपिनी, सुकुचेप, थांगचेप
7. Jamatia	7. जमातिया
8. Khasia	8. खसिया
9. Kuki, including the following sub-tribes:-	9. कुकी जिनके अंतर्गत निम्नलिखित उप जनजातियां भी हैं-
(i) Balte	(i) बाल्टे
(ii) Belalhut	(ii) बेललहुत
(iii) Chhalya	(iii) छाल्य
(iiia) Darlong	(iiiक) डार्लोंग
(iv) Fun	(iv) फुन
(v) Hajango	(v) हजांगो
(vi) Jangtei	(vi) जंगते
(vii) Khareng	(vii) खरेंग
(viii) Khephong	(viii) केफंग
(ix) Kuntei	(ix) कुन्तेई
(x) Laifang	(x) लाइफंग
(xi) Lentei	(xi) लेनतेई
(xii) Mizel	(xii) मिजेल
(xiii) Namte	(xiii) नमते
(xiv) Paitu, Paite	(xiv) पाइतु, पाइते
(xv) Rangchan	(xv) रंगचान
(xvi) Rangkhole	(xvi) रंखल
(xvii)Thangluya	(xvii)थन्लुया
10. Lepcha	10. लेपचा
11. Lushai	11. लुसाई
12. Mag	12. मग
13. Munda, Kaur	13. मुन्डा, कौर
14. Noatia, Murashing	14. नोआतिया, मुरासिंग
15. Orang	15. ओरांग

16. Riang
17. Santal
18. Tripura, Tripuri, Tippera
19. Uchai

16. रियांग
17. सन्थाल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टीपरा
19. उचई

Uttrakhand

1. Bhotia
2. Buksa
3. Jannsari
4. Raji
5. Tharu

उत्तराखण्ड

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जन्नासरी
4. राजी
5. थारू

Uttar Pradesh

1. Bhotia
2. Buksa
3. Jaunsari
4. Raji
5. Tharu
6. Gond, Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari, Raj Gond (in the districts of Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jonpur, Balia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur, Sonbhadra, Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Bhadohi)
7. Kharwar, Khairwar (in the districts of Deoria, Balia, Ghazipur, Varanasi and Sonbhadra)
8. Saharya (in the district of Lalitpur)
9. Parahiya (in the district of Sonbhadra)
10. Baiga (in the district of Sonbhadra)
11. Pankha, Panika (in the districts of Sonbhadra and Mirzapur)
12. Agariya (in the district of Sonbhadra)
13. Patari (in the district of Sonbhadra)
14. Chero (in the districts of Sonbhadra and Varanasi)
15. Bhuiya, Bhuinya (in the district of Sonbhadra)

उत्तर प्रदेश

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जौनसारी
4. राजी
5. थारू
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशी नगर, चंदौली और भदोही जिलों में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
8. सहरया (ललितपुर जिले में)
9. पराहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बैगा (सोनभद्र जिले में)
11. पंखा, पनिका (सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में)
12. अगरिया (सोनभद्र जिले में)
13. पटारी, पथरिया (केवल सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में)
15. भुइया, भुनिया (केवल सोनभद्र जिले में)

West Bengal

1. Asur
2. Baiga
3. Bedia, Bediya
4. Bhumij
5. Bhutia, Sherpa, Toto, Dukpa, Kagatay, Tibetan, Yolmo
6. Birhor
7. Birjia
8. Chakma

पश्चिम बंगाल

1. असुर
2. बैगा
3. बेदिया, बिदिया
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकपा, कगाते, तिब्बती, योलमो
6. बीरहड़
7. विर्जिया
8. चाकमा

9. Chero
10. Chik Baraik
11. Garo
12. Gond
13. Gorait
14. Hajang
15. Ho
16. Karmali
17. Kharwar
18. Khond
19. Kisan
20. Kora
21. Korwa
22. Lepcha
23. Lodha, Kheria, Kharia
24. Lohara, Lohra
25. Magh
26. Mahali
27. Mahli
28. Mal Pahariya
29. Mech
30. Mru
31. Munda
32. Nagesia
33. Oraon
34. Parhaiya
35. Rabha
36. Santal
37. Sauria Paharia
38. Savar
39. Limbu (Subba)
40. Tamang

9. चेरो
10. चिक बारैक
11. गारो
12. गोंड
13. गोड़त
14. हाजंग
15. हो
16. करमाली
17. खाड़वार
18. खौंड
19. किसान
20. कोड़ा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लोधा, खेड़िया, खाड़िया
24. लौहारा, लौहरा
25. मध
26. माहली
27. महली
28. माल पहाड़िया
29. मेच
30. म्रू
31. मुंडा
32. नागेसिया
33. ओरांव
34. पाढ़ैया
35. राभा
36. सन्थाल
37. सौरिया पहाड़िया
38. सावर
39. लिम्बु (सुब्बा)
40. तमंग

Andaman and Nicobar Islands

1. Andamanese, Chariar, Chari, Kora, Tabo, Bo, Yere, Kede, Bea, Balawa, Bojigiyab, Juwai, Kol
2. Jarawas
3. Nicobarese
4. Onges
5. Sentinelese
6. Shom Pens.

अंडमान और निकोबर द्वीप

1. अंडमान निवासी, चारियर, चारी, कोरा, टाबो, बो, येरे, कोडे, बीय, बालाबा, बोजीगियाब, जवाई, कोल
2. जरावा
3. निकोबर निवासी
4. ओंगे
5. सेंटीनेली
6. शोम पेन।

Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu

दादर और नगर हवेली और दमन व दीव

PART I – Dadra and Nagar Haveli

भाग 1 – दादर और नगर हवेली

1. Dhodia
2. Dubla including Halpati
3. Kathodi
4. Kokna
5. Koli Dhor including Kolgha
6. Naikda or Nayaka
7. Varli

1. धोडिया
2. दुबला हलपति सहित
3. कठोडी
4. कोकना
5. कोलघा सहित कोली धोर
6. नायकड़ा या नायक
7. वारली

PART II – Daman and Diu

भाग 2 – दमन व दीव

1. Dhodia
2. Dubla (Halpati)
3. Naikda (Talavia)
4. Siddi (Nayaka)
5. Varli

1. धोडिया
2. दुबला (हलपति)
3. नायकड़ा (तलाविया)
4. सिद्दी (नायका)
5. वारली

Lakshadweep

लक्षद्वीप

Throughout the Union territory: -

Inhabitants of the Laccadive, Minicoy and Aminidivi Islands who, and both of whose parents, were born in those islands. Provided that the children who are born to inhabitants of Lakshadweep in any other place in the mainland of India shall be deemed to be inhabitants born in the islands if such children settle permanently in the islands.

Explanation: The term "settle permanently" shall have the same meaning as defined under clause 3(1)(d) of the Lakshadweep Panchayats Regulation, 1994.

सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र मे:-

लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे। परन्तु ऐसे बालक जो लक्षद्वीप के निवासियों से भारत के मुख्य भू – भाग में किसी अन्य स्थान पर जन्म लेते हैं, द्वीपों में जन्में निवासी समझे जाएंगे यदि ऐसे बालक द्वीपों में स्थायी रूप से बस जाते हैं।

स्पष्टीकरण:- "स्थायी रूप से बस जाते हैं" पद का वही अर्थ होगा जो लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3 (1) (घ) में परिभाषित हैं।

Puducherry

पुडुचेरी

Irular (including Villi and Vettaikaran)

इरूलर (विल्ली और वेट्टैकारन् सहित)

Note: In case of any discrepancies in the spelling of the community in above list, the concerned original Notification will be final & authenticated.

अनुलग्नक– 5ग

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य–वार सूची

I. आन्ध्र प्रदेश' (तेलंगाना सहित)

1. महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुका के 67 गांव निम्नानुसार हैं:

आचमपेट तालुका

(1) बालमोर	(24) संगरी गुण्डल	(47) मलहामाम्डी
(2) कोदनांगोल	(25) लिंगबोर	(48) वेंकटेश्वरला भावी
(3) बनाल	(26) रामपुर	(49) अमराबाद
(4) बिलाकास	(27) अप्पापुर	(50) तिरमालपुर
(5) धारावरम	(28) मालापुर	(51) उपनुटोला
(6) अप्पाइपाली	(29) जलाल पेंटा	(52) मघवनपल्ली
(7) रासुल छेरवु	(30) पीमान पेंटा	(53) जगमरेड्डी पल्ली
(8) पुलेछेलमा	(31) रायलेट	(54) पेदरा
(9) मारलापया	(32) वेटोलापल्ली	(55) वेंकेश्वरम
(10) बुर्ज गुंडाल	(33) पातुर बयाल	(56) चितलामकुंटा
(11) अगारला पेन्टा	(34) भावी पेंटा	(57) लाछमापुर
(12) पुल्लाइपल्ली	(35) नारदी पेंटा	(58) उदमेला
(13) दुक्कान पेन्टा	(36) तपासी पेंटा	(59) मारेड़
(14) बिकिट पेन्टा	(37) चन्द्रगुप्ता	(60) इप्पालपल्ली
(15) कारकार पेन्टा	(38) युल्लुकारतरेवु	(61) मड्डीमाडाग
(16) बोरमाछेरन्वू	(39) तिम्मारेड्डीपल्ली	(62) अक्कारा‍म
(17) येमेलापाया	(40) सारलापल्ली	(63) अड्नोल
(18) इरलापेंटा	(41) ततिगुण्डाल	(64) सिद्दापुर
(19) मुदारदीपेंटा	(42) इल्पामायेहेना	(65) बमानपल्ली
(20) तेरकालदारी	(43) कोमान पेंटा	(66) गनपुरा
(21) वकारमामिदी पेंटा	(44) कोल्लामपेंटा	(67) मानेवारपल्ली
(22) मेडीमानकल	(45) मानानूर	
(23) पंडीबोर	(46) माछाराम	

2. आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

आदिलाबाद तालुका

(1) मलाइ बोरगोवा,	(19) पालसी बुजुर्ग,	(37) सांगवी,
(2) अनकानपुर,	(20) आरिल खुर्द,	(38) खोगदूर,
(3) जामुलाधारी,	(21) नन्दगांव,	(39) कोबाई,
(4) लोकारी,	(22) वाघापुर,	(40) पोनाला,
(5) वेंकेट,	(23) पालसीखुर्द,	(41) छापराला,
(6) तान्तोली,	(24) लिंगी,	(42) मंगरोल,
(7) सीतागोंटी,	(25) काफर देनी,	(43) कोपा अरगूने,
(8) बुरनूर,	(26) रतनापुर,	(44) सोअनखास,
(9) नवगांव,	(27) कोसाइ,	(45) खिडकी,
(10) पीपलदारी,	(28) उमारी,	(46) खासल खुर्द,
(11) पारदी बुजुर्ग,	(29) मदनपुर,	(47) खासल बुजुर्ग,
(12) यापाल गुदा,	(30) अम्बूगांव,	(48) जामनी,
(13) छिनछूघाट,	(31) रूयेअडी,	(49) बोरगांव,
(14) वानकोली,	(32) सकानपुर,	(50) सयेद पुर,
(15) कानपा,	(33) दादगांव,	(51) खारा,
(16) अवसोदा बुरकी,	(34) कसलापुर,	(52) लोहारा,
(17) मलकापुर,	(35) डोरली,	(53) मारीगांव,
(18) जारी,	(36) साहाजी,	(54) छिछदारी,

(55) खानापुर,	(61) सिंगापुर,	(67) येकोरी,
(56) खण्डाल,	(62) बुरानपुर,	(68) सादारपुर,
(57) तीपा,	(63) नागराला,	(69) वारूर,
(58) हाती घोता,	(64) बोदाद,	(70) रोहार,
(59) करोदखुर्द,	(65) छांदपेल्ली,	(71) तकली,
(60) करोनी बुजुर्ग,	(66) पीतगेन,	(72) रामखाम

3. आदिलाबाद जिले के किनवात तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

किनवात तालुका

(1) अम्बारी,	(25) करला,	(49) पटोड़ा,
(2) बोदरी,	(26) कोठारी,	(50) जवारला,
(3) छिकली,	(27) गोकुड़ा,	(51) पीपलगांव,
(4) कामताला,	(28) गोगरवुडी,	(52) कानकी सिंगोरा,
(5) घोती,	(29) मलकापुर,	(53) डोगरगांव,
(6) मांडवा,	(30) धोनोरा,	(54) पीपल सेंधा,
(7) मेरेगांव,	(31) रामपुर,	(55) जुरूर,
(8) मालबोर गांव,	(32) पातरी,	(56) मिनकी,
(9) पटोडा,	(33) परोधी,	(57) तुलसी,
(10) दहीगांव,	(34) बाओथ,	(58) माचौरड़ेर पारड़ी,
(11) दोमोन घारी,	(35) दरसांगी,	(59) मुरली,
(12) दरसांगी,	(36) नोरगांव,	(60) टाकरी,
(13) डिघरी,	(37) उनरसी,	(61) पारसा,
(14) सिंदगी,	(38) गोदी,	(62) वारसा,
(15) कनकवाड़ी,	(39) साउरखेर,	(63) उमरा,
(16) कोपरा,	(40) नायकवाड़ी,	(64) अष्ठता,
(17) मलाकवाडी,	(41) सरकानी,	(65) हिंगनी,
(18) निसपुर,	(42) वाझेरा,	(66) तिमारपुर,
(19) एन्डा,	(43) मारदाप,	(67) बाजरा,
(20) पीपलगांव,	(44) अंजेरखेर,	(68) बानोला,
(21) बलजा,	(45) गोण्डवारसा,	(69) पाटसोन्डा,
(22) वारोली,	(46) पलाइगुडा,	(70) धनोरा,
(23) अन्जी,	(47) करालगांव,	(71) साकुर
(24) भीमपुर सिरमेती,	(48) पाल्सी,	(72) डिगरी

4. आदिलाबाद जिले के बोथ तालुका के 46 गांव निम्नानुसार हैं:

बोथ तालुका

(1) हतनूर,	(15) गाकोंडा,	(29) मुतनुर,
(2) बाकरी,	(16) भोताई,	(30) गुडी हाटनूर,
(3) पारधी,	(17) कोरसेकाल,	(31) तालमेडी,
(4) करतान्डा,	(18) पतनापुर,	(32) गेरजाम,
(5) सेरलापाल्लि,	(19) तेजापुर,	(33) छिनछोली,
(6) नेरादी कोंडा,	(20) गुरूज,	(34) सिरछेलमा,
(7) डालीगाओ,	(21) खाहदीगुडा,	(35) मनकापुर,
(8) कुनताला,	(22) राजुरवाड़ी,	(36) नारसापुर,
(9) वेंकटपुर,	(23) इसपुर,	(37) धर्मपुर,
(10) हसनपुर,	(24) घानपुर,	(38) हरकापुर,
(11) सुरदापुर,	(25) जतेरला,	(39) धामपुर,
(12) पोलमामदा,	(26) खान्तेगांव,	(40) निगनी,
(13) बाल्हनपुर,	(27) साउरी,	(41) अजारवजार,
(14) धर्मपुरी,	(28) छोरा,	(42) चिन्तालबोरी,

(43) चिंताकारवा,	45) गंगापुर	
(44) रामपुर,	(46) गयात्पल्ली	

5. **आदिलाबाद जिले के उत्नूर तालुका के सभी गांव।**

6. **आदिलाबाद जिले के असैफाबाद तालुका के 86 गांव निम्नानुसार हैः**

असैफाबाद तालुका

(1) राजमपेट,	(30) सुरदापुर,	(59) पादिबान्दा,
(2) गुंजाला,	(31) केरीनेरी,	(60) तामरिन,
(3) इंघानी,	(32) मुरकीनोनकी,	(73) देवैगुडा,
(4) समेला,	(33) देवापुर,	(74) आरे गुडा,
(5) तेजपुर,	(34) छिन्ताकारा,	(75) गरडेपल्ली,
(6) कन्नारगांव,	(35) इहेरी,	(76) तकेपाली,
(7) कन्टागुडा,	(36) आरा,	(77) चोउतेपाली,
(8) शांकेपल्ली,	(37) डासनापुर,	(78) राने कन्नेपल्ली,
(9) जामुलधारी,	(38) कापरी,	(79) सुंगापुरा,
(10) गुडी,	(39) बेलगांव,	(80) राला सामकेपल्ली,
(11) छोरपल्ली,	(40) सिरसगांव,	(81) छोपरी,
(12) सालेगुडा,	(41) मोआर,	(82) दोदा अर्जुनी,
(13) वादीगुडा,	(42) वादाम,	(83) सेरवाई,
(14) सवाती,	(43) धामरीगुडा,	(84) रापल्ली,
(15) ढाबा,	(44) दाल्लनपुर,	(85) टेकमाडवा
(16) छोपनगुडा,	(45) छालवारडी,	(86) मीता अर्जुनी
(17) नीमगांव,	(46) इहोरघाट,	(61) मलगुण्डी,
(18) खिरदी,	(47) वाली झारी,	(62) कन्दन मोओआर,
(19) मेटापिपरी,	(48) साकमगुंडी,	(63) जिओनेना,
(20) साकरा,	(49) आरा,	(64) कुटेदा,
(21) सांगी,	(50) उप्पाल नवगांव,	(65) तिलानी,
(22) देवुरपल्ली,	(51) अंकसोरपुर,	(66) कानेपल्ली,
(23) खोटरा–रिंगनघाट,	(52) चिराकुन्ता,	(67) बोरडोम तेलुन्डी,
(24) निशानी,	(53) इल्लिपिट्टा डोरली,	(68) मौगी लोडीगुडा,
(25) कोटा परानडोली,	(54) मन्डरन्मेरा,	(69) मोंइदा–गुडोपेट,
(26) मेसापुर,	(55) दन्तान्पल्ली,	(70) चीन्नेदारी,
(27) गोइगांव,	(56) देवदुर्ग,	(71) कोइटेलुण्डी,
(28) धनोरा,	(57) तुनपाली,	(72) मदुरा,
(29) पारधा,	(58) धांगलेश्वर,	

7. **आदिलाबाद जिले लक्षेतिपेट तालुका के 18 गांव निम्नानुसार हैं:**

लक्षेतिपेट तालुका

(1) गुदाम,	(7) वेंकटपुर,	(17) चिंतागुडा
(2) कासीपेट,	(8) राली,	(18) मुत्तेमपल्ली
(3) दांडे पल्ली,	(9) कौवाल,	(13) रोतपल्ली,
(4) छेलमपेटा,	(10) तारापेत,	(14) माझडामारी,
(5) राजमपेट,	(11) देवपुर,	(15) धर्मारोपेट,
(6) मुत्तीमपेट,	(12) गाथापल्ली,	(16) वेंकटपुर,

8. **आदिलाबाद जिले के राजुरा तालुका के 58 गांव।**

राजुरा तालुका

(1) बेंडवी,	(4) हीरापुर,	(7) मनोली,
(2) छिनछोली,	(5) साकरी,	(8) अन्तारगांव,
(3) गोइगांव,	(6) बालापुर,	(9) विरूर,

(10) डोगरगांव,	(27) येल्लापुर,	(44) सोनपुर,
(11) टिमबेरवाई,	(28) काटलबोरी,	(45) इनापुर,
(12) सेरसी,	(29) इसपुर,	(46) मानगी,
(13) बड़ोरा,	(30) देवती,	(47) उपारवाई,
(14) व्मरजीरी,	(31) पाण्डेरवानी,	(48) तुत्ता,
(15) लाकारकोट,	(32) वानसारी,	(49) लकमापुर,
(16) अरगांव,	(33) पेरदा,	(50) किरदी,
(17) किरदी,	(34) वारगांव,	(51) इनजापुर,
(18) सोंदो,	(35) नोकारी,	(52) जमीनी,
(19) देवरा,	(36) मीरापुर,	(53) हरगांव,
(20) खोरुना,	(37) पारधी,	(54) छिकली,
(21) कानारगांव,	(38) कुतोडा,	(55) पाटन,
(22) छेनाई,	(39) परसेवारा,	(56) कोसुंडी,
(23) कैरगांव,	(40) मंगलरा,	(57) कोतारा
(24) सामलहीरा,	(41) कारकी,	(58) सोनोरली
(25) धनोली,	(42) नोकारी,	
(26) मारनगांडी,	(43) मनोली,	

9. आदिलाबाद जिले के सिरपुर तालुका के 27 गांव।

सिरपुर तालुका

(1) रालपेट,	(10) उसू रामपल्ली,	(19) दामदा,
(2) किस्तामपेट,	(11) अरपल्ली,	(20) ढोरपल्ली,
(3) तकलपाल्ली,	(12) बोपालपट्टनम,	(21) कनकी गारलापेट,
(4) छाकलपल्ली,	(13) बालासागा,	(22) गुदलाबोरी,
(5) अनाराम,	(14) पारधी,	(23) गुरूमपेट,
(6) मेटपल्ली,	(15) तुमरीहाती,	(24) लोमवेली,
(7) कोरसनी इसगांव,	(16) छिन्तालमानोपल्ली,	(25) मोगुरदागर,
(8) छिन्तागुडा,	(17) छिन्ताम,	(26) विरदान्डी
(9) अंकोरा,	(18) गुल्लातालोदी,	(27) छिलपुरदुबोर

10. वारंगल जिले के मुलुग तालुका के 85 गांव।

मुलुग तालुका

(1) कन्नइगुडा,	(18) रामपुर,	(35) आष्ठानागुडा,
(2) अंकनगुड्डा,	(19) माल्कपल्लि,	(36) येल्लापुर,
(3) राघवापट्टनम,	(20) छेत्ताल,	(37) अल्लागुड़ा,
(4) मेडारमोला,	(21) भूपतिपुर,	(38) नरसापुर,
(5) कोएटला,	(22) गंगाराम,	(39) पुस्छापुर,
(6) पारसा नागाराम,	(23) कन्नइगुडा,	(40) भातुपल्लि,
(7) मुथापुर,	(24) राजन्नापेट,	(41) लावनाल,
(8) मोटलागुड्डा,	(25) भूताराम,	(42) वाड्डगुडा,
(9) वेंगलपुर,	(26) अक्केला,	(43) कोथूर,
(10) येलपाक,	(27) सिरवारपुर,	(44) पेगदापाल्लि,
(11) कानेबोएनपल्लि,	(28) गंगाराम,	(45) सारवापुर,
(12) मेदाराम,	(29) भूपतिपुर,	(46) मुस्सापुर,
(13) कोंडरेड,	(30) पुम्बापुर,	(47) चेलवाई,
(14) छिन्तागुडा,	(31) रामपुर,	(48) रंगपुर,
(15) कोंडापारथी,	(32) अंकामपाली,	(49) गोविन्दराओपेट,
(16) येलसेथिपाल्लि,	(33) कामाराम,	(50) बालपाली,
(17) अल्लामरिघुनपुर,	(34) कामसेलिगुण्डम,	(51) धुमपालागुडा,

(52) केलापाली, (53) लखनवरम, (54) परसा, (55) गोनेपाली, (56) पड़गापुर, (57) नरलापुर, (58) कलवापाली, (59) उरातम, (60) कोंडिया, (61) मलयत, (62) अचलपुर, (63) डोल्डा,	(64) कमाराम, (65) तादवी, (66) बुदीगुडा, (67) बन्नाजी, (68) बन्दाम, (69) सेलपाक, (70) कन्तलपल्ली, (71) सरवाई, (72) गंगागुडा, (73) तुपालकालगुदा, (74) अकुलवारी,	(75) घानपुर, (76) शाहपल्ली, (77) गागपल्ली, (78) छिन्ना–विओपल्ली, (79) वेंकटापुर, (80) नरसापुर, (81) अनवाराम, (82) लिंगाल, (83) बालेपापल्ली, (84) बंडल (85) थूनमापुर

11. वारंगल जिले के नरसामपेत तालुका के 72 गांव।

नरसामपेत तालुका

(1) वेबेल्ली, (2) पोलारा, (3) बाकाचिन्ताफाद, (4) गांजाद, (5) त्रिमागुल्डा, (6) गोपालपुर, (7) खिस्तापुर, (8) तातीनारी वेनपल्ली, (9) पत्तल भूपति, (10) चन्देलपुर, (11) बत्तालपल्ली, (12) अदवारमपेट, (13) सात्यानगर, (14) दुत्ला, (15) मोथवाडा, (16) मंगालावारपेत, (17) कारलाई, (18) अरकालकुंत्ता, (19) कोदसापेत, (20) गुडेरपल्ली, (21) मसामी, (22) बत्तवारतीगुदेम, (23) ममीदीगुदम, (24) पंगोन्डा, (25) रोतुराई,	(26) सतरेड्डीपल्ली, (27) कोनापूर, (28) कोंदापुरम, (29) पोगुलापल्ली, (30) गोविन्दपुरम, (31) माकदापल्ली, (32) पागुलदापल्ली, (33) मुराइगुडेम, (34) येलछागुडेम, (35) तुम्मापुरम, (36) जगांमवारतीगुडेम, (37) रंगामुडेम, (38) पेड्डापल्ली, (39) येर्रावरम, (40) कुन्दापल्ली, (41) नीलमपल्ली, (42) दारावारिनापल्ली, (43) कारनेगुंड, (44) महादेवागुडेम, (45) मारिगुडेम, (46) जंगलपल्ली, (47) बवारगुडा, (48) ओआरवाक, (49) गंगारामम, (50) मुछेरला,	(51) अमरोन्छा, (52) कामाराम, (53) छिन्टागुडेम, (54) निलावाच्छा, (55) कांगागिड्डा, (56) मडागुड्डेम, (57) दालुरपेट, (58) कोठागुडेम, (59) कोटापल्ली, (60) दुर्गाराम, (61) दूबागुडेम, (62) रून्दावाराम, (63) नरसूगुडाम, (64) कोमातलागुडेम, (65) काटेरवम, (66) सेमर राजपेट, (67) मारेपल्ली, (68) गोआरूर, (69) राधियापुर, (70) गजलगुडेम, (71) राजवेपल्ली (72) बोल्लिपल्ली

12. वारांगल जिले के येल्लांडु तालुका के सभी गांव (येलान्डु, सिगारेनी और सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे को छोड़कर)

13. (प) वारंगल जिले के पालोचा तालुका के सभी गांव (पलोंधा, बोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (पप) पलोन्छा का समस्थान।

14. विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र(एजेन्सी लक्ष्मीपुरम, छिड्डीकाडा, कोनकासिंगि, कुमारापुरम, कृष्णदेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम, गोलूगोण्डापेटा, गुनुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनम, वादुरुपालि, पेदाजाग्गामपेटा गांवों में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर)2 (विशाखापट्टनम जिले के, साराभूपति, अग्रहारम, रामचन्द्रनराजुपेटा, अग्रहारम और कोंडावातिपुडी अग्रहारम)

15. पूर्वी गोदावरी एजेंसी क्षेत्र 2(रामचन्द्रपुरमगांव में शामिल क्षेत्र को छोड़ कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरूषोथपट्टनम कस्बे सहित)

16. पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।
* आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्स्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ.सं.30) आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ.सं.50).
1मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।
आंध्र प्रदेश क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II. **गुजरात****

1. सूरत जिले के उच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगढ़, वालोद, मांगरोल और बारदोली तालुका।
2. भरूच जिले के देदियापाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद और झगाडिया तालुका।
3. डांग्स जिला तथा तालुका।
4. वलसाड जिले के बांसदा, धर्मपुर, चिखाली, पारदी और उम्बेरगांव तालुका।
5. पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुका।
6. वड़ोदरा जिले में छोटाउदयपुर तथा नसवाडी तालुका और तिलकबाडा महल।
7. साबरकंठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुका और विजयनगर महल।

** गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (संविधान आदेश संख्या 9) दिनांक 26.01.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (संविधान आदेश संख्या 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

III. **हिमाचल प्रदेश*****

1. लाहोल और स्पीति जिले
2. किन्नौर जिला
3. चम्बा जिले में पांगी तहसील और भरमोर उप–तहसील

*** अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (संविधान आदेश संख्या 102) दिनांक 21.11.1975 द्वारा निर्दिष्ट

IV. महाराष्ट्र#

1. थाणे जिले में निम्नलिखितः

(क) धाहानु, तलसारी, मोखाडा, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील

(ख (i) पालघर तहसील के एक सौ चवालीस (144) गांव नीचे दर्शाए गए हैंः

पालघर तहसील

1) तारापुर	(20) खुताद,	(39) लालोंडे,
(2) कुदन	(21) खानीवाड़े,	(40) घनेडे
(3) दहसीर टर्फ तारापुर	(22) रावते,	(41) काम्बलगांव
(4) घिवाली	(23) अकोली,	(42) मान
(5) वावे	(24) असेरी,	(43) घानेघर,
(6) अक्कारपत्ती	(25) सोते,	(44) वाढ़े
(7) कुरगांव	(26) परस्थाल,	(45) छारी बुदर्ग
(8) पारनाली	(27) बोइसार,	(46) बिरवाडी
(9) वेनगानी	(28) बोरसेती	(47) काल्लाले,
(10) पठारवाली	(29) महागांव,	(48) पादघे
(11) नेवले	(30) किराते,	(49) पोले,
(12) शिगांव	(31) वाडे,	(50) नानडोरे,
(13) गारगांव	(32) खाडवाने,	(51) गिरनोली,
(14) चिंचारे	(33) मेंधवान	(52) बोरान्डे,
(15) अकेगावान	(34) विलसेय,	(53) देवखोपे,
(16) नानीवाली	(35) कोडगांव	(54) सागवे,
(17) अंबेढे	(36) कारसूद	(55) कोसबाद
(18) बरहानपुर	(37) बेतेगांव,	(56) कोकानेर,
(19) सलगांव,	(38) वारगंदे	(57) नागणारी

(58) छारी खुर्द	(87) तेन,	(116) वारखुन्ती,
(59) बेलगांव	(88) कारालगांव,	(117) कामार,
(60) खुताल,	(89) गोवादे,	(118) टोकराले,
(61) छिलहर,	(90) तामसाइ,	(119) बन्डाते,
(62) भोपोली,	(91) दुरवेस,	(120) जांजरोली,
(63) नीहे,	(92) धुकतान,	(121) छाडे,
(64) दामखाण्ड,	(93) पोछादे,	(122) वसारे,
(65) कोंधान,	(94) होलाले,	(123) खादकोली,
(66) आवनधान,	(95) खामलोली,	(124) सखारे,
(67) बेगारचीले,	(96) वाहदोली,	(125) रोथे,
(68) शील,	(97) बोत,	(126) लालथाने,
(69) लोवारे,	(98) इम्बूर इराम्बी,	(127) नवाजे,
(70) बंधान,	(99) दानिसारी–टर्फ–मानोर,	(128) तान्डुलवाडी,
(71) नंद गांव टर्फ मानोर,	(100) कुडे,	(129) गिराले,
(72) शील शेट,	(101) गुण्डावे,	(130) पारगाव,
(73) कताले,	(102) सतीवली,	(131) नागवे टर्फ–मानोर,
(74) अम्मान,	(103) वेहालोली,	(132) उम्बारपदा नानड़ाडे,
(75) वासरोली	(104) सवारे,	(133) उचावाली,
(76) खारशेट,	(105) वराई,	(134) सफाले,
(77) मानोर,	(106) जानसाई	(135) सोनावे,
(78) ताकवाल,	(107) खाइरे,	(136) माकने कापसे,
(79) सवारखण्ड,	(108) ढेकाले,	(137) करवाले,
(80) नालशेट,	(109) गांजे,	(138) वाधिव सरावली,
(81) केव,	(110) जायेशेते,	(139) पेनान्ड,
(82) वाकाडी,	(111) शेलवाडे,	(140) कान्डारवान,
(83) मासवान,	(112) वेउर,	(141) दाहीवाले,
(84) वान्डीवाली,	(113) अम्बादी,	(142) दारशेट,
(85) नेताली	(114) नवाली,	(143) नवगढ़ (घाटीम)
(86) साये,	(115) मोरावाली,	(144) उम्बारपाडा–टर्फ–मानोर

(ii) वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस (45) गांव नीचे दर्शाए गए हैं :
वसाई (बसीन) तहसील

(1) दाहीसार,	(16) उसगांव,	(31) अहोले,
(2) कोशिम्बे,	(17) मेधे,	(32) वालिव,
(3) तुलिंज,	(18) वादघर,	(33) सतिवाली,
(4) सकवार,	(19) भीनार,	(34) राजवली,
(5) छिमान,	(20) एम्बोडे,	(35) कोल्ही,
(6) हेडवडे,	(21) कालभोन,	(36) छिनछोती
(7) काशिदकोपर,	(22) अनदने,	(37) जुचंद्र,
(8) खानीवाडे,	(23) सायावान,	(38) बापने,
(9) मालीवाली,	(24) पारोल,	(39) देवदल,
(10) कावेहर,	(25) शिरवाली,	(40) कामन,
(11) शिरसाद	(26) माझीवाली,	(41) सरजामोरी
(12) मान्डवी	(27) कारांजोन,	(42) पोमन
(13) छानदीप,	(28) तिलहर,	(43) शिलोत्तर
(14) मातने,	(29) धानिव,	(44) ससुनवघर
(15) शिवनसाई	(30) पेल्हार,	(45) नागले

(iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर (72) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
भिवांडी तहसील

(1) भिवाली,	(25) वाघीवाले,	(49) बासे,
(2) गनेशपुर,	(26) देवचोले	(50) गांडोडे,
(3) वाडावाली वाजरेश्वरी,	(27) सागोआं,	(51) पहारे,
(4) अकोली,	(28) इकसाल,	(52) सेदगांव,
(5) सवारोली,	(29) चिन्चावाली–टर्फ–कुंडे,	(53) पच्छापुर,
(6) खातीवाली,	(30) डूधानी,	(54) गोंड्रवली,
(7) उसगांव,	(31) वापे	(55) जाम्भीवाली–टर्फ–कुंडे,
(8) घोटगांव,	(32) घदाने,	(56) असनोली–टर्फ–कुंडे,
(9) वाढे,	(33) कुंडे,	(57) शिरोले,
(10) वारेथ,	(34) घोतावाडे,	(58) दाभाद,
(11) चाने,	(35) माइंडे,	(59) महानडुल,
(12) असनोली–टर्फ–दुगद	(36) करमाले,	(60) शिरगांव,
(13) दुगद,	(37) कांडली बुदर्क,	(61) पिंपल सेठ भुसेठ,
(14) मनीवाली,	(38) केल्हे,	(62) खादकी खुर्द,
(15) वादवाली–टर्फ–दुगद,	(39) कांडली खुर्द,	(63) खादकी बुदरूक,
(16) मालबीडी,	(40) दीघाशी,	(64) चिम्बीपाडे,
(17) मोहिली,	(41) नेवादे,	(65) कूहे,
(18) नन्दीथान,	(42) अम्बादी,	(66) घामने,
(19) देपोली,	(43) दालोंड,	(67) लाखीवाली,
(20) सखरोली,	(44) जाम्भीवाली टर्फ–खाम्बाले,	(68) पालीवाली,
(21) सूपेगांव,	(45) उम्बारखंड,	(69) पाये,
(22) पिलांजे खुर्द,	(46) आशिवाली,	(70) गाने,
(23) पिलांजे बुदुर्क,	(47) जिदके,	(71) दाहयाले,
(24) अलखीवाली	(48) खारीवाली	(72) फिरंगपाडा

(iv) मुरबाद तहसील के 77 गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
मुरबाद तहसील

मुरबाद तहसील के 77 गांव नीचे दर्शाए गए हैं: मुरबाद तहसील	(20) देवघर,	(41) कोचरे खुर्द,
(1) कासगावं,	(21) माढ,	(42) कोचने बुद्रुक,
(2) किसाल,	(22) सोनावाले	(43) चोसाले,
(3) वाडावाली,	(23) वेलुक,	(44) खुटल बंगला,
(4) सखारे,	(24) अलावे,	(45) नयाहाडी,
(5) खुटालबोरगांव,	(25) बरसुंगे,	(46) मोरोशी,
(6) अम्बेल खुर्द,	(26) मांडुस	(47) फंगुलगांवाहन,
(7) सयाले,	(27) खेड,	(48) सवरने,
(8) इंदे,	(28) वनोटे,	(49) थिताबी–टर्फ–वैशाखहरे,
(9) खेडाले,	(29) शाई,	(50) कुदसेट,
(10) तलवाली–टर्फ–घोराट,	(30) शेलगांव,	(51) फंगाने,
(11) इकलाहारे,	(31) शिरोशी,	(52) खपारी,
(12) चाफे–टर्फ–खेडुल,	(32) तालेगांव	(53) हेडावाली,
(13) पिम्पालघर,	(33) फंगाकोशी,	(54) कारचोंडे,
(14) देहगांव,	(34) मेरडी,	(55) जडघर
(15) पारहे,	(35) वाल्हीवारे,	(56) उडालदोहा,
(16) कांडली,	(36) माल,	(57) महोरांडे,
(17) धासाई,	(37) जडाई,	(58) टोकवडे,
(18) अल्यानी,	(38) अम्बीवाली,	(59) बालेगांव,
(19) पालू,	(39) डिधेफाल,	(60) तलवाली (बडागांव),
	(40) दीवानपाडा,	

(61) वैशाखरे,	(67) महाज,	(73) दुधानोली,
(62) मनवाली–टर्फ–खेडुल,	(68) पडाले,	(74) उमारोली खुर्द,
(63) पेनढारी,	(69) कोलोशी,	(75) खोपीवाली,
(64) उमरोली बुदर्क,	(70) जयगांव,	(76) मील्हे,
(65) ओजीवाल,	(71) कलामबाद (भोंडीवाले),	(77) गोरखागड
(66) मांदवत,	(72) खेवारे,	

2. नासिक जिले में निम्नः

(i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः (106) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

डिन्डोरी तहसील

(1) मोखनाल,	(37) नालेगांव,	(73) संगमनेर,
(2) भनवाड,	(38) विलवांडी,	(74) खेडले,
(3) डेहारे,	(39) रासेगांव,	(75) मवाडी,
(4) कारंजली,	(40) कोचारगांव,	(76) करंजवान,
(5) गंडोले,	(41) तिलहोली,	(77) डाहेगांव,
(6) पलासविहिर,	(42) रावलगांव,	(78) वागलूड,
(7) वारे,	(43) देहेर वाडी,	(79) कृष्णागांव,
(8) वनजोले,	(44) ढागुर,	(80) वारखेड,
(9) अम्बाद,	(45) देवसाने,	(81) कदवामहालुंगी,
(10) वनारे,	(46) सरसाले,	(82) गोंडेगांव,
(11) तितवे,	(47) करांजखेड,	(83) हतनोर,
(12) देवधान,	(48) पिंगलवाडी,	(84) नीलवांडी,
(13) नानाशी,	(49) इकलाहारे,	(85) पिंपलगांव केतकी
(14) चारोसे,	(50) चउसाले,	(86) राजापुर,
(15) देवघर,	(51) पिम्प्री अंचला,	(87) डिंडोरी,
(16) कौदासर,	(52) अहिवंतवाडी,	(88) जोपुल,
(17) वनी खुर्द	(53) गोलडारी,	(89) माडकी जाम्ब,
(18) पिंपलगांव धूम	(54) हास्ते,	(90) पालखेड
(19) जोरान,	(55) कोलहेरी,	(91) इन्दोर,
(20) महाजे,	(56) जिरवाडे,	(92) कोरहते,
(21) सदराले,	(57) चामदारी,	(93) चिंचखेड,
(22) नालवाडी,	(58) मालदुमाला,	(94) टालेगांव डिंडोरी,
(23) ओजे,	(59) मंडाने,	(95) अकराले,
(24) गोलशी,	(60) कोशिम्बे,	(96) मोहाडी,
(25) जलखेड,	(61) पुनेगांव,	(97) पिम्पसालानारे,
(26) निगडोल,	(62) पंडाने,	(98) खाटवाड,
(27) कोकानगांव बुर्दक,	(63) अंबानेर,	(99) रामसेज,
(28) उम्ब्राले खुर्द,	(64) चंदीकपुर,	(100) अम्बे डिंडोरे,
(29) अम्बेगान,	(65) भाटोडे,	(101) ढाकम्बे,
(30) चाचादगांन,	(66) दाहिवी,	(102) जानोरी,
(31) वाघाद,	(67) मुलाने,	(103) मानोरी,
(32) पोफलवाडे,	(68) कोकनगांव खुर्द,	(104) शिवनाई,
(33) धाउर,	(69) मालेगांव,	(105) वारवांडी,
(34) उम्बाले बुद्रुक,	(70) पिम्परखेड,	(106) जौलके डिंडोरी
(35) जम्बूतके,	(71) फोपासी,	
(36) पिम्पराज,	(72) वानी कास्बे,	

(ii) इगतपुरी तहसील के तिरानवे (93) गांव नीचे दर्शाए गए हैं तथा इगतपुरी तहसील में एक शहरः

(1) ढाडोशी,	(32) मेटेलयाची,	(63) मवाली खुर्द,
(2) भीलमाल,	(33) बितुरली,	(64) कालूस्ते,
(3) पाहिने,	(34) वालविहिर,	(65) जामुन्डे,
(4) जारवाड खुर्द,	(35) भलवी बुद्रुक,	(66) गाहुन्डे,
(5) टाकेहर्षा,	(36) पिंपलगांव मटाटा,	(67) भारवाज,
(6) असवाली हर्षा,	(37) कोपारगांव	(68) कारूंगवादी,
(7) समुन्दी,	(38) कुरनोली,	(69) निरपन,
(8) खारोली,	(39) ढारनोली	(70) मनजारगांव,
(9) कोजोली,	(40) वाकी,	(71) अम्बेवाडी,
(10) अवहाते,	(41) चिंचाले (खाइरे),	(72) खाडकेड,
(11) कुशेगांव,	(42) ट्रिंगलवाडी,	(73) इन्दोर,
(12) मेचन्द्रायची,	(43) अदवान,	(74) उम्बारकोन,
(13) अलवांड,	(44) अवालखेडे,	(75) सोमाज घादगा,
(14) दापुरे,	(45) पारदेरी,	(76) उभाडे (वंजुलवाजी),
(15) मेत हुम्बाची,	(46) बलायदूरी,	(77) मेगारे,
(16) जारवाड बुद्रुक,	(47) खम्बाला,	(78) बेलगांव तारहाले,
(17) महासुरली,	(48) टाके घोटी,	(79) धामनगांव,
(18) शेवगेडांग,	(49) घोटी बुद्रुक,	(80) देओले,
(19) वानजोले,	(50) तालेगांव (1),	(81) खैरगांव,
(20) देवगांव,	(51) गिरनार,	(82) पिम्पलगांव मोरे,
(21) अहुरली,	(52) तितोली,	(83) धामनी,
(22) नन्दादगांव,	(53) बोरटम्भे,	(84) अदसारे खुर्द,
(23) वावी हर्षा,	(54) तालोशी,	(85) अदसारे बुद्रुक,
(24) नागोसली,	(55) नन्दगांव साडे,	(86) अहारवाड,
(25) ढारगांव,	(56) पिंपरी सदरोद्दीन,	(87) ताकेड खुर्द,
(26) ओडंली,	(57) तालेघा,	(88) ताकेड बुद्रुक,
(27) सातुरली,	(58) कंचनगांव,	(89) खेड,
(28) अवाली डुमला,	(59) शेनवाड बुद्रुक,	(90) वारसिंगवे,
(29) कारहाले,	(60) फंगुलगांवन,	(91) सोनोशी,
(30) रायाम्बे,	(61) बोरली,	(92) मइदारा धानोशी,
(31) टाकेडेगांव,	(62) मानवेधे,	(93) वासाली

(iii) नासिक तहसील के सत्तर (70) गांव नीचे दर्शाए गए है तथा एक शहर त्रिम्बकः
नासिक तहसीलः

(1) साप्टे,	(15) ब्राह्मणवाडे त्रिम्बाक,	(29) तालेगांव त्रिम्बाक,
(2) कोने,	(16) तोरनानगान,	(30) पेगलवाडी त्रिम्बाक,
(3) खारवाल,	(17) धूमोदी,	(31) वाधोली,
(4) वरासविहिर,	(18) बेसे,	(32) उमरांडे,
(5) वघेरा,	(19) चकोरे,	(33) कालमुस्ते,
(6) रोहिले,	(20) अम्बोली,	(34) तिम्बार्क (ग्रामीण),
(7) नन्दगांव,	(21) अम्बाई,	(35) हर्षेवाडी,
(8) गोरथान,	(22) शीरासगांव,	(36) मेटघेराकिला त्रिम्बाक,
(9) हिरदी,	(23) तालवाडे त्रिम्बाक,	(37) मुलेगांव,
(10) मालेगांव,	(24) पिम्पलाड त्रिम्बाक,	(38) लादाची,
(11) वेलुन्जे,	(25) खामबाले,	(39) नाकवाडी,
(12) गणेशगांव वघेरा,	(26) सापगांव	(40) वेले,
(13) पिम्परी त्रिम्बाक,	(27) काचुरली,	(41) सादगांव,
(14) मेट कवारा,	(28) अंजनेरी,	(42) यादगांव,

(43) मनोली,	(53) जलालपुर,	(63) दूदगांव,
(44) ढोंडेगांव,	(54) सावरगांव,	(64) महिरावनी,
(45) दारी,	(55) गोवरधान,	(65) तालेगांव अंजानेरी,
(46) गिरनाते,	(56) शिवनगांव,	(66) जाटगांव,
(47) दुगांव,	(57) पिंपलगांव गरुडेश्वर,	(67) सारूल,
(48) देओरगांव,	(58) राजेवाडी,	(68) पिंपलाड नासिक,
(49) नागलवाडी,	(59) गंगावारहे,	(69) राजुबहुला,
(50) ओजारखेडी,	(60) गणेशगांव त्रिम्बाक,	(70) दहीगांव
(51) चांदशी,	(61) गणेशगांव नाशिक,	
(52) गंगम्हौंगी,	(62) वसाली,	

(iv) बागलान तहसील के सत्तावन (57) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

बागलान तहसील:

(1) बोरहाते,	(21) बाबुलने,	(41) पाठवेडीगर,
(2) मोहलांगी,	(22) मोरने–दिगर,	(42) तालवेडीगर,
(3) जैतपुर,	(23) बोरदइवत,	(43) मोरकुरे,
(4) गोलवाड,	(24) भीमखेत,	(44) किकवारी खुर्द,
(5) हतनूर,	(25) वाघम्बे,	(45) केलजार,
(6) मालीवाड,	(26) मनूर,	(46) ततानी,
(7) अम्बापुर,	(27) सालहेर,	(47) भीलडार,
(8) जाड,	(28) कटारवेल,	(48) किकवारी बुर्दुक,
(9) वीसापुर,	(29) भीलवाड,	(49) जोरान,
(10) शेवारे,	(30) तुंगन,	(50) साकोड़े,
(11) खाराड़,	(31) दसवेल,	(51) करांजखेड,
(12) वाड डिगार,	(32) जाखोड,	(52) डांग सौडाने,
(13) देवथान,	(33) मुंगासे,	(53) निकबेल,
(14) कोंधाराबाद,	(34) मावाडे,	(54) बन्धाते,
(15) अंतापुर,	(35) दसाने,	(55) दाहिन्डुले,
(16) रावर,	(36) मालगांव खुर्द,	(56) सरवार,
(17) जामोती,	(37) सालवान,	(57) वाडीचौलहेर
(18) अलिआबाद,	(38) पिसोर,	
(19) अजांडे,	(39) करसाने,	
(20) मुलहेर,	(40) विथोड,	

3. धूले जिले में निम्नः–

(i) सकरी तहसील के अस्सी (80) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

सकरी तहसील

(1) चौपाले,	(14) रायतेल,	(27) मेनडाने,
(2) रोथोड,	(15) ब्रहमणवेल,	(28) दापुर,
(3) जामखेल,	(16) आमखेल,	(29) रोहन,
(4) खूरूसवाडे,	(17) जाम्बोरे,	(30) जेबापुर,
(5) सुतारे,	(18) वारसस,	(31) अमोडे,
(6) धानेर,	(19) जामकी,	(32) किरवाडे,
(7) अमाले,	(20) रूनमाली,	(33) घोडाडे,
(8) माचमाल,	(21) वसखेडी,	(34) सुरपान,
(9) खांडवारे,	(22) डामकानी,	(35) कोरडे,
(10) रायकोट,	(23) सालटेक,	(36) वालव्हे,
(11) बुरूदके,	(24) दाहीवेल,	(37) विटावे,
(12) पानगांव,	(25) मोनगांव,	(38) कासबे छाडवेल,
(13) लागडवाल,	(26) बादगांव,	(39) बसार,

(40) इसारडे,	(54) कुदाशी,	(68) जीरापुर,
(41) पेंटाले,	(55) मनजारी,	(69) कोकनागांव,
(42) पिंपलगांव,	(56) मापालगांव,	(70) शेवागे,
(43) मोहाने,	(57) डांगशिरवाडे,	(71) धामानधार,
(44) तेम्भे, परगाने वारसे,	(58) बोपखेल,	(72) विरखेल,
(45) शिरसोले,	(59) शिव,	(73) पारगांव,
(46) उमारपीटा,	(60) खात्याल,	(74) मंडाने,
(47) मालगांव, परगान वारसे,	(61) वारदोली,	(75) बालहाने,
(48) खारगांव,	(62) काकसाद,	(76) देशिरवाडे,
(49) कालाम्बे,	(63) पानखेडे,	(77) काडयाल,
(50) चोरवाड,	(64) सामोडे,	(78) ढोगाड्गिगार,
(51) लाखाले,	(65) महासदी, परगने, पिम्पलनेर,	(79) शेलबारी,
(52) वारसे,	(66) पिंपलनेर,	(80) डेगांव
(53) शेनवाड,	(67) चिकासे,	

(ii) नंदुरबार तहसील व नंदुरबार शहर के बयासी (82) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

नंदुरबार तहसील

(1) मंगाडे,	(29) घिरासगांव,	(57) दहींडुले बुद्रुक,
(2) मंगलूर,	(30) धेकवाड,	(58) दहींडुले खुर्द,
(3) वसलाई,	(31) बिलाड़ी,	(59) कथोरे दिगर,
(4) अर्दितारा,	(32) खैराले,	(60) उमारदे खुर्द,
(5) धानोरा,	(33) खामगांव,	(61) चौपाले,
(6) पावले,	(34) नागासार,	(62) अखाराले,
(7) कोठडे,	(35) विरचक,	(63) वादबारे,
(8) उमज,	(36) टोकारटाले,	(64) अखातवाड़े,
(9) कोथाली खुर्द,	(37) वाघाले,	(65) हट्टी उर्फ इंडि,
(10) वदाजकान,	(38) ओजारदे,	(66) पलाशी,
(11) निंबोन बुद्रुक,	(39) अस्हते,	(67) घुली,
(12) जालखे,	(40) थानेपाडा,	(68) राकसवाडे,
(13) शिरवादे,	(41) अमरावे,	(69) वाघोडे,
(14) रनाले खुर्द,	(42) पथराई,	(70) पाटोंडे,
(15) नटवाड,	(43) धामदाई,	(71) हाल–टर्फ–हवेली,
(16) करांजवे,	(44) वारुल,	(72) खोडासगांव,
(17) शेजवे,	(45) अदाच्छी,	(73) शाहदे,
(18) पिंपलोड–टर्फ–धानोर,	(46) लोंखेडे,	(74) शिंदे,
(19) लोया,	(47) कराजकुपे,	(75) कोल्डे,
(20) वेलावाड,	(48) नालवे खुर्द,	(76) भगसारी,
(21) व्याहुर,	(49) सुंदारदे,	(77) धामदोड,
(22) धुलवाड,	(50) नालवे बुद्रुक,	(78) सवाल्दे,
(23) गुजर भवाली,	(51) दुधाले,	(79) कोरित,
(24) गुजर जम्बोली,	(52) नंदारखे,	(80) सुजातपुर,
(25) कर्णखेडे,	(53) भाने,	(81) तिशि,
(26) फुलसारे,	(54) वसादारे,	(82) धंधाने
(27) उमरदे बुद्रुक	(55) बावद,	
(28) नारायणपुर,	(56) चाकले,	

(iii) शाहदा तहसील के एक सौ इकतालीस (141), गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

शाहदा तहसील

(1) आकासपुर,	(3) वीरपुर,	(5) मूटा,
(2) नवागांव (वन ग्राम),	(4) दारा,	(6) कनसाइ (वन ग्राम),

(7) नन्दया कुसुमवाडे (वन ग्राम),	(52) काथारडे खुर्द,	(97) मंडाने,
(8) चिराडे,	(53) कलसाडी,	(98) अवागे,
(9) नागजिरि (वन ग्राम),	(54) धुरखेडे,	(99) तिखोरे,
(10) कुसुमवाडे,	(55) भाडे,	(100) उन्तावाद,
(11) नन्दया (वन ग्राम),	(56) पिगाने,	(101) होल,
(12) पिम्परानी,	(57) गानोर,	(102) मोहिडे–टर्फ–हवेली,
(13) रानीपुर (वन ग्राम),	(58) अदगांव,	(103) जुनवाने,
(14) फट्टेपुर,	(59) खारागांव,	(104) लोनखेडे,
(15) लक्कडकोट (वन ग्राम),	(60) कोचरारे,	(105) तेम्माली,
(16) कोटबन्धानी (वन ग्राम),	(61) बिलाडी–टर्फ–हवेली,	(106) होलगुजारी,
(17) पिम्पलोड,	(62) बहिरपुर,	(107) आसुस,
(18) कुड्डावाड,	(63) ब्राह्मणसपुर,	(108) बुपकारी,
(19) लाच्छोरे,	(64) सुल्तानपुर,	(109) मलोनी,
(20) कनाडी–टर्फ–हवेली,	(65) रायखेड,	(110) डोगंरगांव,
(21) शीरूद–टर्फ–हवेली,	(66) खेड दिगर,	(111) कोथाल–टर्फ–शहादा,
(22) अमोडे,	(67) नावलपुर,	(112) मटकुट,
(23) अलखेड,	(68) चांदसाइली,	(113) बोराले,
(24) पाडाल्डे बुद्रुक,	(69) गोदीपुर,	(114) कामरावद,
(25) बुदिगावन,	(70) पडालडे खुर्द,	(115) कहतुल,
(26) उमारती,	(71) भागा पुर,	(116) वादछिल,
(27) पिम्परी,	(72) जावखेडे,	(117) लोंधारे,
(28) महासवाद,	(73) सोनवाई–टर्फ–हवेली,	(118) उधालोड,
(29) अनकवाडे,	(74) कवालीथ,	(119) निम्बोरे,
(30) सुलवाडे,	(75) तुकी,	(120) धाड़रे बुद्रुक,
(31) तवलाई,	(76) सावरखेडे,	(121) चिरखान (वन ग्राम),
(32) मुबारकपुर,	(77) कारजोत,	(122) असलोड (नया) (वन ग्राम),
(33) वेलवाड,	(78) लोहारे,	(123) जैनघर,
(34) कलमाडी–टर्फ–बोअरडी,	(79) गोगापुर,	(124) धांद्रे खुर्द (वन ग्राम),
(35) वाडी,	(80) कुरांगी,	(125) मनमोडया (वन ग्राम),
(36) सोनावद–टर्फ–बोअरडी,	(81) तिधारे,	(126) दुतखेडे (वन ग्राम),
(37) थेंगचे,	(82) दमाल्डे,	(127) भोंगारा (वन ग्राम),
(38) जावाडे–टर्फ–बोअरडी,	(83) कालामंड–टर्फ–हवेली,	(128) वदाली,
(39) तारहाडी–टर्फ–बोअरडी,	(84) चिखाली खुर्द,	(129) कोंधावाल,
(40) वारघे,	(85) भारेटेक,	(130) मुलाने (वन ग्राम),
(41) पारी,	(86) श्रीखेडे,	(131) चांदसाइली (वन ग्राम),
(42) कोठाली–टर्फ–हवेली,	(87) ओजारटे,	(132) उमादगाड (वन ग्राम),
(43) औरंगपुर,	(88) उखालशेम,	(133) काकरडे खुर्द,
(44) चिखाली बुद्रुक,	(89) वघारदे,	(134) खापरखेडे (वन ग्राम),(135) मालगांव (वन ग्राम),
(45) करनखेडे,	(90) जाम,	(136) लंगादी भवानी (वन ग्राम),
(46) नन्दारडे,	(91) जवादे–टर्फ–हवेली,	(137) शहना (वन ग्राम),
(47) वैजाली,	(92) तितारी,	(138) काकरडे बुद्रुक,
(48) वाघोडे,	(93) होल मुबारकपुर (वन ग्राम),	(139) अम्भानपुर बुद्रुक,
(49) परकाशे,	(94) वडगांव,	(140) काटघर,
(50) धामलाड,	(95) पिम्पारदे,	(141) निम्बारडी (वन ग्राम)
(51) काथारेडे बुद्रुक,	(96) असलोड,	

(iv) शिरपुर तहसील के बासठ (62) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:–
शिरपुर तहसील:

(1) बोरपानी (वन ग्राम),	(22) खैरीखान (वन ग्राम),	(43) संगवी,
(2) मलकाटार (वन ग्राम),	(23) बोअरडी,	(44) हाटेड,
(3) फत्तेपुर (वन ग्राम),	(24) वसारदी,	(45) जेन्दया अन्जन,
(4) गधाडदेव (वन ग्राम),	(25) नन्दारदे,	(46) पलासनेर,
(5) कोडिड (वन ग्राम),	(26) चान्दसे,	(47) खाम्बले,
(6) गुरहाडपानी (वन ग्राम),	(27) वाडी बुद्रुक,	(48) पानाखेड (वन ग्राम),
(7) भुदाकी (वन ग्राम),	(28) वाडी खुर्द,	(49) खेंरखुटी (वन ग्राम),
(8) वाघपाडे (वन ग्राम),	(29) जालोड,	(50) जोयादा (वन ग्राम),
(9) सइगारपाडा (वन ग्राम),	(30) अमानपुर खुर्द,	(51) चिलारे (वन ग्राम),
(10) मंजरीबुरदी (वन ग्राम),	(31) तारहाड,	(52) लकड्या हनुमान (वन ग्राम),
(11) चौंडी (वन ग्राम),	(32) उखालवाडी,	(53) महादेव डोंडवाडे (वन ग्राम),
(12) भुदाकी (वन ग्राम),	(33) मुखेड,	(54) मालापुर (वन ग्राम),
(13) चंदसुरया (वन ग्राम),	(34) नीमजारी,	(55) रोहिणी,
(14) बोरादी (नया) (वन ग्राम),	(35) वरजाडी,	(56) भोइती,
(15) काकडमल (वन ग्राम),	(36) वाघबारदा,	(57) अम्बे,
(16) वाकवाड (वन ग्राम),	(37) समरयामापद,	(58) खामखेडे परगने अम्बे,
(17) उमरदा (वन ग्राम),	(38) लउकी,	(59) हिवारखेडे (वन ग्राम),
(18) डुराबड्या (वन ग्राम),	(39) सूले (61),	(60) हिगांव,
(19) मोहिडे (वन ग्राम),	(40) फत्तेपुर,	(61) वाडेल खुर्द,
(20) डोंडवाडा (वन ग्राम),	(41) हेदाखेड,	(62) कालापानी (वन ग्राम)
(21) तेम्भा (वन ग्राम),	(42) अरूनपुरी बांध (अवानकीकृत),	

3. **जलगांव जिले में निम्नलिखित:–**

(क) (i) चोपड़ा तहसील के पच्चीस (25) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
चोपड़ा तहसील

(1) मराठा (वन ग्राम),	(10) वैजापुर (वन ग्राम) (54),	(19) कुंडयापानी (वन ग्राम),
(2) मूरढिडा (वन ग्राम),	(11) बोराजन्ती (वन ग्राम),	(20) इच्छापुर परगने अडवाड़
(3) उमारती (वन ग्राम),	(12) मालापुर (वन ग्राम),	(21) बधावानी,
(4) सत्रसेन (वन ग्राम),	(13) बोरामाली (वन ग्राम),	(22) बधाई,
(5) कृष्णपुर (वन ग्राम),	(14) करजाने (वन ग्राम),	(23) कनदाने,
(6) अंगुरने,	(15) मेलान (वन ग्राम),	(24) मोहराद,
(7) खारया पडव (वन ग्राम),	(16) विशनपुर (वन ग्राम),	(25) असालवाडी (वन ग्राम)
(8) वैजापुर (राजस्व) (52),	(17) देवहारी (वन ग्राम),	
(9) मुलुयाउत्तर (वन ग्राम),	(18) देवजिरि (वन ग्राम),	

(ii) यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
यावल तहसील

(1) मानापुरी,	(6) हरिपुरा (वन ग्राम),	(11) जामन्या (वन ग्राम),
(2) टोलाने,	(7) वाघाजीरा (वन ग्राम),	(12) गदरया (वन ग्राम),
(3) खालकोट,	(8) प्रसादे बुद्रुक,	(13) उसमाली (वन ग्राम)
(4) इचखेडे,	(9) बोरखेड़े खुर्द,	
(5) मलोद,	(10) लांगदा अम्बा,	

(iii) रावेर तहसील के इक्कीस (21) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
रावेर तहसील

(1) महुमांडली (वन ग्राम),	(4) तड्या (वन ग्राम),	(7) जानोरी,
(2) पिम्परकुंड (वन ग्राम),	(5) निमड्या (वन ग्राम),	(8) चिनचाती,
(3) अन्धारमालि (वन ग्राम)	(6) गारबारदी (वन ग्राम),	(9) पाल,

(10) मारव्हाल, (11) जिनसी, (12) सहसरालिंग (वन ग्राम), (13) लालमाटी (वन ग्राम),	(14) अवहोडे बुद्रुक, (15) लोहारे, (17) कुसुम्बे खुर्द, (18) पिम्परी,	(19) मोहगांन बुद्रुक, (20) पडाले बुद्रुक, (21) महुमांडली (पुराना) (विरान)

5. **अहमदनगर जिले में निम्नलिखितः–**

(क) अकोले तहसील के चौरानबे (94) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:–

अकोले तहसील

(1) तिरधे,	(33) सिगनवाडी राजुर,	(65) गोंडोशी,
(2) पडोशी,	(34) मुरशेट,	(66) खादकी,
(3) महाजुंगी,	(35) शेंडी,	(67) साकिरवाडी,
(4) एकडारे,	(36) समराड,	(68) पचनाई,
(5) संगावी,	(37) भंडारडारा,	(69) चिंचवाने,
(6) केली रूमहानवाडी,	(38) रानाड बुद्रुक,	(70) पदालने,
(7) बिताका,	(39) रानाड खुर्द,	(71) शेलाद,
(8) खिरवीरे,	(40) मालेगांव,	(72) पिम्परी,
(9) कोम्भालने,	(41) कोहोन्डी,	(73) घोटी,
(10) तहकारी,	(42) दिगम्बर,	(74) पैथान,
(11) समशेरपुर,	(43) गुहिरे,	(75) लवाली कोतुल,
(12) सावरगांव पाट,	(44) कतालपुर,	(76) वाघदारी,
(13) मुथालने,	(45) रतनवाडी,	(77) शिलवांडी,
(14) बारी,	(46) मुतखेल,	(78) कोहोने,
(15) वारंघुसी,	(47) तेरूंगन,	(79) लिवाली ओतुर,
(16) लाडागांव,	(48) राजुर,	(80) ताले,
(17) शेनित,	(49) विथे,	(81) कोथाले,
(18) पाभुलवांडी,	(50) कोल्टेम्भे,	(82) सोमलवाडी,
(19) बाभुलवांडी,	(51) केलुंगन,	(83) विहिर,
(20) अंबेवांगन,	(52) जामगांव,	(84) शिंडा,
(21) देवगांव,	(53) शिरपुंजे बुद्रुक,	(85) अम्बित खिंड,
(22) पेंडशेट,	(54) सवारकुटे,	(86) पालसुंडे,
(23) मानहेरे,	(55) कुमशेट,	(87) पिसेवाडी,
(24) शेलविहीरे,	(56) शिरपुंजे खुर्द,	(88) फोपसांडी,
(25) पंजारे,	(57) घामनवन,	(89) सातवाडी,
(26) चिनचोंडी,	(58) अम्बित,	(90) केली ओतुर,
(27) वाकी,	(59) बालथान,	(91) केली कोतुल,
(28) तितावी,	(60) मानिक ओजार,	(92) खेतेवाडी,
(29) पिंपरकाने,	(61) पुरूचवाडी,	(93) इसारथाव,
(30) उदादावाने,	(62) मवेशी,	(94) करांडी
(31) कोदानी,	(63) शिसवाद,	
(32) घाटघर,	(64) वापजुलसेत,	

6. **पुणे जिले में निम्नलिखितः–**

(i) अम्बेगांव तहसील के छप्पन (56) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

अम्बेगांव तहसील

(1) डोन,	(6) नहावेद,	(11) वरसावने,
(2) पिम्पराागाने,	(7) असाने,	(12) कोंढारे,
(3) अघाने,	(8) मलीन,	(13) आदिवारे,
(4) अहूपे,	(9) नानावाडे,	(14) बोरघर,
(5) तिरपाड,	(10) अमाडे,	(15) पाटन,

(16) कुसीरे खुर्द,	(30) कोन्ढावाल,	(44) पोखारी,
(17) पंचाल बुद्रुक,	(31) फुलवाडे,	(45) गोहे बुद्रुक,
(18) कुसीरे बुद्रुक,	(32) फलोडे,	(46) निगाडाल,
(19) दिगाद,	(33) कोलटावाडे,	(47) गोह खुर्द,
(20) पंचाल खुर्द,	(34) तेरूनगांव,	(48) अपाती,
(21) महिलुंगे–टर्फ–अम्बेगांव,	(35) दिम्मे बुद्रुक,	(49) गंगापुर खुर्द,
(22) सवारली,	(36) महालुंगे–टर्फ–घोडा,	(50) अमोंडी,
(23) मेघोली,	(37) राजपुर,	(51) कनासे,
(24) वाचपे,	(38) चिखाली,	(52) गंगापुर बुद्रुक,
(25) साकेरी,	(39) राजेवाडी,	(53) सिनोली,
(26) पिम्परी,	(40) सूपघर,	(54) पिम्पालगाव–टर्फ–घोडा,
(27) अम्बेगांव,	(41) तालेघर,	(55) साल,
(28) जाम्मोरी,	(42) मापोली,	(56) ढाकले
(29) कालम्बाई,	(43) डिम्मे खुर्द,	

(i) जुन्नार तहसील के पैंसठ (65) गांव नीचे दर्शाए गए हैंः–

जुन्नार तहसील

(1) चिल्हेवाडी,	(23) हदसर,	(45) वानेवाडी,
(2) अम्बेहवहन,	(24) देवाले,	(46) अपटाले,
(3) जामभूलशी,	(25) खाइरे,	(47) कोली,
(4) खिरेश्वर,	(26) घाटघर,	(48) शिवाली,
(5) माथालाने,	(27) जलवांडी,	(49) उतचिल,
(6) कोल्हेवाडी,	(28) हिरदी,	(50) बोटा,
(7) कोपारे,	(29) उनदेखादक,	(51) धालेवाडी–टर्फ–मिनहर,
(8) मंडावे,	(30) राजुर,	(52) भिवाडे बुद्रुक,
(9) सिंगनोरे,	(31) खाटकाले,	(53) इंगालून,
(10) आलू,	(32) मणिकडोह,	(54) भिवाडे खुर्द,
(11) खूबी,	(33) खाड कुम्बे,	(55) घंगालडारे,
(12) पिम्पालगांव जोगा,	(34) उरसान,	(56) सोनावाले,
(13) कारंजाले,	(35) वेवादी,	(57) ताम्बे,
(14) माध,	(36) तेजुर,	(58) हिवारे–टर्फ–मिनहेर,
(15) पांगरी–टर्फ–माध,	(37) फंगलघावन,	(59) हतविज,
(16) कोलवाडी,	(38) चावन्द,	(60) अम्बे,
(17) परगांव–टर्फ–मोध,	(39) पुर,	(61) पिंपरवाडी,
(18) तालेरान,	(40) खानगांव,	(62) सुकालवधे,
(19) सीतेवाडी,	(41) मानकेश्वार,	(63) गोदरे,
(20) वटखाले,	(42) सुराले,	(64) खामगांव,
(21) निमगिर,	(43) अम्बोली,	(65) सोमतवाडी
(22) अनजानवाले,	(44) शिरोली–टर्फ–कुकादनेर,	

7. नान्देड़ जिले में निम्नलिखितः–

किंवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन (152) गांव व किंवत कस्बा, जोकि नीचे उल्लिखित हैं:

(1) तकली,	(8) गोण्डेगांव	(15) डिगडी (कुटेमार),
(2) पदसा,	(9) मदनापुर (महोर),	(16) वाई,
(3) सायपाल,	(10) बोंडगांवन,	(17) हरदाप,
(4) मुरली,	(11) उमरा,	(18) नाइकवाडी,
(5) वादसा,	(12) मछन्द्रा पारदी,	(19) हिन्गानी,
(6) कोली,	(13) करालगांव,	(20) वाजरा,
(7) अश्ता,	(14) सावरखेड,	(21) तुलशी

(22) गोंडवाडसा,	(66) पिंपलगांव (सिंदखेड़),	(110) चिखाली,
(23) अंजानखेड,	(67) डोंगरगांव (सिंदखेड),	(111) हुदी (चिखली),
(24) भोराड़,	(68) जरूर,	(112) एन्धा,
(25) चौराड़,	(69) मिनकी,	(113) मूलजा,
(26) धनोरा (सिंदखेड),	(70) पचुण्डा,	(114) डारसंगवी,
(27) रामपुर,	(71) वनोला,	(115) मालकवाडी,
(28) पाथरी,	(72) साकुर,	(116) पेन्डा,
(29) खाम्बला,	(73) मैंडकी,	(117) परधी खुर्द,
(30) पारदी,	(74) डिगडी (मोहनपुर),	(118) केरल,
(31) सिन्दखेड,	(75) धानोरा (डिगडी),	(119) डेगांव,
(32) सिंचखेड,	(76) मोहापुर,	(120) लिंगधारी,
(33) हटोला,	(77) मुंगशी,	(121) परदी बुद्रुक,
(34) वाइफानी,	(78) सिंगदी (किनवत),	(122) बोधादी खुर्द,
(35) धुंद्रा,	(79) मालबोरगांव,	(123) बोधादी बुद्रुक,
(36) गउरी,	(80) नेजपुर,	(124) सिंदगी (चिखली),
(37) बोथ,	(81) राजगड,	(125) अंधाबोरी (चिखली),
(38) सइलू,	(82) वडोली,	(126) कोपारा,
(39) करन्जी (सिन्दखेड),	(83) अनजी,	(127) पीपर फोडी,
(40) भगवती,	(84) कनकवाडी,	(128) पटोडा (चिखली),
(41) वाराज बुद्रुक,	(85) लोनी,	(129) पिपरी,
(42) उमरी,	(86) धामनधारी,	(130) धानोरा (चिखली),
(43) उनकदेव,	(87) पंधारा,	(131) सवारी,
(44) चाइस,	(88) बेल्लोरी,	(132) धारा,
(45) पिंपलसेंडा,	(89) मारेगांव,	(133) पोथ रेड्डी,
(46) सरखानी,	(90) कमथाला,	(134) सिगारवाडी,
(47) देलही,	(91) अम्बादी,	(135) अन्जेगांव,
(48) निराला,	(92) खेरदा,	(136) मंडारवाडी,
(49) नूरगांव,	(93) मलकापुर,	(137) जलधारा (चद्रपुर),
(50) टिट्वी,	(94) घोती,	(138) बेलोरी (चिखली),
(51) लिंगी,	(95) सिरमेत्ती,	(139) मालकोलारी,
(52) नागपुर,	(96) भीमपुर,	(140) डिगरास,
(53) जुनुनी,	(97) पिंपलगांव (किनवत),	(141) डोंगरगांव (चिखली),
(54) दिगदवाजरा,	(98) धोगारवाडी,	(142) शिवोनी (चिखली),
(55) डारसांगवी (सिंदखेड़),	(99) गोकुंडा,	(143) परोटी,
(56) सिंगोडा,	(100) माण्डवा (130),	(144) स्वरगांव,
(57) सिरपुर,	(101) डिग्डी (मंगाबोडी),	(145) जलधारा (इस्लापुर),
(58) वेम्भी,	(102) नागजरी,	(146) कोठारी,
(59) पटोड़ा बुद्रुक मिनको,	(103) कोठारी (चिखली),	(147) हुड्डी (इस्लापुर),
(60) मांडवी,	(104) प्रधान संगवी,	(148) करांजी (इस्लापुर),
(61) जवारला,	(105) बेन्डी,	(149) कुपटी खुर्द,
(62) पालसी,	(106) अमाडी,	(150) कुपटी बुद्रुक,
(63) बेलगांव,	(107) मदनापुर (चिखली),	(151) वागधारी,
(64) कनकी,	(108) शानीवार पेठ,	(152) तलारी
(65) कोठारी (सिंदखेड),	(109) दमादी,	

8. अमरावती जिले में निम्नलिखितः–
चिखलाधार और धरनी तहसीलें

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखितः–

(i) मारेगांव तहसील के 130 गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

मारेगांव तहसील

(1) घोगुलदारा	(45) पालागांव	(89) मांडिव
(2) शिओनाला	(46) बोटोनी	(90) जुनोनी
(3) बुरांडा	(47) गिर्जापुर (वन ग्राम)	(91) पारम्भा
(4) पहपल	(48) पछपोहर	(92) पोखरनी (वन ग्राम)
(5) कान्हलगांव	(49) अम्बेजारी	(93) पिवारदोल
(6) खेकडवाई	(50) रोहपात	(94) मोराद (वन ग्राम)
(7) घोदाधारा	(51) रायपुर	(95) चिखालदोह
(8) नरसाला	(52) सगनपुर	(96) मुल्गावान
(9) धामनी	(53) हिवारा बरसा	(97) भीमनाला
(10) मदनापुर	(54) रामपुर	(98) चटवान
(11) बोरी खुर्द	(55) कातली बोरगांव	(99) अराइकवाड़
(12) पिस्गांव	(56) पारदी (116)	(100) गवारा
(13) वड़गांव (40)	(57) शिबला	(101) माथार्जुन
(14) फिसकी (वन ग्राम)	(58) चियाली (वन ग्राम)	(102) महदापुर
(15) मालेवाड़ी	(59) बोरगांव (वन ग्राम)	(103) पंधारवानी
(16) पथारी (51)	(60) पेंधारी	(104) देमाद देवी
(17) चिंचाला,	(61) अर्जुनी	(105) मंडवा
(18) पंधार्कवाला (53)	(62) कागांव	(106) डोंगारगांव (वन ग्राम)
(19) खर्दा (वन ग्राम) (54)	(63) रजनी	(107) दमाड़ी
(20) पिम्प्रद (वन ग्राम)	(64) माजरा	(108) उमरी (192)
(21) फपरवाड़ा	(65) गंगापुर (वन ग्राम)	(109) मुधाती
(22) सालाभट्टी (वन ग्राम)	(66) मोइकुंड (वन ग्राम)	(110) द्यसोदी
(23) दोलदोंगरगांव	(67) वाधोना	(111) कोंडपखिंडी
(24) मचिन्द्रा	(68) सुसारी	(112) मंगरुल खुर्द
(25) पंडविहोर	(69) सुरला (131)	(113) मंगरुल बुदुर्क
(26) जाल्का	(70) गोदानी	(114) गोपालपुर
(27) पंधारदेवी (वन ग्राम)	(71) निमानी	(115) रामपेठ
(28) अम्बोरा (वन ग्राम)	(72) दरारा	(116) चालबरडी
(29) चिंचोनी बोटोनी	(73) आसन	(117) जामनी
(30) अवंलगांव (वन ग्राम)	(74) जागलोन	(118) शिरोला
(31) कान्हलगांव (85)	(75) जामकोला	(119) अदकोली
(32) खारीगांव (86)	(76) इसापुर	(120) खालकलोह
(33) सराती	(77) किलोना	(121) बिरसापेठ
(34) बुरांडा (88)	(78) उमरघाट	(122) मुछी
(35) दुर्गादा	(79) वल्लासा	(123) मारकी बुदुर्क
(36) वागधारा	(80) जुनोनी (वन ग्राम)	(124) मारकी खुर्द
(37) मेंधानी	(81) लेंचोरी	(125) गणेशपुर
(38) घानपुर	(82) चिंचघर	(126) पवनार (वन ग्राम)
(39) खंडानी	(83) अम्बिजारी खुर्द	(127) कृष्णपुर (वन ग्राम)
(40) खापी	(84) अम्बेजारी बुदुर्क	(128) खेकाड़ी (वन ग्राम)
(41) उच्चातदेवी (वन ग्राम)	(85) करगांव खुर्द	(129) शेकापुर
(42) मारेगांव (वन ग्राम)	(86) निम्बादेवी	(130) यिओती
(43) खंडानी	(87) टेम्फी	
(44) महासदोदका	(88) कुंडी	

(ii) रालेगांव तहसील के तैंतालीस (43) गांव नीचे दर्शाए गए हैं :
रालेगांव तहसील

(1) लोहारा	(16) तेजानी	(31) उमरविहिर
(2) एकलारा	(17) अंजी	(32) अदनी
(3) सोनेर्डी	(18) लोनी	(33) खटारा
(4) वाटखेड	(19) बोराती (वन गांव)	(34) मुंजाला
(5) जलका	(20) साराती	(35) पलासकुन्ड
(6) वार्हा	(21) खैरगांव कसार	(36) वीरगांव
(7) पिंपारी दुर्ग	(22) वारधा	(37) खैर गांव
(8) मांडवा	(23) मुलगद	(38) देवधारी
(9) कोलवान	(24) पिंपलाशेंडा (75)	(39) सिंगल दीप
(10) शोइत	(25) अतमुर्दी	(40) सोनुर्ली
(11) वरुद	(26) सावरखेड	(41) सिन्दोला
(12) बुकाई	(27) चोंधी	(42) जोतिगदारा
(13) जरगद	(28) वधोड़ा	(43) साखी खुर्द
(14) खादकी सुकली	(29) खेमकुन्ड	
(15) डोंगरगांव	(30) पार्डी (वन गांव)	

(iii) केलापुर तहसील में निम्नलिखित 103 गांव नीचे दर्शाए गए हैं और पन्धार्कवाड़ा कस्बाः

(1) मोदारी	(31) पटोडा	(61) खैरगांव (348)
(2) जोगीन कोहला	(32) पहापल	(62) पाधे
(3) मीरा	(33) नागजारी खुर्द	(63) निलजई
(4) जीरा	(34) बहततार	(64) मारगांव(352)
(5) घोद्दारा (वन ग्राम)	(35) सुसारी	(65) अमोरा
(6) साखी बुदुर्क	(36) नईकसुकली (वन गांव)	(66) डोंगरगांव (358)
(7) वधोना खुर्द	(37) पेधारी	(67) पिंपारी (353)
(8) जोलापुर (वन ग्राम)	(38) पिल्पाली	(68) खैरगांव (360)
(9) कराजी	(39) डोंगारागांव (308)	(69) मुची
(10) वधोना बुदुर्क	(40) बेथ	(70) मगुर्दा
(11) तिवसाला (वन ग्राम)	(41) माले गांव खुर्द (वन गांव)	(71) पंधारवानी बुदुर्क (वन गांव)
(12) कोथाड़ा	(42) हिवारदारी (वन गांव)	(72) कोंधी
(13) सुरदेवी	(43) मालागांव बुदुर्क (वन गांव)	(73) वेदार
(14) चनई	(44) दरियापुर	(74) बागी
(15) असोली	(45) पिल्वाहरी	(75) घनमोडे
(16) मोहादा	(46) अर्ली	(76) नन्दगांव
(17) कारेगांव (163)	(47) हिवरी	(77) गणेशपुर (370)
(18) चिखालदारा	(48) पिंपालशेंडा (333)	(78) टाटापुर
(19) कृष्णापुर	(49) कारेगांव (334)	(79) जुन्जापुर
(20) दाभा	(50) वाडवत	(80) गेंडवाकाडी
(21) मोरवा	(51) खैरी (336)	(81) चलबर्दी
(22) खैरगांव (199)	(52) घुवाडी	(82) बेलुरी
(23) वघोली	(53) कोंघारा	(83) टादुमारी
(24) कुसल	(54) सखरा बुदुर्क	(84) बरगांव (377)
(25) चोपन	(55) धारना	(85) अकोली बुदुर्क
(26) मल्कापुर (वन गांव)	(56) मांगी (343)	(86) महानदोली
(27) केगांव	(57) ढोकी (344)	(87) सखारा
(28) वादनेर	(58) वायी	(88) मराठवाकाडी
(29) जुली	(59) पिंपालपुर	(89) ढोकी (382)
(30) माद उमारी	(60) गणेशपुर (347)	(90) वल्लारपुर

(91) टोकवनजारी (92) वानजारी (382) (93) खारीगांव बुदुर्क (94) टिमभी (95) राधापुर (वन गांव)	(96) पिखाना (वन गांव) (97) वासारी (98) अन्धारवाडी (99) येदलापुर (वन गांव) (100) चनाखा	(101) निमधेली (102) रुधा (103) सुकली

(iv) घतांजी तहसील के पचपन (55) गांव नीचे दर्शाए गए हैं :
घतांजी तहसील

(1) मारवेली (2) रजुरवाडी (3) लिंगी (4) कोली खुर्द (5) कोली बुदुर्क (6) रामपुर उन्धार्नी (7) कापशी (8) डेटोडी (9) गुधा (10) वारुड (240) (11) जपारवाडी (12) उमरी (242) (13) पलोडी (14) कोपरी (244) (15) घोटी (16) बुडाडी (17) मुधाटी (वन गांव) (18) जलान्द्री (19) मनुसधारी	(20) अयाते (21) काप (22) कवाथा बुद्रुक (23) बिलायत (24) खादकी (260) (25) चिमटा (26) कोपरी खुर्द (27) चिंचोली (268) (28) किंघी (वन गांव) (269) (29) गवारा (वन गांव) (30) टिटवी (31) मुरादगवन (वन गांव) (32) पिंपाल खुटी(वन गांव) (33) खरोनी (वन गांव) (34) वधोना (35) डोर्ली (36) राहती (37) रासा (वन गांव) (38) जताला	(39) चिखालवर्धा (40) तड़–सवाली (41) सैफल (42) नागेजरी बुदुर्क (43) कवाथा(वन गांव) (44) पारवा (45) मझाडा (46) पार्दी (47) जम्ब (48) कालेश्वर (49) शेराद (50) धुंकी (वन गांव) (51) मथानी (वन गांव) (52) राजागांव (वन गांव) (53) खापरी (वन गांव) (54) होनेगांव (55) गनेरी

10. गढ़चिरोली जिले में निम्नलिखित:

(क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धनोरा, कुरखेडा तहसील

(ख) (i) गढ़चिरोली तहसील के बासठ (62) गांव नीचे दर्शाए गए हैं :
गढ़चिरोली तहसील :

(1) नावगांव (636) (2) चाक चुरचुरा (3) कुराधी (4) चाक मउसी (5) मरमेडी (6) बोथेडी (7) पेलनदुर (8) गिलगांव (658) (9) चाक खरपुर्डी (10) जपरा (11) चाक धिबाना (12) मेरेउमबोडी (13) कुरकेडी (14) खुरसा (15) वीजापुर (16) सोनापुर (17) मोंधा (680) (18) सावरगांव (683),	(19) कनरी (20) पुलखाल (21) मुदजा बुदुर्क (22) मुदजा तुकुम (23) करुपाला (24) मसली (25) रणमूमि (26) चन्द्राला (27) रणमोल (28) कुम्मी पत्व (29) कुम्मी मोकासा (30) मादे मुल (31) मारोदा (32) कोसामघाट (33) रायपुर (718) (34) रवानजोरा (35) पेकिनकासा (36) सवेला	(37) सुईमारा (38) सखेरा (39) कर्कजारा (40) कन्हलगांव(725) (41) केलीगाटा (42) तोहागांव (43) राजनगुद्दा (44) बनोली (45) सूर्यडोंगरी (46) सलाईटोला (47) विटानटोआ (48) पोटेगांव (49) रजोली (734) (50) म्रदास (51) जालेर (52) दैवापुर (53) रामगाड (738) (54) गावलहेटी

(55) डेउडा	(58) जामगांव	(61) नागवेली
(56) खरादगुडा	(59) खाडसी	(62) जालेगांव
(57) तालकुडा	(60) कोरकुटी	

(ii) अरमोरी तहसील के चौहत्तर (74) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

अरमोरी तहसील

(1) कोरागांव (6)	(26) चाक केरपाडा	(51) पिसेवाडढा
(2) कालमगांव	(27) लोहारा (78)	(52) परासवाडी (113)
(3) कुरल	(28) चाक सोनपुर	(53) डवाडी
(4) सलेडा तुकाम	(29) हिरापुर (80)	(54) खादकी (115)
(5) सलेडा लाम्बा	(30) डोंगर तामसी	(55) माकरांडी
(6) कसारी तुकाम	(31) सियानी खुर्द	(56) नरोती मालगुजार
(7) कसारी गांव	(32) चावहेला	(57) कारेगांव (119)
(8) शिवराजपुर (29)	(33) मोहाताला चाक कुकोडी	(58) वारखेड़ा
(9) पोटेगांव (30)	(34) मेंधा (89)	(59) खराडी
(10) विहिरगांव (33)	(35) डोंगारतमसी	(60) मंशी
(11) पिपांलगांव	(36) नगरवाडी	(61) डोर्ली
(12) अरात–तोन्डी	(37) चाक नरोती	(62) वनारचुवा
(13) डोंगारगांव (हलाबी)	(38) चाक कुरोंडी	(63) जममाली (127),
(14) प्लासगांव (43)	(39) वाडेगांव	(64) मिंधा(128),
(15) नवारगांव	(40) थोटीबोडी	(65) नारचोली
(16) पाथरगोटा (49)	(41) देलवांडी	(66) खेहारी
(17) मगेवड़ा	(42) मेनापुर	(67) मारगांव पेच
(18) अर मोरी	(43) कोसारी	(68) मारगांव (140)
(19) सलमारा	(44) मनगोडा	(69) चाक मारगांव
(20) थानेगावं	(45) तुलतुली	(70) चाक चिंचोली
(21) पटानवेड़ा	(46) चकनागारवाही	(71) मुसी खम्ब
(22) पुरानवैरागड	(47) विहिरगांव	(72) बेलगांव (144),
(23) देउलगांव (69)	(48) कुरांडी	(73) चिचोली (145),
(24) सुकला	(49) उमारी	(74) वानखेड़ा
(25) मोहाजारी उर्फ सखारखेडी	(50) यंगाडा	

(iii) चामरोशी तहसील के एक सौ बत्तीस (132) गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

चामरोशी तहसील :

(1) सगानपुर (758)	(17) रावनपल्ली	(33) जंगामरकुरल
(2) बनढोना (764)	(18) सोनापुर	(34) फियूजर
(3) गिलगांव (765)	(19) डरर्ली	(35) दिकानी
(4) भिंडी कनाल (771)	(20) रेखागांव	(36) चाक मुदोली न.2,
(5) दातारी	(21) येदानूर	(37) लक्ष्मणपुर
(6) चाइट कनवर	(22) पेलसानपेथ	(38) सगानपुर (829)
(7) कालमगांव	(23) पन्धारी भटाल	(39) अम्बोली
(8) कुरुड	(24) राजनगेट्टा	(40) गहुबोदी
(9) मालेर,	(25) चाक अमरगांवन.1(809)	(41) छाक नारायणपुर संख्या 1
(10) कुलेगांव	(26) मुतनूर	(42) छाक नाराणपुर संख्या 2
(11) नाचनगांव	(27) अबापुर	(43) राजुर बुद्रक
(12) भादमिद (788)	(28) मुरानदेपी	(44) भादबिड (835),
(13) वालसारा	(29) लिनगुडा	(45) मांगेर
(14) चाक बिसापुर	(30) अदयल	(46) चिंचापल्ली
(15) जोगाना	(31) कर्कापल्ली	(47) वानारचुवा
(16) मुरमुरी	(32) चाक कर्कापल्ली	(48) जयरामपुर

(49) वाइगांव	(77) छाक मेड आमगांव सं.2	(106) मालेरा
(50) नाराणपुर	(78) तुमडी	(107) बसारवाड़ा
(51) राजुर खुर्द	(79) गिरगाडी	(108) चापराला
(52) हलदवाही	(80) माकेपल्लि मालगुजारी	(109) छइदमपट्टी
(53) मुधौली	(81) बोरघाट	(110) मुकाडी(वन गांव)
(54) कोठारी (845)	(82) अस्टी नोकेवाडा	(111) फुस्की
(55) बम्हानी देव	(83) ब्राहमणपेठ	(112) सिगनपल्ली
(56) सोमनपल्ली	(84) बेंगानूर	(113) धामनपुर
(57) कान्हलगांव (848)	(85) नोकेवाडा	(114) कोठारी (930)
(58) सिंगेला	(86) अल्लापल्ली	(115) अम्बाटपाल्लि
(59) बेलगाट्टा	(87) रेगेवाही	(116) गोमानी
(60) पेठताला	(88) कोलपल्ली	(117) लागमहेट्टी
(61) छाक पेठताला सं. 1,	(89) अम्बेला (वन गांव)	(118) दामनपुर
(62) पारादीदेव	(90) गाट्टा (वन गांव)	(119) बन्दुकपल्ली
(63) यादवपल्ली	(91) अडगेपल्लि	(120) कोडीगांव
(64) राजपुर (856)	(93) येल्लूर	(121) चिचेला
(65) जाम्मालीस्थि	(94) थाकरी	(122) नागुलवाही
(66) मेटेगुडा	(95) राजगट्टा (908)	(123) छितुगुंहा
(67) छाक बेलगत्ता	(96) लोहरा	(124) तुमुगुडा
(68) मांजी गांव	(97) मुकारीटोला	(125) माछिनगट्टा
(69) मच्छालीघोट	(98) मोलखांडी (वन गांव)	(126) येल्ला
(70) छाक माक्केपल्लि सं.4	(99) हेतलकासा	(127) टिकपाल्ली
(71) दुर्पन गुडा	(100) बोलपल्ली	(128) मारपाल्ली
(72) छाक माक्केपल्लि सं.2	(101) पुलीगुड्म	(129) जामगांव
(73) छाक माक्केपल्लि सं.3	(102) कुनधादा	(130) कुलथा
(74) गारांजी	(103) कोलसापुर	(131) रामपुर
(75) छाक मेड आमगांव	(104) गंगापुर	(132) लागम चक
(76) छाक मेड आमगांव सं.1	(105) चंदन खेड़ी	

11. चन्द्रपुर जिले में निम्नलिखितः

राजुरा तहसील के एक सौ बयासी (182) गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

राजुरा तहसील :

(1) पारसौदा	(18) शिवपुर	(35) शिंगार पारार
(2) रायपुर	(19) चौपान	(36) लम्बोरी
(3) कोथोडा खुर्द	(20) करमवौडी	(37) सेदवई
(4) गोविंदपुर	(21) कुकुलवोंडी	(38) नरपाथर
(5) कोथोडा बुद्रक	(22) टीपा	(39) कोदापुर
(6) मेंहदी	(23) मंगुलहीरा	(40) घरपाना
(7) पर्दी	(24) खादकी (27),	(41) नाकेवाडा
(8) जैवरा	(25) जमुलधारा (28),	(42) गुडसेल
(9) चनाई खुर्द	(26) वोरगांव बुद्रक	(43) वानी
(10) अकोला	(27) वोरगावं खुर्द	(44) केकाजारी
(11) कोरपाना	(28) आशापुर	(45) मोहदा
(12) दुर्गादी	(29) तांगाला	(46) पुदियाल मोहदा
(13) रुपापेठ	(30) खेरगांव (33),	(47) कमलापुर
(14) चुनाई बुद्रक	(31) हतलौनी	(48) चिंचखोंड
(15) मांडवा	(32) एरगांव	(49) वनसाडी
(16) कानेरगांव बुद्रक	(33) उमारजारा	(50) पराम्बा
(17) कटलावोडी	(34) येल्लापुर	(51) देवघाट

(52) कुसाल	(96) खिरदी	(140) बेलगांव (185)
(53) दाहेगांव	(97) धुतरा	(141) काकड़घाट
(54) सोनुरलो (70)	(98) बहलामपुर	(142) गनेरी
(55) कारगांव खुर्द (71)	(99) मनोली खुर्द	(143) खिरदी
(56) धानोली	(100) जमानी	(144) सेदवई
(57) पिपराडा	(101) नोकारी बुद्रक	(145) बाबरपुर
(58) छिनछोली	(102) सोनापुर	(146) हीरापुर (200),
(59) कारगांव बुदुर्क	(103) उप्पारवाई	(147) सखारी
(60) मारकागोंडी (76)	(104) भुरखुंडा खुर्द	(148) मनोली खुर्द
(61) बेलगांव	(105) कदकी (150),	(149) गोयेगांव
(62) जुलबारदी	(106) नोकारी खुर्द	(150) हरडोना खुर्द
(63) सवालहीरा	(107) नागराला	(151) हरडोना बुद्रक
(64) खीरगांव (80)	(108) पालेजारी	(152) विनिरगांव (224)
(65) पांढरवानी (81)	(109) काकबान	(153) मागी
(66) जांम्बुलढारा	(110) डोंगरागांव (155)	(154) वांगी
(67) धानकदेवी	(111) छिखाली (156),	(155) पाढंरपुनी (227)
(68) येरमी इसपुर	(112) भुरखुंडा बुदुर्क	(156) अहेरी
(69) सारंगपुर	(113) पाछगांव	(157) कोच्छी
(70) जिवाती	(114) सेनगांव (159)	(158) गोरज
(71) नागपुर	(115) ताताखेंडी	(159) बारुर
(72) मारकोलमोट्टा	(116) भेंडवी	(160) रानीवेली
(73) धोंदा अरजुनी	(117) सुकादपल्लि	(161) भेडोडा
(74) धोंधा मांडवा	(118) कारकागोंडी	(162) ताम्मुरवाही
(75) टेका अर्जुनी	(119) तित्वी	(163) चिरुड़
(76) टेका मांडवा	(120) नादपा	(164) छिंछवोडी
(77) राहपल्ली बुद्रक	(121) येरगांवन	(165) कवथाला
(78) छिखिली (94),	(122) कावादगोंडी	(166) सोनुरली
(79) पाटन (95),	(123) सोराकासा	(167) सिरसी
(80) हीरापुर	(124) कुसुम्बी	(168) बेरडी
(81) इसपुर	(125) जनकपुर	(169) भेंडाला
(82) आसन खुर्द	(126) पुनागुडा (नावेगांव)	(170) केलजारी
(83) आसन बुद्रक	(127) डेवड़ा	(171) नवेगांव (265),
(84) पीपलगांव	(128) खदकी रायपुर	(172) चिंचाला
(85) पालजारी	(129) गोवेन्दपुर	(173) वीरुर
(86) बोरिनवे गांव	(130) मारियापट्न	(174) सिद्धेश्वर
(87) नन्दा	(131) उमराजारा (176)	(175) घोट्टा
(88) बीबी	(132) राहपल्लि खुर्द	(176) गोगरगांव
(89) धुनकी	(133) धार्मराम	(177) सुबाई
(90) धामनगांव	(134) मोकसापुर	(178) कोस्ताला
(91) काखमपुर	(135) बाम्बेजारी	(179) लाक्कदकोट
(92) बाडगांव	(136) मारी	(180) अम्बेजारी
(93) इंजापुर	(137) पांडरवानी (182)	(181) अन्तारगांव (277)
(94) चंदूर	(138) सिंडोलाटा	(182) अन्नूर
(95) कुकुदसात	(139) सोंडो	

महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरुप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश (स.आ. 26) दिनांक 07.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को जहां, तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सां.आ. 123) दिनांक 02.12.1985 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया है

V. ओडिशा ##

1. मयूरभंज जिला 2. सुंदरगढ़ जिला 3. कोरापुट जिला 4. सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील 5. क्योंझर जिले में, क्योंझर सब–डिवीजन और तेलकोड़ तहसीलें और चम्पुआ सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें। 6. बौध–खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब दृडिवजीजन की खोण्डमाल तहसील और बालीगुडा सब–डिवीजन की बालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें।	7. गंजाम जिले आर, उदयगिरी और पारलखेमुण्डी तहसील के मूगा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब–डिवीजन के गजलबाडरी और ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम।	8. कालाहांडी जिले में भवानी पटना उप–मण्डल में यौमुल रामपुर खंड और लानजीगढ में पड़ने वाला लालजीगढ खंड और कालाहांडी तहसीलें। 9. बालासोर जिले में नीलगिरी सब–डिवीजन के निलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड।

ओडिशा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य आदेश, 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) (राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध ओडिशा राज्य से है, आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

VI. राजस्थान###

(1). बांसवाड़ा जिला (2). डूँगरपुर जिला (3). प्रतापगढ़ जिला (4). उदयपुर जिले में निम्नलिखितः (क) कोटरा, झडोल (तत्कालीन फलासिया), लसड़िया, सालम्बर, सारदा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव और गोगुन्दा की तहसीलें। गिरवा तहसील में निम्नलिखित (i) गिरवा ब्लॉक। (ii) बड़गांव प्रखंड की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव निम्नानुसार हैं: (I) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राह्मण ों की हुंदर, राठौरों का गुरहा, बंदरवाड़ा, घोड़ान कलां, घोरान खुर्द और कायलों का गुरहा गांव। (II) कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी, राया, करावारी, मथाथा, नागदा, झालों का गुरहा और मुनवास गांव। (III) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी, करेलों का गुरहा और सारे गांव। (IV) अंबरी ग्राम पंचायत के अंबरी, भीलों का बेड़ला, ओटन का गुरहा और प्रतापपुरा गांव। (V) ढीकली ग्राम पंचायत के ढीकली और बड़ा गांव।(VI) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बरोदिया, घसियार और डांगियों का हुंदर गांव। (VII) धार ग्राम पंचायत के गहलोतों का वास, बेयाल, कुंडल उबेश्वरजी, धार, बडंगा और बनड़िया गांव।	(5). राजसमंद जिले में निम्नलिखितः (क) कुम्भलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है: (i) अंतरी ग्राम पंचायत के अंत्री, संदूकों का गुरहा और बारां गांव। (ii) कुचोली ग्राम पंचायत के कुचोली, केशर और बावड़ा गांव। (iii) ओरा ग्राम पंचायत के ओरा, डोवास और कोडर गांव। (iv) पीपना ग्राम पंचायत के पीपना, जेतरान और देलवरिया गांव। (v) बरदरा ग्राम पंचायत के बरदरा, उदावर, कलथाना और कोटरा गांव। (ख) नाथद्वारा तहसील के कालिवास ग्राम पंचायत के निम्नलिखित गांव, अर्थात् कालीवास, बरवा, बरवालिया, बेरन, कमली का गुरहा, गैमेथॉन का नोहारा, दमवारी, कोलार, मुंजेला, लीलेरा, रैनिया, श्यामजी का गुरहा, सियोल, सोंगरिया और टेंटेला। (6). चित्तौड़गढ़ जिले में बारी सदरी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव, जैसा कि नीचे बताया गया है: (क) रतिचंद्र जी का खेरा ग्राम पंचायत के अफ्रोन का तालाब, लिंकोडा, सुल्तानपुरा, बोरखेड़ा, सेमल खेड़ा, रुघनाथपुरा, कीटखेड़ा, रति तलाई, रति चंद्र जी का खेड़ा, चांदपुरा, सबलपुरा और गुंडल पुर गांव।	(8). सिरोही जिले में निम्नलिखित (क) अबुरोड तहसील (ख) पिंडवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव नीचे वर्णित हैं: (i) वर्ली ग्राम पंचायत के वरली, कुंडल, सबेला, वागदारी, ढांगा, कलुंबरी और पिंडवाड़ा (ग्रामीण) गांव। (ii) मोरास ग्राम पंचायत के मोरास, चिनिया बैंड और मदावेरी गांव। (iii) अमली ग्राम पंचायत के अमली, थांडी बेरी, सदालवा और मलप गांव। (iv) घराट ग्राम पंचायत के घरात, मलेरा, नवास, गड़िया और पहाड़ कलां गांव। (v) लोटाना ग्राम पंचायत के लोटाना, अप्री खेड़ा और कलाबोर गांव। (vi) मंदवाड़ा खालसा ग्राम पंचायत के मंडवाड़ा खालसा, खोखरी खेड़ा और वर्की खेड़ा गांव। (vii) सांवारा ग्राम पंचायत के सांवारा, सदा फली, नववास देव, नववास खालसा और सेमली गांव। (viii) इसरा ग्राम पंचायत के इसरा, केर, उबेरा और चुरली खेड़ा गांव। (ix) वलोरिया ग्राम पंचायत के वलोरिया गांव। (x) मंडवाड़ा देव ग्राम पंचायत के मंडवाड़ा देव, पीतारी पादर, केदार पादर और बोर उमरी गांव। (xi) भुला ग्राम पंचायत भूला ग्राम।

(क) मावली तहसील के नौवा ग्राम पंचायत के नौवा, खदरा, रायजी का गुरह और मारुवास गांव। (ख) वल्लभनगर तहसील के ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव नीचे वर्णित हैं: (I) मल की तूस ग्राम पंचायत के मल की तूस, गोवाला, फालेट, टैंक और ब्राह्मणों का रोबा गांव। (II) धवरिया ग्राम पंचायत के धवरिया, खेराफला, नागलिया, रानी डूंगला और रानिया गांव। (III) भोपा खेरा ग्राम पंचायत के भोपा खेरा, बेरीपुरा, हमरपुरा, फुसरिया और रायला गांव। (IV) कुंदई ग्राम पंचायत के कुंदई, भामेला, गोटीपा, कंकरियों का खेरा, नाहरपुरा उर्फ नरपुरा, पद्मा खेड़ा और संग्रामपुरा गांव।	(ख) अमीरामा ग्राम पंचायत के अमीरामा, मानपुरा, पार्बती, रूप पुरा और मरौदिया गांव। (ग) केवलपुरा (क), केवलपुरा जागीर, रावतपुरा, शिव पुरा, तेगरियो का फला, नया खेड़ा, रानी माल्या, काली भीत, लच्छमीपुरा, हरिपुरा, श्यामपुरा, जूनी बरवाल, कल्याण पुरा और केवलपुरा (ख) केवलपुरा ग्राम पंचायत के गांव। (घ) मूंजवा ग्राम पंचायत के मूंजवा, जयसिंहपुरा, एकलिंगपुरा, मातमगरी, ढिकरिया खीरी, पूजन का फलियां, पयरी, केशरपुरा, खानखरिया खीरी, लालपुरा, काला खेत और दीपोन का तालाब। (ङ) परसोली ग्राम पंचायत के परसोली, बोरुंडी, गढ़ बोरुंडी, संग्रामपुरा, राठौरों का खेड़ा, खीरी कलां, खीरी खुर्द और सुखपुरा गांव। (7). पाली जिले में बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित गांव निम्नानुसार हैं: (क) अमलिया ग्राम पंचायत के अमलिया, कागदरा, थांडी बेरी, लक्ष्मण पुरा जोड़ और बोथारा गांव। (ख) कूरन ग्राम पंचायत के कूरन, खेतराली, कोलवाड़ा, कोटिवाड़ा, कूरन खदरा और खेतराली खड़ा गांव। (ग) गोरिया ग्राम पंचायत के गोरिया और कोरवा गांव। (घ) भीमना ग्राम पंचायत के भीमना, उपला भीमना, तानी, उराना और नदिया गांव। (ङ) काकरड़ी ग्राम पंचायत के काकरड़ी, अरडवां, दानवेरली, सांभरवाड़ा और बेरडी गांव। (च) मल्नू ग्राम पंचायत के मल्नू, हीरोला और लालपुरा गांव। (छ) पीपला ग्राम पंचायत के पीपला गांव। (ज) लुंदरा ग्राम पंचायत के लुंदरा, चिमनपुरा और मालदार गांव। (झ) कोयलवाओ ग्राम पंचायत के कोयलवाओ, चिंगता भाटा और चोपा की नाल गांव।	(xii) अचपुरा ग्राम पंचायत के अचपुरा, कसींदा, नागपुरा, पंच देवल, ब्लॉक नंबर 2 और कोटरा गांव। (xiii) बसंत गढ़ ग्राम पंचायत के बसंत गढ़ गांव। (xiv) सिवेरा ग्राम पंचायत के सिवेरा, राजपुरा, केशवगंज और दारला पडर गांव।

राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114)दिनांक 12.2.1981 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। राजस्थान के अनुसूची क्षेत्र में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 (सीओ 114) दिनांक 12.2.1981, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 (सीओ 270) दिनांक 19.5.2018 द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VII. झारखण्ड@

1. रांची जिला 2. लोहरदगा जिला 3. गुमला जिला 4. सिमडेगा जिला 5. लातेहर जिला 6. पूर्वी–सिंहभूम जिला	7. पश्चिमी– सिंहभूम जिला 8. सरायकेला–खरसावां जिला 9. साहेबगंज जिला 10. दुमका जिला 11. पाकुर जिला 12. जामतारा जिला	13. पलामू जिला–सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरियापंचायतें 14. गढ़वा जिला–भंडारिया ब्लॉक 15. गोडा जिला–सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

@ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सी.ओ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII. मध्य प्रदेश@@

1. झाबुआ जिला 2. मंडला जिला 3. डिन्डोरी जिला 4. बरवानी जिला 1 5. धार जिले में सरदारपुर, धार, कुक्षी, धरमपुरी, गंधवानी और मनावर तहसील 6. खरगोन (पश्चिम निमाड़) जिले में भगवानपुरा, सेगांव, भीकनगांव, झिरनिया, खरगोन और महेश्वर तहसील 7. खण्डवा (पूर्वी निमाड़) जिले की हरसूद तहसील के खालवा जनजातीय विकास खंड एवं खकनार तहसील के खकनार जनजातीय विकास खण्ड 8. रतलाम जिले में सैलाना और बाजना तहसील 9. बैतूल तहसील (बैतूल विकास खंड को छोड़कर) और बैतूल जिले में भैंसदेही और शाहपुर तहसील 10. सिवनी जिले में लखनादोन, घनसौर और कुरई तहसीलें 11. बालाघाट जिले की बैहर तहसील	12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील के केसला जनजातीय विकास खंड 13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैठारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जयसिंहनगर तहसील 14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजातीय विकास खंड 15. सीधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजातीय विकास खंड 16. श्योपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजातीय विकास खंड 17. तामिया एवं जमाई तहसीलें, पटवारी अंचल संख्या 10 से 12 एवं 16 से 19, ग्राम सिरेगांव खुर्द एवं किरवाड़ी पटवारी अंचल नं. 09, ग्राम मैनावारी एवं पटवारी अंचल क्रमांक 13 के गौली परसिया, परसिया तहसील में, छिंदवाड़ा तहसील में पटवारी अंचल संख्या 25 के ग्राम बम्हानी,	अमरवाड़ा तहसील में हराई जनजातीय विकास खंड एवं पटवारी अंचल संख्या 28 से 36,41,43,44 एवं 45बी सौंसर तहसील में बिछुआ तहसील एवं पटवारी अंचल संख्या 05, 08, 09,10,11 एवं 14, पटवारी अंचल क्रमांक 01 से 11 एवं 13 से 26 एवं पटवारी अंचल नं. 12 (भूली को छोड़कर), पटवारी अंचल संख्या 27 के ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांडुरना तहसील के पटवारी अंचल संख्या 28 के नीलकंठ और धवडीखापा ।

IX. छत्तीसगढ़ @@

1. सरगुजा जिला 2. कोरिया जिला 3. बस्तर जिला 4. दंतेवाड़ा जिला 5. कांकेर जिला 6. बिलासपुर जिले में मरवाही, गोरेला–1, गोरिल्ला–2 जनजातीय विकास खंड एवं कोटा राजस्व निरीक्षक अंचल 7. कोरबा जिला	8. जशपुर जिला 9. रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलुंगा और खरसिया आदिवासी विकास खंड 10.दुर्ग जिले में डोंडी जनजातीय विकास खंड 11. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला आदिवासी विकास खंड	12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा जनजातीय विकास खंड 13. नगरी (सिहावा) धमतरी जिले में जनजातीय विकास खंड

@@ मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, तदनुसार अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत पुनः निर्दिष्ट किया गया है।

टिप्पणः उपर्युक्त सूची में अनुसूचित क्षेत्र की वर्तनी में किसी असंगतता के मामले में सम्बंधित मूल अधिसूचना को अंतिम तथा अधिप्रमाणित माना जाएगा।

अनुलग्नक 6क

2020–21, 2021–22 और 2022–23 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएपीएसटी आवंटन

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीएपीएसटी दायित्व	2020–21 (वास्तविक)		2021–22 (संशोधित अनुमान)			2022–23 (बजट अनुमान)		
			कुल डीएपीएसटी व्यय	कुल डीएपीएसटी व्यय	कुल योजना परिव्यय	कुल डीएपीएसटी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल योजना परिव्यय	कुल डीएपीएसटी आवंटन	कुल परिव्यय का %
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	4.30	106.69	4.75	2347.00	100.92	4.30	1995.83	85.82	4.30
2	कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग	8.60	9993.11	9.28	117318.00	10089.35	8.60	123326.00	10606.04	8.60
3	पशुपालन और डेयरी विभाग	8.60	240.76	10.40	2542.01	225.37	8.87	3709.76	327.20	8.82
4	वाणिज्य विभाग	4.30	15.45	0.41	6646.93	25.00	0.38	5209.40	25.51	0.49
5	उपभोक्ता मामले विभाग	4.30	1.83	0.02	2348.25	1.92	0.08	1599.00	1.08	0.07
6	पेयजल और स्वच्छता विभाग	10.00	1700.00	10.66	51011.00	4997.80	9.80	67192.00	6615.80	9.85
7	दिव्यांगजनों के अधिकारिता विभाग	8.60	47.57	9.38	572.31	47.90	8.37	740.39	60.66	8.19
8	उर्वरक विभाग	4.30	—	—	140122.32	6409.35	4.57	105222.32	4395.03	4.18
9	मत्स्य पालन विभाग	8.60	63.00	8.89	1210.00	110.91	9.17	1891.00	172.71	9.13
10	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	4.30	5421.31	0.98	299363.65	12683.30	4.24	213873.23	9152.54	4.28
11	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.60	3997.14	6.51	64814.45	5574.04	8.60	62797.29	5400.57	8.60
12	उच्च शिक्षा विभाग	8.60	1304.78	27.95	5204.70	1689.41	32.46	7454.96	1986.00	26.64
13	भूमि संसाधन विभाग	10.00	123.87	10.65	1466.00	149.60	10.20	2239.25	228.32	10.20
14	औषध विभाग	4.30	18.49	4.69	623.00	26.79	4.30	2157.50	18.17	0.84
15	ग्रामीण विकास विभाग	17.50	5823.02	2.97	153380.99	19047.14	12.42	135750.93	18296.61	13.48
16	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	10.70	5709.45	13.78	40862.70	4809.68	11.77	51052.37	6093.66	11.94
17	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	4.30	97.00	4.43	2141.58	93.43	4.36	2894.55	124.37	4.30
18	दूरसंचार विभाग	4.30	322.75	2.83	13616.92	370.91	2.72	11678.00	408.50	3.50

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीएपीएसटी दायित्व	2020–21 (वास्तविक)		2021–22 (संशोधित अनुमान)			2022–23 (बजट अनुमान)		
			कुल डीएपीएसटी व्यय	कुल डीएपीएसटी व्यय	कुल योजना परिव्यय	कुल डीएपीएसटी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल योजना परिव्यय	कुल डीएपीएसटी आवंटन	कुल परिव्यय का %
19	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	8.60	186.41	2.89	16963.04	399.30	2.35	17825.98	791.50	4.44
20	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	4.30	31.70	6.15	735.14	34.91	4.75	1106.98	72.00	6.50
21	कोयला मंत्रालय	8.60	73.67	14.61	552.03	73.62	13.34	314.54	27.05	8.60
22	सहकारिता मंत्रालय	—	—	—	—	—	—	730.00	62.79	8.60
23	संस्कृति मंत्रालय	4.30	16.89	4.90	487.33	20.95	4.30	532.55	22.90	4.30
24	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	8.60	563.61	30.72	2624.83	716.87	27.31	2771.92	754.95	27.24
25	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70	204.00	6.73	6388.00	428.00	6.70	10676.18	715.30	6.70
26	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	8.60	99.00	8.95	1470.00	127.00	8.64	1893.26	165.20	8.73
27	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	4.30	49.45	4.69	1200.00	51.13	4.26	2822.00	77.40	2.74
28	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	4.30	369.43	0.82	70151.51	564.21	0.80	72801.02	790.66	1.09
29	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.60	1126.13	9.14	13584.00	1168.23	8.60	16159.10	1389.69	8.60
30	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.60	382.34	7.14	15640.40	1310.57	8.38	21357.85	1678.87	7.86
31	खान मंत्रालय	4.30	23.23	—	—	17.50	—	—	20.70	—
32	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	8.60	288.00	10.05	4987.50	389.00	7.80	6787.93	384.00	5.66
33	पंचायती राज मंत्रालय	8.60	42.02	6.40	830.41	103.46	12.46	826.20	72.00	8.71
34	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4.30	1652.27	3.95	8619.14	229.00	2.66	8737.82	241.00	2.76
35	विद्युत मंत्रालय	8.60	516.00	6.80	11613.14	660.00	5.68	11205.80	584.08	5.21

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	डीएपीएसटी दायित्व	2020–21 (वास्तविक)		2021–22 (संशोधित अनुमान)			2022–23 (बजट अनुमान)		
			कुल डीएपीएसटी व्यय	कुल डीएपीएसटी व्यय	कुल योजना परिव्यय	कुल डीएपीएसटी आवंटन	कुल परिव्यय का %	कुल योजना परिव्यय	कुल डीएपीएसटी आवंटन	कुल परिव्यय का %
36	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4.30	3430.00	3.46	130995.42	4525.00	3.45	198944.48	4545.00	2.28
37	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	8.60	189.55	7.99	2453.47	186.80	7.61	2613.24	203.33	7.78
38	वस्त्र मंत्रालय	8.60	126.25	4.11	11263.41	136.75	1.21	12016.92	176.73	1.47
39	पर्यटन मंत्रालय	4.30	49.00	4.91	851.50	36.62	4.30	2275.61	97.85	4.30
40	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00	5472.50	100.20	6126.46	6126.46	100.00	8406.92	8406.92	100.00
41	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.60	1785.23	9.39	22960.29	2034.19	8.86	24939.35	2145.00	8.60
42	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	8.60	117.92	15.15	1569.00	138.08	8.80	1832.50	161.15	8.79
कुल			**51780.82**	**3.68**	**1237657.83**	**85930.47**	**6.94**	**1228361.93**	**87584.66**	**7.13**

अनुलग्नक–6ख

वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक (दिनांक 31.12.2022 तक) राज्य जनजाति उप–योजना/अनुसूचित जनजाति घटक के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आवंटन एवं व्यय का विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अजजा जनसंख्या (2011) %	वि.व. 2020–21					वि.व. 2021–22%					वि.व. 2022–23*				
			राज्य योजना (स्कीम) आवंटन	एसटीसी आवंटन	एसटीसी आवंटन %	एसटीसी व्यय	व्यय %	राज्य योजना (स्कीम) आवंटन	एसटीसी आवंटन	एसटीसी आवंटन %	एसटीसी व्यय	व्यय %	राज्य योजना (स्कीम) आवंटन	एसटीसी आवंटन	एसटीसी आवंटन %	एसटीसी व्यय	व्यय %
1	आंध्र प्रदेश	5.3	104063.25	6570.16	6.31	4731.91	72.02	100043.45	6131.24	6.13	4125.41	67.29	129261.60	6144.90	4.75	2726.18	44.36
2	अंडमान और निकोबार	7.5	4884.97	116.01	2.37	114.72	98.89	5781.54	201.78	3.49	201.15	99.69	5763.65	268.62	4.66	55.93	20.82
3	असम @	12.4	37827.00	1614.43	4.27	1086.89	67.32	46894.00	1604.81	3.42	1492.04	92.97	30750.74	1745.12	5.68	एनआर	एनए
4	बिहार	1.3	108210.00	1049.18	0.97	868.38	82.77	91708.84	1352.26	1.47	1505.19	111.31	100000.00	1503.90	1.50	405.63	26.97
5	छत्तीसगढ़	30.6	76765.20	21824.19	28.43	15552.76	71.26	76905.27	22101.36	28.74	17254.81	78.07	65972.60	21492.34	32.58	एनआर	एनए
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	33.0	1745.00	17.45	1.00	0.71	4.07	3671.80	21.10	0.57	1.82	8.63	3781.10	17.09	0.45	0.71	4.15
7	गोवा	10.2	11264.84	412.11	3.66	174.15	42.26	13088.33	489.66	3.74	207.03	42.28	10756.13	319.53	2.97	73.19	22.91
8	गुजरात	14.8	110529.00	14106.00	12.76	11120.53	78.84	108366.00	14463.07	13.35	12959.21	89.60	118306.00	14638.29	12.37	4099.67	28.01
9	हिमाचल प्रदेश	5.7	7900.00	711.00	9.00	523.03	73.56	9405.41	846.49	9.00	682.25	80.60	9524.00	855.40	8.98	270.73	31.65
10	झारखंड	26.2	49752.18	19068.08	38.33	14391.08	75.47	52127.50	21855.91	41.93	18284.25	83.66	एनआर	एनआर	एनए	एनआर	एनए
11	कर्नाटक	7.0	106287.18	7816.22	7.35	7294.98	93.33	103241.00	7822.80	7.58	7607.20	97.24	114491.00	8121.87	7.09	1641.59	20.21
12	केरल	1.5	27610.00	781.36	2.83	567.65	72.65	27610.00	781.36	2.83	720.90	92.26	30370.00	859.50	2.83	125.47	14.60
13	मध्य प्रदेश @	21.1	99029.67	27822.07	28.09	24929.61	89.60	112521.34	34858.11	30.98	29995.12	86.05	117035.85	26940.68	23.02	एनआर	एनए
14	महाराष्ट्र	9.4	108000.00	8853.00	8.20	7415.42	83.76	130000.00	9738.00	7.49	7979.54	81.94	150000.00	11199.00	7.47	1439.15	12.85
15	ओडिशा	22.8	79974.26	14423.83	18.04	10647.59	73.82	90816.33	15936.29	17.55	11356.90	71.26	102730.32	17012.45	16.56	3378.61	19.86
16	राजस्थान	13.5	112362.73	15545.68	13.84	13784.39	88.67	153369.88	19896.81	12.97	18045.00	90.69	169655.55	25143.59	14.82	5606.29	22.30
17	सिक्किम	33.8	1525.58	1.00	0.07	0.76	76.00	1053.90	1.00	0.09	1.00	100.00	1028.89	1.00	0.10	एनआर	एनए
18	तमिलनाडु	1.1	64255.97	1299.47	2.02	1155.51	88.92	65847.46	1306.02	1.98	1078.90	82.61	74892.56	1589.27	2.12	69.41	4.37
19	तेलंगाना @	9.3	104612.62	9771.28	9.34	7170.71	73.39	126378.18	12304.23	9.74	8961.40	72.83	141971.26	13412.63	9.45	3196.06	23.83
20	त्रिपुरा	31.8	6636.54	2678.29	40.36	2010.54	75.07	7620.44	3407.53	44.72	2464.04	72.31	8465.41	3886.72	45.91	एनआर	एनए
21	उत्तर प्रदेश	0.6	539203.48	1195.14	0.22	953.92	79.82	592103.02	1335.11	0.23	839.21	62.86	643695.26	2109.31	0.33	288.53	13.68
22	उत्तराखंड	2.9	57590.76	551.73	0.96	326.87	59.24	64460.42	640.30	0.99	297.64	46.48	65571.49	576.84	0.88	45.40	7.87
23	पश्चिम बंगाल	5.8	95203.74	8211.61	8.63	4971.30	60.54	123018.79	10977.91	8.92	6186.11	56.35	126420.00	10827.79	8.56	2288.23	21.13
	कुल	एनए	1915233.98	164439.29	8.59	129793.41	78.93	2106032.90	188073.15	8.93	152246.12	80.95	2220643.41	168665.84	7.60	25710.78	15.24

स्रोत: राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना।

#समाधान किया जा रहा है, 'अनंतिम आंकड़े, ए एल एन आवंटन, व्यय: व्यय, एनआर: प्राप्त नहीं हुआ, एनए: लागू नहीं, @ कुल राज्य परिव्यय पर प्राप्त आंकड़े।

नोट: मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से संबंधित टीएसपी/एसटीसी डेटा प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुलग्नक– 6ग

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के तहत चिन्हित किए गए कुल गांवों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार विवरण, 2021–22 और 2022–23 के दौरान लिए गए गांवों की संख्या और निर्मुक्त निधियां

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	2021–22		2022–23 (10.01.2023 तक)	
			स्वीकृत गांव	निर्मुक्त निधियां	स्वीकृत गांव	निर्मुक्त निधियां
1	आंध्र प्रदेश	517	109	0.00	94	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	141	72	733.68	26	0.00
3	असम	1700	858	8743.02	309	10317.37
4	बिहार	184	76	774.44	34	0.00
5	छत्तीसगढ़	4029	1530	15595.8	733	23021.82
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	55	12	0.00	10	173.23
7	गोवा	21	4	0.00	4	0.00
8	गुजरात	3764	1562	15916.78	684	19401.76
9	हिमाचल प्रदेश	90	37	377.03	16	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	302	64	0.00	55	932.39
11	लद्दाख	132	28	0.00	24	407.60
12	झारखंड	3891	819	6531.79	707	6915.28
13	कर्नाटक	507	210	2139.9	92	937.48
14	केरल	6	1	0.00	1	0.00
15	मध्य प्रदेश	7307	1538	12268.76	1329	13542.51
16	महाराष्ट्र	3605	759	0.00	655	13485.49
17	मणिपुर	254	53	427.98	46	295.47
18	मेघालय	836	176	0.00	152	3342.30
19	मिजोरम	344	72	580.83	63	641.97
20	नागालैंड	530	112	886.53	96	681.60
21	ओडिशा	1653	348	2771.68	301	1001.24
22	राजस्थान	4302	906	7224.71	782	15269.66
23	सिक्किम	62	13	0.00	11	0.00
24	तमिलनाडु	167	35	285.32	30	76.12
25	तेलंगाना	533	222	2262.18	97	593.06
26	त्रिपुरा	375	79	631.78	68	904.48
27	उत्तराखंड	64	13	0.00	12	0.00
28	उत्तर प्रदेश	183	39	0.00	33	0.00
29	पश्चिम बंगाल	874	184	0.00	159	2685.06
	कुल	**36428**	**9931**	**78152.21**	**6623**	**114625.90**

अनुलग्नक 6घ

2020–21 से 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान "संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान" के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त की गईं।

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	2020–21	2021–22	2022–23 (31.12.2022 तक)
1	आंध्र प्रदेश	2055.55	2638.65	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	6014.00	9830.00	0.00
3	असम	4592.3726	2570.00	0.00
4	बिहार	0.00	642.80	0.00
5	छत्तीसगढ़	9976.2414	11604.02	0.00
6	गोवा	0.00	600.41	0.00
7	गुजरात	5940.04	6923.79	4755.96
8	हिमाचल प्रदेश	1161.00	1500.00	1655.00
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
10	झारखंड	10278.00	12264.19	6677.87
11	कर्नाटक	3305.68	3210.00	1017.87
12	केरल	0.00	0.00	817.67
13	मध्य प्रदेश	4279.78	5319.10	4744.81
14	महाराष्ट्र	4573.16	0.00	0.00
15	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
16	मेघालय	492.71	1595.25	1693.69
17	मिजोरम	1909.71	2971.54	1543.05
18	नागालैंड	1717.38	3202.39	2062.19
19	ओडिशा	6304.62	11382.05	1612.00
20	राजस्थान	9166.00	10435.21	7637.43
21	सिक्किम	516.00	2045.00	0.00
22	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
23	तेलंगाना	2517.00	2050.00	2791.25
24	त्रिपुरा	201.74	607.53	483.55
25	उत्तर प्रदेश	927.43	832.71	0.00
26	उत्तराखंड	0.00	100.65	306.02
27	पश्चिम बंगाल	4041.14	0.00	4186.50
	कुल	**79969.554**	**492324.57**	**41984.86**

अनुलग्नक–7

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत 30.06.2022 तक दावों का विवरण और अधिकार पत्रों विलेखों का वितरण।

क्र. सं.	राज्य	दिनांक 30.06.2022 तक प्राप्त दावों की संख्या			दिनांक 30.06.2022 तक वितरित अधिकार पत्रों की संख्या			अस्वीकृत दावों की संख्या	निस्तारित दावों की कुल संख्या	प्राप्त दावों के संबंध में निपटाए गए दावों का प्रतिशत	प्राप्त दावों की संख्या में वितरित अधिकार पत्रों का प्रतिशत
		वैयक्तिक	सामुदायिक	कुल	वैयक्तिक	सामुदायिक	कुल				
1	आंध्र प्रदेश	2,74,078	3,294	2,77,372	2,10,828	1,822	2,12,650	55,192	2,67,842	96.56%	76.67%
2	असम	1,48,965	6,046	1,55,011	57,325	1,477	58,802	एनए/एनआर	58,802	37.93%	37.93%
3	बिहार	8,022	एनए/एनआर	8,022	121	0	121	4,215	4,336	54.05%	1.51%
4	छत्तीसगढ़	8,71,457	50,889	9,22,346	4,46,041	45,764	4,91,805	4,02,292	8,94,097	96.94%	53.32%
5	गोवा	9,758	378	10,136	138	11	149	12	161	1.59%	1.47%
6	गुजरात	1,82,869	7,187	1,90,056	91,686	4,597	96,283	59,297	1,55,580	81.86%	50.66%
7	हिमाचल प्रदेश	2,746	275	3,021	129	35	164	47	211	6.98%	5.43%
8	झारखंड	1,07,032	3,724	1,10,756	59,866	2,104	61,970	28,107	90,077	81.33%	55.95%
9	कर्नाटक	2,88,357	5,938	2,94,295	14,691	1,343	16,034	2,14,194	2,30,228	78.23%	5.45%
10	केरल	43,466	1,109	44,575	26,745	183	26,928	11,887	38,815	87.08%	60.41%
11	मध्य प्रदेश	5,85,326	42,187	6,27,513	2,66,609	27,976	2,94,585	3,22,699	6,17,284	98.37%	46.94%
12	महाराष्ट्र	3,62,679	12,037	3,74,716	1,65,032	7,084	1,72,116	45,525	2,17,641	58.08%	45.93%
13	ओडिशा	6,28,093	15,282	6,43,375	4,52,376	7,624	4,60,000	1,32,893	5,92,893	92.15%%	71.50%
14	राजस्थान	97,243	2,375	99,618	45,487	410	45,897	47,066	92,963	93.32%	46.07%
15	तमिलनाडु	33,755	1,082	34,837	8,144	450	8,594	9,493	18,087	51.92%	24.67%
16	तेलंगाना	2,04,176	2,808	2,06,984	97,434	102	97,536	94,426	1,91,962	92.74%	47.12%
17	त्रिपुरा	2,00,696	277	2,00,973	1,27,931	55	1,27,986	68,657	1,96,643	97.85%	63.68%
18	उत्तर प्रदेश	92,577	1,162	93,739	18,049	861	18,910	74,761	93,671	99.93%	20.17%
19	उत्तराखंड	3,587	3,091	6,678	184	1	185	6,493	6,678	100.00%	2.77%
20	पश्चिम बंगाल	1,31,962	10,119	1,42,081	44,444	686	45,130	96,587	1,41,717	99.74%	31.76%
	कुल	**42,76,844**	**1,69,260**	**44,46,104**	**21,33,260**	**1,02,585**	**22,35,845**	**16,73,843**	**39,09,688**	**87.94%**	**50.29%**

अनुलग्नक– 8क

वर्ष 2022–23 के दौरान ईएमआरएस के शिलान्यास का विवरण (31.12.2022 तक)

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ईएमआरएस का नाम	स्वीकृति का वर्ष	आधारशिला रखने की तिथि	द्वारा नींव रखी गई
1	ओडिशा	मयूरभंज	रसगोविंदपुर	ईएमआरएस रसगोविंदपुर	2021–22	16.04.2022	श्री बिश्वेश्वर टुडु, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य
2	ओडिशा	मयूरभंज	उदला	ईएमआरएस उदला	2021–22	22.04.2022	श्री बिश्वेश्वर टुडु, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य
3	ओडिशा	मयूरभंज	सुकरौली (महुलडीहा)	ईएमआरएस सुकरौली	2021–22	23.04.2022	श्री बिश्वेश्वर टुडु, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य
4	नागालैंड	किफायर	किफायर	ईएमआरएस किफिर	2018–19	26.04.2022	माननीय केंद्रीय मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य
5	ओडिशा	कोरापुट	कुंदुरा	ईएमआरएस कुंदुरा	2021–22	30.04.2022	श्री बिश्वेश्वर टुडु, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य
6	महाराष्ट्र	नासिक	सुरगना	ईएमआरएस सुरगना	2018–19	13.05.2022	श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य माननीय मंत्री
7	ओडिशा	मयूरभंज	रारुआन	ईएमआरएस रारुआन	2020–21	19.05.2022	श्री बिश्वेश्वर टुडु, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य एवं जल शक्ति
8	गुजरात	नर्मदा	सागबारा	ईएमआरएस सागबारा	2017–18	09.08.2022	माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात सरकार
9	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर	खकनार	ईएमआरएस नेपानगर (खकनार)	2020–21	23.08.2022	श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
10	मणिपुर	उखरूल	उखरूल उत्तर	ईएमआरएस उखरुल उत्तर	2020–21	19.09.2022	डॉ आर के रंजन सिंह, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, शिक्षा और विदेश भारत सरकार
11	नागालैंड	मोकोकचुंग	मैंगकोलेंबा	ईएमआरएस मैंगकोलेंबा	2019–20	02.11.2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
12	नागालैंड	लॉन्गलेंग	लॉन्गलेंग	ईएमआरएस लॉन्गलेंग	2020–21	02.11.2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
13	नागालैंड	मोकोकचुंग	ओंगपांगकोंग	ईएमआरएस ओंगपांगकोंग	2020–21	02.11.2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
14	नागालैंड	कोहिमा	बोत्सा	ईएमआरएस बोत्सा	2020–21	02.11.2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
15	नागालैंड	तुएनसांग	नोकसेन	ईएमआरएस नोकसेन	2020–21	02.11.2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
16	नागालैंड	जुन्हेबोटो	जुन्हेबोटो	ईएमआरएस जुन्हेबोटो	2020–21	02.11.2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
17	नागालैंड	पेरेन	पेरेन	ईएमआरएस पेरेन	2020–21	02.11.2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
18	नागालैंड	तुएनसांग	नोक्लाक	ईएमआरएस नोक्लाक	2020–21	02.11.2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
19	नागालैंड	सोमवार	फोमचिंग	ईएमआरएस फोमचिंग	2021–22	02.11.2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
20	नागालैंड	मोकोकचुंग	त्सुरंगकोंग	ईएमआरएस त्सुरंगकोंग	2021–22	02.11.2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
21	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	औद्गी	ईएमआरएस औद्गी	2019–20	12.11.2022	श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य
22	छत्तीसगढ़	सूरजपुर	प्रतापपुर	ईएमआरएस प्रतापपुर	2019–20	19.11.2022	श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य
23	छत्तीसगढ़	सरगुजा	उदयपुर	ईएमआरएस उदयपुर	2019–20	19.11.2022	श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, माननीय राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य

अनुलग्नक– 8ख

वर्ष 2022–23 में उद्घाटन किए गए ईएमआरएस का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक	ईएमआरएस का नाम	स्वीकृति वर्ष	उद्घाटन की तिथि	उद्घाटन किया गया
1	केरल	पलक्कड़	अट्टापडी	ईएमआरएस अट्टापडी	2017–18	22.07.2022	श्री. के.राधाकृष्णन माननीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण मंत्री, देवस्वाम, संसदीय मामले, केरल सरकार
2	केरल	कासरगोड	परप्पा	ईएमआरएस करिन्थलम	2018–19	16.07.2022	श्री. के.राधाकृष्णन माननीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण मंत्री, देवस्वाम, संसदीय मामले, केरल सरकार
3	गुजरात	साबरकांठा	पोशिना	ईएमआरएस पोशिना	2015–16	04.10.2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
4	अरुणाचल प्रदेश	तिरप	खोंसा	ईएमआरएस खेला	2015–16	22.05.2022	श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा वर्चुअल रूप से
5	अरुणाचल प्रदेश	लेपराडा (तत्कालीन पश्चिम सियांग)	तिरबिन	ईएमआरएस टर्बिन	2016–17	22.05.2022	श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा वर्चुअल रूप से
6	तेलंगाना	भद्राद्री कोठागुडा	पलवंचा	ईएमआरएस पलवंचा	2017–18	08.07.2022	सुश्री सत्यवती राठौड़, माननीय अनुसूचित जनजाति, महिला और बाल कल्याण मंत्री, तेलंगाना
7	सिक्किम	नामची	सदाम सनटोली	ईएमआरएस सनटोली	2015–16	19.08.2022	श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार
8	तमिलनाडु	कांचीपुरम चेंगलपेट	कट्टनकुलथुर (थिरुपोरुर)	ईएमआरएस पट्टीपुलम	2017–18	02.11.2022	श्री एम के स्टालिन, माननीय मुख्यमंत्री तमिलनाडु
9	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	चिंटूर	ईएमआरएस चिंटुरु	2018–19	04–12–2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
10	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	राजावोम्मांगी	ईएमआरएस राजावोमंगी	2019–20	04–12–2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
11	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	गुम्मालक्ष्मीपुरम	ईएमआरएस जीएल पुरम	2019–20	04–12–2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
12	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	बुट्टायागुडेम	ईएमआरएस बुट्टायागुडेम	2019–20	04–12–2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
13	तेलंगाना	महबुबाबाद	बय्याराम	ईएमआरएस बय्याराम	2019–20	28–12–2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति
14	तेलंगाना	कोमाराम भीम आसिफाबाद	सिरपुर	ईएमआरएस सिरपुर	2018–19	28–12–2022	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति

अनुलग्नक– 8ग

उन्नयन के तहत 31.12.2022 तक अनुमोदित ईएमआरएस की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	उन्नयन के तहत अनुमोदित ईएमआरएस की संख्या	निर्माण एजेंसी
1	आंध्र प्रदेश	11	राज्य सरकार/सीपीडब्ल्यूडी
2	अरुणाचल प्रदेश	0	सीपीडब्ल्यूडी
3	असम	0	सीपीडब्ल्यूडी
4	बिहार	0	सीपीडब्ल्यूडी
5	छत्तीसगढ़	7	सीपीडब्ल्यूडी
6	गुजरात	12	सीपीडब्ल्यूडी
7	हिमाचल प्रदेश	0	सीपीडब्ल्यूडी
8	जम्मू और कश्मीर	0	सीपीडब्ल्यूडी
9	झारखंड	0	सीपीडब्ल्यूडी
10	कर्नाटक	0	सीपीडब्ल्यूडी
11	केरल	0	सीपीडब्ल्यूडी
12	लद्दाख	0	सीपीडब्ल्यूडी
13	मध्य प्रदेश	0	सीपीडब्ल्यूडी
14	महाराष्ट्र	8	सीपीडब्ल्यूडी
15	मणिपुर	0	सीपीडब्ल्यूडी
16	मेघालय	2	सीपीडब्ल्यूडी
17	मिजोरम	4	सीपीडब्ल्यूडी
18	नागालैंड	0	सीपीडब्ल्यूडी
19	ओडिशा	15	सीपीडब्ल्यूडी
20	राजस्थान	3	सीपीडब्ल्यूडी
21	सिक्किम	0	सीपीडब्ल्यूडी
22	तमिलनाडु	5	सीपीडब्ल्यूडी
23	तेलंगाना	0	सीपीडब्ल्यूडी
24	त्रिपुरा	3	राज्य सरकार
25	उत्तर प्रदेश	0	सीपीडब्ल्यूडी
26	उत्तराखंड	0	सीपीडब्ल्यूडी
27	पश्चिम बंगाल	0	सीपीडब्ल्यूडी
	कुल	**70**	

अनुलग्नक – 8घ

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उसके लाभार्थियों को निर्मुक्त निधि का विवरण (लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2020–21		2021–22		2022–23 (31.12.2022)	
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थी (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्ताव के अनुसार अनुमानित)	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्ताव के अनुसार अनुमानित)	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्ताव के अनुसार अनुमानित)
1	अंडमान और निकोबार	12.33	278	8.03	450	–	–
2	आंध्र प्रदेश	1433.81	26676	3935.06	29345	–	–
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	5849	207.30	6800	–	–
4	असम	17.27	2710	102.19	7827	–	–
5	बिहार	0.00	55198	0.00	0	–	–
6	छत्तीसगढ़	3541.54	134262		138236	–	–
7	दादर और नगर हवेली दमन व दीव	234.00	3848	206.62	2402	–	–
8	दादर और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
9	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–
10	गोवा	41.35	2504	0.00	2600	108.18	2400
11	गुजरात	2198.84	160037	3689.18	146527	5451.67	
12	हिमाचल प्रदेश	91.87	1846	0.00	2160	79.02	2512
13	जम्मू और कश्मीर	0.00	11470	0.00	0	–	–
14	झारखंड	0.00	83511	3899.03	91862	–	–
15	कर्नाटक	0.00	72626	1753.16	92742	2370.04	102016
16	केरल	116.56	9880	347.07	7071	–	7640
17	लद्दाख	42.27	421	74.22	840	–	–
18	मध्य प्रदेश	5429.34	314356	11458.18	367454	12743.85	416596
19	महाराष्ट्र	**	**	**	**	–	–
20	मणिपुर	0.00	2557	0.00	3038	–	–
21	मेघालय	0.00	616	0.00	2673	115.48	2940
22	मिजोरम	167.86	11046	657.47	12291	–	–
23	नागालैंड	60.75	446	0.00	0	–	–
24	ओडिशा	6944.96	173833	5236.75	272534	–	–
25	पुदुचेरी	1.63	19	0.00	38	–	–
26	राजस्थान	3126.90	215040	6234.34	214984	–	–
27	सिक्किम	9.41	414	0.00	296	–	–
28	तमिलनाडु	241.00	14822	546.55	16299	–	–
29	तेलंगाना	0.00	856	0.00	30077	–	–
30	त्रिपुरा	252.09	9404	58.55	17544	810.42	19298
31	उत्तर प्रदेश	0.00	0	88.17	3528	–	–
32	उत्तराखंड	138.24	1329	0.00	0	–	–
33	पश्चिम बंगाल	788.22	30050	912.51	31220	–	–
	कुल	**24890.24**	**1345904**	**39414.37**	**1500838**	**21678.65**	**553757**

** केंद्रीय सहायता के बिना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजना।

अनुलग्नक–8ङ

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उसके लाभार्थियों को निर्मुक्त निधि का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2020–21		2021–22		2022–23 (31.12.2022)	
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थी (राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्ताव के अनुसार अनुमानित)	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी (राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्ताव के अनुसार अनुमानित)	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी (राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्ताव के अनुसार अनुमानित)
1	अंडमान और निकोबार	13.29	312	10.35	550	–	–
2	आंध्र प्रदेश	6039.35	71820	8991.45	117089	13356.50	128798
3	अरुणाचल प्रदेश	5712.96	31916	12360.50	44144	9616.49	46361
4	असम	5413.54	54846	1093.40	74408	6845.47	118350
5	बिहार	708.22	19513	0.00	0	–	–
6	छत्तीसगढ़	8790.24	140163	0.00	173228	6784.81	190551
7	दादर नगर हवेली और दमन और दीव	3481.73	3549	0.00	3352	–	–
8	गोवा	458.18	4833	0.00	4047	1187.23	4452
9	गुजरात	22977.64	202413	46170.25	200397	24426.38	
10	हिमाचल प्रदेश	0	5121	0.00	3332	–	4580
11	जम्मू और कश्मीर	805.44	4940	0.00	8264	683.57	15000
12	झारखंड	0	78755	12654.88	94506	–	–
13	कर्नाटक	0	129094	17080.51	118042	–	–
14	केरल	3285.25	15820	2516.49	14558	–	–
15	लद्दाख	738	8200	2214.00	8500	–	–
16	मध्य प्रदेश	12344	279722	24529.43	426996	27048.58	469703
17	महाराष्ट्र	18149.52	157503	19214.82	105693	–	154517
18	मणिपुर	2184.19	39787	4292.15	47793	4137.54	54962
19	मेघालय	0	16399	2636.09	58443	14619.79	64287
20	मिजोरम	3446.82	33798	3874.64	33267	2590.31	39708
21	नागालैंड	3226.37	37183	4435.75	40744	3608.43	43424
22	ओडिशा	19095.97	155309	21842.98	154347	17133.30	218747
23	पुदुचेरी	19.56	22	0.00	50	–	–
24	राजस्थान	25557.03	206011	13744.70	188614	18810.10	207306
25	सिक्किम	553.83	3488	1036.28	4457	925.44	5348
26	तमिलनाडु	3328.99	20324	4849.38	24387	–	–
27	तेलंगाना	27297.83	118347	7503.90	126708	23851.18	133043
28	त्रिपुरा	4804.98	26092	7188.77	35921	4522.33	39513
29	उत्तर प्रदेश	2218.67	19782	0.00	18938	–	–
30	उत्तराखंड	–	8396	3568.37	9235	–	–
31	पश्चिम बंगाल	2256.42	58156	3872.05	70946	–	–
	कुल	**182908.02**	**1951614**	**225681.13**	**2210956**	**180147.45**	**1938650**

अनुलग्नक – 9क

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	पीवीटीजी का नाम
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	चेंचू
2		बोडो गदाबा
3		बोंडो पोरोजा
4		डोंगरिया कोंधज
5		गुतोब गदाबा
6		खोंड पोरोजा
7		कोलम
8		कोंडारेड्डीज
9		कोंडा सरावा
10		कुटिया कोंधज
11		परंगीपरजा
12		थोति
13	बिहार (झारखंड सहित)	असुर
14		बिरहोर
15		बिरजिया
16		पहाड़ी (हिल) खरिया
17		कोरवा
18		मल पहरिया/मल पहाडिया
19		पहरिया
20		सौरिया पहरिया
21		सावर
22	गुजरात	कथोडी
23		कोतवालिया
24		कोलधा
25		पधार
26		सिद्दी
27	कर्नाटक	जेनु कुरुबा
28		कोरागा
29	केरल	चोलनाइकन
30		कादर
31		कट्टुनायकान
32		कोरागा
33		कुरुंबस
34	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	अबुझ मरियाज/ अबुझ मारिया
35		बैगा
36		भारिया
37		बिरहोर
38		पहाड़ी (हिल) कोरवा
39		कमार
40		सहरिया
41	महाराष्ट्र	कातकारी
42		कोलम
43		मारिया गोंड

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	पीवीटीजी का नाम
44	मणिपुर	मारम
45	ओडिशा	बिरहोर
46		बॉन्डो
47		चुक्तिया भुंजिया
48		दीदाई
49		डुंगरिया खोंड
50		जुआंग
51		खरिया
52		कुटिया कंधा
53		लांजिया सोरा
54		लोढ़ा
55		मनकीर्दिया
56		पौड़ी भुयांस
57		सौरा
58	राजस्थान	सहरिया
59	तमिलनाडु	इरुलर
60		कट्टुनायकान
61		कोटा
62		कुरुंबस
63		पनियान
64		टोडा
65	त्रिपुरा	रिआंग
66	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	बुक्सा
67		राजी
68	पश्चिम बंगाल	बिरहोर
69		लोढ़ा
70		टोटो
71	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	ग्रेट अंडमानीज
72		जरावा
73		ऑंगेज
74		सेंटीनेलिस
75		शॉम पेनज

अनुलग्नक 9ख

वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निर्मुक्त निधि (31.12.2023 तक):

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2020–21	2021–22	2022–23
1.	आंध्र प्रदेश	1245.51	1829.60	1645.50
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	252.11	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	989.32	996.90	1500.00
5.	गुजरात	552.20	761.80	1731.20
6.	झारखंड	1777.29	1696.93	0.00
7.	कर्नाटक	438.46	661.17	1439.42
8.	केरल	88.00	0.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	2188.11	2888.69	0.00
10.	महाराष्ट्र	1411.66	0.00	0.00
11.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
12.	ओडिशा	1202.00	1197.00	1796.75
13.	राजस्थान	968.00	706.17	1120.63
14.	तमिलनाडु	551.08	1967.81	907.70
15.	तेलंगाना	1460.50	1193.04	1508.13
16.	त्रिपुरा	231.43	1481.71	1402.65
17.	उत्तर प्रदेश	82.04	0.00	0.00
18.	उत्तराखंड	295.00	367.07	0.00
19.	पश्चिम बंगाल	519.40	0.00	665.95
	कुल	**14000.00**	**16000.00**	**13717.93**

अनुलग्नक – 10क

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)

क्र.सं.	पता
1	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर – 744 101
2	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, आंध्र प्रदेश सरकार, जनजातीय कल्याण विभाग, कंधारी होटल रोड, रेवेन्यू कॉलोनी, विजयवाड़ा– 520 010
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और जनजातीय कार्य विभाग, राजीव गांधी स्टेडियम के पीछे, बी–सेक्टर नाहरलागुन, पिनः 791110, अरुणाचल प्रदेश।
4	असम जनजाति और अनुसूचित जाति अनुसंधान संस्थान, असम सरकार, जवाहरनगर, एनएच – 37, गुवाहाटी –781022
5	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ सरकार, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर–4, रायपुर
6	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014, गुजरात
7	जनजातीय अध्ययन संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समर हिल्स, शिमला– 171005, हिमाचल प्रदेश
8	जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान झारखंड सरकार, मोराबादी रोड, रांची – 834008
9	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जनजातीय कार्य निदेशालय जम्मू और कश्मीर सरकार, सिविल सचिवालय, जम्मू – 180001
10	कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान, #सीए–3 ट्रेजरी लाओट, केरगली, मैसूर – 570026
11	केरल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अध्ययन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान, केरल सरकार, कोझिकोड – 673017
12	जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, मध्य प्रदेश सरकार, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल – 462002
13	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, महाराष्ट्र सरकार, 28, क्वींस गार्डन, पुणे–411011
14	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, मणिपुर सरकार, चिंगमेइरोंग, इंफाल – 795001
15	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ओडिशा सरकार, यूनिट–टप्प, सीआरपी स्क्वायर, भुवनेश्वर – 751003
16	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान सरकार, अशोक नगर, पोस्ट बॉक्स नं. 86. उदयपुर–313 001
17	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार, समय कल्याण भवन, कमरा नंबर 402, 5वां माइल, लुमसे, ताडोंग, गंगटोक–737 101
18	जनजातीय अनुसंधान केंद्र, तमिलनाडु सरकार, एम.पलाडा (पीओ), उडगमंडलम, नीलगिरी जिला, तमिलनाडु, ऊटी –643 004
19	टीसीआर एंड टीआई, तेलंगाना सरकार, डीएसएस भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद–500 028
20	जनजातीय अनुसंधान और सांस्कृतिक संस्थान, त्रिपुरा सरकार, लेकचोवेमहुई, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा –799001
21	सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार, पी6–1/4 सीआईटी स्कीम टप्प–एम, वीआईपी रोड, कंकुरगाछी, कोलकाता– 700054
22	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार, भागीदारी भवन, (अंबेडकर पार्क के निकट), विपुलखंड–गोमती नगर, लखनऊ–226010
23	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण निदेशालय, चलत्लंग, आइजोल, मिजोरम 796012
24	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण निदेशालय, राजभवन के पास, कोहिमा, नागालैंड
25	आदिवासी अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार, सुभाष रोड, सचिवालय, देहरादून – 248 001
26	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, बाबादम, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय
27	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जनजातीय कल्याण निदेशालय, 5वीं मंजिल, श्रम शक्ति भवन, पट्टो, पणजी, गोवा

अनुलग्नक – 10ख

"जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता" योजना के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय वर्ष 2021–22 और 2022–23 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	निर्मुक्त की गई कुल राशि 2021–22			निर्मुक्त की गई कुल राशि 2022–23 (16.01.2023 तक)		
		जीआईए	सीसीए	कुल	जीआईए	सीसीए	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	432.75	0.00	432.75	0.00	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	158.68	30.36	189.04	0.00	0.00	0.00
6	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	114.10	0.00	114.10	0.00	0.00	0.00
8	जम्मू और कश्मीर	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
9	झारखंड	13.92	0.00	13.92	127.01	37.94	164.95
10	कर्नाटक	184.25	0.00	184.25	0.00	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	0.00	484.58	484.58	0.00	0.00	0.00
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मिजोरम	266.65	500.00	766.65	0.00	0.00	0.00
16	नागालैंड	85.00	0.00	85.00	40.00	125.00	165.00
17	ओडिशा	430.01	214.75	644.76	211.90	101.25	313.15
18	राजस्थान	215.34	0.00	215.34	0.00	0.00	0.00
19	सिक्किम	268.30	5.00	273.30	0.00	0.00	0.00
20	तमिलनाडु	116.90	18.19	135.09	0.00	0.00	0.00
21	तेलंगाना	346.70	202.25	548.95	0.00	0.00	0.00
22	त्रिपुरा	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
23	उत्तर प्रदेश	89.25	0.00	89.25	0.00	0.00	0.00
24	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	मेघालय	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
26	उत्तराखंड	1355.88	44.87	1400.75	0.00	0.00	0.00
27	गोवा	111.75	0.00	111.75	0.00	0.00	0.00
	कुल	**4500.00**	**1500.00**	**6000.00**	**378.91**	**264.19**	**643.10**

अनुलग्नक –11

वर्ष 2022–23 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) सहायता प्राप्त लाभार्थी (31.12.2022 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सहायता प्राप्त महिला लाभार्थी	सहायता प्राप्त कुल लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	10000	10000
2.	अरुणाचल प्रदेश	769	913
3.	छत्तीसगढ़	90	499
4.	गुजरात	0.00	218
5.	हिमाचल प्रदेश	61	120
6.	जम्मू और कश्मीर	257	535
7.	केरल	343	491
8.	कर्नाटक	265	623
9.	मध्य प्रदेश	471	1889
10.	महाराष्ट्र	29	524
11.	मणिपुर	38	57
12.	मेघालय	431	1201
13.	मिजोरम	1661	2965
14.	नागालैंड	0.00	1
15.	ओडिशा	822	2930
16.	राजस्थान	114	815
17.	तेलंगाना	6250	6250
18.	त्रिपुरा	10	20
19.	उत्तराखंड	84	226
20.	पश्चिम बंगाल	3732	3823
	कुल	25,427	34,100

अनुलग्नक 12

एमएफपी के लिए एमएसपी योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लघु वन उपज (एमएफपी) वस्तुओं और उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सूची

(रु. प्रति किलोग्राम में)

225	एमएफपी के नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 1/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 26/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की नई दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11/11/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की नई दर सूची	श्रेणी एफ: वन/लघु वनोपज ए: कृषि पी: संसाधित एम: औषधीय एच: बागवानी	अनुप्रयोज्यता
1	इमली (बीज सहित) (टैमारिंडस इंडिका)	36			एफ	अखिल भारतीय
2	जंगली शहद (वाइल्ड हनी)	225			एफ	अखिल भारतीय
3	गोंद कराया (स्टेरकुल्या यूरेनस)	114			एफ	अखिल भारतीय
4	करंज के बीज (पोंगामिया पिन्नाटा)	22			एफ	अखिल भारतीय
5	साल के बीज (शोरियारोबुस्टा)	20			एफ	अखिल भारतीय
6	महुआ के बीज (मधुकलोंगीफोलिया)	29			एफ	अखिल भारतीय
7	साल के पत्ते (शोरिया रोबुस्टा)	35			एफ	अखिल भारतीय
8	बीज सहित चिरौंजी की फली (बुचानानियालांज़न)	126			एफ	अखिल भारतीय
9	हरीतिका (टरमिनालिया चेबुला)	15			एफ	अखिल भारतीय
10	रंगिनी लाख	200			एफ	अखिल भारतीय
11	कुसुमी लाख	275			एफ	अखिल भारतीय
12	कुसुम के बीज (शैलिककेरा ओलियोसा)	23			एफ	अखिल भारतीय
13	नीम के बीज (आजादीरस्टा इंडिका)	27			एफ	अखिल भारतीय
14	पुआद के बीज (कासिया टोरा)	16			एफ	अखिल भारतीय
15	बहेड़ा (टरमिनालिया बेल्लिरिका)	17			एफ	अखिल भारतीय
16	पहाड़ी झाड घास (थायसानोलेना मैक्सिमा)	50			एफ	अखिल भारतीय
17	सूखी शिकाकायी की फली (अकैसिया कॉनसिन्ना)	50			एफ	अखिल भारतीय
18	बायल गूदा (सुखा) (ऐगले मार्मेलोस)	30			एफ	अखिल भारतीय
19	नागरमोथा (सायपरस रोटुंडस)	30			एफ	अखिल भारतीय
20	शतावरी की जड़ (सूखा) (ऐसपेरेगस रेसमोसुस)	107			एफ	अखिल भारतीय
21	गुड़मार / मधुनाशिनी (जिमनेमा सीलवेस्ट्रे)	41			एफ	अखिल भारतीय
22	कालमेघ (ऐंड्रोगाफिस पेनिकुलाटा)	35			एफ	अखिल भारतीय

225	एमएफपी के नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 1/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 26/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की नई दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11/11/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की नई दर सूची	श्रेणी एफः वन/लघु वनोपज एः कृषि पीः संसाधित एमः औषधीय एचः बागवानी	अनुप्रयोज्यता
23	इमली (बीज रहित) (टैमारिंडस इंडिका)	63			एफ	अखिल भारतीय
24	गुग्गुल (एग्ज्यूडेट्स)	812			एफ	अखिल भारतीय
25	महुआ के फूल (सूखे) (मधुकलोंगी फोलिया)	30			एफ	अखिल भारतीय
26	तेजपत्ता (सूखा) (सिन्नामोमुम तमाला तथा सिन्ना मोमुम एसपी)	40			एफ	अखिल भारतीय
27	जामुन के सूखे बीज (साइजियमकुमिनि)	42			एफ	अखिल भारतीय
28	आमले का सूखा गूदा (बीज रहित) (फायलांथस एमबिलिका)	52			एफ	अखिल भारतीय
29	भिलावां (मार्किंग नट्स) (सेमीकार्पस एनाकार्डियम)	9			एफ	अखिल भारतीय
30	रीठा (सूखा) (सैपिंडस एमार्जिनाटस)	14			एफ	अखिल भारतीय
31	भाव बीज (अमलतास) (कासिया फिसुला)	13			एफ	अखिल भारतीय
32	अर्जुन छाल (टर्मिनालिया अर्जुना)	21			एफ	अखिल भारतीय
33	कोकम (सूखा) (गारसिनिया इंडिका)	29			एफ	अखिल भारतीय
34	गिलोय (टीनोएस्पोरा कोर्डीफोलिया)	40			एफ	अखिल भारतीय
35	कौंच के बीज (मकुना प्रुरेंस)	21			एफ	अखिल भारतीय
36	चिरायता (स्वेरशिया चीराटा)	34			एफ	अखिल भारतीय
37	वायबिडिंग / वावडिंग (सूखा बीज) (एमबिलियारिब्स)	94			एफ	अखिल भारतीय
38	धवाईफूल सूखा फूल (वुडफोर्डीयाफ्लोरिबंडा)	37			एफ	अखिल भारतीय
39	नक्स वोमिका (स्ट्राइक्नोसनक्स वोमिका)	42			एफ	अखिल भारतीय
40	बन तुलसी के पत्ते (सूखे) (ओसीम्मटेनुइफ्लोरम)	22			एफ	अखिल भारतीय
41	क्षीरनी (हेमीडेसमसइंडिकस)	35			एफ	अखिल भारतीय
42	बकुल (सूखी छाल) (मीमुसोपसइलेंगी)	46			एफ	अखिल भारतीय
43	कुटज (सूखी छाल) (होलरहेना पुबेसिन्स/ एच.एनीडायसेन्टेरिका)	31			एफ	अखिल भारतीय
44	नोनी / आल (सूखे फल) (मोरिंडासिट्रीफोलिया)	17			एफ	अखिल भारतीय

225	एमएफपी के नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 1/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 26/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की नई दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11/11/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की नई दर सूची	श्रेणी एफः वन/लघु वनोपज ए: कृषि पीः संसाधित एमः औषधीय एचः बागवानी	अनुप्रयोज्यता
45	सोनापाठा / स्योनाक की फलियां (ओरोक्सीलम इंडिकम)	21			एफ	अखिल भारतीय
46	चनोथी के बीज (अबरूस प्रिकाटोरियस)	45			एफ	अखिल भारतीय
47	कालिहारी (सूखे कंद) (ग्लोरियोसा सुपरबा)	31			एफ	अखिल भारतीय
48	मकोय (सूखे फल) (सोलानम निग्रम)	24			एफ	अखिल भारतीय
49	अपंग पौधा (ऐकिरांथिस असपेरा)	28			एफ	अखिल भारतीय
50	सुगंधमंत्री की जड़ें/कंद (होमोलोमिना एरोमैटिक)	38			एफ	अखिल भारतीय
51	वन तुलसी के बीज (ओसिमम्ग्रेटिसिमम)		16		एफ	अखिल भारतीय
52	वन जीरा (वर्नोनिया एंथेलमिंटिका)		70		एफ	अखिल भारतीय
53	इमली का बीज (इमली इंडिका (बीज)		11		एफ	अखिल भारतीय
54	बांस झाड़ू (थिसानोलाएना मैक्सिमा)		60		एफ	अखिल भारतीय
55	सूखा अनोला (फिलेंथस एम्ब्लिका (सूखा)		60		एफ	अखिल भारतीय
56	कचरी बहेड़ा (टर्मिनलिया बेलेरिका)		20		पी	अखिल भारतीय
57	कचरीहर्र (टर्मिनलिया चेबुला)		23		पी	अखिल भारतीय
58	बीज लाख (केरिया लक्का)		677		एफपी	अखिल भारतीय
59	बीटल नट कच्चा (अरेका कत्था (कच्चा)		30		ए	पूर्वोत्तर राज्य
60	सुपारी सूखा (अरेका कत्था (सूखा)		200		एपी	पूर्वोत्तर राज्य
61	मशरूम (सूखा) (एगारिकसबिस्पोरस (सूखा)		300		एपी	पूर्वोत्तर राज्य
62	काला चावल (ओरिज़ा सैटिवा एल)		100		ए	पूर्वोत्तर राज्य
63	जोहर राइस (ओरिज़ा सैटिवा)		50		ए	पूर्वोत्तर राज्य
64	मोटी (किंग) मिर्च (शिमला मिर्च चाइनीज जैक)		300		ए	पूर्वोत्तर राज्य
65	सरसों (ब्रासिका निग्रा)		40		ए	पूर्वोत्तर राज्य
66	कच्चा काजू (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल (कच्चा)		450		ए	पूर्वोत्तर राज्य
67	काजू (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल (अखरोट)		800		एपी	पूर्वोत्तर राज्य
68	अदरक सूखा (ज़िंगिबर ऑफ़िसिनेल)		50		एपी	पूर्वोत्तर राज्य
69	पेरिला (पेरिला फ्रूटसेन्स)		140		ए	पूर्वोत्तर राज्य
70	रोज़ेला (हिबिस्कस सबदरिफ़ा)		200		ए	पूर्वोत्तर राज्य

225	एमएफपी के नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 1/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 26/05/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की नई दर सूची	जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 11/11/20 द्वारा अधिसूचित एमएफपी के लिए एमएसपी की नई दर सूची	श्रेणी एफः वन/लघु वनोपज एः कृषि पीः संसाधित एमः औषधीय एचः बागवानी	अनुप्रयोज्यता
71	अखरोट (रस चिनेंसिस)		150		ए	पूर्वोत्तर राज्य
72	ज़ैंथोक्सिलम सूखे (ज़ैन्थोक्सिलम आर्मेटम)		200		ए	पूर्वोत्तर राज्य
73	जैक फल बीज (आर्टोकार्पस हेटरोफिलस (बीज)		45		ए	पूर्वोत्तर राज्य
74	**टसर कोकून**				एफ/एच	झारखंड
	रीलिंग क्लास ग्रेड– I (विनिर्देश – जब शेल का औसत वजन 1.55 ग्राम और उससे अधिक हो)			रू. 3200/प्रति हजार		
	अन–रीलिंग क्लास ग्रेड– I (विनिर्देश – जब शेल का औसत वजन 1.40 ग्राम और उससे अधिक हो)			रू. 1500/प्रति हजार		
75	कैश कर्नेल (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल)			90	एफ/पी	अखिल भारतीय
76	हाथी सेब सूखा (डिलनिया इंडिका)			120	एफ/एच	पूर्वोत्तर राज्य
77	बम्बू शूट (फाइलोस्टैचिस एडुलिस)			70	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
78	मलकांगनी बीज (सेलास्ट्रूपैनीकुलेटस जंगली)			100	एफ	अखिल भारतीय
79	माहुल पत्तियां (बौहिनिया वाहली)			15	एफ	ओडिशा, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल
80	नागोड (विटेक्स नेगुंडो)			20	एफ	अखिल भारतीय
81	गोखरू (ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस)			60	एफ	अखिल भारतीय
82	पिपला / उचिथि (सूखे बेरी) (पाइपर पेडिकेलटम)			120	एफ	अखिल भारतीय
83	गम्हार / गमरी (सूखी छाल) (गमेलिना अर्बोरिया)			20	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
84	ओरोक्सिलम इंडिकम (सूखी छाल) (ऑरोक्सिलम इंडिकम)			40	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
85	जंगली मशरूम सूखा (अगारीकस्सप)			400	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
86	श्रृंगराज (एक्लिप्टा अल्बा)			18	एफ/एम	अखिल भारतीय
87	ट्री मॉस (ब्रायोफाइट्स)			350	एफ/पी	कर्नाटक

अनुलग्नक–13

अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसटी) के छह क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान और क्षेत्राधिकार

क्र.सं.	कार्यालय का स्थान और पता	संपर्क विवरण	क्षेत्राधिकार
1.	कमरा सं.309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, 52–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011	अनुसंधान अधिकारी, फोनः 0755 2576530 0755 2578272(फैक्स), ई–मेलः ro&bhopal@ncst-nic-in	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप
2.	एन–1/297, आईआरसी गांव, भुवनेश्वर–751015	सहायक निदेशक, फोनः0674 2551616, 0674 2551818 (फैक्स), ई–मेलःro&bbsr@ncst-nic-in	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं पांडिचेरी
3.	कमरा सं. 101 एवं 102, प्रथम तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर –10, विद्याधर नगर, जयपुर–302023	निदेशक, फोनः 0141 2236462, 0141 2235488(फैक्स) ई–मेलः ro&jaipur@ncst-nic-in	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ तथा दमन और दीव।
4.	ईएसी कॉलोनी प्लॉट नंबर 3/16, जिला न्यायालय के पीछे प्रथम तल, पूर्णिमा स्कूल के पास, रायपुर –492001	अनुसंधान अधिकारी, फोनः0771 2443334 0771 2443335 (फैक्स), ई–मेलःro&raipur@ncst-nic-in	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू एजी को–ऑपरेटिव कॉलोनी, कद्रू, रांची–834002	सहायक निदेशक, फोनः0651 2341677, 0651 2340368(फैक्स), ई–मेलःro&ranchi@ncst-nic-in	बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश
6.	रबेक्का विला, टेम्पल रोड, लोअर लचुमियरे,शिलांग –793001	सहायक निदेशक, फोनः0364 2504202 0364 2221362(फैक्स) ई–मेलः ro&shilong@ncst-nic-in	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा,

अनुलग्नक– 14

"अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" योजना के तहत वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान लाभार्थियों और निर्मुक्त निधियों का विवरण

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
			आंध्र प्रदेश				
1	श्री लक्ष्मी महिला मंडली	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	569976	198	3713750	143	–
2	सिंहपुरी विद्या सेवा समिति	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	454772	3535	4785612	3535	–
3	वसंत लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	2322000	3571	4026544	3571	–
4	वसंत लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	1028025	9246	1788728	9246	261427
5	एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए ग्राम अभ्युदय सोसायटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	651307	100	1914030	100	2306745
			अरुणाचल प्रदेश				
6	बौद्ध संस्कृति संरक्षण सोसायटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1424494	125	5687757	125	1131488
7	बौद्ध संस्कृति संरक्षण सोसायटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	542196	100	3706583	100	674043
8	अरुणाचल पाली विद्यापीठ सोसायटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	3471073	155	1261090	141	2921076
9	अरुणाचल पाली विद्यापीठ सोसायटी	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	1416769	2150	269405	1015	1028025
10	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	जीआईए – छात्रावास	–	96	1450648	100	2249340
11	रामकृष्ण मिशन अस्पताल	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	8667194	128402	456349	–	–
12	रामकृष्ण मिशन आलो	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	2158652	4827	3280562	3156	323233
13	रामकृष्ण मिशन आलो	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	923250	2228	1553451	2634	403676
14	रामकृष्ण शारदा मिशन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	512696	0	–	300	5575095
15	रामकृष्ण मिशन स्कूल	जीआईए – आवासीय विद्यालय	6425097	359	1799279	120	2807767

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
16	रामकृष्ण मिशन स्कूल	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	–	133	1210458	–	–
17	रामकृष्ण मिशन स्कूल	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	1642876	2647	208803	4999	2121273
18	भारत सेवाश्रम संघ ईटानगर	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	–	–	2894608	–	–
असम							
19	ग्राम विकास परिषद	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	828	1028025	4705	2039850
20	ग्राम विकास परिषद	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	815	1028025	4705	2039850
21	ग्राम विकास परिषद	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	3963	1289081	–	–
22	सदाउ असोम ग्राम्या पुथीभराल संथा	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	–	–	–	–	1284544
23	सामाजिक आर्थिक और स्वास्थ्य विकास असम संबंधी समिति	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	2695	1298948	–	–
24	डॉ. अम्बेडकर मिशन	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	–	13983	5979414	13983	–
25	डॉ. अम्बेडकर मिशन	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	8025	2056050	4545	861130
26	श्रीमंत शंकर मिशन	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	4000	–	–	1716990
27	दयानन्द सेवाश्रम संघ	जीआईए – छात्रावास	182329	–	–	–	764289
28	दयानन्द सेवाश्रम संघ	जीआईए – छात्रावास	–	–	–	–	717609
29	दयानन्द सेवाश्रम संघ	जीआईए – छात्रावास	1072327	–	–	–	993929
30	दयानन्द सेवाश्रम संघ	जीआईए – छात्रावास	–	–	–	–	722420
31	रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम	जीआईए – छात्रावास	1086160	64	1002583	–	–
32	रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	7194	277882	–	–

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
33	वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण संगठन	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	1713375	5052	1028025	4915	902025
34	भारत सेवाश्रम संघ गुवाहाटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	100	2042019	–	–
35	भारत सेवाश्रम संघ गुवाहाटी	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	2464	–	–	608400
36	रामकृष्ण मिशन	जीआईए – छात्रावास	–	32	698565	–	–
37	रामकृष्ण मिशन	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	7455	3714	783861	–	–
			छत्तीसगढ़				
38	नव अभिलाषा शिक्षण संस्थान	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1772811	100	35078	58	1577384
39	विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ, वेलफेयर एंड सर्विस छत्तीसगढ़	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	91518	192	8851642	192	1889375
40	गौमुखी सेवा धाम	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	150	992053	150	2574248
41	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुरनगर (छ.ग.)	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	114980	78	–	–	113465
42	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुरनगर (छ.ग.)	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	101732	51	–	–	100541
43	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुरनगर (छ.ग.)	जीआईए – छात्रावास	191845	27	–	–	–
44	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुरनगर (छ.ग.)	जीआईए – छात्रावास	254900	39	–	–	–
45	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुरनगर (छ.ग.)	जीआईए – छात्रावास	289100	50	–	–	–
46	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुरनगर (छ.ग.)	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	711209	6585	–	–	693251
47	वनवासी विकास समिति	जीआईए – छात्रावास	231750	30	–	–	169506
48	रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर	जीआईए – छात्रावास	1140501	1460	3158101	–	92430
			दिल्ली				

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
49	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	जीआईए – छात्रावास	1316151	50	1428775	–	–
गुजरात							
50	श्री विमुक्त जाति कल्याण मंडल	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	–	–	–	–	2724520
51	भारत यात्रा केंद्र	जीआईए – छात्रावास	–	70	454525	–	794830
52	लोकनिकेतन रतनपुर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1158358	150	469706	–	–
53	सर्वोदय आश्रम सनाली	जीआईए – आवासीय विद्यालय	805894	83	–	–	527253
54	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2287875	100	959724	100	2696426
55	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	–	100	404250	100	2761940
56	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	–	–	1538898	–	–
57	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए – छात्रावास	–	99	–	99	2937742
58	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी / बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	1747337	18721	–	16792	1219593
59	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी / बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	1740387	17343	–	18504	1219593
60	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी / बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	1740388	18721	–	16963	1219593
61	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी / बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	1740387	16572	–	16963	1219593
62	अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा और सांस्कृतिक संघ (इनरेका)	जीआईए – छात्रावास	–	100	1255768	100	1772685
63	अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा और सांस्कृतिक संघ (इनरेका)	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	–	11860	5189619	22696	617512
64	भारत सेवाश्रम संघ	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी / बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	877721	10559	130557	–	–
हिमाचल प्रदेश							
65	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	8751413	335	–	–	–
66	आईएसबीपी और टीसीएस	जीआईए – आवासीय विद्यालय	4653706	217	–	222	5933115

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
67	रिनचेन ज़ंगपो सोसायटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	6267277	400	7187306	400	3275375
68	रिनचेन ज़ंगपो सोसायटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	17305	100	2070450	100	2425050
69	रम्धा बौद्ध समाज	जीआईए – छात्रावास	1226239	100	2230706	100	420221
70	कि गोम्पा की बौद्ध सांस्कृतिक सोसायटी	जीआईए – छात्रावास	1509319	100	424481	100	1866847
71	सूर्य किरण शिक्षा सोसायटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	134	–	–	1298236
		जम्मू और कश्मीर					
72	महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र +	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2671518	–	–	–	–
73	श्री नालंदा धर्म केंद्र	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	–	–	2672910	–	–
74	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1967859	–	–	–	–
		झारखंड					
75	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ शाखा रांची	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	–	100	1543116	–	–
76	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसायटी	जीआईए – छात्रावास	–	65	693395	–	–
77	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसायटी	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	–	157992	–	–
78	विकास भारती बिशुनपुर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	–	1491080	–	–
79	विकास भारती बिशुनपुर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	–	1849440	–	–
80	विकास भारती बिशुनपुर	जीआईए – छात्रावास	757554	–	1743750	–	–
81	विकास भारती बिशुनपुर	जीआईए – छात्रावास	–	–	2440563	–	–
82	भारत सेवाश्रम संघ पाकुड़ शाखा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2243586	100	769125	100	2193388
83	भारत सेवाश्रम संघ पाकुड़ शाखा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2243586	100	769125	100	2204915
84	भारत सेवाश्रम संघ पाकुड़ शाखा	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	4176096	1992	116190	2876	2474250

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
85	रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी / बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	2206193	10884	–	9722	1015666
86	रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची	जीआईए दृ जीविकोपार्जन परियोजना	–	80	6200794	80	3971902
87	भारत सेवाश्रम संघ दुमका	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2113087	100	692025	100	2513664
88	भारत सेवाश्रम संघ दुमका	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2683752	150	1775299	150	3507825
89	भारत सेवाश्रम संघ दुमका	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	1080372	8232	3630257	8262	3803581
90	भारत सेवाश्रम संघ दुमका	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी / बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	1426058	7689	25773	12179	1177305
91	रामकृष्ण मठ	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी / बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	153224	–	536022	–	–
92	रामकृष्ण मिशन क्षय रोग अस्पताल	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	8633392	504	344060	413	9668932
93	रामकृष्ण मिशन क्षय रोग अस्पताल	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	17000153	21652	269	16267	14814016
94	रामकृष्ण मिशन क्षय रोग अस्पताल	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी / बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	1375199	5256	53413	11570	1142250
95	भारत सेवाश्रम संघ बरजुरी घाटशिला	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1242244	160	3154196	–	–
96	भारत सेवाश्रम संघ बरजुरी घाटशिला	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	100	2637450	–	–
97	भारत सेवाश्रम संघ बरजुरी घाटशिला	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी / बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	1637820	10196	24273	–	–
98	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	150	2552338	150	1576969
99	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	100	1995783	100	1190269
100	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	200	3150497	200	2557890
101	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	488	5736735	488	6869108
102	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	–	91	1502009	100	1097797
103	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	–	101	1477767	–	–
104	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	345965	130	1422866	130	1141035
105	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	269384	164	1308597	137	1236273

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
106	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	549317	199	1486337	–	–
107	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	–	12908	5555346	5611	3149018
108	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	–	25412	4993181	19715	2341595
109	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	14456	1461711	10634	1022713
110	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	13009	1343976	15068	800663
111	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	23331	1422493	15992	838440
112	भारत सेवाश्रम संघ रांची	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	100	2219924	–	–
113	भारत सेवाश्रम संघ रांची	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	7895	1434750	–	–
कर्नाटक							
114	आशीर्वाद ग्रामीण विकास ट्रस्ट	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	2612722	10021	1978800	10021	–
115	हरिहरग्रामिनाभिवृधि संघ	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	1226457	8851	867651	8851	–
116	भारती एजुकेशन ट्रस्ट	जीआईए – आवासीय विद्यालय	496207	100	4415283	100	–
117	स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	252	1217908	–	1447893
118	स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2026266	106	–	–	148881
119	स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	2845039	5020	123200	–	–
120	स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	1208618	9975	51132	–	–
121	प्रगति ग्रामीण विकास सोसायटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	978368	100	2645440	100	2945095
122	श्री मंजुनाथस्वामी विद्या संस्थे	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	115	630345	–	1282905
123	श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय ट्रस्ट	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	–	100	344105	–	1345842

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
124	श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय ट्रस्ट	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	–	7729	5926500	7729	–
125	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	–	–	–	–	1471623
126	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी / बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	–	–	–	704448
127	संत कबीरदास एजुकेशन सोसाइटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	–	153345	–	–
128	स्वयं सहायता और ग्रामीण विकास के लिए नवज्योति संस्थान	जीआईए – आवासीय विद्यालय	257367	–	2092282	–	–
129	समर्पण विकास संगठन	जीआईए – छात्रावास	–	84	1847790	69	1011517
		केरल					
130	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, केरल	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	7713613	14001	2962816	14001	–
131	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, केरल	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी / बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	1484370	4425	610430	–	–
132	वायनाड गिरिजन सेवा ट्रस्ट	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2884500	200	7674134	–	–
133	माता अमृतानंदमयी मठ	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	–	59172	3034093	61591	2164752
		लद्दाख					
134	महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र +	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	177	3689713	–	2115988
135	महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	–	770	618882	–	–
		मध्य प्रदेश					
136	दीनदयाल शोध संस्थान	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	120	2258461	–	1003201
137	एमपी अनुसुचित जाति, जनजाति एवम पिछरा वर्ग कल्याण संघ उज्जै	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	85	560721	–	1485981
138	एमपी अनुसुचित जाति, जनजाति एवम पिछरा वर्ग कल्याण संघ उज्जैन	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	–	110	3268640	–	2863385

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
139	बांधेवाल शिक्षा समिति	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	–	99	1478626	99	1573010
140	बांधेवाल शिक्षा समिति	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	–	100	6025275	92	3478380
141	शहरी और ग्रामीण विकास के लिए सव्यासाची केंद्र	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	–	305	18029144	305	5970191
142	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	88	248002	–	786408
143	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी/ बहुसेवा मोबाइल इकाइयां	–	709	–	–	646709
144	पाण्डेय शिक्षा समिति भामराहा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	4459306	197	6118546	197	2022703
145	पाण्डेय शिक्षा समिति भामराहा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	5903750	193	6400209	60	2411765
146	पाण्डेय शिक्षा समिति भामराहा	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	–	81	7563664	77	871511
147	पाण्डेय शिक्षा समिति भामराहा	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	376295	60	3960000	60	2151000
148	रमा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	–	95	1490790	95	1539910
149	पुष्पा कॉन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	2028442	100	1772821	100	374377
150	पुष्पा कॉन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	–	–	–	–	3403842
151	आदर्श लोक कल्याण संस्थान	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	–	150	5989127	150	1989315
152	आदर्श लोक कल्याण संस्थान	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	–	150	6109317	150	2019288

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
153	एमपी आदिवासी सेवक संघ जयसिंहनगर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	181	9005827	181	2851659
154	एमपी आदिवासी सेवक संघ जयसिंहनगर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	197	8606615	197	2714859
155	एमपी आदिवासी सेवक संघ जयसिंहनगर	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	–	100	4872425	100	1838700
156	एमपी आदिवासी सेवक संघ जयसिंहनगर	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	–	100	4819974	100	1816200
157	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति टिकरिया	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	113095	100	2549508	100	3081175
158	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति टिकरिया	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	115970	100	2549666	100	3020814
159	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट कत्तीवाड़ा जिला अलीराजपुर (मप्र)	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / आवास दोनों)	4938036	150	–	–	–
160	वनवासी सेवा मंडल समिति	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	–	100	2018505	100	2058801
161	अमरपुर बाल विकास विद्या मंदिर समिति	जीआईए – गैर–आवासीय स्कूल	1245150	100	1141650	100	1236150
162	ग्रामीण सेवा केंद्र	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / लॉजिंग दोनों)	–	–	788905	–	–
163	ग्रामीण सेवा केंद्र	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूलिंग और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	–	96	2642889	100	–

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
164	अमय ग्रामीण उत्थान समिति	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – केवल प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक स्तर के नये छात्रावास	3208526	100	–	100	2971612
			महाराष्ट्र				
165	मलमथा परिसर शिक्षण प्रसारक मंडल नागपुर (वी) ताल सकरी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1011022	153	2448652	153	2985900
166	श्री गणेश फाउंडेशन	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूलिंग और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	3469299	240	5541540	240	8201100
167	श्री गणेश फाउंडेशन	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूलिंग और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	5371876	229	7667213	229	5252347
168	उज्ज्वल ग्रामीण विकास सोसायटी, नेवाडे, तहसील शिदखेड़ा	जीआईए – छात्रावास	964351	113	1642769	119	1924760
169	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल ताल नंदगांव जिला नासिक	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2086030	120	433494	120	2243372
170	संधि निकेतन शिक्षण संस्था वडगांव	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूलिंग और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	2958837	–	–	–	–
171	चंद्राई महिला मंडल	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2615722	250	4318144	250	5213046
172	चंद्राई महिला मंडल	जीआईए – छात्रावास	5519804	219	4868860	219	4553818
173	रेणुकादेवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाने	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1618698	160	2575727	143	3204567
174	श्री स्वामी स्वयं सेवाभावी संस्था गणेशपुर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	3557466	250	3379010	–	638153
175	श्री स्वामी स्वयं सेवाभावी संस्था गणेशपुर	जीआईए – छात्रावास	2475945	163	4907876	162	–
176	जय हिंद मित्र मंडल कोल्हा ताल मनवात जिला परभणी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	916117	104	1977646	124	2881787

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
177	श्री महागणपति समाजसेवी संगठन वडनेर बी.के	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	57	1769259	–	392336
178	खांडेराव एजुकेशन सोसाइटी बसर, तहसील सकरी, जिला धुले	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2986706	200	3554127	–	–
179	खांडेराव एजुकेशन सोसाइटी बसर, तहसील सकरी, जिला धुले	जीआईए – आवासीय विद्यालय	3750726	200	3301802	–	424027
180	श्री कोतुलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल कोतुल, तहसील–अकोले	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	169	4198994	–	730200
181	श्री कोतुलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल कोतुल, तहसील–अकोले	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	115	4210768	–	385972
182	राजमाता शिक्षण प्रसारक मंडल दोईथन आष्टी बीड महाराष्ट्र	जीआईए – आवासीय विद्यालय	715159	100	1893726	100	2375865
183	तापी परिसर एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट नेवाडे	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	100	2460780	100	2646866
184	तापी परिसर एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट नेवाडे	जीआईए – छात्रावास	–	100	1823985	–	1397025
185	महामानव बाबा आमटे बहुदेशीय सामाजिक विकास सेवा संस्था	जीआईए – छात्रावास	239534	97	1631728	–	1128642
186	श्री साईनाथ एजुकेशन सोसाइटी	जीआईए – छात्रावास	–	100	2792380	–	–
187	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	–	3501	–	–	2355102
188	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	–	7000	–	–	1661603
189	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट	जीआईए – आजीविका परियोजनाएं	–	35	–	–	550364
			मणिपुर				
190	मणिपुर उत्तर आर्थिक विकास संघ	जीआईए – छात्रावास	1206175	–	–	–	–
191	आदिमजाति शिक्षा आश्रम खोंगनांग कारक, चिंगमेइरोंग	जीआईए – छात्रावास	1245679	–	297866	–	–
192	क्रिश्चियन ग्रामर स्कूल	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	100	2538000	–	–
193	संयुक्त ग्रामीण विकास सेवा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1410457	75	5422875	100	1350262

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
194	सोसाइटी फॉर वीमेन एजुकेशन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन	जीआईए – सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	706950	1317	1397415	8936	582675
195	एकीकृत ग्रामीण विकास और शैक्षिक संगठन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	140	2606100	140	2604919
196	एकीकृत ग्रामीण विकास और शैक्षिक संगठन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	100	2277220	90	2092837
197	टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस	जीआईए – आवासीय विद्यालय	5746058	148	4835859	97	–
198	टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	100	7009718	100	675637
199	एकीकृत शैक्षिक सामाजिक विकास संगठन	जीआईए – गैर–आवासीय विद्यालय	2798753	100	2164432	100	388800
200	एकीकृत शैक्षिक सामाजिक विकास संगठन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1821780	–	–	–	–
201	स्यामसिनपावलपी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	6530423	500	11138107	500	867195
202	चिलचिल एशियन मिशन सोसाइटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	3002063	200	6979444	200	–
203	ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन	जीआईए – मोबाइल डिस्पेंसरी / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	706950	4240	2120850	4609	1178250
204	जनजातीय संस्कृति अनुसंधान केंद्र	जीआईए – गैर–आवासीय विद्यालय	–	0	2431290	100	1303805
205	ब्यान स्टीवंस कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान	जीआईए – आवासीय विद्यालय	744685	100	5088445	100	2955450
206	मणिपुर उत्तर आर्थिक विकास संघ	जीआईए – छात्रावास	–	–	1346000	–	–
207	अनोखा ट्रस्ट	जीआईए दृ सलच औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	2172375	464	1855744	464	–
208	सोशल ह्यूमन एक्शन फॉर रूरल एम्पावरमेंट सोसाइटी	जीआईए – छात्रावास	–	74	693620	–	–
			मेघालय				
209	कायजी सोसायटी	जीआईए – छात्रावास	1048455	–	–	–	–
210	रामकृष्ण मिशन शिलांग	जीआईए – छात्रावास	–	26	671913	–	–

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
211	रामकृष्ण मिशन शिलांग	जीआईए दृ सलच औषधालय /मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	–	15717	2150342	15717	–
212	सैन–केर चैरिटेबल ट्रस्ट	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	–	24923	2734374	–	–
213	सैन–केर चैरिटेबल ट्रस्ट	जीआईए दृ सलच औषधालय /मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	–	1940	1143755	–	–
214	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए – गैर–आवासीय विद्यालय	70876839	6452	55171707	7284	112407510
215	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए – गैर–आवासीय विद्यालय	4105282	869	8651007	869	1610595
216	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए – छात्रावास	1308019	69	1503656	50	303041
217	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए – छात्रावास	2020905	91	2293323	90	455456
218	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	1734544	24123	1397001	52187	841429
219	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए दृ सचल औषधालय/मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	1703924	6617	942505	8935	288637
220	रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी	जीआईए दृ सचल औषधालय/मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	1702625	6793	942716	10042	288818
मिजोरम							
221	नेत्रहीनों के लिए समरिटन्स एसोसिएशन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	–	467937	–	–
222	मिशन फाउंडेशन आंदोलन	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	6963997	256	1972350	256	–
223	मिशन फाउंडेशन आंदोलन	जीआईए दृ सचल औषधालय/मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	–	197	2520923	197	–
224	थुतकनुनपिटु टीम	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	93	2261530	–	–
225	मिजोरम हमीथाई एसोसिएशन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	100	3349620	–	–
226	सामाजिक मार्गदर्शन एजेंसी	जीआईए दृ सचल औषधालय/मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	–	1820	578889	–	–
227	नेत्रहीनों के लिए समरिटन्स एसोसिएशन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	–	–	–	670168

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
			ओडिशा				
228	केजीएनएम ट्रस्ट	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक जटिल प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / लॉजिंग दोनों)	2202200	100	1659843	–	–
229	सर्वोदय समिति	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक जटिल प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / लॉजिंग दोनों)	6219001	150	–	–	270933
230	विश्व जीवन सेवा संघ	जीआईए – आवासीय विद्यालय	919212	200	2216863	–	957730
231	बनबासी सेवा समिति	जीआईए – छात्रावास	–	100	1462544	–	–
232	ग्रामीण महिलाओं और युवा विकास के लिए संगठन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2196110	100	689852	–	–
233	नेहरू सेवा संघ	जीआईए – छात्रावास	523475	136	1623873	–	–
234	सोसाइटी फॉर नेचर, एजुकेशन एंड हेल्थ (स्नेह)	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक जटिल प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / लॉजिंग दोनों)	245241	156	3157835	–	–
235	सोसाइटी फॉर नेचर, एजुकेशन एंड हेल्थ (स्नेह)	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूलिंग और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	186340	103	2446416	–	69751
236	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स	जीआईए – आवासीय विद्यालय	3867829	190	1283878	190	3793230
237	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक जटिल प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / लॉजिंग दोनों)	4744760	240	489440	240	6646800
238	होली होम	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूलिंग और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	10915339	300	5171675	300	10617300
239	एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए)	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1759317	150	–	–	2290165
240	प्रकल्प	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूलिंग और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	–	300	8701673	–	560864

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
241	कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूलिंग और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	6732537	180	7969649	–	–
242	ब्राइट करियर अकादमी	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूलिंग और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	1231012	150	3633975	–	–
243	श्री रामकृष्ण आश्रम	जीआईए – छात्रावास	2643588	200	1660377	200	3323605
244	श्री रामकृष्ण आश्रम	जीआईए टू सचल औषधालय/मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	1287804	14592	52926	14592	1046993
245	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठान	जीआईए – आवासीय विद्यालय	580601	–	–	–	–
246	बांकी आंचलिका आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद	जीआईए – छात्रावास	–	100	375447	–	854367
247	श्री रामकृष्ण आश्रम	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर मध्य/माध्यमिक स्तर (स्कूलिंग और बोर्डिंग/लॉजिंग दोनों)	2847801	300	7619185	–	981637
248	ग्रामीण विकास उड़ीसा परियोजनाओं के लिए टैगोर सोसायटी	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक जटिल प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / लॉजिंग दोनों)	3718554	150	159040	–	–
249	सदज्योतिका	जीआईए – छात्रावास	470423	–	–	–	–
250	संकल्प	जीआईए – आवासीय विद्यालय	6169772	399	1887010	399	6263089
251	मार मुनिग आश्रम	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक जटिल प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / लॉजिंग दोनों)	205836	100	1660585	100	1565425
252	निखिला उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ	जीआईए – आवासीय विद्यालय	5501014	150	–	–	–
253	सेवा समाज	जीआईए – छात्रावास	1299420	100	–	–	966604
254	सेवा समाज	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक जटिल प्राथमिक स्तर (स्कूली शिक्षा और बोर्डिंग / लॉजिंग दोनों)	1662614	100	1262339	–	1003989
255	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज	जीआईए – आवासीय विद्यालय	39011220	5000	96766481	5000	19170344

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
256	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज	जीआईए – आवासीय विद्यालय	38444018	5000	76814842	5000	15930917
257	पर्यावरण और विकास के लिए सामाजिक शिक्षा (एसईईडी)	जीआईए – आवासीय विद्यालय	6261585	140	–	–	6075
258	न्यासद्रि	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1357000	100	5833275	–	–
259	मां बिंध्यबासिनी अनंत शिष्याश्रम	जीआईए – छात्रावास	478271	100	–	–	1180903
260	रामकृष्ण मिशन आश्रम पुरी	जीआईए – छात्रावास	–	70	2483106	–	–
261	रामकृष्ण मिशन	जीआईए – छात्रावास	–	52	1089495	–	654656
262	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	122	1387354	–	1032896
263	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	–	17653	644407	–	3821329
264	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए दृ सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	–	12269	1146722	–	–
265	भारत सेवाश्रम संघ जमशेदपुर	जीआईए दृ सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	–	11633	1131553	–	–
			राजस्थान				
266	राजस्थान बाल कल्याण समिति	जीआईए – गैर–आवासीय विद्यालय	5301615	372	3877368	384	943557
267	राजस्थान बाल कल्याण समिति	जीआईए – आजीविका परियोजनाएं	–	500	–	–	1352200
268	राजस्थान बाल कल्याण समिति	शिक्षा का सुदृढ़ीकरण – शैक्षिक परिसर मध्य / माध्यमिक स्तर (स्कूलिंग और बोर्डिंग / लॉजिंग दोनों)	10770677	385	–	385	14464709
269	प्रेरणामूर्ति लोक कल्याण संस्थान पूंछियावाड़ा	जीआईए – गैर–आवासीय विद्यालय	1753943	172	2872714	172	2398410
270	वनस्थली विद्यापीठ	उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के प्रतिष्ठित संस्थान में से प्रत्येक से 15 जनजातीय बालिकाओं का प्रायोजन।	1153687	90	3415500	–	–

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
			सिक्किम				
271	सिक्किम का मानव विकास फाउंडेशन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	90	1597950	–	1579950
272	सिक्किम का मानव विकास फाउंडेशन	जीआईए – छात्रावास	–	100	1120410	–	1029960
273	मुयाल लिआंग ट्रस्ट	जीआईए – आवासीय विद्यालय	946123	111	–	–	2071446
			तमिलनाडु				
274	मोंटफोर्ट कम्युनिटी ट्रस्ट	जीआईए – छात्रावास	579975	–	–	–	–
275	सामुदायिक सेवा केंद्र	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1564132	–	1731837	–	–
276	सामुदायिक सेवा केंद्र	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	–	2035530	–	–
277	ग्रामीय मक्कल अबिविरुधि इयक्कम	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	5508907	12856	324383	12856	4738446
278	ग्रामीय मक्कल अबिविरुधि इयक्कम	जीआईए दृ सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	263756	7849	1055025	8797	1055025
279	ग्रामीय मक्कल अबिविरुधि इयक्कम	जीआईए दृ सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	1276560	8529	47621	8114	1055025
280	भरथियार मक्कल नलवल्वु संगम	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	561600	2178	2327400	11633	2322000
281	भरथियार मक्कल नलवल्वु संगम	जीआईए दृ सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	–	5005	1055025	9598	1055025
282	भरथियार मक्कल नलवल्वु संगम	जीआईए दृ सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	–	5067	1060425	8574	1060425
283	नीलगिरी आदिवासी कल्याण संघ	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	1487955	32831	13639917	–	–
284	जीआरजी ट्रस्ट	जीआईए – गैर–आवासीय विद्यालय	460148	137	2580970	137	469185
285	दक्षिण भारत अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	–	1615712	–	–
			तेलगाना				
286	बंजारा सेवा समिति	जीआईए – छात्रावास	3856496	95	960933	96	1844957
287	जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट	जीआईए – गैर–आवासीय विद्यालय	–	173	1897762	–	–
288	जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	150	2805524	–	1473957

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
289	जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट	जीआईए – गैर–आवासीय विद्यालय	1625258	–	–	–	680563
			त्रिपुरा				
290	वेद विज्ञान महा विद्या पीठ	जीआईए – गैर–आवासीय विद्यालय	440702	114	–	–	–
291	वेद विज्ञान महा विद्या पीठ	जीआईए – गैर–आवासीय विद्यालय	518669	135	–	–	–
292	वेद विज्ञान महा विद्या पीठ	जीआईए – गैर–आवासीय विद्यालय	323706	84	–	–	–
293	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2071402	100	–	–	1269042
294	बहुजन हिताय शिक्षा ट्रस्ट	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	–	156271	–	–
			उत्तर प्रदेश				
295	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ शाखा पलिया कलां	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	100	–	–	1344588
296	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी	जीआईए – छात्रावास	2236365	45	740619	95	1846533
297	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी	जीआईए – छात्रावास	1311505	47	1690281	47	923207
298	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी	जीआईए – छात्रावास	2397734	50	789766	–	–
299	उत्तर प्रदेश वनवासी सेवा संस्थान पलिया कलां खीरी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	5277333	–	–	–	–
			उत्तराखंड				
300	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ शाखा कालसी देहरादून उत्तराखंड	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	100	1182499	–	1463101
301	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ शाखा कालसी देहरादून उत्तराखंड	जीआईए – आवासीय विद्यालय	989235	100	1284901	–	1423863
302	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी	जीआईए – आवासीय विद्यालय	303718	–	673777	–	950030
303	सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी	जीआईए – छात्रावास	148689	–	–	–	986971
304	समग्र ग्रामीण विकास समिति	जीआईए दृ सचल औषधालय/मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	706950	–	1032066	–	–
305	अशोक आश्रम	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	119	2249245	–	1289814
306	स्वतंत्रता सेनानी लोक बंधु राम मूर्ति पावसे सेवा न्यास	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2705870	–	–	–	1007353

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
			पश्चिम बंगाल				
307	भारत सेवाश्रम संघ कुसुरिया शाखा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	3418204	160	400971	–	–
308	भारत सेवाश्रम संघ कुसुरिया शाखा	जीआईए दृ सचल औषधालय/मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	1224787	6119	1764585	6119	–
309	भारत सेवाश्रम संघ बेलदंगा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	504655	125	3286728	125	–
310	भारत सेवाश्रम संघ बेलदंगा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	400	5593782	–	–
311	भारत सेवाश्रम संघ बेलदंगा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	225	3460370	–	–
312	भारत सेवाश्रम संघ बेलदंगा	जीआईए – 10 या अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	–	3346	–	–	1091909
313	भारत सेवाश्रम संघ बेलदंगा	जीआईए दृ सचल औषधालय/मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	935068	3341	1720530	3341	–
314	भारत सेवाश्रम संघ मुलुकबोलपुर	जीआईए – आवासीय विद्यालय	3617590	200	2013835	200	1481948
315	भारत सेवाश्रम संघ मुलुकबोलपुर	जीआईए दृ सचल औषधालय/मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	255656	6426	1235565	–	–
316	भारत सेवाश्रम संघ मुलुकबोलपुर	जीआईए दृ सचल औषधालय/मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	261056	6117	1239633	6123	1023525
317	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	73	1497789	–	–
318	भारत सेवाश्रम संघ	जीआईए – आवासीय विद्यालय	3927610	100	–	100	2405852
319	भारत सेवाश्रम संघ	जीआईए दृ सचल औषधालय/मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	1272510	10451	35517	11288	1060425
320	भारत सेवाश्रम संघ पंजीपुकुर शाखा	जीआईए – छात्रावास	1293410	100	1968398	100	554432
321	भारत सेवाश्रम संघ	जीआईए – आवासीय विद्यालय	2221425	100	688189	100	1424700
322	भारत सेवाश्रम संघ	जीआईए – छात्रावास	454185	100	1367887	100	876389
323	भारत सेवाश्रम संघ	जीआईए दृ सचल औषधालय/मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	1198494	8749	62906	9006	–
324	भारत सेवाश्रम संघ	जीआईए – छात्रावास	1462666	99	616050	–	–
325	भारत सेवाश्रम संघ	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	150	6909530	150	1455751

क्र.सं.	एनजीओ	परियोजना	2020–21		2021–22		2022–23 में निर्मुक्त निधि* (31.12.2022 तक)
			निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	निर्मुक्त निधि	लाभार्थी #	
326	भारत सेवाश्रम संघ	जीआईए दृ सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	–	10564	2851173	13045	322296
327	ग्वालडीहजति–उपजाति ब्लू बर्ड महिला कल्याण केंद्र	जीआईए – आवासीय विद्यालय	3050460	200	4445381	200	970414
328	मिदनापुर वेस्ट सिस्टर निवेदिता वेलफेयर सोसायटी	जीआईए दृ सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	1233307	4563	51620	5068	1028025
329	भारत सेवाश्रम संघ टीयर यूनिट	जीआईए – छात्रावास	2194864	130	504954	–	–
330	भारत सेवाश्रम संघ टीयर यूनिट	जीआईए दृ सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	1434187	10804	56813	10857	1142250
331	भारत सेवाश्रम संघ बालुरघाट	जीआईए – छात्रावास	6387274	496	1322325	–	–
332	रामकृष्ण मिशन बॉयज होम	जीआईए – आवासीय विद्यालय	1933369	99	1747978	93	679823
333	निम्बार्क मठ सेवा समिति ट्रस्ट	जीआईए दृ सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	1028025	680	1028025	6193	1028025
334	भारत सेवाश्रम संघ डोकरा शाखा	जीआईए – आवासीय विद्यालय	–	100	2363724	–	2373165
335	भारत सेवाश्रम संघ घक्सोले यूनिट	जीआईए – छात्रावास	430187	100	1329514	100	1191143
336	भारत सेवाश्रम संघ घक्सोले यूनिट	जीआईए दृ सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	1226711	8900	44278	8300	1027485
337	भारत सेवाम संघ–पुरुलिया	जीआईए – छात्रावास	1772685	100	1329514	100	1449826
338	भारत सेवाश्रम संघ ताजपुर यूनिट	जीआईए – छात्रावास	1217909	100	–	–	84685
339	भारत सेवाश्रम संघ ताजपुर यूनिट	जीआईए दृ सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	1227150	7591	796873	7591	–
340	भारत सेवाश्रम संघ फरक्का इकाई	जीआईए – छात्रावास	1181790	100	3102199	–	–
341	बिकास भारती वेलफेयर सोसायटी	जीआईए दृ सचल औषधालय / मल्टी सर्विस मोबाइल यूनिट	685350	4523	1605477	–	–
342	प्रणब कन्या संघ	जीआईए – छात्रावास	–	50	1318408	–	–

*जारी की गई निधि पिछले वित्तीय वर्षों की प्रतिपूर्ति है

#लाभार्थी अनंतिम हैं

$परियोजना, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद से अब लेह में है

अनुलग्नक–16

वर्ष 2022–23 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई धनराशि (31.12.2022 तक की स्थिति)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत योजना	0.00	0.00	0.00	1693.69	1543.05	2062.19	0	483.55	5782.48
2	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) (10.01. 2023 तक)	0.00	10317.37	295.47	3342.30	641.97	681.90	0.00	904.48	16183.50
3	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	0.00	0.00	0.00	115.48	0.00	0.00	0.00	810.42	925.90
4	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	9606.49	6845.47	4137.54	14619.79	2590.31	3608.43	925.44	4522.33	46855.80
5	अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को सहायता	192.35	126.51	139.99	1161.96	6.70	0.00	46.81	12.69	1687.01
6	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.70	188.70
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता (16.01. 2023 तक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
	कुल	**9798.84**	**17289.35**	**4573.00**	**20933.20**	**4782.03**	**6517.52**	**972.25**	**6922.17**	**71788.38**

अनुलग्नक–17

वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान महिला लाभार्थियों के लिए शामिल विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्धियां

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रमों का नाम	उप–योजनाओं का विवरण	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतिम अनुदान 2022–23 (करोड़ रुपये में)	पहचाने जाने योग्य मापने योग्य और निगरानी योग्य आउटपुट/ परिणाम	लक्ष्य प्राप्त किया गया
1.	अनुच्छेद 275(1) अनुदान	मंत्रालय ने प्राथमिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युतीकरण, अंतिम छोर तक सड़क और संचार, वित्तीय समावेशन, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी और अन्य जनजातीय घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आय सृजन योजनाएं, आदि सहित विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतरों को पाटने के लिए हस्तक्षेप करने को प्राथमिकता दी है। मौजूदा आईटीडीए का सुदृढ़ीकरण/नए आईटीडीए की स्थापना और समर्पित सूक्ष्म परियोजनाओं को समर्थन देना भी इस योजना के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। अंतरो की पहचान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।	1350.00 रुपये (बीई) 925.00 रुपये (आरई)	यह एक लिंग तटस्थ योजना है और लाभ पुरुष और महिला दोनों लाभार्थियों के लिए हैं। अनुदान अंतर भरने की प्रकृति के हैं। हालाकि, राज्यों को सलाह दी जाती है कि एक लाभार्थी उन्मुख परियोजनाओं के तहत तिहाई महिला लाभार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए।	दिनांक 31.12.2022 तक राज्यों को अनुच्छेद 275(1) के तहत 419.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
2.	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	सरकार ने 2021–22 से 2025–26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 'प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)' नामकरण के साथ 'जनजातीय उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)' की पिछली योजना को नया रूप दिया है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) की नई शुरू की गई योजना के तहत 2021–22 से 2025–26 के दौरान कम से कम 50% जनजातीय आबादी वाले कुल 36,428 गांवों और 500 अजजा को लिया जा रहा है। योजना के तहत कवर की जाने वाली कुल आबादी लगभग 4.22 करोड़ (कुल जनजातीय आबादी का लगभग 40%) होगी।	1357.00 रुपये (बीई) 1357.00 रुपये (आरई)	योजना का लक्ष्य ग्राम विकास योजनाओं के विकास के माध्यम से विकासात्मक अंतरों को कवर करना है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क संपर्क, स्वच्छता, पेयजल, संपर्क, आंगनवाड़ी, जल निकासी और अपशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास, सामुदायिक वन विकास, वन संसाधनों के संरक्षण को संबोधित करेगा। योजना में लक्षित कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में से 2.10 करोड़ की महिला अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 50% है, को अंतराल के शमन से लाभ होने की उम्मीद है।	दिनांक 31.12.2022 तक राज्यों को 114625.89 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है
3.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	योजना के तहत अलग से कोई बजट आवंटन नहीं है। "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" के तहत संयुक्त निधियां आवंटित की जाती है	7743 अनुसूचित जनजाति की बालिका हितग्राहियों के लिए 47 शैक्षिक परिसर।	2022–23 के दौरान, 5 राज्यों में 4863 अजजा लड़कियों के लाभार्थियों को कवर करने वाले 28 शैक्षिक परिसरों के लिए 8.82 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रमों का नाम	उप–योजनाओं का विवरण	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतिम अनुदान 2022–23 (करोड़ रुपये में)	पहचाने जाने योग्य मापने योग्य और निगरानी योग्य आउटपुट/ परिणाम	लक्ष्य प्राप्त किया गया
4.	टीआरआई को सहायता	'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' योजना के तहत, जनजातियों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में विनिमय यात्राओं के आयोजन के लिए सहायता दी जाती है। अतिथि समूह में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।			
5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है। इस निगम के पास अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना सशक्तिकरण योजना" (एएमएसवाई) नामक एक विशेष योजना है। निगम ₹ 2 लाख तक की इकाई लागत वाली योजनाओं के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4% प्रति वर्ष की दर से अत्यधिक रियायती ब्याज पर दी जाती है। वर्ष के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने 31.12.2022 तक 1077 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए ₹ 8.84 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। निगम अन्य आय सृजन योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों के लिए अपनी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।	एनएसटीएफडीसी को 2022–23 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।	दिनांक 31.12.2022 तक एएमएसवाई के अंतर्गत संवितरण – 4.01 करोड़ महिला लाभार्थियों की संख्या – 531	अनुमानित निधि उपलब्धता के आधार पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, एनएसटीएफडीसी अनुमानित रूप से अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां आवंटित करता है। वर्ष 2022–23 के लिए, एनएसटीएफडीसी ने ₹ 250.00 करोड़ की निधि निर्धारित की और 31.12.2022 तक, निगम ने ₹ 181.12 करोड़ का वितरण किया, जिसमें 34,100 लाभार्थी शामिल थे। यह अनुमान लगाया गया है कि निगम 31.01.2023 तक लगभग ₹ 270.00 करोड़ का संवितरण करने में सक्षम होगा।
6.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)	ग्यारहवीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	1965.00 (बीई) 1965.00 (आरई)	योजना के तहत कवर किए गए छात्रों की संख्या 19,38,650 (अनुमानित)	अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों के लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को 1801.47 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।
7.	नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति की योजना	419.00 (बीई) 357.30 (आरई)	553,757 योजना के तहत कवर किए गए छात्रों की संख्या (अनुमानित)	अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को 216.79 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।
8.	अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)।	विदेशों के विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने की योजना	4.00 (बीई) 4.00 (आरई)	योजना के अंतर्गत शामिल छात्रों की संख्या 19	योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति बालक एवं बालिका हितग्राहियों को 1.52 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रमों का नाम	उप–योजनाओं का विवरण	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतिम अनुदान 2022–23 (करोड़ रुपये में)	पहचाने जाने योग्य मापने योग्य और निगरानी योग्य आउटपुट/ परिणाम	लक्ष्य प्राप्त किया गया
9.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	1. एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उच्चतर शिक्षा के रूप में अध्येतावृत्ति । 2. पेशेवर क्षेत्रों में सरकारी और निजी, अधिसूचित उत्कृष्टता संस्थानों में पाठ्यक्रम करना।	145.00 (बीई) 140.00 (आरई)	योजना के अंतर्गत कवर किए गए छात्रों की संख्या 5,646 है	योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिका हितग्राहियों के लिए 129.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है
10.	पीवीटीजी का विकास	पीवीटीजी योजना के दिशा–निर्देशों में विशेष महिला सभाओं की बैठकों के माध्यम से संरक्षण सह विकास योजनाओं के निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया है। पीवीटीजी के लिए संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) योजनाओं को तैयार करते समय योजना के दिशानिर्देशों के तहत लिंग संबंधी अलग–अलग जानकारी की भी सिफारिश की जाती है।	252.00 (बीई) 124.79 (आरई)	चूंकि पीवीटीजी के संरक्षण और विकास की योजना एक मांग–संचालित योजना है, परियोजनाओं को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उन्हें वार्षिक आवंटन किए जाने के बाद प्रस्तावित किया जाता है। इन परियोजनाओं को उनके महत्व, व्यवहार्यता और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटन के आधार पर पीएसी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसलिए, इस समय प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या बताना संभव नहीं होगा	दिनांक 31.12.2022 तक पीवीटीजी के विकास की योजना के तहत 6.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
11.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	सरकार ने 50% या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले और कम से कम 20,000 जनजातीय लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ईएमआरएस योजना वर्ष 2019 में एक अलग केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू की गई है। जनजातीय छात्रों के लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी (एनईएसटी), ईएमआरएस और एनईएसटी की योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन को निधि जारी की जाती है और आगे ईएमआरएस के निर्माण और स्कूलों के संचालन हेतु आवर्ती लागत के लिए राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों/ पीएसयू/ निर्माण एजेंसियों/राज्य सोसायटी को निधियां जारी करता है। ।	2000.00 (बीई) 2000.00 (आरई)	ईएमआरएस के दिशा–निर्देशों के अनुसार, ईएमआरएस की कुल अधिकतम स्वीकृत संख्या 480 छात्र हैं जिनमें बालकों और बालिकाओं की संख्या समान है।	ईएमआरएस योजना के तहत, वर्ष 2022–23 (10.01.2023 तक) के दौरान छात्रों का कुल नामांकन 1,13,275 है, जिसमें से 57,168 (50.46%) बालिकाएं है। ईएमआरएस योजना के तहत 31.12.2022 तक 1465.27 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

अनुलग्नक–18

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानः

(क) नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए वाचक भत्ताः

पाठ्यक्रम का स्तर *	वाचक भत्ता (प्रति माह रुपए)
समूह I, II	240
समूह III	200
समूह IV	160

(ख) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 160 रुपए प्रतिमाह तक परिवहन भत्ते का प्रावधान, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रावास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1955 के अनुसार दिव्यांगता को नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी दिव्यांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है;

(ग) कम अग्रांग दिव्यांगता वाले गंभीर रूप से दिव्यांग दिवा छात्रों के लिए 160/– रुपए प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण भत्ता;

(घ) किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रावास में रहने वाले, गंभीर रूप से अस्थि रोग से पीड़ित दिव्यांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के छात्रावास के इच्छुक किसी कर्मचारी को 160/– रुपए प्रतिमाह का विशेष वेतन देय है;

(ड.) मंदबुद्धि और मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए 240/– रुपए प्रतिमाह भत्ता।

(ख) से (ड.) में प्रावधान कुष्ठ रोग से ठीक हुए विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगे।

सहायता नहीं प्राप्त करने वाले मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थी इस योजना के तहत भत्तों के लिए पात्र होंगे, जो निम्नानुसार हैः

सहायता नहीं प्राप्त करने वाले निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए भत्ते	राशि (रुपए में)
(i) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता।	160
(ii) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मासिक परिवहन भत्ता (दिव्यांगजन अधिनियम, 1955 में यथा परिभाषित) यदि ऐसे विद्यार्थी छात्रावास जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है, में नहीं रहते हैं।	160
(iii) गंभीर रूप से दिव्यांग (अर्थात 80% या उससे अधिक दिव्यांगता), विद्यार्थी कम अग्रांग (निम्नांग) दिव्यांगता वाले दिवाछात्र के लिए मासिक अनुरक्षक भत्ता ।	160
(iv) शैक्षिक संस्थान के छात्रावास में रह रहे शारीरिक रूप से गंभीर अस्थि रोग से पीड़ित दिव्यांग विद्यार्थी जिसे सहायक की सहायता की आवश्यकता है, को सहायता देने हेतु छात्रावास के किसी इच्छुक कर्मचारी के लिए मासिक सहायक भत्ता देय है।	160
(v) मंदबुद्धि तथा मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों के लिए मासिक कोचिंग भत्ता।	240

टिप्पणीः दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण सहभागिता अधिनियम, 1955) के तहत यथा परिभाषित दिव्यांगता को राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

***विभिन्न समूहों के विवरण निम्नानुसार हैः**

समूह	पाठ्यक्रम
समूह I	(i) चिकित्सा (एलोपैथिक भारतीय और चिकित्सा की अन्य मान्यता प्राप्त पद्धति), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आयोजना, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फैशन प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यवसाय वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/एप्लीकेशन में एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरोत्तर अनुसंधान सहित स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री और पाठ्यक्रम। (ii) व्यावसायिक पायलट लाइसेंस (हेलिकॉप्टर पायलेट और बहु–इंजन रेटिंग सहित) पाठ्यक्रम (iii) प्रबंधन और चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सीए/ आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आईसीएफए आदि (v) एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरोत्तर कार्यक्रम (डी.लिट, डी.एस.सी. आदि) :– क) वर्तमान समूह– II के पाठ्यक्रम ख) वर्तमान समूह– III के पाठ्यक्रम (vi) एल.एल.एम.
समूह II	(i) फार्मेसी (बी–फार्मा), नर्सिंग (बी–नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस एवं पुनर्वास, नैदानिकी (निदान) आदि जैसे अन्य पैरा मेडिकल शाखाएं, जन–संचार, होटल प्रबंधन और कैटरिंग, यात्रा/पर्यटन/आतिथ्य प्रबंधन, इंटिरियर डेकोरेशन, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (बैंकिंग, बीमा, कर आदि) जैसे क्षेत्रों में जहां प्रवेश पात्रता कम–से–कम सीनियर माध्यमिक (10+2) है, उनमें डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। (ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे एम.ए/एम.एस.सी/एम.कॉम/एम.एड/एम.फार्मा आदि समूह–I में शामिल नहीं हैं।
समूह III	अन्य सभी पाठ्यक्रम जो स्नातक डिग्री के हैं जैसे बी.ए/बी.एस.सी/बी.कॉम आदि समूह– I तथा II में शामिल नहीं हैं।
समूह IV	मैट्रिक के बाद के सभी गैर–डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश पात्रता हाई स्कूल (कक्षा X) है उदाहरण के लिए सीनियर माध्यमिक प्रमाण–पत्र (कक्षा XI तथा XII) ; सामान्य और व्यावसायिक दोनों विषय (संकाय), आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि।

अनुलग्नक –19

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	पता
1.	श्री नदीम अहमद	अवर सचिव (पीएमएएजीवाई)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23343708
2.	श्री अरविंद मुद्गल	अवर सचिव (एनसीएसटी)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23340462
3.	श्रीमती श्वेता गौतम	अनुभाग अधिकारी (सतर्कता)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23340455
4.	श्री एम.के.झा	अवर सचिव (पीवीटीजी एवं अनुदान)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23340466
5.	श्रीमती देबलीना माइति गोसाई	अनुभाग अधिकारी (ईएमआरएस)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23340466
6.	श्री अनुपम सोनालकर	संयुक्त आयुक्त (एनईएसटीएस)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली –110001 दूरमाष सं. 9425807642
7.	श्री संजय कुमार	सहायक निदेशक (राजभाषा)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23340461
8.	श्री आर.के. वर्मा	उप–निदेशक (राज्य – एसटीसी)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23340278
9.	श्री राहुल कुमार	उप–निदेशक (केन्द्रीय–एसटीसी)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23340463
10.	श्री सुमंता चक्रवर्ती	उप–निदेशक (सांख्यिकी)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23340478
11.	श्री कामराज मलिक	अनुभाग अधिकारी (एफआरए)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23340473
12.	श्री वीर विक्रम	अनुभाग अधिकारी (आईएफडी)	कमरा सं. 217 एफ, द्वितीय तल, डी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23387007
13.	श्री राम नारायण	अनुभाग अधिकारी (छात्रवृत्ति तथा डीबीटी)	कमरा सं. 416, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23386952
14.	सुश्री रीमा शर्मा	अवर सचिव (स्थापना एवं सामान्य प्रशासन)	कमरा सं. 400, बी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23387469
15.	श्रीमती एस.के. जॉली	अनुभाग अधिकारी (आजीविका)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001.दूरमाष सं. 23340278
16.	श्री अशोक कुमार	अनुभाग अधिकारी (पीसी प्रभाग)	कमरा सं. 216 दृ जे, द्वितीय तल, डी–विंग,शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001 दूरमाष सं. 23382114
17.	श्री मनोज कुमार	अनुसंधान अधिकारी (टीआरआई / मीडिया एवं स्वास्थ्य सेल)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23340278
18.	श्रीमती दीपा जोशी	अनुभाग अधिकारी (पीजीएवंपीए)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23340462
19.	श्री एस. जी. टिमोथी	अनुभाग अधिकारी (सीएलएम)	प्रथम तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23340278
20.	सुश्री सुनुमी चांगमी	अनुसंधान अधिकारी (सीएलएम)	भूतल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरमाष सं. 23340462

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा मंत्रालय के एक समन्वय एजेंसी के रूप में सहयोग से 23 और 24 जनवरी 2023 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित सैन्य टैटू एवं जनजातीय नृत्य महोत्सव 'आदि शौर्य–पर्व पराक्रम का' कार्यक्रम की झलकियाँ।

सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार